सप्तम माला, 01 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 16, मंगलवार, 1 जुलाई, 1980/10 आषाढ़ 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1—29
*तारांकित प्रश्न संख्या 326, 327, 331, 332, 334 से 336, 339 और 340		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	29—178
तारांकित प्रश्न संख्या 325, 328, 330, 338 और 341 से 344		
अतारांकित प्रश्न संख्या 2477 से 2560, 2562 से 2605 और 2607 से 2617		
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	...	179
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	180—182
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	182—190
उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के ग्यानसु गांव में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति		
श्री हरिकेश बहादुर	...	182
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	...	182
श्री मनीराम बागड़ी	...	187
लातूर-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में याचिका		
ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक-पुरःस्थापित	...	190
नियम 377 के अधीन मामले	...	190—194
(एक) श्री सीताराम को-आपरेटिव शूगर्स लि० कोटा, आंध्र प्रदेश के लाइसेन्स का नवीकरण		
श्री पी० राजगोपाल नायडू	...	190
(दो) सरकारी विभागों में देश में बनी मशीनों के उपयोग की आवश्यकता		
श्री आर० के० महालगी	...	191

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) 27 और 28 जून, 1980 को आयकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा काम बन्द किए जाने के समाचार की जांच

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ... 191

(चार) इस्पात, कच्चे लोहे, पैराफिन वैक्स आदि के आबंटन तथा वितरण के बारे में पश्चिम बंगाल के प्रति कथित भेदभाव

श्री समर मुखर्जी ... 192

(पांच) केरल में शिक्षण संस्थाओं को कापियां सप्लाई करने में विलम्ब का समाचार

प्रो० पी० जे० कुरियन ... 192

(छः) निगमित क्षेत्र में औद्योगिक निवेशों में कमी को रोकने के उपाय

श्री दिग्विजय सिंह ... 193

(सात) बिहार में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... 193

(आठ) तमिलनाडु के समूचे सेलम जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता

श्री सी० पलानी अप्पन ... 194

नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में ... 195

सामान्य बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा ... 195

श्री चन्द्र शेखर सिंह ... 195—285

श्री भारखण्डे राय ... 198

श्री आर० वाई० घोरपडे ... 199

श्री राम सिंह यादव ... 203

चौधरी मुल्तान सिंह ... 206

श्री समीनुद्दीन ... 209

श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू ... 211

श्री एन० सुन्दरराजन ... 215

श्री बी० आर० नहाटा ... 217

श्री सी० टी० दण्डपाणि ... 221

श्री चिन्तामणि जैना ... 229

श्री शांताराम पोटदुखे ... 231

श्री पी० राजगोपाल नायडू ... 232

श्री एम० एस० सजीवी राव ... 235

श्री ए० के० राय ... 238
श्री गिरधारी लाल व्यास ... 40
श्री सुन्दर सिंह ... 244
श्री रतनसिंह राजदा ... 248
श्री उत्तमभाई एच० पटेल ... 250
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... 252
श्री अजीत सिंह दाभी ... 254
श्री ए० टी० पाटिल ... 257
श्री सी० पलानी अप्पन ... 262
श्री दिलीप सिंह भूरिया ... 263
श्री रामेश्वर निखरा ... 265
श्री कृष्ण प्रताप सिंह ... 267
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ... 269
श्री आर० वेंकटरामन ... 270
मेजपटल पर रखे गए पत्र—जारी ... 286

लोक सभा

मंगलवार, 1 जुलाई, 1980/10 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरकों के धारण मूल्य

*326. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के धारण-मूल्य नियत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना-कितना मूल्य नियत किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो धारण-मूल्य नियत करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कृषक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम स्तर पर मूल्य नियत करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने नाइट्रोजन उर्वरकों अर्थात् यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के लिए 1 नवम्बर, 1977 से और फास्फेटिक उर्वरकों (संगलसुपर फास्फेट को छोड़कर) के लिए 1 फरवरी, 1979 से एक प्रतिधारण मूल्य पद्धति लागू की है, ये प्रतिधारण मूल्य 31 मार्च, 1979 तक वैध थी । 1 अप्रैल, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1982 तक की दूसरी मूल्य निर्धारण अवधि के लिये प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और संशोधित प्रतिधारण मूल्यों के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है। 1.4.1979 से आरम्भ होने वाली मूल्य निर्धारण अवधि के लिए संशोधित प्रतिधारण मूल्यों की घोषणा होने तक सरकार ने 1979-80 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए विभिन्न उर्वरक एककों को तदर्थ

भुगतान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिधारण मूल्यों पर सरकार के निर्णय के अभाव में एककों को परिसमापन की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत सहायता की सामान्य मासिक अदायगी को पिछले प्रतिधारण मूल्यों के आधार पर वर्ष, 1979-80 में भी जारी रखा गया है।

(घ) अधिकांश प्रमुख उर्वरकों के बिक्री मूल्य कानूनी नियंत्रण में हैं। विभिन्न उर्वरकों के अधिकतम फुटकर मूल्यों को 8 जून, 1980 से लागू उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत हाल ही में निर्धारित किया गया है।

श्री ए० टी० पाटिल : सरकार और उर्वरक एकक, धारण मूल्य नियत करते हुए, उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं ताकि धारण मूल्य को कम से कम रखा जा सके।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : लागत कम करने से माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। यदि वह बहुत अधिक है तो निश्चित रूप से हम उसे कम करने के लिए उपाय करेंगे—बशर्ते कि उत्पादन लागत कम करने की कोई गुंजाइश हो।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं अपने प्रश्न के भाग (घ) के बारे में मन्त्री महोदय के उत्तर का उल्लेख कर रहा हूं। जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, उर्वरकों के मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः 1973-74 में उर्वरकों के मूल्य में 90% वृद्धि हुई थी, जबकि कृषि उत्पादनों में केवल 5·5% ही वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पाद के उत्पादन में गिरावट आ गई। अब उर्वरकों के मूल्य में प्रायः 40% वृद्धि हुई है। परिणामतः कृषि उत्पाद में कमी होने की आशंका है। इसके दो कारण हैं, मूल्य वृद्धि और कृषकों का कर्जदार होना। उर्वरकों के मूल्य में हुई तीव्र वृद्धि और किसानों के कर्जदार होने के कारण बैंक से ऋण लेने में असमर्थ होने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उर्वरक के मूल्य कम करने अथवा कृषकों को, विशेषतः छोटे और सीमांत कृषकों को उर्वरक के लिए राजसहायता देने और कृषि उत्पाद के वसूली मूल्य बढ़ाने को आवश्यक और न्यायोचित समझती है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है; आप हद से बाहर जा रहे हैं; आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए; यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है; यह तो पूरा भाषण है; यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। मुझे आपके रवैये पर आश्चर्य हो रहा है।

श्री ए० टी० पाटिल : उर्वरकों के मूल्य में हुई तीव्र वृद्धि और किसानों के कर्जदार होने के कारण बैंक से ऋण लेने में उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उर्वरकों का मूल्य कम करने अथवा कृषकों को राजसहायता देने को न्यायोचित समझती है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न पूछने का ढंग नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, नहीं, अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री भगवत झा आजाद : इस मन्त्रालय द्वारा उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करते हुए क्या सरकार स्वयं ही मूल्य बढ़ा देती है या वह कृषकों को उनके उत्पाद के लिए दिए जाने वाले मूल्य

के लिए कृषि मन्त्रालय से भी परामर्श लेती है। वे मूल्य किस प्रकार नियत करते हैं—क्या स्वयं ही नियत कर लेते हैं या सरकार के साथ विचार-विमर्श करके नियत करते हैं ?

श्री विरेन्द्र पाटिल : धारण मूल्य नियत करते समय सरकार बहुत सी बातों को ध्यान में रखती है। केवल एक ही मन्त्रालय धारण मूल्य नियत नहीं करता है। यह धारण मूल्य कार्य-कुशलता और उत्पादन के नियत मानदण्डों पर आधारित होता है। यदि कार्यकुशलता कम है तो लाभ कम होगा; इसलिए धारण मूल्य में अन्तर्निहित प्रोत्साहन की राशि शामिल रहती है। इसलिए जो भी मूल्य, धारण मूल्य नियत किया जाता है वह सरकार नियत करती है केवल एक मन्त्रालय नहीं करता।

श्री भागवत झा आजाद : अगर यह मन्त्रालय की सलाह से होता है तो उर्वरकों का मूल्य इतना अधिक क्यों है और कृषक के उत्पादन की लागत के अनुरूप क्यों नहीं है ? क्या यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है ? फिर ऐसा क्यों है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उत्पादन लागत के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है ? मूल्य नियत करते हुए निवेश और अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है।

श्री वाई० एस० महाजन : क्या अब भी उर्वरकों के मूल्य में राजसहायता का अंश होता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि उसमें राजसहायता का अंश होता है।

श्री आर० के० महालगी : 1 अप्रैल, 1979 से आरम्भ होकर 31 मार्च, 1982 पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए धारण मूल्य नियत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : विलम्ब का कारण यह है कि उद्योग से शुद्ध मूल्य के लाभ का हिसाब लगाने की प्रणाली के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उद्योग ने यह निवेदन किया था कि इक्विटी तथा निःशुल्क आरक्षित भण्डार के आधार पर शुद्ध मूल्य का हिसाब लगाया जाना चाहिए। समिति द्वारा अपनाई गई पिछली प्रणाली से असहमति प्रकट की गई जो लगाई गई पूंजी पर आधारित थी। चूंकि उद्योग द्वारा उठाया गया यह मुद्दा पेचीदा था और उसमें वित्तीय कठिनाइयां थीं—इसलिए जांच करने में काफी समय लगा।

श्री राम सिंह यादव : मैं जानना चाहता हूं कि इसको कितनी ग्रांट दी गई हैं और दूसरी कम्पनियों को कितनी ग्रांट दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : तदर्थ भुगतान मूल्य वृद्धि के आधार पर किया जाता है।

पन-बिजली के लिए हिमालय की नदियों की क्षमता

*327. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पन-बिजली के उत्पादन के लिए हिमालय की नदियों की क्षमता का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ आवश्यक समझौते भी करने का है; और

(ग) पन-बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से ठोस और समयबद्ध कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार, देश की जल विद्युत क्षमता को उपयोग में लाने के लिए उत्सुक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) देश की जल विद्युत क्षमता का पुनर्मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

(2) उपर्युक्त पुनर्मूल्यांकन के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ऐसी और जल विद्युत स्कीमों का पता लगाने के लिए अध्ययन का कार्य अपने हाथ में ले लिया है जो सोपानबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा सकें।

(3) विद्युत योजना में जल विद्युत संघटक को वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और उत्तरपूर्वी विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई है ताकि उपयुक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन हाथ में लिया जाए तथा इस प्रकार, इस सम्बन्ध में राज्य के प्रयासों की अनुपूर्ति की जाए।

(4) परियोजनाओं को कम से कम अवधि में क्रियान्वित करने के लिए, अन्वेषण और निर्माण की विधियों में सुधार किए जाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जहां तक पड़ोसी देशों के साथ समझौता करने का सम्बन्ध है, नेपाल ने जल विद्युत के विकास में बहुत अधिक रुचि दिखाई है तथा इस मामले पर नेपाल के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभा पटल पर रखे गए विवरण में हिमालय की नदियों का कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि देश की

कुल बिजली की आवश्यकता में पन-बिजली की कितनी मांग है। हम अपने पन-बिजली विद्युत केन्द्रों में कितनी बिजली का उत्पादन कर पाए हैं और अगर हम उस माँग को पूरा नहीं कर पाए हैं तो उस हालत में समयबद्ध ढंग से उस उत्पादन के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक हिमालय की नदियों का सम्बन्ध है, निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 3399 मेगावाट और अधिष्ठापित क्षमता 3099 मेगा-वाट है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न बहुत सीधा था। देश की कुल बिजली की आवश्यकता कितनी है और उसमें से पन बिजली का अंश कितना है और उस आवश्यकता में से भी वास्तविक उत्पादन कितना है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : 11,000 मेगावाट पानी की अधिष्ठापित क्षमता है। वह पहले ही उपयोग की जा चुकी है। 1980-85 की योजना अवधि के दौरान 5,000 मेगावाट क्षमता बढ़ाने का विचार है। फिलहाल हमारे विचार में 75,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पानी से किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो कहा उसको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि हम ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों की पूरी क्षमता का लाभ उठाना चाहें तो उस हालत में हमें नेपाल जैसे देशों से किसी प्रकार का समझौता करना होगा। आपने अपने वक्तव्य में भी उल्लेख किया है कि आप उस दिशा में आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने केवल यह शुभेच्छा प्रकट की है कि अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लेकिन अगर आपने बातचीत शुरू कर दी है तो बातचीत किस चरण पर है या कि जिस तरह बिजली की कमी चल रही है यानी जहां तक पन बिजली का प्रश्न है उसी तरह बातचीत में ढील पड़ रही है ?

श्री विक्रम महाजन : हम नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं मगर हमने यह बता दिया है कि हम तीन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं—करनाली चेश्वर, कुरंगी, पश्चिमी राठी। इसमें एक की क्षमता 3600 मेगावाट और लागत 1100 करोड़ रुपए; दूसरी की क्षमता 1200 मेगावाट और लागत 200 करोड़ रुपये है, इत्यादि। हमने यह बता दिया था और उस पर विचार विमर्श किया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि छठी पंच-वर्षीय परियोजना के अंतर्गत कौन-सी परियोजनाएं हैं और इसके अन्तर्गत कितनी योजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री झारखंडे राय : क्या मन्त्री महोदय को यह सूचना है कि उत्तर प्रदेश की पन-बिजली उत्पन्न करने की प्रायोजना की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि बजाय हिमालय के वह विन्ध्या-

चल पहाड़ के सूखे इलाके में इसका प्रयास ओवरा में कर रहे थे ? इसको ठीक करने के लिए अब टिहरी योजना चल रही है। उसके केसमेंट का, और तमाम शुरूआती काम हो चुका है। क्या सरकार उत्तर प्रदेश में, और सारे उत्तर भारत में, बिजली की कमी को देखते हुए उस योजना को जल्दी पूरा करने का प्रयास करेगी ?

श्री विक्रम महाजन : जी, हाँ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण देश की पनबिजली क्षमता का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि मूलतः हमारे पास कितनी पनबिजली क्षमता उपलब्ध थी और उसमें से अब तक कितनी इस्तेमाल की जा चुकी है, पनबिजली परियोजनाओं पर आधारित कितने प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा शेष क्षमता के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस बात पर नजर रखने के लिए क्या उपाय किए हैं कि सम्बन्धित राज्य सरकारें परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यदि राज्य सरकारों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस मामले में कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक हिमालय-प्रदेश का सम्बन्ध है लगभग 20 योजनाएं चल रही हैं और उनकी क्षमता 3000 मेगावाट से अधिक है। पूरे देश में 72 योजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं जिनमें से 21 हिमालय-प्रदेश से सम्बन्धित हैं। हिमालय-प्रदेश की क्षमता 3000 मेगावाट है और सारे भारत में जो 72 योजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं उनकी क्षमता 16,000 मेगावाट से अधिक है।

श्री माधवराव सिंधिया : जैसा कि सब जानते हैं नेपाल से भारत में आने वाली नदियों में सर्वाधिक अप्रयुक्त पनबिजली क्षमता है। मंत्री महोदय ने कुछ सामान्य सा उत्तर दिया है कि नेपाल सरकार से विचार-विमर्श जारी है। जहां तक करनाली का सम्बन्ध है, उसमें 4500 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है, जो आज भारत के कुल उत्पादन का लगभग छठा भाग है। क, ख, ग और घ नामक चार दल स्थापित किए जाने थे। क, ख और ग को अपनी बैठक करके घ को अपना प्रतिवेदन देना था जिसे प्रतिवेदनों का समन्वयन करके उन्हें पूर्ण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना था। मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या करनाली परियोजना के लिए दल क, ख और ग की बैठक हो चुकी है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? विदेश सचिव, श्री राम साठे ने लगभग चार महीने पहले अपनी नेपाल यात्रा के दौरान यह सुझाव दिया था कि एक संयुक्त नदी जल पुनरीक्षा समिति गठित की जानी चाहिए जो नेपाल और भारत के पानी के उपयोग के लिए आगामी 60 वर्ष का हिसाब लगा सके। इस सुझाव पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या समिति गठित की जाएगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमने इस मामले में अपनी तरफ से पहल करने की बहुत कोशिश की है मगर दुर्भाग्य से नेपाल ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई है। मैं करनाली की बात कर रहा हूं। जब तक कि नेपाल इसमें रुचि प्रदर्शित नहीं करता और बातचीत पूरी नहीं

हो जाती, जाँच कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। आखिरकार हम दो प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। नेपाल भी प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र है और उसकी सहमति भी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिनाथ मिश्र।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या क, ख और ग समितियों की बैठकें हुई हैं अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वे इसके साथ उसका उत्तर देंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह देखते हुए कि कोसी, कमला, गंडक व अन्य बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र नेपाल की सीमा के भीतर है·····

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हिमालय की नदियों से सम्बन्धित है।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं प्रश्न नहीं दोहरा रहा हूं। इन जलग्रहण क्षेत्रों में पन-बिजली के विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। क्या सरकार इन संसाधनों के विकास पर अपेक्षित महत्व देती है ? क्या मन्त्रालय स्तर पर बातचीत चल रही है ?

श्री विक्रम महाजन : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं कह चुका हूं कि इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में नेपाल से हमारी बातचीत चल रही है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण के अनुसार चीन की सीमा में ब्रह्मपुत्र एकदम उल्टा मोड़ लेती है। यदि हम 200 मीटर की सुरंग बनाएं तो हमें 15,000 मेगावाट की शक्ति प्राप्त होती है। और आपकी सूचना के लिए एक ऐसी ही परियोजना ब्राजील और पारागुए की सीमा पर स्थित पाराना नदी पर है, जहां लगभग 14,000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन होता है। चीन से सम्बन्ध अच्छे होने के कारण, क्या भारत सरकार कम से कम प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए ही बातचीत शुरू करने की दिशा में विचार कर रही है ?

श्री विक्रम महाजन : हम इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

डा० कर्णसिंह : यह प्रश्न हिमालय की नदियों से सम्बन्धित है और हिमालय की नदियों में दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, 'इंडस', नदी है जिससे हमारे देश का नाम 'इण्डिया' बना है और दूसरी नदी चिनाब है। क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेह के पास, 'इंडस' नदी पर स्थित स्थगना पन-बिजली परियोजना जो कई वर्षों से विचाराधीन है, और चिनाब पर स्थित सलाल और दुलहस्ती परियोजनाओं की क्या स्थिति है क्योंकि चिनाब नदी की लाखों वाट बिजली बेकार में पाकिस्तान जा रही है, और 'इंडस' का भी पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है।

श्री विक्रम महाजन : सलाल परियोजना पर कार्य हो रहा है। दुलहस्ती परियोजना का कार्य हमने एन० एच० पी० सी० को सौंपने का निर्णय किया है।

पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*331. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का राज्य के कोयला क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(क) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या हैं और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरक का मूल्य बढ़ने वाला है और इसकी कीमत बढ़ती ही जाएगी, क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएगी ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य तथा इस सभा की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक तलचर में और दूसरा रामागुण्डम में है। परन्तु दुर्भाग्यवश, बिजली की कमी के कारण ये चालू नहीं किए जा सके। चूंकि हमें अब पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो गई है इसलिए हम गैस पर आधारित संयंत्रों पर बल दे रहे हैं। हम बम्बई हाई की गैस के आधार पर दस उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। उनमें से चार महाराष्ट्र व गुजरात में स्थापित किए जायेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस उत्तर से मैं यह समझूं कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार बिल्कुल त्याग दिया गया है ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैंने कहा है कि कोयले पर आधारित दो उर्वरक सयन्त्र स्थापित किए जा चुके हैं। हम कोरबा में एक और कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। थोड़े से अनुभव के बाद हम सोचेंगे कि क्या कोयले पर आधारित सयन्त्र स्थापित करना उचित है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप ऐसा संयन्त्र पश्चिम बंगाल में स्थापित कर रहे हैं।

श्री वीरेंद्र पाटिल : ऐसा प्रस्ताव आने दीजिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि, बिजली की कमी के कारण, रामागुण्डम उर्वरक संयन्त्र प्रारम्भ नहीं हो सका। क्या मन्त्री महोदय ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा है कि उसे कब शुरू किया जाएगा ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैंने कहा है कि वहां बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है। इसी कारण हम संयन्त्र शुरू नहीं कर सके हालांकि मशीनों आदि से वह पूरा हो चुका है और उसे किसी भी क्षण शुरू किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने राज्य के मुख्य मन्त्री से पत्र-व्यवहार करके निवेदन किया है कि उस संयन्त्र को चालू करने के लिए बिजली उपलब्ध की जाए, लेकिन वह बिजली का प्रबन्ध करने में असफल रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी है। मेरा विचार है कि दिसम्बर, 1980 तक हम उस सयन्त्र को चालू कर पायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : तलचर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने केबाद, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पश्चिम गबाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र के निकट जहां कोयला बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, एक अन्य कोयले पर आधारित उर्वरक सयन्त्र स्थापित करेगी ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं कह चुका कि सरकार की नीति गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र को वरीयता देने की है, क्योंकि वे 20 से 30 प्रतिशत सस्ते पड़ते हैं। गैस समाप्त होने के पश्चात हम कोयले पर आधारित संयन्त्रों को लगाने के मामले पर जायेंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जैसा कि आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश में बिजली की पूर्ति की स्थिति अच्छी है, और वर्षा ऋतु में तो जल-विद्युत शक्ति काफी मात्रा में उपलब्ध रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि कम से कम अगस्त से बिजली की पूर्ति आरम्भ की जाए।

श्री वीरेंद्र पाटिल : जहां तक रामागुण्डम में सयन्त्र चालू करने का प्रश्न है, यह बहुत कुछ राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जितनी शीघ्रता से वह बिजली की पूर्ति प्रदान करने में सफल होंगे उतनी ही जल्दी हम सयन्त्र चालू करने की स्थिति में होंगे।

डा० कृपासिंधु भोई : वर्ष 1975 में 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसको चालू करने में 198 ; तक का समय क्यों लगा।

श्री वीरेंद्र पाटिल : मेरे पास पूर्ण विवरण नहीं है पर जहां तक तलचर का सम्बन्ध है मेरी जानकारी है, कि उसमें मशीनें तो पूरी हो चुकी है और हम इसे चालू करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है पहले इसके निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ हो।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के अन्तर्गत उर्वरक संयंत्र की नीलामी

*332. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक के एक कोयले से चलने वाले पुराने उर्वरक संयन्त्र की नीलामी करने के प्रस्ताव की जानकारी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या नीलामी किए जाने वाले कई यूनिट तथा उपकरण चालू स्थिति में हैं और यदि हां, तो ऐसे यूनिटों अथवा उपकरणों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या बोली देने वालों ने स्वयं को संगठित करके एक दल बनाकर जो बोली दी है वह बाजार भाव से कम है जिससे कम्पनी को काफी नुकसान हुआ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना ही नीलामी कर दी गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में जांच करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) से (ङ) सिंदरी के पुराने संयंत्रों की जिसने 1951 में उत्पादन प्रारम्भ किया, कि अलाभप्रद और असुरक्षित चालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इन संयंत्रों को सिंदरी आधुनिकीकरण और सिंदरी सुव्यवस्थीकरण प्रायोजनाओं के चालू होने पर बन्द कर दिया जाए। अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से परामर्श के बाद सिंदरी और अन्य सहयोगी संयंत्रों द्वारा अपेक्षित उपकरणों को रख लेने के बाद, एफ. सी. आई. ने बाकी बचे उपकरणों और पुर्जों की बिक्री के लिए अखिल भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से निविदा आमन्त्रित किया। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एफ. सी. आई. ने उच्चतम बोली बोलने वाले को सहमति पत्र जारी किया। मामले की जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है।

श्री ए० के० राय : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री ए० के० राय : इस सभा की परम्परा और नियम के अनुसार जब भी कोई प्रश्न भागों में पूछा जाता है तो उसका उत्तर भी भागों में दिया जाता है। मैंने (क) से (ङ) तक कुछ सुस्पष्ट प्रश्न पूछे थे, परन्तु मन्त्री महोदय ने उन सबका एक ही उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह व्यवस्था का प्रश्न है तो यह नियम से बाहर है।

श्री ए० के० राय : सिंदरी उर्वरक संयन्त्र सरकारी क्षेत्र का केवल पहला उर्वरक संयन्त्र है, वरन देश का सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र का एकक है। यह 1951 में चालू किया गया था। यह कोयले पर आधारित संयन्त्र है और कोयला क्षेत्र में ही स्थित है। अत्यधिक खेद का विषय है कि भारत सरकार एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को निजी क्षेत्र में नीलाम कर रही है। यह बहुत गम्भीर बात है। मैं उसी फैक्ट्री से आ रहा हूं। मुझे मालूम है कि उसकी लागत 200 करोड़ रुपये है; उस समय पहले 35 करोड़ रुपये थी, बाद में 15 करोड़ रुपये, जिसका वर्तमान मूल्य 200 करोड़ रुपये होगा। वह कोयले पर आधारित इस पूरी फैक्ट्री को नीलाम कर रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 8,000 व्यक्ति काम करते हैं। पहले सबसे ऊंची बोली 7.7 करोड़ रुपये की थी और वह 4 करोड़ रुपये तक गिर गई है। इसकी कोई सफाई पेश नहीं की

गई। इसका क्या कारण है कि जिस फैक्ट्री की कीमत 200 करोड़ रुपये है, वह इस राशि पर नीलाम की जा रही है ? (व्यवधान) यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। हर व्यक्ति सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री के विषय में जानता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें विवेक से काम लेना चाहिए, इस पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० के० राय : आप कृपया उत्तर पढ़ें। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं। यह कोई उत्तर नहीं है। सबसे पहले मैं अपना प्रथम अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। क्या उन्हें मालूम है कि उच्चतम बोली लगाने वाले को अवसर ही नहीं दिया गया और 7.7 करोड़ रुपये की वास्तविक बोली कम होकर 4 करोड़ रुपये पर आ गई। यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : यदि माननीय सदस्य धैर्य रखें, तो मैं उनके सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। उनका यह विचार है कि कोयले पर आधारित एक उर्वरक सन्यन्त्र जो 1951 में स्थापित किया गया था, निजी क्षेत्र को कौड़ी के मोल बेच दिया गया। ऐसा नहीं है, वस्तुतः स्थिति यह है। दुर्भाग्यवश, सिंदरी सन्यन्त्र के शुरू होते ही, फैक्ट्री के मुख्य कच्चे माल, कोयला और जिप्सम, की गुणवत्ता बराबर गिरती गयी। फिर समय गुजरने के साथ-साथ सन्यन्त्र के पुराना होने से तथा उपकरणों, व मशीनरी की दशा खराब होने से उत्पादन गिर गया, और आकस्मिक खराबियां बढ़ गईं। इसके अलावा, पुरानी तकनीक और विदेशी फालतू पुर्जे न मिलने के कारण, बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुराने उपकरणों और मशीनरी का रख-रखाव भी एक अड़चन बन गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया कि पुराने सन्यन्त्र जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं उन्हें हटा देना चाहिए तथा अन्य सन्यन्त्रों का नवीकरण कर देना चाहिए। तदनुसार, 183.19 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर, कोयला (कोयले से एल० एस० एच० एस०) ईंधन तेल का सम्भरण बदलने के लिए, सिंदरी आधुनिकीकरण योजना लागू की गई। इसमें 1.10.1979 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में प्राकृतिक जिप्सम के स्थान पर जिप्सम का गौण उत्पाद प्रयोग किया जाने लगा। पुराना सिंदरी सन्यन्त्र खराबी व सुरक्षा के कारण धीरे-धीरे 1976 से बन्द किया जाने लगा। इसी कारणवश पुराना सन्यन्त्र बन्द करना पड़ा और इतनी बड़ी लागत पर नया सन्यन्त्र स्थापित करना पड़ा। अब प्रश्न यह उठता है कि पुराने सन्यन्त्र को कैसे बेचा जाए। भारतीय उर्वरक निगम ने एक प्रक्रिया अपनाई है, मैंने उनके रिकार्ड और अपनाई गई प्रक्रिया के विवरण देखे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह बिल्कुल ठीक है। मैं इसका विवरण दे रहा हूं।

सन्यन्त्र बेचने से पहले, भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों तथा अन्य सहकम्पनियों ने आवश्यक मदें आरक्षित कर लीं। सरकारी क्षेत्र की 141 अन्य कम्पनियों से भी सम्बन्ध स्थापित किया गया। इनमें से, कुछ कम्पनियों ने कहा कि उन्हें कोई भी मद नहीं चाहिए, कुछ ने उसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई, तथा अधिकतर कम्पनियों ने जवाब ही नहीं दिया। जब निविदाएं खोली गई··· (व्यवधान) मैं विवरण पेश कर रहा हूं। सन्यन्त्र के कुछ हिस्से निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात बेच दिए गए थे। माननीय सदस्य ने कहा है कि अधिकतम राशि का टेंडर

नामंजूर कर दिया गया है। ऐसा नहीं हुआ—भारतीय खाद्य निगम ने 672.25 लाख रुपए के अधिकतम राशि वाले टेंडर को ही स्वीकार किया है। वे यह जानना चाहते हैं कि फिर वह 400.25 लाख रुपए का ही क्यों रह गया। मैं उसके कारण बताता हूं।

सबसे ऊंची बोली 672.25 लाख रुपये की थी, यह स्वीकार कर लिया गया था, हुआ यह कि जब टेंडर खोले गए तो टेंडर समिति ने सबसे ऊंची बोली वाले टेंडर स्वीकार की सिफारिश की थी, उसके बाद एफ०पी०डी०आई०एल० ने उन बेकार सन्यन्त्रों में से अनुसंधान के लिए अपेक्षित सन्यन्त्रों/उपकरणों का ब्योरा दिया। सबसे ऊंची बोली मंजूर करने के बाद इस संगठन ने बताया कि उन्हें कुछ और पुर्जे चाहिए। भारतीय खाद्य निगम की रामगुंडम यूनिट ने भी अपेक्षित उपकरणों की छोटी सी सूची भेज दी। इसे देखते हुए इस संभावना पर विचार करना ही उचित समझा गया कि एफ०पी०डी०आई० एल० को देने के लिए हम उपकरणों में से कुछ को सिंदरी किस प्रकार अपने पास रखे रह सकता है। इसलिए यह निर्णय किया गया कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले से ऐसे उपकरणों को न देने के कारण मूल्य कम करने पर बातचीत की जाए।

इस सम्बन्ध में टेंडर समिति ने बातचीत शुरू की थी, बातचीत के बाद अपने अधिकार से रखे जाने वाले उपकरणों के लिए 277.78 लाख रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, टेंडर समिति ने तदनुरूप शेष सन्यन्त्रों और उसके पुर्जों के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले से 394.47 लाख रुपए लेने की सिफारिश की थी।

सभा को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमने उसे कम मूल्य पर बेच दिया है। हमें इसे इसीलिए कम मूल्य पर बेचना पड़ा कि टेंडर खोले जाने और सबसे ऊंची बोली स्वीकार करने के बाद एफ०पी०डी०आई०एल० और रामगुंडम यूनिट ने कुछ उपकरणों की मांग की जो हम सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सौंपने का निर्णय कर चुके थे। जिन पुर्जों को नहीं दिया जाना था उनका मूल्य 277.71 लाख रुपए था। तदनुसार टेंडर समिति ने शेष संयंत्रों और सम्बन्धित पुर्जों के लिए सबसे ऊंची बोली अर्थात 394.47 लाख रुपये लगाने वाले को देने के प्रस्ताव की सिफारिश की। किन्तु इसको हमने स्वीकार नहीं किया है। जब इस मामले को दिनांक 14.5.80 को निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा गया था तो उस समय निर्णय किया गया कि टेंडर समिति उन पहली छः फर्मों, जिन्होंने 4 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के लिए पहले टेंडर दिये थे, से कहा जाए कि वे पहले दी गई अपनी बोली को बरकरार रखते हुए एफ० पी०डी०आई०एल० और रामगुंडम यूनिट के लिए सिंदरी द्वारा रखे जाने वाले उपकरणों के लिए बोली लगाएं। तदनुरूप कार्यवाही की गई और छः फर्मों को बोली लगाने का अवसर दिया गया, सम्बन्धित सन्यन्त्रों को देखने तथा आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद इन फर्मों ने 23.5.80 को कटौती के लिए शील बन्द टेंडर भेजे। टेंडर समिति द्वारा टेंडर देने वाली फर्मों के समक्ष उसी दिन उन्हें खोला गया। इस बार मेसर्स गणपतराय ऋषीवाशी ने नीलामी से हटाए गए संयंत्र आदि की सूची के लिए उन्होंने पहले जो 277.78 लाख रुपए की बोली लगाई थी उससे भी कम बोली लगाई थी जो कि 272.00 लाख रुपए थी। टेंडर समिति ने इस प्रस्ताव को लाभप्रद माना

और इस फर्म के प्रस्ताव की सिफारिश की कि उन्हें शेष सन्यन्त्र के लिए 400.25 लाख रुपए का विक्रय आदेश दे दिया जाए। निदेशक बोर्ड ने 29.5.80 को इससे सहमति व्यक्त की थी। तदनुरूप 30.5.80 को इस फर्म को स्वीकृति-पत्र भेजा गया था।

सभा को ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि 672.25 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली मंजूर करने के बाद उसे 400.25 लाख रुपए तक क्यों घटा दिया गया। मैं किसी भी प्रकार के संदेह को स्थान नहीं रहने देना चाहता। इसीलिए मैंने ये सभी तथ्य प्रस्तुत किए हैं। भारतीय खाद्यान्न निगम के महाप्रबंधक ने एक समिति गठित की थी। इस समिति ने सन्यन्त्र के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर रक्षित मूल्य निर्धारित किया। समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य में से सन्यन्त्र खोलकर पुर्जों को अलग-अलग करने की लागत निकाल देने पर 277.32 लाख रुपए रह जाते हैं जबकि उसके लिए 400.25 लाख रुपए में खरीदे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।

श्री ए० के० राय : दूसरा प्रश्न नीलामी की आवश्यकता ही के बारे में है। एक रासायनिक सन्यन्त्र को मृत व्यक्ति की भांति दफनाया नहीं जा सकता। यदि हम कुछ पुर्जे रखते हैं, और वे पुराने हो जाते हैं, तो ऐसी मानक विधियाँ हैं जिससे अवक्षयण आदि की गणना के बाद उन्हें बदला जा सकता है। किन्तु उन्होंने क्या किया है ? उन्होंने कोयले पर आधारित सन्यन्त्र को बिल्कुल ही बन्द कर दिया है और वैपथा पर आधारित सन्यन्त्र पर अधिक खर्च किया···

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० राय : अब दोनों ही सन्यन्त्र बन्द कर दिए गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न की चर्चा करें।

श्री ए० के० राय : अब वे कोयले पर आधारित एक नया सन्यन्त्र शुरू करने की बात कर रहे हैं। उसे ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय संसद सदस्यों की ऐसी समिति गठित करेंगे जो इस बात पर विचार करे कि क्या कोयले पर आधारित पुराने सन्यन्त्र की मरम्मत आदि कर उसे कम लागत पर ही पुनः चालू नहीं किया जा सकता।

श्री वीरेंद्र पाटिल : तथ्यों की छानबीन के लिए समिति गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम इस बात से संतुष्ठ हैं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं है और जिस कार्य-विधि को अपनाया गया है वह बिल्कुल उचित है और फिर जो भी कुछ किया गया है वह उर्वरक यूनिट के हित में है।

छोटे टेलिविजन केन्द्र

*334. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर, मरकारा और मैसूर में छोटे टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दक्षिण भारत के काफी भाग को कवर करने के लिए माइक्रोवेव संचार पद्धति पर रिले दूरदर्शन केन्द्रों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसके कार्यान्वित होने पर मंगलौर, मैसूर और मरकारा के इनके सेवा क्षेत्र में आने की संभावना है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण भारत के काफी भाग में प्रसारण के लिए सूक्ष्म तरंग संचार प्रणाली पर आधारित रिले दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कर्नाटक में ऐसे कौन से केन्द्र हैं जो दूरदर्शन केन्द्रों के अन्तर्गत आएंगे ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र तो कर्नाटक का राजधानी बंगलोर ही है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र ने पूछा है कि क्या मंगलोर, मैसूर और मरकारा पर भी विचार किया जाएगा। मैं यह कहूंगा कि चूंकि मंगलोर और मैसूर प्रत्यक्षतः सूक्ष्म तरंग प्रणाली पर स्थित हैं इसीलिए पहले उन पर ही विचार किया जाएगा उसके बाद उनके बीच स्थित मरकारा पर भी विचार किया जाएगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि दर्शकों के हित में क्या मैसूर और बंगलोर के बीच किसी दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

श्री वसन्त साठे : महोदय, बंगलोर और मैसूर के बीच बंगलोर में किस तरह दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जा सकती है ?

श्री जेवियर अराक्कल : एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं। क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, और एर्नाकुलम या त्रिवेन्द्रम में ऐसे केन्द्र की स्थापना के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री वसन्त साठे : त्रिवेन्द्रम के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं, और उस पर कार्यवाही जा जा रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : लगभग रोज ही हम सुनते हैं कि देश में कहीं न कहीं रिले केन्द्र स्थापित किया जाएगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना या निर्माण के किए मोटामार्टा कोई मानदंड या नीति निश्चित की गई है। क्या मुझे यह भी पूछने की अनुमति देंगे कि गोआ में कब रिले केन्द्र स्थापित होगा ?

श्री वसंत साठे : मानदण्ड यही है कि जहां कहीं डाक और तार विभाग ने सूक्ष्म तरंग प्रणाली शुरू की है वहां हम दूरदर्शन प्रसार केन्द्र के लिए भी उस सूक्ष्म तरंग प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से थोड़ा परिवर्धन करके इस सूक्ष्म तरंग प्रणाली का दूरदर्शन के लिए प्रयोग करना सम्भव हो गया है। जहां भी कहीं सूक्ष्म तरंग प्रणाली है डाक-तार विभाग ने, वहां पहले ही लाइनें बिछा दी हैं, और कुछ लाइनें योजना में प्रस्तावित

हैं। दूरदर्शन के रिले केन्द्रों के लिए निश्चित आदेश देने पड़े हैं और हम अभी भी जारी कर रहे हैं। इसीलिए मानदण्ड यही है कि जहां कहीं सूक्ष्म तरंग प्रणाली है, उसका हम दूरदर्शन रिले केन्द्रों के लिए उपयोग करेंगे और यही हम कर रहे हैं। यदि गोआ सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़ा गया हो, तो माननीय सदस्य आशा कर सकते हैं कि वहां एक रिले केन्द्र खोला जाएगा।

सोडा ऐश का उत्पादन और वितरण

*335. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश का उत्पादन देश की आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) देश के छोटे एककों में वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट आदि का निर्माण करने वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं को सोडा ऐश का वितरण करने के बारे में अपनाये गए मानदण्ड क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां। वर्ष 1979-80 के दौरान 6 लाख टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में सोडा ऐश का उत्पादन केवल 5.56 लाख टन हुआ।

(ख) जबकि सोडा ऐश की मांग बढ़ गई है, कोल और कोक नामक आवश्यक कच्चे मालों की उपलब्धता और करिवहन में पठिनाइयों के कारण स्थानीय निर्माता अपना उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ रहें हैं। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने दिनांक 14-1-1979 से सोडा ऐश के मद को खुले लाभान्य लाइसेंस सूची में रख दिया है ताकि कोई भी वास्तविक प्रयोगकर्त्ता यदि चाहे तो उसका सीधे तौर पर आयात कर सकें। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक था, आयातित सोडा ऐश के मूल्य को स्वदेशी मूल्यों से कुछ अधिक रखने के लिए आयात कर शुल्क को 75% से घटाकर डेंस के मामले में 5% और लाईट सोडा ऐश के मामले में 35% पर दिया गया था। सरकार ने भी स्टेट-केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (पी० पी० सी०) के माध्यम से 19,100 टन सोडा ऐश का आयात किया था जिसका वितरण विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और छोटे पैमाने के एककों को किया गया था। इसके अलावा सरकार ने सी० पी० सी० को ऐसे किसी भी वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं की ओर से, जो सीधे तौर पर आयात करने में समर्थ हैं परन्तु वर्तमान सीमा शुल्क दरों पर सी० पी० सी० से आयातित माल खरीदने के इच्छुक हैं, सोडा ऐश का आयात करने की अनुमति दी है।

देश की दीर्घावधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान एककों और नये तथा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में चल रहे उपक्रमों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार द्वारा

9.82 लाख टन की मात्रा तक अतिरिक्त क्षमता की भी मंजूरी दी है । सोडा ऐश के लिए बढ़ी हुई अधिकांश मांग को इस क्षमता के कार्यान्वयन द्वारा पूरा किए जाने की आशा है ।

(ग) सोडा ऐश के वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । फिर भी, सरकार ने समस्त निर्माताओं को मार्गदर्शिका जारी की है जो यह सुनिश्चित करती है कि वे समस्त औद्योगिक उपभोक्ता जो सोडा ऐश सीधे पर निर्माताओं से ले रहे थे, कम से कम वर्ष 1977 अर्थात एक सामान्य सप्लाई वर्ष में प्राप्त की गई मात्रा प्राप्त करते रहेंगे । परिणामस्वरूप निर्माताओं द्वारा उत्पादित सोडा ऐश का लगभग 80% निर्माताओं के मूल्य पर सीधे औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिल रहा है । ये मार्गदर्शिका वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट आदि के निर्माताओं सहित लघु पैमाने क्षेत्र के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू है ।

श्री अमरसिंह वी० राठवा : मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी कम्पनियों को आपने सोडा ऐश आयात करने की अनुमति दी है और वे कम्पनियां कितनी मात्रा में सोडा ऐश आयात कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ऐसी चार फर्में हैं जो सोडा ऐश का विनिर्माण कर रही हैं :—टाटा केमिकल्स, मीणपुर, गुजरात, अधिष्ठापित क्षमता 3,60,000 टन; सौराष्ट्र केमिकल्स, पोरबन्दर, अधिष्ठापित क्षमता 1,68,000 टन; धांगद्रा केमिकल्स वर्क्स, गुजरात, 65,000 टन; तथा न्यू सेण्ट्रल जूट मिल्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 39,600 टन, इन चारों यूनिटों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 6,32,600 टन है ।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : सोडा ऐश के जो निर्माता हैं उनकी कुछ मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार उनकी क्या सहायता कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उसकी क्या मुश्किलात हैं, अगर माननीय सदस्य बतायें तो फिर मैं सोच सकता हूं और कुछ जवाब दे सकता हूं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सोडा ऐश के वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है, सोडा ऐश की अधिकांश मात्रा विनिर्माताओं द्वारा काला बाजार में बेच दी जाती है; और यदि ऐसा होता है तो इसकी जांच के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय प्रस्तावित हैं और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : जहां तक सोडा ऐश के वितरण का सम्बन्ध है, उसके मूल्य और उसके वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है । इसीलिए वे अपनी इच्छानुसार किसी मूल्य पर उसे बेच सकते हैं । मैं स्वीकार करता हूं कि सोडा ऐश की पूर्ति कम हो रही है । इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए इसकी सुलभता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(1) मन्त्रालय ने सोडा देश के उत्पादन और वितरण पर निगरानी रखने के लिए एक स्थायी समिति गठित की है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और विभिन्न सरकारी विभागों

के प्रतिनिधि शामिल हैं; इस स्थायी समिति की तीन-चार माह में एक बार बैठक होती है; आयातित सोडा ऐश पर शुल्क कम कर दिया गया है;

(2) सरकार ने सोडा ऐश को 14-1-1979 से ओ० जी० एल० अर्थात् 'ओपन जनरल लाइसेंस' (खुले सामान्य लाइसेंस) के अन्तर्गत रख दिया है, ताकि सोडा ऐश का वास्तविक उपयोग करने वाले इसका सीधे आयात कर सकें;

(3) अनेक फर्मों को 9.82 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है; तथा

(4) मन्त्रालय ने सभी विनिर्माताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे प्रतिमाह राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को एक हजार टन सोडा ऐश देंगे जो पूरे देश में फैली हुई खुदरा दुकानों के द्वारा छोटे उपभक्ताओं में वितरित किया जाएगा।

डीजल का आयात

*336. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों से डीजल का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितना डीजल आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी-जून, 1980 के दौरान हाई स्पीड डीजल के हमारे कुल आयात 20 लाख मीट्रिक टन के बराबर होंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मात्रा हमारे देश के लिए पर्याप्त है अथवा हमें और अधिक आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री वीरेंद्र पाटिल : हम हर महीने स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जितनी मात्रा की आवश्यकता होती हैं, हम उतनी बाहर से प्राप्त कर रहे हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ट्रैक्टरों और डीजल इंजनों के लिए डीजल सप्लाई किया गया है।

श्री वीरेंद्र पाटिल : जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को डीजल का एक मुश्त आवंटन करते हैं और फिर यह राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को डीजल वितरित करती हैं। जहां तक किसी राज्य विशेष में आंतरिक वितरण का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मात्र 'जी, हां' कहा है। लेकिन वास्तव में संसद को बताया जाना चाहिए कि कौन-कौन से देशों से डीजल का

आयात किया जा रहा है तथा अन्य कौन से देश हैं जिनसे और आयात करने के बातचीत की जा रही है।

श्री वीरेंद्र पाटिल : हम दूसरे देशों से केवल कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं न कि पेट्रोलियम उत्पादों का। जिन पेट्रोलियम उत्पादों की हमें आवश्यकता होती है, हम उन्हीं उत्पादों की खरीद कर लेते हैं और हम नहीं जानते कि हमें सप्लाई करने वाले किस देश से ला रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश अथवा सलाह दी है कि किसानों को डीजल दिए जाने में प्राथमिकता दी जाए ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : हमने सभी राज्य सरकारों को साफ-साफ कहा है कि डीजल का वितरण करते समय कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को जो डीजल भेजा जाता है, उसका क्या क्राइटीरिया है और कितना कोटा राज्य सरकार को भेजने के लिए निर्धारित किया जाता है ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : क्राइटीरिया यही है कि 1972 में उस वक्त डीजल का कोई शार्टेज नहीं था, उस वक्त जितना कोटा हम स्टेट को देते थे, उससे 10,5% ज्यादा दे रहे हैं।

श्री फूलचन्द्र वर्मा : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में यह है कि इस वर्ष जनवरी से लेकर मई तक कुछ प्रदेशों को, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जितना कोटा डीजल मिलना चाहिए था वह समय पर नहीं मिला ? जो कुछ मिला भी वह भी कटौती करके दिया गया और पिछले दो महीने का पूरा कोटा नहीं मिला है। इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय क्या कहते हैं ?

श्री वीरेंद्र पाटिल : कोटा न मिलने का कोई सवाल ही नहीं, हर महीने एलोकेशन की जाती है। अगर कोटा नहीं देंगे तो लोग खामोश नहीं रहेंगे। इसलिए कोटा देने या न देने का कोई सवाल ही नहीं है। हम स्टेट्स के लिए एलोकेशन करते हैं उसके बाद कम ज्यादा के लिए एडीशनल एलोकेशन की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद पटेल—अनुपस्थित। श्री एस० एम० कृष्ण।

समाचार पत्रों के लिए आचार-संहिता के बारे में मन्त्री के विचार

*339. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 7 जून, 1980 को अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की एक बैठक में बोलते हुए कहा था कि वह इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए

समाचारपत्र निष्पक्ष और सही समाचार दें, समाचारपत्र किसी आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने आचार संहिता को क्रियान्वित करने के लिए और अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन को यह सलाह देने के लिए क्या उपाय ढूंढे हैं कि वे एक स्वस्थ प्रणाली अपनाएं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। मैंने अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन से अनुरोध किया था कि वह आचार संहिता को लागू करे और यह देखे कि निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के मूल मानकों का अनुपालन हो।

(ख) स्वतन्त्र प्रेस वाले लोकतन्त्रीय ढांचे में इस प्रकार की संहिता उचित रूप से स्वैच्छिक होनी चाहिए।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि स्वैच्छिक, आचार-संहिता लागू करने सम्बन्धी आश्वासन समाचारपत्रों में मिल ही रहे हैं ? लेकिन क्या उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि प्रेस की स्वतन्त्रता के नाम पर कुछ अन्य बहुमूल्य स्वतन्त्रताएं धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से छीनी जा रही हैं। लेकिन अब, यदि समाचार-पत्र सम्पादक—यहां मैं समाचार-पत्रों में पत्रिकाएं भी शामिल करता हूं—स्वैच्छिक रूप से आचार-संहिता लागू करने में विश्वास रखते भी हो, तो मन्त्री महोदय इस विषय को कैसे हल करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : महोदय, इस विषय को हल करने के दो तरीके हैं। प्रथम प्रेस परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आचार संहिता तैयार करने की व्यवस्था है। हम यह मामला प्रेस परिषद के साथ उठा रहे हैं कि ऐसी संहिता प्रेस परिषद द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए जो प्रेस का ही एक निकाय है। दूसरे अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन पर निर्भर करता है जिसने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तीसरे इस विषय पर नागरिकों की वैयक्तिक गोपनीयता के अधिकार सम्बन्धी यह मामला भी प्रेस आयोग के समक्ष है। अतः मैं समझता हूं कि ये तीनों संगठन ऐसी संहिता तैयार करेंगे, जो स्वैच्छिक होगी। सरकार, संहिता पालन करने के बारे में प्रेस पर किसी प्रकार का दबाव डालना नहीं चाहती। मुझे विश्वास है कि अगर ऐसी संहिता तैयार की गई तो, जैसा कि आपने कहा है, नागरिकों के बहुमूल्य अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, उन सभी जन प्रतिनिधियों, जो इस सदन के सदस्य हैं या बाहर के हैं चरित्र हनन और उनकी बदनामी हो रही है। क्या सरकार का इस समस्या को हल करने का विचार है जिससे कि सम्मानित नागरिकों की ऐसी बदनामी से, जैसा कि हमारे देश के समाचार पत्रों में हो रहा है से रक्षा की जा सके ?

श्री वसंत साठे : मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान केवल संहिता बनाकर किया जा सकता है। हम कानून द्वारा इसे हल नहीं कर सकते। यद्यपि इसके लिए सामान्य कानून

मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन, वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक बार हुई बदनामी की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। लेखनी में कहीं अधिक शक्ति होती है। मै अपने माननीय मित्र की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर किसी नागरिक के बारे में समाचार पत्रों ने अपमानजनक बात लिख दी, तो उसे अपने पक्ष में बचाव सूचक बात कहने का बहुत कम अवसर रह जाता है। अतः मैं भी इस बारे में बहुत उत्सुक हूं, कि यह मामला प्रेस परिषद जैसे किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा और संहिता तैयार करके सुलझाया जाए। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या सरकार की वर्तमान नीति देश के 'टाइम्स आफ इण्डिया', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसे कई समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने की है जिससे कि उन्हें सरकारी प्रभाव के अधीन लाया जा सके; और इस प्रकार प्रेस की स्वतन्त्रता पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जाए ?

श्री वसन्त साठे : महदोय, मेरे ख्याल में यह अपराध भावना बोल रही है। हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है।

बिहार में विधान सभा निर्वाचनों के परिणाम घोषित करने में विलम्ब

*340. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अनेक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की घोषणा करने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो वे निर्वाचन क्षेत्र कौन से हैं और विलम्ब होने के क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा कुछ दिनों के लिए रोक ली गई थी।

(ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बिहार राज्य के उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जहां घोषणाएं रोक दी गई थी और उनके रोके जाने के कारण दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	प्रभावित मतदान केन्द्र का क्रम सं०	संक्षिप्त कारण
1	2	3	4
1.	53-पारु	38 और 141	असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान केन्द्रों पर हमला और मतपेटियों, मतपत्रों के साथ हस्तक्षेप और जबरदस्ती मतदान।

1	2	3	4
2.	65-बैलसंड	61, 109, 142 और 154	शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपेटियों, मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों के साथ हस्तक्षेप तथा उनके द्वारा जबरदस्ती मतदान ।
3.	71-सुरसंड	10, 13 और 99	मतपत्रों का छीना जाना, मतपेटियों में जबरदस्ती मतपत्र डालना, मतदान कार्मिकों पर हमला और पीठासीन आफिसर से मतपत्रों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराना ।
4.	75-हरलाखी	152	शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का छीना जाना, मतपेटियों में जबरदस्ती मतपत्र डालना और अनेक मतपत्रों का ले जाया जाना ।
5.	93-कल्याणपुर	23, 52, 120, 126,169,170 और 175	मतपत्रों का तथा उन मतपेटियों का जिनमें मतपत्र डाले गए थे लूटा जाना और जबरदस्ती मतदान ।
6.	97-मोहिउद्दीन नगर	11,64,77,88 98,109 और 110	उद्यमी व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों को जबरदस्ती ले जाया जाना और जबरदस्ती झूठे मत डालना ।
7.	112-सुफौल	7,26,39,56 57,79,100 101 और 109	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा मतदान कार्मिकों पर हावी हो जाना, उन मतपेटियों का छीना जाना जिनमें मत डाले गए थे और उनको लेकर भाग जाना, जबरदस्ती मतदान आदि ।
8.	113-त्रिवेणीगंज	19,20,21,32 43,55,68,69, 70,78,79,107, 108,110,111, 156 और 157	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा बूथों पर हमला, बम विस्फोट, मतदान कार्मिकों पर हावी हो जाना, उन मतपेटियों के साथ हस्तक्षेप जिसमें मत डाले गए थे, जबरदस्ती मतदान, मतपत्रों का छीना जाना आदि ।
9.	187-इरजगढ़	21,61,150 और 151	शरारती व्यक्तियों ने जबरदस्ती मतपेटियां छीन ली और लेकर भाग गए ।

1	2	3	4
10.	188-जगुई	11,21,72,124, 132,182 और 183	मतपत्र जैसी आवश्यक सामग्री का पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में से विधि-विरुद्ध रूप से छीन लिया जाना ।
11.	190-तख़ीसराय	17,45,76,82, 83,84,85,88, 104,106 और 107	शरारती व्यक्ति उन मतपेटियों को जिनमें मत डाले गए थे छीन कर अपने साथ ले गए, उन मतपेटियों के साथ हस्तक्षेप जिनमें मत डाले गए थे, सील का तोड़ा जाना और मतपेटियों में जबरदस्ती मत डालना ।
12.	197-इस्लामपुर	22,24,25,33, 47,96,145 और 176	बूथों पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया और एक मतदान केन्द्र पर केवल एक व्यक्ति ने तथा अन्य मतदान केन्द्रों पर चार-पांच व्यक्तियों ने समस्त मतपत्रों पर चिन्ह लगाए और उन्हें मतपेटियों में डाला।
13.	218-ब्रह्मपुर	188,189,217, 218 और 219	बूथों पर एक अभ्यर्थी के समर्थकों ने कब्जा कर लिया । निर्वाचन कार्मिकों को डराया-धमकाया गया । झूठे मत डाले गए और निर्वाचन कार्मिकों को यह धमकी दी गई कि यदि वे उस काम में बाधा डालेंगे तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे ।
14.	236-नबीनगर	1,26,31,45, 53,55,73,76, 82,129 और 155	मतदान कार्मिकों को अभित्रस्त करके जबरदस्ती मतदान करना । मतपत्रों और मतपेटियों का लूटा और छीना जाना । मतपेटियों में जबरदस्ती मतपत्र डालना ।
15.	238-औरंगाबाद	30,37,39,40, 43,74,76,89, 91,110,111, 112,113,114, 115 और 116	मतदाताओ से भिन्न व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का जबरदस्ती छीना जाना और अवैध रूप से मत डाला जाना । उन मतपेटियों का जिनमें मत डाले गए थे, मतपत्रों का और अन्य निर्वाचन सामग्री का छीना जाना ।
16.	250-गया टाउन	16,57,99104, 135,141,152, 155 और 156	मतपत्रों और मतपेटियों का जबरदस्ती छीना जाना, मतपत्रों पर जबरदस्ती चिन्ह बनाना और उन्हें मतपेटियों में डालना आदि ।

1	2	3	4
17.	252-गुरुआ	60,64,82,89, 96, और 109	अग्न्यास्त्रों से लैस असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन कार्मिकों से मतपत्रों का जबरदस्ती और विधि-विरुद्ध रूप से छीना जाना। कुछ मतपत्रों पर चिन्ह अंकित किए गए और उन्हें मतपेटियों में डाला जाना। अन्य मतपत्र या तो फाड़ दिए गए या उन्हें शरारती व्यक्ति ले गए।
18.	253-बौध गया (अ०जा०)	7 और 36	बड़ी संख्या में मतपत्रों को जबरदस्ती छीन कर उन्हें मतपेटियों में डाला गया और कुछ मतपत्रों को फाड़ दिया गया।
19.	289-पोटका (अ०ज०जा०)	82,88,102, 104 और 105	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों ने बूथों पर हमला किया, मतपत्रों को जबरदस्ती छीनकर उन पर विशिष्ट अभ्यर्थी के पक्ष में मोहर लगाकर उन्हें मतपेटियों में डाला।
20.	317-मनिका (अ०ज०जा०)	11,15 और 16	बूथों पर अवांक्षित व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया और मतदान कार्मिकों से मतपत्रों को जबरदस्ती छीनकर उन्हें अवैध रूप से मतपेटी में डाला गया।
21.	15-घोड़ासहन	44	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों को छीनकर उन्हें मतपेटियों में डाला गया।
22.	16-मधुबन	66 और 161	मतपत्रों को छीनकर उन्हें मतपेटियों में जबरदस्ती डाला जाना, और मतपेटियों की सील के साथ हस्तक्षेप किया जाना।
23.	17-पिपरा (अ०जा०)	12	अनियंत्रित भीड़ द्वारा मतपत्रों और मतपेटियों को छीना गया।
24.	18-केसरिया	157	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपेटियों और मतदान सामग्री का छीना जाना।
25.	20-गोबिन्दगंज	84	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का छीना जाना।

1	2	3	4
26.	21-कटेया	33	अनियंत्रित भीड़ द्वारा मतपेटियों का छीना जाना ।
27.	42-गढ़खा (अ० जा०)	109	जिन मतपेटियों में मत डाले गए थे और सील लगी हुई थी उनका तथा मतपत्रों का जबरदस्ती छीना जाना ।
28.	47-महनार	28	असामाजिक तत्वों द्वारा बूथ पर कब्जा किया जाना और बलपूर्वक मतों का डाला जाना ।
29.	48-जनदाहा	39	मतपेटियों और मतपत्रों का छीना जाना ।
30.	51-लालगंज	51,52,66,67 68,69,70,105, 115 और 144	मतपेटियों को नष्ट किया जाना, आक्रमण-कारियों द्वारा गोली चलाई जानी, मत-पेटियों का लूटा जाना, मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में मतों का जबरदस्ती डाला जाना ।
31.	64-रूनीसैदपुर	5,30,31, और 32	घातक शस्त्रों से लैस व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का छीना जाना ।
32.	96-शिवहर	114,133,140, 143 और 144	मतपेटियों और मतपत्रों का छीन कर ले जाया जाना ।
33.	67-सीतामढ़ी	162	शरारती व्यक्तियों के एक सशस्त्र दल द्वारा मतपत्रों का छीना जाना ।
34.	77-बाबूबरही	38	मतपत्रों और निर्वाचक नामावलियों का छीना जाना और मतपेटियों में मतों का जबरदस्ती डाला जाना ।
35.	81-फूलपरास	43,44,50	सशस्त्र बल द्वारा मतपेटियों का हटाया जाना और उनमें मतपत्रों का डाला जाना ।
36.	86-घनश्यामपुर	187,191, और 192	मतपेटियों और मतपत्रों का विधि-विरुद्ध कब्जा और मतपेटियों में मतपत्रों का जबर-दस्ती डाला जाना ।

1	2	3	4
37.	87-बहेड़ी	110,111	मतपत्रों और चिन्हित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों का छीना जाना ।
38.	91-जाले	58,59	मतपत्रों और निर्वाचक नामावलियों का छीना जाना और मतपेटियों में मतों का डाला जाना ।
39.	94-वारिसनगर	90	भीड़ द्वारा मतपेटियों और मतपत्रों का विधि-विरुद्ध रूप से छीना जाना ।
40.	95-समस्तीपुर	81,99,और 164	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना तथा मतपेटी का तोड़ा जाना ।
41	100-रोसेड़ा	69,70,132, 133 और 136	हिंसात्मक भीड़ द्वारा मतपेटियों का विधि-विरुद्ध रूप से छीना जाना, ले जाया जाना, और उनके साथ हस्तक्षेप ।
42.	103-बलिया	13,67,74,123, 134,135,137, और 158	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना ।
43.	104-मटिहानी	126	असामाजिक तत्वों द्वारा उन मतपेटियों का ले जाया जाना जिनमें भागतः मत पड़ चुके थे ।
44.	116-सिंघेश्वर	80 और 81	अग्न्यास्त्रों और अन्य घातक शस्त्रों से लैस शरारती व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ पर हमले के पश्चात् मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
45.	118-महिषी	140 और 141	मतदान सामग्री का जिसमें निर्वाचक नामावलियां सम्मिलित हैं; छीना जाना, तीन बम का फटना ।
46.	120-माधोपुर	9,11,134 और 135	अग्न्यास्त्रों और अन्य घातक अस्त्रों से लैस शरारती व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ पर हमले के पश्चात् मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।

1	2	3	4
47.	121-सोनबरसा	118	मतपत्रों का जबरदस्ती छीना जाना।
48.	166-कहलगांव	47	शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपेटी में मतपत्रों का जबरदस्ती डाला जाना।
49.	170-बिहपुर	140	शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का छीना जाना।
50.	178-झाझा	3,88,135 और 137	मतपत्रों, मतपेटियों और अन्य मतदान सामग्री का छीना जाना।
51.	186-जमालपुर	51,52 और 169	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना।
52.	189-सिकन्दरा (अ०जा०)	128	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना।
53.	191-शेखपुरा	105 और 106	उन मतपेटियों का जबरदस्ती लूटा जाना जिनमें मत डाले जा चुके थे।
54.	193-अस्थावां	4,58 और 60	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना।
55.	194-बिहार	91	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना।
56.	195-राजगीर (अ०जा०)	59	चिन्हित निर्वाचक नामावली और मतपत्रों के प्रतिपर्ण का विधि-विरुद्ध रूप से छीन कर ले जाया जाना।
57.	196-नालन्दा	17	97 प्रतिशत मतपत्रों का मतपेटियों में जबरदस्ती डाला जाना।
58.	200-हरनौत	91 और 177	मतपेटियों का विधि-विरुद्ध रूप से हटाया जाना और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का छीना जाना।
59.	202-बाढ़	102 और 103	मतपत्रों और मतपेटियों और अन्य मतदान सामग्री का छीन कर ले जाया जाना।

1	2	3	4
60.	203-बख्तियारपुर	93	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना ।
61.	205-मसौढ़ी	122,138 और 139	मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य मतदान की सामग्री का जबरदस्ती छीन कर ले जाया जाना ।
62.	225-कारकट	136	सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा मतपेटियों का लूटा जाना ।
63.	227-दिनारा	93 और 136	सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा मतपेटियों का लूटा जाना ।
64.	230-भभुआ	104,145 और 147	सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा मतपेटियों का जबरदस्ती छीन कर ले जाया जाना, मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना, मतपेटियों के साथ हस्तक्षेप आदि ।
65.	234-नोखा	48 और 79	मतपेटियों का लूटा जाना ।
66.	239-रफीगंज	15,60,61,67, 76,119 और 146	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना आदि ।
7.	240-ओबरा	47,89,105,107 152 और 182	बूथ पर कब्जा करना और अवैध रूप से मत डालना ।
8.	241-गौह	133	अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया ।
9.	244-मखदुमपुर	प्रेक्षक ने ब्यौरे नहीं दिए ।	मतपेटियों का हटाया जाना ।
0.	246-घोसी	57,58	गया के जिलाधीश के पास इस बात का पर्याप्त सबूत था कि बूथों पर कब्जा किया गया और बड़े पैमाने पर जाली मत डाले गए ।

1	2	3	4
71.	255-फतेहपुर (अ०जा०)	67,136,138 और 139	सशस्त्र समाजविरोधी तत्वों द्वारा मतपत्रों का जबरदस्ती छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
72.	256-अतरी	48,87,116, 121 और 124	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना ।
73.	259-गोबिन्दपुर	99,131 और 179	शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों और मत पेटियों का जबरदस्ती छीना जाना ।
74.	260-बारसलिगन	67,87,92,97, 115,123	मतपेटियों का छीना जाना ।
75.	262-कोडरमा	98,99	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना ।
76.	264-चतरा	47	सशस्त्र शरारती व्यक्तियों द्वारा मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
77.	272-बगोदर	76,77 और 78	बम विस्फोट तथा मतपत्रों का जबरदस्ती छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
78.	280-टुन्डी	126	मतपत्रों पर जबरदस्ती मोहर का लगाया जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
79.	303-खुंटी (अ०ज०जा०)	48,50,57,86, और 90	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना ।
80.	318-पांकी	108,112,113, 116,133	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका जबरदस्ती डाला जाना ।
81.	322-विश्रामपुर	91	मतपत्रों का छीना जाना और मतपेटियों में उनका डाला जाना

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विहार विधान सभा में मतदान 31 मई को पूरा हो गया था । 31 मई मतदान की अन्तिम तारीख थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उन चुनाव क्षेत्रों में, जहां चुनाव परिणाम की घोषणा रोक दी गई थी, आखिरी और अन्तिम घोषणा,

मतदान के 11 या 12 दिनों बाद तक भी नहीं की गई ? क्या मन्त्री महोदय यह बता सकेंगे कि क्या यह एकदम अभूतपूर्व, बात नहीं है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि मतदान की तारीख के 11 या 12 दिन बाद तक परिणाम रोक लिए जाएं ? उन्होंने सभा पटल पर विवरण रखा हैं मैं इसे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, यह सूची इतनी लम्बी है कि इसे पढ़ना सम्भव नहीं है ।

यहाँ 81 निर्वाचन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं । इसका यह तात्पर्य है कि बिहार विधान सभा की कुल सीटों में से 25% सीटों के मतदान केन्द्रों (बूथों) पर कब्जा किए जाने, मतपत्रों के छीने जाने, बन्दूक दिखा कर मतपेटियों के छीने जाने और मार-पिटाई आदि के कारण परिणाम घोषित नहीं किए गये । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 81 में से कितने निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से मतदान कराने के आदेश दिए गए—अगर कुछ मतदान केन्द्रों में दो या तीन दिन की देरी हो जाए तो उसे समझा जा सकता है—जिसके कारण परिणाम घोषित करने में देरी हुई ? लेकिन उन मामलों में फिर से मतदान कराने के आदेश नहीं दिए गए । फिर इतने ज्यादा दिनों के लिए परिणामों को क्यों रोके रखा गया ? इसके क्या कारण थे ? क्या इसका कारण यह नहीं था कि कांग्रेस दल को बहुमत मिलने में संदेह था और इसीलिए वह गलत रास्ता अपना रहे थे ?

श्री पी० शिव शंकर : विरोधी दल के सदस्यों को कारणों की बेहतर जानकारी है लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि 20 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराने के आदेश दिए थे । बाकी के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58(ii) के अनुसार चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी को यह निर्देश दिये कि, जहां कहीं भी ये अनियमितताएं हुई हैं, अगर जीतने वाला उम्मीदवार उन स्थानों पर जहां अनियमितताएं हुई हैं की अपेक्षा अन्य स्थानों पर ज्यादा मत प्राप्त कर रहा है और दूसरा उम्मीदवार काफी पीछे है तो आप परिणाम घोषित कर दें, अन्यथा अनुदेश प्राप्त करें, क्योंकि इस प्रकार के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी ने आगे की कार्यवाही करने के लिए लिखा और क्या कार्यवाही की जाए, इस बारे में चुनाव आयोग ने अनुदेश दिए अतः इस प्रक्रिया के कारण, बाकी के मामलों में परिणाम घोषित करने में देरी लगी । कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कम्पनियों का पंजीकरण

*325. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया और कितनों ने पंजीकरण का नवीकरण कराया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देश में हिस्सों द्वारा सीमित 1977-78 के वर्ष में 2668, 1978-79 के वर्ष में 3488 तथा 1979-80 के वर्ष में 4986 कम्पनियों का कुल मिलाकर पंजीकरण हुआ था । संलग्न विवरण-पत्र में राज्य-अनुसार विसर्जन दिया गया है ।

पुनःपंजीकरण की बाबत, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तथापि, कुछ मामलों में, ऐसी कम्पनियां, जो विघटित अथवा रजिस्टर से उन्मूलित हो गई थी, का अधिनियम के अन्तर्गत पुनःस्थापन किया जा सकता है। इस प्रकार की तीन कम्पनियां, एक पंजाब में तथा दो दिल्ली में, 1979-80 के वर्ष में पुनःस्थापित हुई थी। तीन कम्पनियां, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में से प्रत्येक में एक, एक 1978-79 के वर्ष में पुनः स्थापित हुई थी, एवं 1977-78 के वर्ष में किसी भी कम्पनी का पुनः स्थापन नहीं हुआ था।

विवरण

हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों का पंजीकरण—1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों के मध्य राज्य अनुसार वितरण

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	संख्या		
	1977-78	1978-79	1979-80
आंध्र प्रदेश	130	145	224
असम	28	21	29
बिहार	41	66	54
गुजरात	17	209	345
हरियाणा	15	24	27
हिमाचल प्रदेश	7	9	11
जम्मू एण्ड कश्मीर	9	7	23
कर्नाटक	167	202	283
केरल	83	74	131
मध्य प्रदेश	42	60	103
महाराष्ट्र	646	877	1257
नागालैंड	—	4	5
उड़ीसा	27	60	56
पंजाब	53	103	142
राजस्थान	48	83	137
तमिलनाडु	183	285	419
उत्तर प्रदेश	180	144	231
पश्चिमी बंगाल	474	498	679
चण्डीगढ़	28	20	43
दिल्ली	353	550	746
गोआ, दमन एवं दिव	19	29	23
मणीपुर	2	—	2

1	2	3	4
मेघालय	2	3	3
पांडिचेरी	7	10	8
त्रिपुरा	1	1	1
अरुणांचल प्रदेश	5	1	1
मिजोरम	1	—	—
अण्डमान निकोबार द्वीप	—	1	—
दादर, नागर हवेली	—	2	3
योग	2668	3488	4986

पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के निर्देशकों और निर्माताओं का ज्ञापन

*328. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वन्सत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखी जाती हैं। [**ग्रन्थालय में, रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 983/80] ।

(ग) दिनांक 13 अप्रैल, 1980 का ज्ञापन मुझे 14 जून, 1980 को दिया गया था। उक्त ज्ञापन में दिए गए अनेक सुझावों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। जहां आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

*330. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात में बहुत कमी हुई है;

(ख) 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा कितने मूल्य की भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें कमी होने के कारणों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा होने वाला निर्यात रोकने तथा/अथवा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के कमीशन में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार की अन्तिम नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। निर्यातों के मूल्य में थोड़ी सी कमी हुई थी। 1977-78 में भारतीय फिल्मों के निर्यात का मूल्य 966 लाख रुपए था। 1978-79 में यह 949 लाख रुपए था।

(ख) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार था :

1977-78	966 लाख रुपए
1978-79	949 लाख रुपए
1979-80	वास्तविक निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा पास किए गए शिपिंग बिलों का मूल्य 1215 लाख रुपए है।

(ग) से (ङ) निर्यात की प्रगति का नित्यचर्या के रूप में यावधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है। फिल्मों सहित मनोरंजन की वस्तुओं के निर्यात को और बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक विशेष दल (टास्क फोर्स) नियुक्त किया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा होने वाले निर्यात को रोकने या उनका कमीशन कम करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं है।

सोडा ऐश बनाने वाली कम्पनियां

*338. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा ऐश बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में इन कम्पनियों ने सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि की है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इसके वितरण पर नियन्त्रण रखने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में सोडा ऐश के चार उत्पादक हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

1. मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० मिठापुर (गुजरात)

2. मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, पोरबन्दर (गुजरात)

3. मैसर्स धरंगध्रा कैमिकल्स वर्क्स लि०, धारंगध्रा (गुजरात)

4. मैसर्स न्यू सेन्टर जूट मिल्स कम्पनी लि०, वाराणसी (यू० पी०)

(ख) जी हां। मूल्य में वृद्धि के कारण हैं:—कोयले की निरन्तर और विकट कमी जिसके कारण निर्माताओं को मिट्टी तेल की खपत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कोयला, कोक, लवण तथा बिजली जैसे कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि पर्याप्त रेलवे वैगनों के अभाव में सड़क के जरिए कोयले और कोक का परिवहन आदि मूल्य वृद्धि के कारण बताये गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तापीय विद्युत संयंत्र

*341. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक तापीय विद्युत केन्द्र के बनाए जाने की संभावना है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ख) क्या केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डीजल सेटों से चलने वाले केवल 10 मेगावाट विद्युत शक्ति वाले विद्युत केन्द्र ही स्थापित किए जा सकते है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार प्रस्तावित तापीय विद्युत केन्द्र के स्थान पर डीजल विद्युत केन्द्र स्थापित करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयले पर आधारित 2×5 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना दक्षिण अण्डमान में किए जाने के लिए (10.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की) एक स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा योजना आयोग की स्वीकृति के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 20.3.1980 को इस स्कीम की सिफारिश कर दी है।

(ख) और (ग) ताप विद्युत उत्पादन के तीन अलग-अलग विकल्पों अर्थात् (1) कोयले पर आधारित 2×5 मेगावाट का केंद्र (2) इतनी ही क्षमता का आयल फायरड यूनिट अथवा (3) डीजल केन्द्र के लिए पूंजीगत निवेश, उत्पादन की लागत तथा कुल पूंजीगत व्यय के वर्तमान मूल्य और ईंधन सम्बन्धी परिचालन व्यय के बीच आर्थिक दृष्टि से तुलना करने हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत अध्ययन किए हैं। यह पाया गया है कि दक्षिण अण्डमान की विद्युत की आवश्यकताओं को दीर्घकालिक आधार पर पूरा करने के लिए, अलग-थलग डीजल केन्द्रों की

बजाए जिनमें देश में कम उपलब्ध साधन तेल का भी उपयोग होगा। कोयले पर आधारित ताप विद्युत सन्यन्त्र स्थापित करना अधिक मितव्ययी तथा विश्वसनीय होगा।

चान्दिल में सुवर्ण रेखा नदी पर बांध

342. **श्री डी० पी० यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चान्दिल में सुवर्ण रेखा नदी पर एक बांध के निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के बहु-राज्यीय परियोजना होने के कारण केन्द्र सरकार की बिहार राज्य को सहायता प्रदान करने में क्या भूमिका रही है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां।

(ख) पहुंच मार्गों और शिविरों का निर्माण करने और सामग्री तथा मशीनों को एकत्र करने जैसे प्रारम्भिक कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। मुख्य बांध की नींव के कार्य को 1980 की वर्षा-ऋतु के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है और बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल तीन राज्यों की सरकारों ने सुवर्णरेखा नदी के जल के बंटवारे और इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में अगस्त, 1978 में आपस में एक करार किया था। चांदिल बांध इस परियोजना का एक घटक है; इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं की पाइप लाइन में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

नई कोयला परमिट-प्रणाली

*343. **श्री एन० ई० होरो**
श्री के० मालन्ना } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में नई कोयला परमिट प्रणाली अपनाई है और उपभोक्ताओं को कुछ रियायतें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नई नीति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी समुद्री तट पर पेट्रोलियम तथा गैस के निक्षेप

*344. **श्री कुसुमकृष्ण मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी समुद्री तट पर कितने स्थानों पर प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम भंडार होने के चिन्ह पाये गये हैं;

(ख) इन भंडारों के स्वरूप और मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार अपने सभी अपेक्षित साधनों को उपयोग में लाने में कहां तक सफल हुई है; और

(ग) बम्बई हाई के मामले में सरकार ने ऐसी ही स्थिति में क्या प्रबन्ध किये थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारत के पूर्वी तट पर कावेरी घाटी तट पर क्राइकल संरचना में एक स्थान पर तेल के तथा समुद्री क्षेत्र में दो अलग-अलग संरचनाओं पर गैस की, कावेरी घाटी में मदनम संरचना में एक स्थान पर और गोदावरी घाटी में नरसापुर संरचना में गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं। पूर्वी तट गोदावरी घाटी के समुद्री क्षेत्र में जी-1 संरचना में तेल पाया गया है।

(ख) क्राइकल संरचना में पाये गये तेल संकेत के पश्चात् ओ० एन० जी० सी० द्वारा इन संरचना पर समुद्री तथा भूमि क्षेत्र में और अधिक खुदाई तथा परीक्षण किया गया है। क्राइकल संरचना में प्राप्त तेल संकेत अव्यापारिक पाया गया है। इसी प्रकार मदनम संरचना में गैस संकेत भी अव्यापारिक पाये गये हैं।

गोदावरी घाटी में नरसापुर संरचना पर खोदे गये पहले अन्वेषी कुएं में गैस 'ब्लो आउट' हुआ था। गैस 'ब्लो आउट' पर नियंत्रण के पश्चात इस कुएं में फिर से खुदाई आरम्भ की गई थी और इस समय इसमें 'फिशिंग' प्रक्रिया चल रही है। इस संरचना पर एक और स्थल खुदाई के लिए छोड़ा गया है। नरसापुर संरचना में गैस के व्यापारिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक और खुदाई रिग के प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

गोदावरी घाटी समुद्री क्षेत्र में जी-1 संरचना में प्राप्त तेल संकेत का हाल ही में ओ० एन० जी० सी० द्वारा परीक्षण किया गया था और यह निश्चित हुआ है कि यह संरचना तेल-युक्त है। गोदावरी घाटी समुद्री क्षेत्र में तेल की इस खोज की व्यापारिकता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ और कुएं खोदने होंगे। इस उद्देश्य से इस संरचना पर पहले मूल्यांकन कुएं की जुलाई 1980 के शुरू में खुदाई आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) भूतपूर्व में इसी प्रकार के अवसर पर बम्बई हाई में भी तेल और गैस भंडारों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कुओं की खुदाई की गई थी।

टेहरी बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

2477. **श्री दया राम शाक्य :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेहरी बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई भूमि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो कहां और उन्हें (परिवार-वार आबंटित की गई खेती योग्य भूमि का क्षेत्र कितना है और इसके लिए निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) इस बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप कितने गांवों के निवासी विस्थापित होंगे;

(घ) इन परिवारों को अचल सम्पत्ति के लिये मुआवजा देने हेतु अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन परिवारों की चल सम्पत्ति को उन स्थानों पर जहां उन्हें बसाया जा रहा है परिवहन के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं;

(च) क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण करेगी और क्या इन परिवारों को पहली फसल के लिये बीज सप्लाई करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि टिहरी बांध क्षेत्र के विस्थापित ग्रामीण परिवारों के पुनः स्थापन के लिए उन्होंने देहरादून जिले में 2000 एकड़ वन भूमि तथा सहारनपुर जिले में 7000 एकड़ वन भूमि निर्धारित की है। टिहरी नगर में रहने वाले लोगों के लिए वर्तमान टिहरी नगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वन भूमि और निजी भूमि पर एक नए नगर का विकास किया जा रहा है।

टिहरी बांध से प्रभावित क्षेत्र में जिन लोगों की कृषि भूमि है, उन्हें अपनी भूमि के बदले नकदी के रूप में या कृषि-योग्य भूमि के रूप में मुआवजा लेने की छूट है। सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार यदि किसी परिवार के पास बांध प्रभावित क्षेत्र में 2 एकड़ से कम भूमि है और वह परिवार नकद मुआवजे के बजाए कृषि-योग्य भूमि लेना चाहे तो उसे कम से कम 2 एकड़ कृषि-योग्य भूमि आबंटित की जानी चाहिए। बांध प्रभावित क्षेत्र में रह रहे भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नकद 16000/- रुपया या 2 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी जानी है।

(ग) 102 गांव, जिनमें से 22 गांव पूरी तरह जलमग्न होंगे, 70 आंशिक रूप से जल-मग्न होंगे तथा 10 गांव परियोजना के कर्मचारियों के लिए कालोनी बनाने, कार्यशाला आदि के लिए।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुआवजा निजी भूमि या घरों के अधिग्रहण की वर्तमान बाजार दर पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के लिए जो मुआवजा नकद लेना चाहते हैं, उनकी निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित दरों पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के भी आदेश दिए गए हैं :

1. सिंचित भूमि	12,000 रुपए प्रति एकड़
2. श्रेणी-एक भूमि	6,000 रुपए प्रति एकड़
3. श्रेणी-दो भूमि	4,000 रुपए प्रति एकड़

निजी मकानों के मामलों में 20,000 रुपए तक की राशि पर कोई मूल्यह्रास कम नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, 8000 रुपए से कम कीमत वाले मकान के बदले वर्तमान सरकारी आदेशों के अन्तर्गत कम से कम 8000 रुपए दिये जाने हैं।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, सामान, पशु आदि ले जाने के लिए प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए पुनःस्थापन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। टिहरी नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह भत्ता निम्न प्रकार है :

	घरेलू सामान ले जाने के लिए	
	नए टिहरी नगर को जाने वाले व्यक्तियों के लिए	अन्यत्र बसने वाले व्यक्तियों के लिए
4 सदस्यों के परिवार के लिए	रु० 200/- प्रति सदस्य	रु० 100/- प्रति सदस्य
4 सदस्यों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए	रु० 100/- प्रति अतिरिक्त सदस्य	रु० 50/- प्रति अतिरिक्त सदस्य

(च) और (छ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे पुनः स्थापन के मकानों का निर्माण नहीं करेंगे। जहां तक बीज का सम्बन्ध है, वे पहली फसल के प्रबंध करते हैं, परन्तु उसकी कीमत प्रत्येक पुनःस्थापित परिवार को देय 10 रु० कृषि अनुदान में से वसूल की जाती है।

यमुना पार के क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकालना

2478. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किसी योजना पर कार्य इस समय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत ड्रेन संख्या 1 पर कितने पुलों का निर्माण किया गया था और उपरोक्त ड्रेन पर कितने बाकी के पुलों का निर्माण किया जायेगा और इसमें कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) उपरोक्त ड्रेन का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है और यह पूरी तरह से कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) क्या इसके रास्ते में आने वाली कुछ इमारतों को गिरा दिया जायेगा और यदि हां, तो ऐसी इमारतों की संख्या कितनी है और क्या हटा दिये जाने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान दिये जायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शाहदरा क्षेत्र से बाढ़ और वर्षा के जल की निकासी के लिए "शाहदरा क्षेत्र की बाढ़ जल निकास स्कीम" नामक एक स्कीम का इस समय क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम में 8.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच ड्रेनों का निर्माण परिकल्पित है। ये ड्रेन हैं (1) शाहदरा मुहाना ड्रेन (2) शाहदरा लिंक ड्रेन (3) गाजीपुर ड्रेन (4) ट्रंक ड्रेन नं० I (5) ट्रंक ड्रेन नं० II। ड्रेन नं० I पर निर्माण/पुनर्रूपण के लिए प्रस्तावित 14 सड़क पुलों में 3 पूर्ण हो गए हैं, 9 का क्रियान्वयन हो रहा है और 2 को अभी हाथ में लिया जाना है। पुनर्रूपण के लिए प्रस्तावित दो रेल पुलों में से एक पूर्ण हो गया है और दूसरे पर काम जारी है। ट्रंक ड्रेन नं० I को प्रस्तावित 13 किलोमीटर की लम्बाई में से 11 किलोमीटर लम्बा भाग अब तक पूर्ण हो गया है। इस ड्रेन को जून, 1981 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(घ) जहां आवश्यक समझा जाएगा, जल-निकास स्कीम के निर्माण के रास्ते में आने वाली इमारतों को गिरा दिया जाएगा। इस समय ऐसी इमारतों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था करने पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

आकाशवाणी कोयम्बत्तूर केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण

2479. **श्री ईरा मोहन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, कोयम्बत्तूर केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा और इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी के प्रस्तावों में 1980-85 योजना अवधि के दौरान कोयम्बत्तूर में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र की स्थापना शामिल है। तथापि, इन प्रस्तावों के प्रारूपों को अभी सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

गुजरात को कच्चे तेल पर अदा की जाने वाली रायल्टी

2480. **श्री दिग्विजय सिंह**
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात को प्रति टन कच्चे तेल पर 30 रुपये रायल्टी मिलती है जो पांच वर्ष पहले नियत की गई थी;

(ख) इस राशि के निर्धारित किए जाने के समय से कच्चे तेल के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने अब इस रायल्टी की यह राशि इस प्रकार मोटे तौर पर देने के बजाय प्रत्येक टन पर किसी प्रतिशत के आधार पर नियत करने के बारे में निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। गुजरात राज्य में उत्पादन होने वाले खनिज तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 8.9.1976 से गुजरात सरकार को 42 रुपये प्रति मी० टन की दर से रायल्टी देय है।

(ख) सितम्बर 1976 से स्वदेश में उत्पादन होने वाले खनिज तेल के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस समस्त मामले पर केवल सितम्बर 1980 में समीक्षा की जानी है।

कमला नदी पर तटबन्ध का विस्तार करने क लिए नेपाल क साथ समझौता

2481. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में कमला नदी के तटबंध का जयनगर से आगे मिरचैंया, नेपाल तक विस्तार करने के बारे में नेपाल सरकार के साथ कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसको पूरा किए जाने की निर्धारित अवधि क्या है;

(ग) क्या अकाल की अवधि में पूर्वी और पश्चिमी कमला नहरों में पानों का अभाव रहता है; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई हाई गैस के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों के सुझाव

2482. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से बम्बई हाई गैस के उपयोग के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा; और

(ग) इस सुझाव के सम्बन्ध में क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया है और यदि हां, तो ऐसा कब तक कर लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बम्बई हाई गैस के उपयोग के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र जैसी विभिन्न सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए थे। इस गैस के उपयोग का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के ऊर्जा सलाहकार श्री सतीश चन्द्रन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1979 में सरकार को दी थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और सम्बद्ध राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित किया जा रहा है।

कासरगोड़-तटदूर में खुदाई

2483. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कासरगोड़-तटदूर में खुदाई कब आरम्भ हुई थी;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई प्रगति प्रतिवेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारत सरकार ने कभी ऐसा प्रतिवेदन मांगा है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कासरगोड़ अपतटीय संरचना में एक कुएं (संख्या के जी-1-1) में 31 मार्च, 1980 को खुदाई आरम्भ हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस कुएं में हुई खुदाई की प्रगति को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से प्राप्त नियमित पाक्षिक रिपोर्टों में शामिल थी। अप्रैल/मई 1980 के दौरान कुआं 2970 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। कुआं सूखा निकला।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय फिल्म उद्योग का विकास

2484. **श्री समर मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) प्रादेशिक फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. **फिल्म सेंसर**

निकट भविष्य में बंगलौर में सेंसर बोर्ड का एक प्रादेशिक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसी प्रकार, देश में फिल्म निर्माण के अन्य केन्द्रों पर यथा समय प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

2. **फिल्म समारोह**

(1) प्रादेशिक फिल्मों को अखिल भारतीय और प्रादेशिक सलाहकार पैनलों की सिफारिश पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्ट किया जाता है।

(2) विदेशों में होने वाले भारतीय फिल्म सप्ताहों के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों में प्रादेशिक फिल्में शामिल की जाती हैं।

(3) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा विभाग में प्रादेशिक फिल्में शामिल की जाती हैं।

(4) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के मार्केट विभाग में प्रादेशिक फिल्में प्रविष्ट की जाती हैं।

(5) प्रादेशिक फिल्मों को विदेशी स्थलों पर मिलाने की अनुमति दी जाती है।

3. **फिल्म निर्माण** :

फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का अप्रैल, 1980 में एक यूनिट में विलय हो गया है जिसको राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नाम दिया गया है। फिल्म वित्त निगम प्रादेशिक फिल्म उद्योग के विकास के लिए ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देता रहा था। वित्तपोषित 123 फीचर फिल्मों में से 52 प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में हैं। हाल ही में देश की सभी भाषाओं में स्क्रिप्ट लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म वित्त निगम का फिल्म स्क्रिप्ट पुरस्कार चालू किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भी देशव्यापी आधार पर नए सिनेमाघरों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना में राज्य सरकारों के साथ सह वित्त पोषण की व्यवस्था है। उड़ीसा के फिल्म विकास निगम के साथ इस प्रकार का करार पहले ही किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उ० प्र० के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। निगम को उप-शीर्षक सम्बन्धी परियोजना का उपयोग प्रादेशिक फिल्मों के उप-शीर्षक देने के लिए किया जाता है ताकि प्रादेशिक फिल्मों को देश के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाया जा सके।

डीजल जनरेटिंग सेटों का लगाया जाना

2485. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डीजल जनरेटिंग सेट लगाने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और श्रमिकों का निरन्तर रोजगार सुनिश्चित हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) डीजल उत्पादन सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए प्रोत्साहन देना पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है। हरियाणा और गुजरात की सरकारों द्वारा विद्युत शुल्क से छूट दी जा रही है ।

तेल की खोज के कार्य में भारत द्वारा अन्य देशों की सहायता

2486. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में किन-किन देशों ने ने तेल की खोज में भारत की सहायता मांगी है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : तेल अन्वेषण के कार्य में हाल ही में ईराक, तन्जानिया, संयुक्त अरब अमीरात (आबूधाबी) और वियतनाम ने भारत से सहायता मांगी ।

मिट्टी के तेल तथा डीजल का राज्यवार वितरण

2487. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से मिट्टी के तेल और डीजल की राज्यवार मासिक मांग और इसका वितरण कितना है;

(ख) हमारे देश में मिट्टी के तेल और डीजल की कुल मासिक कमी कितनी है; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरन्द्र पाटिल) : (क) राज्यवार मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल की मासिक मांग बताना सम्भव नहीं हैं। परन्तु राज्यवार इन दो उत्पादों का जनवरी-मई 1980 की अवधि के लिए विक्रय का विवरण तथा जून, 1980 के लिए आवंटन दो अलग विवरण पत्रों में दिया गया है ।

(ख) और (ग) मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल के देश की शोधनशालाओं में उत्पादन और खपत के बीच जो अन्तर है उसे इन दो उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। जनवरी और जून, 1980 के बीच मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल का कुल आयात क्रमशः करीब 0.92 मि०मी० टन और 2.04 मि०मी० टन होगा ।

विवरण-1

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 1980 विक्रय	फरवरी, 80 विक्रय	मार्च, 80 विक्रय	अप्रैल, 80 विकय	मई, 80 विक्रय	जून, 1980 विक्रय
आन्ध्र प्रदेश	28406	27595	24804	23289	23430	23290
अरुणाचल प्रदेश	276	269	293	256	306	250
अण्डमान और निकोबार	70	170	120	60	N.A.	80
आसाम	3540	3653	6950	8750	10182	11170
बिहार	13510	16140	19146	20357	18213	18910
चन्डीगढ़	760	610	790	790	590	620
दिल्ली	9640	9190	9900	8540	8606	7400
गुजरात	33065	30577	32938	25263	27083	29780
गोवा, दमन और दीव	1154	1045	1129	1240	980	1240
हरियाणा	5620	5830	4580	5080	5258	5020
हिमाचल प्रदेश	1260	880	1140	1020	1138	1140
जम्मू और कश्मीर	2190	1780	1920	1800	1670	1830
कर्नाटक	17630	17929	17890	17709	17343	17450
केरल	11190	10871	10895	10501	10760	10530
मध्य प्रदेश	16315	14741	17113	13811	13880	16490
महाराष्ट्र	69213	68088	68205	58790	57008	62270
मणिपुर	330	505	540	628	785	580

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	270	233	470	464	589	700
मिजोरम	50	169	140	303	354	110
नागालैंड	230	317	377	463	482	360
उड़ीसा	6071	6544	5835	6004	4989	5490
पंजाब	11390	10430	9190	10480	11278	12590
पांडिचेरी	648	931	614	533	481	500
राजस्थान	10570	9440	10760	9820	8785	9180
सिक्किम	165	201	248	190	160	400
तमिलनाडु	30124	28601	29572	29516	26577	24820
त्रिपुरा	2350	228	308	822	934	740
उत्तर प्रदेश	26130	23110	30150	32220	34757	30870
पश्चिमी बंगाल	32040	27604	31380	31834	29665	28790
योग :	332087	317181	337297	320533	316278	332800

विवरण-2

(आंकड़ मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 1980 विक्रय	फरवरी, 80 विक्रय	मार्च, 80 विक्रय	अप्रैल, 80 विक्रय	मंई, 80 विक्रय	जून, 1980 विक्रय
आन्ध्र प्रदेश	61236	64432	65501	63580	65685	65000
अरुणाचल प्रदेश	267	335	705	624	500	650
अण्डमान और निकोबार	645	890	846	721	N.A.	900
आसाम	9815	6066	14027	11918	9455	11800
बिहार	28372	25810	35836	40249	41442	40800
चन्डीगढ़	1350	1400	1500	1460	1547	1600
दिल्ली	27030	26000	26230	29900	28994	27300
गुजरात	53836	55421	56146	56745	61264	61100
गोवा, दमन और दीव	7658	7229	7336	6366	6635	5500
हरियाणा	22610	21760	23610	22970	25125	21700
हिमाचल प्रदेश	3310	2880	3880	3480	3812	4000
जम्मू और कश्मीर	5820	5480	7080	6740	7235	7000
कर्नाटक	41662	43445	44192	44907	46065	40500
केरल	30182	28386	30799	28257	29585	27350
मध्य प्रदेश	34127	31139	39119	35163	36320	32150
महाराष्ट्र	99052	95002	112687	107078	109846	107500
मणिपुर	650	806	866	808	564	1400

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	1176	662	1575	1006	1223	1350
मिजोरम	281	344	323	442	340	600
नागालैंड	257	468	824	858	899	750
उड़ीसा	12843	13365	14641	14854	13479	12500
पंजाब	39930	39890	36400	45020	54376	47700
पांडिचेरी	1822	1764	1626	2514	1748	1900
राजस्थान	39180	38130	42490	39490	43250	42000
सिक्किम	74000	195	256	396	362	500
तमिलनाडु	71841	76372	78651	81872	82801	78300
त्रिपुरा	360	673	783	844	933	1200
उत्तर प्रदेश	61370	67760	79810	86000	91672	88800
पश्चिमी बंगाल	50619	59116	52894	56346	52069	55600
योग :	707312	715220	780633	790608	8177355	787450

भाखड़ा हेड वर्क्स से गंग नहर को पानी की सप्लाई

2488. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंग नहर को भाखड़ा हेड वर्क्स से होने वाली पानी की सप्लाई पर पंजाब सरकार का नियंत्रण है;

(ख) भाखड़ा नहर से गंग नहर और भारवहा नहर को कुल कितना क्यूसेक पानी दिया जाता है;

(ग) क्या इन नहरों को उनका पूरा भाग मिलता है;

(घ) राजस्थान के हिस्से की पानी सप्लाई पर पंजाब सरकार को नियंत्रण होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड गंग नहर और भाखड़ा को उनके हिस्से का पूरा पानी सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। गंग नहर को पानी की सप्लाई भाखड़ा हैड वर्क्स से नहीं अपितु हरिके और फिरोजपुर हैड वर्क्स से होती है जोकि पंजाब सरकार के नियंत्रण में हैं।

(ख) 21.9.1979 से 20.5.1980 तक की कमी वाली अवधि के दौरान रावी-व्यास के पानी में से गंग नहर (बीकानेर नहर) को 5,86,286 क्यूसेक पानी सप्लाई किया गया था। भाखड़ा बांध से गंग नहर को पानी की सप्लाई करना आवश्यक नहीं है।

दक्षिणी घग्गर नहर बारवाली वितरक नहर, जंडवाला वितरक नहर, किशनगढ़ वितरक नहर, सादुल शाखा और करणीसिंह शाखा को सप्लाई भाखड़ा के पानी से की जाती है तथा इन शाखाओं को 391,584 क्यूसेक पानी सप्लाई किया गया। संभवतः राजस्थान इन वितरक नहरों को भाखड़ा की नहरें समझता है।

(ग) जी, हां। तथापि, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब क्षेत्र में वाहक नहर क्षतिग्रस्त स्थिति में होने के कारण पंजाब/राजस्थान सीमा पर निस्सरण की जाने वाली अपनी पूरी सप्लाई गंग नहर प्राप्त नहीं कर सकती।

(घ) रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हैड-वर्क्स पंजाब सरकार ने अभी भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को नहीं सौंपे हैं। मामले पर पंजाब सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए मैक्सिको के साथ समझौता

2489. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैक्सिको के प्राकृतिक स्रोत (पेट्रीमोनी) तथा औद्योगिक विकास मन्त्री ने भारत के इस वर्ष 1980-81 के दौरान कच्चे तेल की सप्लाई करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा तथा समझौते से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कच्चे तेल की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा ही समझौता और देशों के साथ भी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के लिये अशोधित तेल की सप्लाई के लिये मैक्सिकों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1980-81 के लिए देश की आयातित कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिये इंडियन आयल कार्पोरेशन ने ईराक, ईरान, सोवियत रूस, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ करार किये हैं। इससे अधिक ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के विपरीत होगा।

उर्वरक का धारण मूल्य

2490. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी ने केन्द्र से उर्वरकों के धारण मूल्य में संशोधन करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के लिए उर्वरकों के संशोधित प्रति धारण मूल्यों को निर्धारित करने का निर्णय उर्वरक कम्पनियों के लिए प्रति धारण मूल्यों के सामान्य संशोधन के भाग के रूप में होगा जिसके लिए जांच की जा रही है।

दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन में धर्म ग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम

2491. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण धर्मों के धर्मग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन धर्मों और उनके धर्मग्रन्थों जहां से इन कार्यक्रमों को चुना जाता है, के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे धर्मों और उनके धर्मग्रन्थों को शामिल करने का प्रस्ताव है जहां से अब तक कार्यक्रम नहीं लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन धार्मिक कार्यक्रमों को नियमित आधार पर प्रसारित टेलीकास्ट नहीं करते हैं। तथापि, विशेष अवसरों पर प्रमुख धर्मों के धर्म ग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ख) प्रमुख धर्मों और उनके धर्म ग्रन्थों, जिन पर आकाशवाणी के कार्यक्रम आधारित होते हैं, के नाम इस प्रकार हैं :

धर्म का नाम	धर्म ग्रन्थ का नाम
हिन्दु धर्म	भगवद्गीता, वेद, उपनिषद और रामचरित मानस।
इस्लाम	कुरान शरीफ
ईसाई धर्म	बाईबल
बौद्ध धर्म	धम्मपद
जैन धर्म	जैन स्तवन
सिक्ख धर्म	गुरु ग्रन्थ साहिब
पारसी धर्म	जैन्द-अवस्ता

(ग) और (घ) जी, नहीं। आकाशवाणी द्वारा सभी प्रमुख धर्मों और उनके धर्म ग्रन्थों पर आधारित कार्यक्रम पहले ही प्रसारित किये जा रहे हैं।

कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमों के अन्तर्गत कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाना

2492. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1978-80 के दौरान कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 1975 की धाराओं का अनुपालन न करने के कारण किसी कम्पनी पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा मुकदमें के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाँ, श्रीमान् जी।

1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1980 की अवधि में कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के उपबन्धों के अनुपालन करने में असफलता पर 27 कम्पनियों पर अभियोग चलाये गये हैं।

(ख) उन कम्पनियों के नाम जिन पर अभियोग चलाया गया तथा अभियोगों के परिणाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये जाते हैं।

विवरण

क्रम संख्या	उस कम्पनी का नाम जिस पर अभियोग चलाया गया	अभियोग के परिणाम/ वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	मैसर्स कालिकट माडर्न स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	चूक का सन्तोषजनक उत्तर कम्पनी द्वारा देने पर अभियोग 27.10.79 को वापिस ले लिया गया।
2.	मैसर्स श्री रामकृष्णन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज (कोयम्बतूर) प्राइवेट लिमिटेड	21.4.1979 को न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 248(1) के अन्तर्गत कम्पनी और उसके निदेशकों को निर्दोष कर दिया।
3.	मैसर्स खन्डेलवाल हरमन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	समय विस्तार की 1982 तक स्वीकृति दी गई।
4.	मैसर्स खीरा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	मामला न्यायालय में अनिर्णीत है और सुनवाई की अन्तिम तारीख 29.4.80 निश्चित हुई है।
5.	मैसर्स इवर काम ब्लेड कम्पनी लिमिटेड	मामला न्यायालय में अनिर्णीत है और सुनवाई की अन्तिम तारीख 20.4.80 थी।
6.	मैसस सेठ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मामला न्यायालय में अनिर्णीत है और सुनवाई की अन्तिम तारीख 29.4.80 निश्चित हुई थी।

(1)	(2)	(3)
7.	मैसर्स एम०जे० फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	मामला न्यायालय में अनिर्णीत है और सुनवाई की अन्तिम तारीख 24.4.80 थी ।
8.	मैसर्स जोली अनिल इंडिया लिमिटेड	मामले का निपटान कर दिया गया और अभियुक्त को सजा दी गई ।
9.	मैसर्स जोली माडर्न किचन एण्ड इक्यूपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	मामला 24.2.80 को निपटा दिया गया और अभियुक्त को सजा दी गई ।
10.	मैसर्स हैदराबाद बनास्पती लिमिटेड	मामला न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत था ।
11.	मैसर्स मेगना मिल्स कम्पनी लिमिटेड	मामला उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया और सुनवाई के लिये 5.5.80 निश्चित की गई ।
12.	मैसर्स भारत गोज एण्ड टूल्स लि०	मामला अनिर्णीत है और सुनवाई की अंतिम तिथि 3.6.80 निश्चित हुई थी।
13.	मैसर्स ओरियन्टल पावर केबिल्स लि०	मामला अभी तक न्यायालय में अभियुक्त को समन देने के लिये अनिर्णीत है ।
14.	मैसर्स सुजानी टेक्सटाइल्स प्रा० लि०	मामला अभी तक न्यायालय में अनिर्णीत है ।
15.	मैसर्स शेषासायी ब्रोस प्रा०लि०	न्यायालय में अनिर्णीत है ।
16.	मैसर्स श्रीराम मशीनरी कारपोरेशन प्रा०लि०	दो अभियुक्तों को 14-3-79 को आर्थिक दण्ड दिया गया और अन्यों के विरुद्ध मामले का रहस्योद्घाटन किया गया ।
17.	मैसर्स इंडियन केमिकल्स एजेन्सीज प्रा० लि०	मामला अभी तक उच्च न्यायालय में अनिर्णीत है ।
18.	मैसर्स इनर्स स्टील एंटरप्राइजेज प्रा० लि०	अभियुक्त को सजा दी गई और आर्थिक दण्ड दिया गया ।
19.	मैसर्स सन पेपर मिल्स लि०	मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाहियां रोक दी गई ।

(1)	(2)	(3)
20.	मैसर्स पेस्ट कन्ट्रोल इंडिया प्रा० लि०	मामला अनिर्णीत है और सुनवाई की अन्तिम तारीख 29.5.80 निश्चित हुई।
21.	मैसर्स रामचन्द्र केमिकल्स प्रा०लि०	अभियुक्त को सजा दी गई और आर्थिक दण्ड दिया गया।
22.	मैसर्स जेमिनी पिक्चर्स सर्किम प्रा० लि०	मामला अभी तक न्यायालय में अनिर्णीत है।
23.	मैसर्स न्यू प्रीशिशन (इंडिया) प्रा० लि०	उच्च न्यायालय ने समझौते/प्रबंधों की योजना का अनुमोदन किया और आगे कार्यवाही रोक दी गई।
24.	मैसर्स सिंधू पब्लिकेशंस प्रा० लि०	मामला न्यायालय में अनिर्णीत है। सुनवाई की अंतिम तारीख 26.6.80 निश्चित हुई थी।
25.	मैसर्स बुहारी संस प्रा० लि०	मामला न्यायालय में अभी तक अनिर्णीत है।
26.	मैसर्स प्रकाश मिल्स प्रा० लि०	मामला न्यायालय में अभी तक अनिर्णीत है।
27.	मैसर्स क्राइटेलियन पब्लिसिटी प्रा० लि०	अभियुक्त को सजा दी गई और अर्थिक दण्ड दिया गया।

कोचीन माडल के फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल ट्रावनकोर में कर्मचारियों की संख्या

2493. **श्री बी० के० नायर :** क्या पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर के कोचीन मण्डल में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) कारखाने में कार्यरत मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के नाम क्या-क्या हैं उनकी सदस्यता कितनी है तथा वे किस दल से सम्बद्ध हैं;

(ग) प्रबन्धक द्वारा उनको मान्यता देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल, ट्रावनकोर (कोचीन मण्डल) मजदूर कांग्रेस को मान्यता दे दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(च) क्या इस संघ को मान्यता देने का विचार है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) दिनांक 31.5.1980 को एफ०ए०सी०टी० के कोचीन प्रभाग में श्रमिकों की संख्या 1708 थी।

(ख) एफ० ए० सी० टी० के कोचीन प्रभाग में निम्नलिखित 3 मान्यता प्राप्त यूनियन हैं :—

(1) फैक्ट (कोचीन प्रभाग) कर्मचारी यूनियन

(2) फैक्ट (कोचीन प्रभाग) कर्मचारी एसोशिएशन

(3) फैक्ट (कोचीन प्रभाग) कर्मचारी संघ

ये यूनियनें किसी से सम्बद्ध नहीं हैं। कम्पनी का प्रबन्ध मन्डल इन यूनियनों की सदस्यता से परिचित नहीं है।

(ग) प्रबन्ध मण्डल द्वारा इन यूनियनों को मान्यता देने में कोई विशिष्ट मानदन्ड नहीं अपनाया गया है। ये यूनियनें कोचीन प्रभाग के चालू होने के प्रारम्भिक स्तर पर बन गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) कम्पनी के कोचीन प्रभाग और अन्य प्रभागों में फैक्ट (कोचीन प्रभाग) कामगार कांग्रेस ही एकमात्र गैर मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। सभी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियने प्रबन्ध मंडल पर दबाव डालती रही हैं कि उनको मान्यता प्रदान की जाए, उनका दावा था कि वे पर्याप्त कामगारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रबन्ध मण्डल ने गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों को सलाह दी है कि वे उद्योग की आचार संहिता के अनुसार उचित प्राधिकरण द्वारा अपनी सदस्यता की जांच करवायें।

भारतीय उर्वरक निगम में अनुसन्धान कार्य

2494. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेटोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसन्धान कार्य की प्रगति के आधार पर भारतीय उर्वरक निगम को चार भागों में विभक्त कर देने से क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) अनुसन्धान कार्य का वर्तमान प्रशासनात्मक गठन कैसा है;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम का यह विभाजन उर्वरक तकनीक में पूर्ण आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में काफी गतिरोध उत्पन्न कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो विभाजन के पश्चात किए गए अनुसन्धान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को यह पता है कि अनुसन्धान कार्य में गतिरोध होने के बावजूद तकनीक में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

इंडियन आयल कम्पनी द्वारा गुजरात बिजली बोर्ड से अवशिष्ट ईंधन तेल के लिए अधिक दर लिया जाना

2495. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कम्पनी गुजरात बिजली बोर्ड से अवशिष्ट ईंधन तेल के लिए अधिक दर मांग रही है;

(ख) वर्तमान दरों की तुलना में वर्ष 1960 में अवशिष्ट ईंधन तेल के क्या दर थे और इसका अधिक दर मांगे जाने के क्या कारण हैं जब पहले ही वर्ष 1960 से उनके दर अनेक बार बढ़ाए गए हैं; और

(ग) गैस पर आधारित बिजली और कोयला अवशिष्ट ईंधन तेल के अधिक दर देखते हुए बढ़ी हुई दरों की मांग छोड़ दी जाएगी ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) आई०ओ०सी० 1960 में गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को अवशिष्ट ईंधन तेल सप्लाई नहीं कर रहा था । आई०ओ०सी० गुजरात राज्य बिजली बोर्ड (जी०एस०ई०बी०) से इस समय लो सल्फर हैवी स्टाक (एल०एस०एच०एस०) जो उन्होने उनके धूवरन पावर स्टेशन की दो यूनिटों को सप्लाई किया था, अस्थाई तौर पर 390 रुपये प्रति मी० टन की दर से अदायगी की प्रतिप्राप्ति कर रहा है जबकि 8.6.1980 से उनके बिल की दर 1432.56 प्रति मी० टन था । आई०ओ०सी० का विचार है कि वे जो मूल्य मांग रहे हैं वह हिदायतुल्लाह अवार्ड पर आधारित है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पोटेरू सिंचाई परियोजना दण्डकारण्य पर हुआ व्यय

2496. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने कोरापुट, उड़ीसा के दण्डकारण्य प्रोजेक्ट की पोटेरू सिंचाई परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इस सिंचाई परियोजना से कितनी भूमि की सिंचाई होनी है और विकास प्राधिकरण ने अब तक कितने भू-क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) खेती के प्रयोजन से पुनर्वासित व्यक्तियों और स्थानीय आदिवासियों को अब तक कितनी भूमि वितरित की गई है; और

(घ) पोटेरु बांध के नीचे खेती योग्य भूमि कितनी है और जिले के जरूरतमंद आदिवासियों को भूमि बांटने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पोटेरू सिंचाई परियोजना पर व्यय करने के लिए अब तक भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को 17.16 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ।

(ख) पोटेरू सिंचाई परियोजना के अधिकार क्षेत्र में 1,50,000 एकड़ क्षेत्र आता है। पोटेरू कमांड के अन्तर्गत दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने अब तक 13,726 एकड़ भूमि का उद्धार किया है ।

(ग) अब तक उद्धार की गई 13,726 एकड़ भूमि में से 11,936 एकड़ भूमि का प्रयोग विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किया जा चुका है, 1,203 एकड़ भूमि आदिवासियों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार को सौंप दी गई है ।

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा 1973 में किए गए अनुमान के अनुसार, खेती योग्य 1,50,000 एकड़ भूमि में से 78,000 एकड़ पर पहले ही खेती की जा रही है और 72,000 एकड़ खेती योग्य बंजर भूमि जिसमें वन शामिल थे, विकास के लिए उपलब्ध थी, जिसमें से 56,000 एकड़ भूमि विस्थापित व्यक्तियों (40,000 एकड़) और आदिवासियों (16,000 एकड़) के पुनर्वास के लिए दी जानी है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव

2497. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव कितने समय पश्चात् अपने संवर्ग में पदोन्नति के हकदार हो जाते हैं;

(ख) प्रस्तुतकर्ता (प्रोड्यूसर) कितने वर्षों के बाद पदोन्नति का हकदार हो जाता है, और पिछले वर्ष के दौरान कितने प्रोड्यूसरों को अगला उच्च ग्रेड अथवा पदोन्नति दी गई है ।

(ग) क्या सरकार का कार्यक्रम विशेषज्ञों के लिए एक संवर्ग बनाने तथा उनमें से प्रत्येक को नियमों के अनुसार पदोन्नति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो विशेषज्ञों को पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भर्ती नियमों के अनुसार ग्रेड में पांच वर्ष की स्वीकृत सेवा वाले प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव आकाशवाणी दूरदर्शन के सहायक केन्द्र निदेशक के अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं।

(ख) भर्ती नियमों के अनुसार, आकाशवाणी में संविदा पर काम करने वाले प्रोड्यूसर, जिनकी ग्रेड में 12 वर्ष की सेवा हो, उप मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर, जब रिक्तियां हों, सीमित चयन के द्वारा पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। आकाशवाणी में गत छः वर्षों अर्थात दिसम्बर, 1973 से 1979 तक, 6 प्रोड्यूसरों को उप मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी की कार्यक्रम और इंजीनियरी सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

बंगलादेश शरणार्थी राहत कोष का दुर्विनियोजन

2498. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगला देश के शरणार्थियों के लिए वर्ष 1971-72 में राहत कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए धन का दुर्विनियोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्विनियोजन का पता लगाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार इसकी जांच करेगी तथा तथ्यों को जनता के सामने रखेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार इससे अवगत है।

(ख) और (ग) लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थी और उसकी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 149वीं रिपोर्ट में की गई थी। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी 23-4-75 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी।

(घ) छान-बीन प्राधिकारियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की गई है और कुछ मामलों में न्यायालय के निर्णयों की जांच की गई है और लोक लेखा समिति ने अपनी 213वीं रिपोर्ट (पांचवी लोक सभा) तथा 64वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा में) उन्हें स्वीकार कर लिया है। कुछ लम्बित मामलों में छान-बीन प्राधिकारियों के निष्कर्ष तथा न्यायालय के निर्णय उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जाएगी।

वातानुकूलन यन्त्रों के उपयोग पर रोक

2499. **श्री नारायण चौबे** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वातानुकूलन यन्त्रों के उपयोग पर रोक के आदेश का

उल्लंघन करने के बारे में 24 मई, 1980 के "पैट्रियोट" के प्रकाशित एक तथ्य-मूलक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां ।

(ख) वातानुकूलन यन्त्रों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश के तथाकथित उल्लंघन के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

दण्डकारण्य परियोजना का बन्द होना

2500. **श्री चित्त बसु** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दण्डकारण्य परियोजना को 1982-83 तक बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या तब तक परियोजना पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या डी० डी० ए० की सांविधिक और कार्यकारी शक्ति के अभाव में परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हो सका; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को अधिक सांविधिक और कार्यकारी शक्ति प्रदान करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को सप्लाई किया गया डीजल

2501. **श्री पियूष तिरकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य को गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में डीजल की सप्लाई की गई;

(ख) क्या यह सच है कि डीजल की कमी के कारण कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य को जून, 1979 से मई, 1980 के दौरान सप्लाई किए गए हाई स्पीड (एच० एस०डी०) तेल की मात्रा करीब 626,500 मीट्रिक टन थी ।

(ख) मेरा मन्त्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल का मासिक आबंटन किसी विशिष्ट प्रकार के कोटा देने के बिना ही करता है। राज्य सरकार ही विभिन्न उपभोक्ताओं को डीजल का आगे और आबंटन करता है। राज्य सरकारों जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार शामिल है, को परामर्श दिया गया है कि वे डीजल के लिए कृषि आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। इसके फलस्वरूप, सम्भव है कि राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्योगों को डीजल देने पर प्रतिबन्ध लगाए गए हों।

(ग) हाई स्पीड डीजल तेल की समस्त उपलब्धता, भूतपूर्व में इसकी बिक्री, तथा परिवहन क्षमताओं को विचार में रखकर पश्चिम बंगाल को इसका मासिक आबंटन दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल को मूल आबंटन के अतिरिक्त डीजल तेल का और अधिक आबंटन दिया गया था।

टान इण्डिया वाटल एक्सट्रैक्टस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास

2502. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टान इण्डिया वाटल एक्सट्रैक्ट्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) इस कम्पनी की कुल वार्षिक लाभदायकता कितनी है तथा क्या यह प्रदत्त पूंजी से 50% अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि चमड़ा उद्योग द्वारा प्रयुक्त "वाटल एक्सटैक्ट्स" की चर्मशोधन सामग्री के उत्पादन में इसका एकाधिकार है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु इसकी आय के बारे में कोई जांच करवाई है कि क्या इस क्षेत्र में इसके एकाधिकार के कारण अनुचित लाभ द्वारा कहीं प्रयोक्ता का शोषण तो नहीं हो रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी की 20-12-1979 तक की बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, टान इण्डिया वाटल एक्सट्रैक्ट्स कम्पनी लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी 36 लाख रुपये है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी का 30-6-1978 की लेखा वर्ष समाप्ति का कर-पूर्व लाभ 21-52 लाख रुपये था, जो प्रदत्त पूंजी के 50% से अधिक है।

(ग) यह कम्पनी चमड़ा उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाटल एक्सट्रैक्ट्स की अकेली वृहद् स्वदेशी उत्पादनकर्ता है।

(घ) नहीं, श्रीमान जी। अन्य उद्यमकर्ताओं को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई रुकावट नहीं है।

महाराष्ट्र में सीमेंट और डीजल के न मिलने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का बन्द किया जाना

2503. **श्री आर० के० महालगी :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में सीमेंट तथा डीजल न मिल पाने के कारण कई बड़ी छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य ठप्प हो गया है;

(ख) इन वस्तुओं की कमी का महाराष्ट्र की कितनी तथा कौन-कौन सी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 की प्रत्येक तिमाही तथा वर्ष 1980-81 की प्रथम तिमाही के लिए सीमेंट/डीजल का कितना कोटा स्वीकृत किया गया था और इन परियोजनाओं को वास्तव में कितनी मात्रा प्रदान की गई ;और

(घ) इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में फिल्मों का दिखाया जाना

2505. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और मई, 1980 के दौरान दिल्ली की किन-किन कालोनियों में फिल्में दिखाई गई थी; और

(ख) इन फिल्मों को किन अधिकारियों के आदेश से दिखाया गया था और इनको दिखाए जाने का मापदण्ड क्या था ?

सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :

(क) पश्चिम पुरी (ए ब्लाक)
बुद्ध विहार (गोविन्द पुरी)
गुरु रविदास धर्म स्थान (मोती बाग)
सुनेहरी बाग, धोबी घाट

(ख) फिल्मों का प्रदर्शन करना सरकार के क्षेत्रीय प्रचार संगठन का नियमित और सामान्य कार्य है। फिल्मों का प्रदर्शन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करने तथा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये कार्यक्रम मुख्यतया समाज के कमजोर वर्गों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध स्कूल के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

2205. **श्री ई० बाला नन्दन** : क्या पेटोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जैसे कि भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी, दुर्गापुर यूनिट से सम्बद्ध स्कूलों के कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के अधीन बोनस मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो एफ० ए० सी० टी० लिमिटेड अलवाये, केरल के साथ सम्बद्ध स्कूलों के कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जाता जबकि यह भी उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जबकि भारतीय उर्वरक निगम अपने स्कूल स्टाफ को बोनस का भुगतान कर रही है, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड उन सबको जो बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार उसके हकदार हैं, बोनस भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा रही है। फेक्ट स्कूल कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, अतः बोनस के लिए पात्र नहीं हैं।

विभिन्न राज्यों में औद्योगिक एककों पर लागू होने वाली बिजली की कटौती

2506. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के विभिन्न औद्योगिक एककों पर लागू होने वाली बिजली की कटौती की मात्रा कितनी है;

(ख) इससे औद्योगिक उत्पादन विशेष रूप से कागज और इस्पात के उद्योगों, के उत्पादन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उपरोक्त बिजली की कटौती से "जबरन छुट्टी" और उद्योगों के 'बन्द' होने का कितनी सीमा तक प्रभाव पड़ा है और इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मई, 1980 के दौरान विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू (राज्यवार) विद्युत कटौतियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विद्युत की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है परन्तु उत्पादन का स्तर विद्युत समेत कई कारणों-साधनों पर निर्भर करता है और इसलिए केवल विद्युत की ही कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का सही-सही आंकलन करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार विद्युत की कमी के परिणामस्वरूप उद्योगों में "जबरी छुट्टियां" तथा बन्दियां हो सकती हैं, जिनका प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है, परन्तु ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे यह आंकलन किया जा सके कि उपर्युक्त विद्युत कटौतियों के परिणामस्वरूप उद्योगों में किस हद तक "जबरी छुट्टियां" तथा "बन्दियां" हुई होंगी।

विवरण

1. उत्तरी क्षेत्र

1.1 दिल्ली

1 जनवरी, 1978 से निम्नलिखित कटौतियां लागू की गई थीं जो बनी रही।

(1) सभी निम्न वोल्टता तथा उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं पर 10% ऊर्जा कटौती।

(2) सभी घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10% ऊर्जा कटौती।

(3) निओन साइन बोर्डों, सजावटी लाइटों, विज्ञापनों तथा फव्वारों के चलाने पर प्रतिबन्ध ।

(4) जुलाई, 1979 के मध्य से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्यों के घन्टे 19.00 बजे तक सीमित कर दिए गए हैं ।

(5) जिनमें संवातन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं उनको छोड़कर होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और बहु-मंजिली इमारतों में वातानुकूलन पर रोक लगा दी गई थी ।

1.2 हरियाणा

निम्नलिखित कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू थे :

(1) ग्रामीण फीडरों पर दो ग्रुपों में 16 घण्टे कटौती ।

(2) मौसमी उद्योगों को छोड़कर बड़े पैमाने पर बिजली सप्लाई प्राप्त करने वाले उद्योगों पर उनके ऊर्जा के साप्ताहिक उपभोग पर 10% कटौती तथा उनकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन अलग-अलग कर दिए गए हैं ।

(3) लघु विद्युत तथा मध्यम सप्लाई वाले उद्योगों पर कोई कटौती नहीं है । परन्तु उनकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन अलग-अलग कर दिए गए हैं ।

(4) औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1800 बजे से 2100 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं की जाती थी ।

1.3 चंडीगढ़

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :

(1) औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 40% कटौती ।

(2) सामान्य उपभोक्ताओं पर 4 घण्टे प्रतिदिन कटौती ।

(3) समारोह सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए ठाटबाट/सजावटी रोशनी पर प्रतिबन्ध ल गा दिया था ।

(4) सड़क पर रोशनी सीमित करके एक प्वाइण्ट छोड़कर दूसरे प्वाइण्ट पर की गई थी और उनके जलाने और बुझाने का समय घटा दिया गया है ।

1.4 पंजाब

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :

(1) ग्रामीण फीड़रों पर दो ग्रुपों में 14 घण्टे कटौती ।

(2) कोल्ड स्टोरेज के भारों की मांग को पूरा करने वाले सभी फीडरों को 16 घण्ट प्रतिदिन 3 फेज विद्युत तथा 4 घण्टे प्रतिदिन एक फेज विद्युत अलग-अलग सप्लाई की गई थी ।

(3) सभी शहरी/औद्योगिक फीडरों से बिजली पाने वाले एक शिफ्ट के उद्योगों के लिए सप्ताह में 6 दिन 1700 बजे से 0300 बजे (अगला दिन) तक बिजली दी जाती थी ।

(4) सामान्यतः क्रमशः दो शिफ्टों और तीन शिफ्टों में कार्य करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्ताह के सभी दिन 1700 बजे से 0300 तक (अगला दिन) विद्युत दी जाती थी।

(5) औद्योगिक काम्प्लैक्सों, यार्ड लाइटिंग आदि में सड़कों पर रोशनी में 50% कटौती।

(6) आवास के लिए तथा कार्यालय के प्रकाश लेने वाले उपभोक्ताओं पर 17 घण्टे के लिए अलग-अलग समय पर विद्युत की सप्लाई।

(7) लघु इस्पात संयंत्रों को 2200 बजे से 0800 बजे (अगला दिन) तक बिजली की सप्लाई की गई थी।

(8) सामान्य, घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, 5 हार्स पावर अथवा इससे कम भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं, कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्कियों और बर्फ की फैक्ट्रियों वाले सभी औद्योगिक/शहरी फीडरों को 17 घण्टे के लिए अलग-अलग समय पर विद्युत की सप्लाई।

1.5 राजस्थान

निम्नलिखित विद्युत की कटौतियां लागू थीं :

(1) 125 के०वी०ए० से अधिक संविदा मांग वाले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 20% तक की कटौती लागू थी।

(2) 25 हार्स पावर तक तथा इसके समेत के सम्बद्ध भार वाले लघु उद्योगों को नए कनेक्शन दिये गए थे और इन उद्योगों को 0600 बजे से 2200 बजे तक प्रचालन की अनुमति नहीं थी।

1.6. उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित विद्युत की कटौतियां लागू थी :

(1) (क) सभी बड़े तथा भारी मात्रा में विद्युत लेने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं पर, जो 33 के० वी० तथा अधिक विद्युत प्राप्त करते हैं तथा जिनके पास अपनी मांग के 50% के बराबर अथवा उससे अधिक केप्टिव विद्युत उत्पादन है, उन पर 100% कटौती।

(ख) अन्य सभी औद्योगिक उपभोक्ता जो ऊपर 1(क) के अन्तर्गत नहीं आते हैं वे अपनी मांग में 66.66% कटौती करेंगे।

(2) सभी औद्योगिक उपभोक्ता सतत् प्रक्रिया वाले तथा गैर सतत् प्रक्रिया वाले उपभोक्ता और कपड़ा मिलों को—जिनके भार 110 बी०एच०पी०/100 के०वी०ए०/75 मेगावाट से अधिक हैं, या तो अपनी अधिकतम मांग में 66.66% कटौती करनी थी अथवा 20/21 दिन कार्य बिल्कुल बन्द रखना था।

(3) 33 के०वी० या इससे कम विद्युत प्राप्त करने वाली सभी भट्टियां/इंडक्शन भट्टियां/रोलिंग और रि-रोलिंग मिलों को रात्रि के दौरान प्रतिदिन 8 घंटे विद्युत सप्लाई दी जाती थी।

(4) गैर-सतत् प्रक्रिया वाले सभी उद्योगों को सप्ताहिक छुट्टी अलग-अलग कर दी गई थी और प्रतिदिन 1800 बजे और 2200 बजे के दौरान व्यस्ततम अवधी सम्बन्धी प्रतिबंध भी लगाए गए ।

(5) कावाल (Kaval) शहरों को छोड़कर, जहां पर 4 घंटे प्रतिदिन की विद्युत की कटौती लागू की गई थी 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी टाउनों/मुहल्लों में प्रतिदिन 6 घंटे की विद्युत कटौती लागू की गई ।

(6) ग्रामीण फीडरों पर चार ग्रुपों में 19 घंटे प्रतिदिन की विद्युत कटौती की गई तथा व्यस्ततम-कालीन प्रतिबन्ध भी लागू रहे ।

(7) सिनेमा/थियेटरों को प्रतिदिन 0900 बजे से 1800 बजे के बीच कोई विद्युत नहीं दी जाती ।

(8) जिला मुख्यालय में तथा 30000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठापनों को 1900 बजे से 0900 बजे के बीच विद्युत नहीं दी जाती ।

(9) सरकार के स्वामित्व वाल कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों सहित किसी भी उपभोक्ता को किसी भी दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या फैक्टरी पर व्यापार के सामान्य घंटों के दौरान एक बोर्ड को छोड़कर कोई सजावटी या विज्ञापन लाइट, निओन साइन लगाने की या लगवाने की अनुमति नहीं थी ।

(10) कार्यालयों, होटलों, वाणिज्यिक तथा निजी प्रतिष्ठानों में वातानुकूलन तथा वाष्पीकरण संयंत्रों का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अपने औसत उपभोग पर 25% विद्युत कटौती करनी थी ।

1.7 जम्मू और कश्मीर

राज्य में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां नहीं हैं ।

1.8 हिमाचल प्रदेश

राज्य में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां नही हैं ।

2. पश्चिमी क्षेत्र

2.1 गोवा

1 नवम्बर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं ।

(1) 250 के०वी०ए० से अधिक संविदात्मक मांग वाले उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 40-60% ऊर्जा कटौती ।

टिप्पणी : 1. निम्नलिखित श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौतियों से छूट है :— अस्पताल, जल सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठान, लिफ्ट सिंचाई स्कीमें, एम० ई०एस० प्रतिष्ठान, आटा चक्कियां, चीनी मिलें, निम्न वोल्टता प्रतिष्ठानों वाली आवासीय कालोनियां, आक्सीजन और एसीटिलीन निर्माता यूनिटें आदि ।

2. उपरोक्त विद्युत कटौतियों के ब्यौरे के लिए कर्नाटक की विद्युत कटौतियां देखी जा सकती हैं।

2.2 गुजरात

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :

1. सभी उच्च वोल्टता सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 20% मांग कटौती तथा उच्च वोल्टता वाले गैर-सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 25% मांग कटौती।
2. सभी उच्च वोल्टता और निम्न-वोल्टता वाले गैर-सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों के सायंकालीन मध्यावकाश तथा साप्ताहिक छुट्टियां अलग-अलग कर दीं गईं।

2.3 मध्य प्रदेश

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध लागू रहे :

(क) उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ता :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	1.10.79 से ऊर्जा कटौती%	23.1.80 से मांग कटौती%
(1) हस्पताल, वाटर वर्क्स, कोयला खानें, तथा कृषि पम्पसेट, सीमेंट, डाक व तार, आकाशवाणी, सरकारी मुद्रणालय तथा रेलवे स्टेशन और निर्यात अभिमुखी उद्योग।	—	—
(2) दूध-डेयरी, सिक्युअरटी पेपर मिल्ज, बैंक नोट प्रेस, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान, बालको स्पैलटर्ज, फूड प्रोसैसिंग उर्वरक, रेलवे कर्षण, नेपा मिल्ज।	15	20
(3) पेस्टीसाइड्स, वी०एस०पी०, तांबे की खानें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० तथा अन्य फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज।	25	25
(4) विस्फोटक, औद्योगिक गैसें, अनुसंधान प्रतिष्ठान, केबल्ज तथा कंडक्टर उद्योग, अलकोहल उद्योग, रेलवे लोको शेड इत्यादि।	25	25
(5) रसायन, रंगाई, बुनाई, कपड़ा मिलें, कास्टिक सोडा सन्यन्त्र, हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्राफर्ज, कनफेक्शनरी इत्यादि।	25	30

(6) रेयन तथा सिन्थेटिक फाइबर, ग्लास संयंत्र, मिनी इस्पात संयंत्र अखाद्य तेल मिलें तथा अन्य उद्योग।	25	30

2. उपरोक्त के अतिरिक्त बालकों, बी०आई०एल०, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि०, नेपा मिल्ज, कास्टिक सोडा सन्यन्त्रों तथा एन०एम०डी०सी० बैलाडीला की मांग में 1800 बजे से 2200 बजे तक 30% की और कटौती की गई।

3. मिनी स्टील सन्यन्त्रों/स्टील रोलिंग तथा री-रोलिंग मिलों को 0600 बजे से 2200 बजे तक उत्पादन कार्य के लिए विद्युत सप्लाई नहीं की जाती।

4. उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं के साप्ताहित छुट्टी के दिन अलग-अलग कर दिए गए हैं तथा एक शिफ्ट और दो शिफ्टों में कार्य करने वाले उद्योगों को 1400 बजे से 2200 तक के बीच कार्य करने की अनुमति नहीं है।

5. दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 1900 बजे से 2200 बजे के बीच विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे।

(ख) निम्न वोल्टता उपभोक्ता और निम्न वोल्टता उद्योग, निम्न वोल्टता वाणिज्यिक, एल०एण्ड०एफ० विद्युत उपभोक्ताओं, निम्न वोल्टता उद्योगों पर ऊर्जा के उपभोग पर मामूली प्रतिवन्ध लागू हैं।

(1) कपास की ओटाई, खंडसारी चीनी की फैक्ट्रियों तथा खाद्य तेल मिलों पर 10% ऊर्जा कटौती।

(2) ग्रामीण फीडरों को सप्ताह में 6 दिन 1600 बजे से 1800 बजे तक बन्द रखा जाता है तथा सप्ताह में एक निर्दिष्ट दिन 0700 बजे से 1800 बजे तक बन्द रखा जाता है।

(3) जब कभी आवश्यक होता है, अनिवार्य सेवाओं पर प्रभाव डाले बिना ही प्रातःकाल तथा सायंकाल व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान बारी-बारी से अधिकतम एक घंटे के लिए शहरी फीडरों को बन्द रखा जाता है।

(4) सिंचाई तथा औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं पर 1700 बजे से 2100 बजे के बीच व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध।

(5) वाटर वर्क्स को 1900 बजे से 2100 बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(6) सड़क पर रोशनी का भार 50% तक कम कर दिया गया।

टिप्पणी : उपर्युक्त विद्युत कटौतियां/प्रतिबंधों के अतिरिक्त, 1 नवम्बर, 1978 से निम्नलिखित नियामक उपाय लागू हैं :

1. ग्रामीण फीडर दो ग्रुपों में विभाजित हैं। प्रत्येक ग्रुप को सप्ताह के छः दिन 0600 बजे से 1830 बजे के दौरान 5 घंटे सप्लाई दी जाएगी। सप्ताह के एक विशेष दिन ग्रामीण फीडरों को 0600 बजे से 1830 बजे के दौरान सप्लाई नहीं दी जाएगी।

2. रक्षा उद्योगों को हर रोज 1800 बजे से 2200 बजे के दौरान अपनी औसत मांग को और 20% तक सीमित करना होगा।

2.4 महाराष्ट्र

5 नवम्बर, 1979* से निम्नलिखित कटौतियाँ लागू थीं :

(क) औद्योगिक उपभोक्ता

उपभोक्ता की श्रेणी	मांग कटौती %	ऊर्जा कटौती %
1	2	3
1. सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग	22.5	35
2. कपड़ा उद्योग	25	35
3. सामान्य उद्योग*	30	45
4. निम्न वोल्टता सप्लाई प्राप्त करने वाले लघु उद्योग	—	—
5. अनिवार्य उपभोक्ता	15	15
6. मौसमी उद्योग	—	30
7. लघु इस्पात संयंत्र	22.5	—
8. सेवा उद्योग	20	20

*एक तथा दो शिफ्टों वाले उद्योगों को 1700 बजे से 2200 बजे के बीच विद्युत के उपयोग की अनुमति नहीं है।

(ख) कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं पर प्रातःकालीन और सायंकालीन व्यस्ततम प्रतिबंध।

(ग) बम्बई-पूना क्षेत्र से बाहर 2500 के०वी०ए० तक के सम्बद्ध भार वाले उद्योगों पर कोई विद्युत कटौती नहीं है।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू हैं :—

क. घरेलू उपभोक्ता

(1) श्रेणी 'क'—300 यूनिट प्रतिमास से कम — कोई कटौती नहीं
श्रेणी 'ख'—1000 यूनिट प्रतिमास तक, कोटा 300 यूनिट प्रतिमास — 25% कटौती
श्रेणी 'ग'—1000 यूनिट प्रतिमास से अधिक, न्यूनतम अनुज्ञेय कोटा 800 यूनिट प्रतिमास — 30% कटौती

ख.	वाणिज्यिक उपभोक्ता	मांग कटौती	ऊर्जा कटौती
	श्रेणी 'क' 300 यूनिट प्रतिमास से कम	—	20%
	श्रेणी 'ख' 1000 यूनिट प्रतिमास तक	—	20%
	श्रेणी 'ग' 1000 यूनिट प्रतिमास से अधिक	—	30%

3. दक्षिणी क्षेत्र

3.1 कर्नाटक

1 अक्तूबर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू रहीं ।

250 के० वी० ए० से अधिक संविदात्मक मांग वाले तथा निम्नलिखित औसत मासिक उपभोग वाले सभी उच्च वोल्टता वाले उद्योग तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता ।

(1)	संविदात्मक माँग के प्रति के०वी०ए० पर 100 यूनिट से अधिक नहीं ।	—	40% ऊर्जा कटौती
(2)	संविदात्मक मांग के प्रति के०वी०ए० पर 100-200 के बीच	—	45% " "
(3)	संविदात्मक मांग के प्रति के० वी० ए० पर 200-250 यूनिट के बीच	—	50% " "
(4)	संविदात्मक मांग के 250 के०वी०ए० से अधिक	—	60% " "
(5)	उर्वरक तथा कृषि रसायनिक पदार्थ तैयार करने वाले और/या मिश्रण करने वाले 250 के० वी० ए० से अधिक संविदात्मक मांग वाले सभी उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ता ।	—	45% " "
(6)	250 के० वी० ए० से अधिक मांग वाले सीमेंट निर्माता (1.1.80 से)	—	45% " "

टिप्पणी:—उपभोक्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों की विद्युत कटौतियों से छूट दी गई है । अस्पताल, जल प्रदाय प्रतिष्ठान, लिफ्ट, सिंचाई, समाचार-पत्र, 25 साइकल विद्युत उपभोक्ता चावल मिलें, आटा मिलें, आक्सीजन तथा एसिटीलीन निर्माता, औषध निर्माण आदि ।

उपर्युक्त विद्युत कटौतियों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू की गई थीं ।

250 के० वी० ए० से अधिक संविदात्मक मांग वाले तथा ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 30.9.79 को समाप्त तिमाही के लिए रोजगार कार्यालय को दी गई अपनी रोजगार सूचना में ऐसे श्रमिकों की संख्या, जो कि आकस्मिक या अनुबन्धित श्रमिक नहीं हैं, नीचे लिखे अनुसार हैं :	मासिक औसत उपभोग अधिकतम कुल 80% सीमा में रहते हुए अतिरिक्त ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होगी :
(1) संविदात्मक मांग के प्रति 100 के०वी०ए० पर 50 से अधिक परन्तु 75 से अधिक नहीं	औसत मासिक उपभोग का 20%
(2) संविदात्मक मांग के प्रति 100 के०वी०ए० पर 75 से अधिक परन्तु 100 से अधिक नहीं	औसत मासिक उपभोग का 25%
(3) संविदात्मक मांग के प्रति 100 के०वी०ए० पर 100 से अधिक	औसत मासिक उपभोग का 30

1 जनवरी, 1980 से निम्नलिखित श्रेणियों को छूट दे दी गई है :—

फासफेट, उर्वरक निर्माता, होटल, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यू मंगलौर पत्तन, विधान सौध, सेना सेवा कोर केन्द्र आदि ।

3.2 आन्ध्र प्रदेश

5 सितम्बर, 1979 से उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 30% ऊर्जा तथा मांग कटौती लागू थीं ।

3.3 तमिलनाडु

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :—

(1) उच्च वोल्टता सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 30% मांग तथा ऊर्जा कटौती ।

(2) उच्च वोल्टता गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 40% मांग कटौती तथा 60% ऊर्जा कटौती ।

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित प्रतिबंध भी लागू थे :—

(1) उच्च वोल्टता गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों के साप्ताहिक छुट्टी के दिन अलग-अलग कर दिए गए ।

(2) कृषि निम्नवोल्टता ग्रामीण औद्योगिक भार को समूहों में बांटना ।

(3) उच्च वोल्टता गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों तथा शहरी उद्योगों पर व्यस्ततम-कालीन प्रतिबन्ध ।

टिप्पणी : उच्च वोल्टता अनिवार्य सेवाएं, वाणिज्यिक सेवाएं, समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं, शिक्षा संस्थानों को विद्युत कटौतियों से छूट है

3.4 केरल

कोई अधिसूचित विद्युत कटौती लागू नहीं है क्योंकि राज्य के पास फालतू बिजली है।

3.5 पाण्डिचेरी

इस संघ राज्य क्षेत्र में व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध तथा कृषि उपभोक्ताओं पर 10-12 घन्टे की कटौती है।

4. पूर्वी क्षेत्र

4.1 पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थी :

(1) पटसन मिलों और सूती कपड़ा मिलों को छोड़कर सभी उच्च वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं की एम०डी० में 23.5% कटौती।

(2) पटसन और कपड़ा मिलों की एम०डी० में कटौती।

(3) सूती कपड़ा मिलों को छोड़कर सभी उच्चवोल्टता औद्योगिक उपभोक्ताओं की साप्ताहिक छुट्टी का एक दिन अलग-अलग कर दिया गया।

(4) सभी उच्च वोल्टता वाले उद्योगों को किसी भी दिन 1800 बजे से 2200 बजे तक विद्युत भार प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

(5) मिनी इस्पात संयंत्रों को सप्ताह में सातों दिन 2100 बजे से 0900 बजे अगले दिन तक चलने की अनुमति है।

(6) छोटे सिंचाई पम्प, सभी निम्नवोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं (प्रिंटिंग प्रेसों और आटा चक्कियों को छोड़कर) को 1700 बजे से 2200 बजे तक विद्युत भार प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

(7) (दवाइयां, ग्रोसरी, तम्बाकू, पान, सिगार चुरुट, पेय जलपान आदि का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर) दुकानों तथा प्रतिष्ठानों को शनिवार और रविवार को 2030 बजे और 2230 बजे के बीच तथा अन्य दिनों में 1900 बजे से 2230 बजे के बीच बिजली का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

(8) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बंक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 0900 बजे और 1100 बज तथा 1700 बजे तथा 2200 बजे के बीच वातानुकूलन, रूम कूलर चलाने की अनुमति नहीं है।

(9) नियोन, मरकरी लैम्प तथा अन्य उच्च क्षमता वाले बिजली की जगमगाहट वाले उपकरणों को 2100 बजे तक प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं है।

(10) 3.3 के०वी० तथा इससे अधिक सप्लाई वाले उद्योगों पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध।

4.2 उड़ीसा

5 मेगावाट से अधिक संविदात्मक मांग वाले 11 बड़े उद्योगों पर 8 सितम्बर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :—

(1) एल्यूमिनियम उद्योगों पर 60% मांग और ऊर्जा कटौतियां ।

(2) शेष उद्योगों पर 45% मांग और ऊर्जा कटौतियां ।

(3) महीने के दौरान उद्योगों पर 155/160 मेगावाट तक के विद्युत प्रतिबन्ध लगाए गए ।

टिप्पणी :—रेलवे, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान, उर्वरक, कोयला खानें, सीमेंट, फैक्ट्रियों को कटौतियों से छूट प्राप्त है ।

4.3 बिहार

राज्य में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां लागू नहीं हैं, तथापि प्रतिबंध विद्युत की उपलब्धता के अनुसार प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं ।

5. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र

5.1 असम

20 सितम्बर, 1977 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू रहीं :—

उपभोक्ताओं की श्रेणी		विद्युत कटौती
(1)	अनिवार्य	कुछ नहीं
(2)	औद्योगिक	
	(क) खाद्य प्रक्रिया	व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध
	(ख) मौसमी उद्योग जैसे— चाय के बगीचे और बर्फ फैक्ट्रियां	व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध
	(ग) सतत प्रक्रिया	10% ऊर्जा कटौती
	(घ) लघु उद्योग	10% ऊर्जा कटौती तथा व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध
	(ङ) अन्य	25% ऊर्जा कटौती तथा व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध
(3)	वाणिज्यिक उपभोक्ता	10% ऊर्जा कटौती तथा व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध
(4)	जो अनिवार्य नहीं है	व्यस्ततमकालीन भार प्रतिबन्ध

5.2 त्रिपुरा

राज्य में व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लागू होने की सूचना है।

5.3 नागालैण्ड

राज्य में 48% की कुल विद्युत कटौती लगाई गई।

5.4 मणिपुर

बड़े शहरों तथा उपभोक्ताओं पर 60% की कुल विद्युत कटौती लगाई गई।

5.5. मिजोरम

राज्य में 20 से 30% तक विद्युत कटौती लगाई गई।

5.6 मेघालय

राज्य में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां नहीं हैं, क्योंकि राज्य के पास फालतू विद्युत है।

5.7 अरुणाचल प्रदेश

इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां नहीं है।

दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर संयंत्र का कार्यकरण

2507. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर तापीय विद्युत केन्द्र की सबसे बड़ी देयता उसके आयातित संयंत्र तथा उपकरण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस तथ्य की भी जानकारी है कि पिछले कई महीनों से 18 वर्ष से भी अधिक पुराने इस बिजली घर में औसत उत्पादन उसकी अधिष्ठापित क्षमता का 40 प्रतिशत से भी कम हो रहा है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दुर्गापुर की आयातित यूनिटें पिछले 20 वर्ष से अधिक से प्रचालन में हैं तथा परिणामस्वरूप इन यूनिटों का लाभकारी जीवन अधिकांशतः समाप्त हो गया है। इसलिए, इस समय इनसे उत्पादन इनकी मूल निर्धारित क्षमता से कम है। जहां तक संभव है, संघटकों को बदल कर तथा जब कभी बन्दियां हों तो यूनिटों को यथाशीघ्र ही प्रचालन में लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर, इन यूनिटों की मरम्मत करके इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जाने हैं।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश

2508. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए 403.80 करोड़ रुपये की भारी राशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि 22.90 करोड़ रुपये रुपये की लागत वाले पहले से क्रियान्वित किए जा रहे प्रस्तावों के अतिरिक्त होगी;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रमों की क्रियान्वित के बाद कोयला उत्पादन की कुल क्षमता कितनी होगी;

(घ) इन प्रस्तावों के लिए जो राशि रखी गयी है, क्या उसे चालू वर्ष के दौरान निवेशित किया जायेगा अथवा उसका कितने वर्षों में उपयोग किया जायेगा;

(ङ) चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में इतनी भारी मात्रा में पूंजी निवेश कार्यक्रम के उपरांत कोयले का उत्पादन कितना होगा; और

(च) मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन कहा तक पर्याप्त होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि० और सिंगरैनी कोलियरीज में उत्पादन बढ़ाने के लिए रु० 383.50 करोड़ के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) दो कोयला परियोजनाओं में अग्रिम कार्रवाई के लिए रु० 22.50 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी गई है। यह निवेश तीन वर्ष की अवधि में क्रमशः किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान इन तीन परियोजनाओं पर व्यय रु० 383.50 करोड़ के योजना परिव्यय से पूरा किया जाएगा।

(ग) उत्पादन क्षमता का निर्धारण केवल उन्हीं खानों के बारे में किया जा सकता है जिनका निर्माण विस्तृत परियोजना योजनाओं के आधार पर किया गया है। कोल इंडिया लि० के अधीन अधिकांश खानों की ऐसी परियोजना योजनाएं उपलब्ध नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के समय उन्हें प्राइवेट मालिकों से अधिग्रहीत किया गया था। कोल इंडिया लि० इन खानों की क्षमता का निर्धारण करने के लिए औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययन कर रहा है। अनुमान है कि वास्तविक उत्पादन वर्ष 1979-80 के 103.97 मिलियन टन से बढ़कर 1980-81 में 113.50 मि० टन हो जाएगा।

(घ) रु० 383.50 करोड़ का निवेश केवल चालू वर्ष के दौरान जारी और नई परियोजनाओं के लिए है।

(ङ) आशा है कि चालू वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़कर 113.50 मिलियन टन हो जाएगा। आगामी वर्ष के लिए निवेश कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है।

(च) वर्ष 1980-81 के दौरान कोयले की मांग का अनुमान 111.80 मिलियन टन है जबकि अनन्तिम उत्पादन-कार्यक्रम 113.50 मिलियन टन का है, जिसमें संशोधन किया जा रहा है।

औषध उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन को विनियमित किया जाना

2509 **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध उद्योग में अतिरिक्त क्षमता को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह कार्यवाही औषध उद्योग पर हाथी समिति प्रतिवेदन की सिफारिशों के प्रतिकूल है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हा।

(ख) इसके ब्यौरे औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को दर्शाने वाले विवरण पत्र (जिसे तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था) के पैराग्राफ 27 से 36 में दर्शाये गये हैं।

(ग) अधिक उत्पादन को नियमित करने के बारे में सरकार के निर्णय अधिकांश तौर पर हाथी समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

डीजल की खपत

2510. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में डीजल की खपत कितनी है; और

(ख) निकट भविष्य में डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान देश में, हाई स्पीड डीजल की कुल खपत करीब 9.73 मि० मी० टन थी।

(ख) इस समय असम से मिलने वाले तेल पर काम करने वाली शोधनशालाएं पूर्ण रूप से बन्द रहने या रूक-रूक कर काम करने के कारण हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल दोनों का स्वदेशी उपलब्धता में गिरावट आई है। इस कमी को इन दो उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है जोकि पहले कुछ महीनों में अधिकतम किया गया है ताकि तटीय स्थानों पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। देश के ऊपरी भागों के स्थानों पर इन उत्पादों की उपलब्धता परिवहन क्षमता पर निर्भर है। डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि तभी सम्भव होगी जब 6 मि० मी० टन क्षमता वाली मथुरा शोधनशाला में उत्पादन आरम्भ हो

जाएगा और अगले एक वर्ष के दौरान ब्रोंगई गांव शोधनशाला अपनी 1 मि० मी० टन की पूर्ण क्षमता पर पहुंच जाएगी।

माही नदी पर कडाना बांध का निर्माण करने के लिए गुजरात और राजस्थान के बीच करार

2511. **श्री दौलत राम सारण** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय टैंक का निर्माण पूरा होने तक राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों तथा गुजरात के जिला खेरा में सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने हेतु 419 फुट की ऊंचाई का माही नदी में कडाना बाँध और 931 फुट के स्तर पर बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध का निर्माण करने के लिये गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने इन दो राज्य सरकारों के बीच हुए इस समझौते के बाद ही परियोजना को स्वीकृति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान के जालौर और बाड़मेर के शुष्क क्षेत्रों में पानी कब तक उपलब्ध होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) गुजरात और राजस्थान की सरकारों के बीच गुजरात में माही नदी पर एफ०आर०एल० 419 फुट सहित कडाना बांध और राजस्थान में माही नदी पर एफ०आर०एल० 921 फुट सहित बांसवाड़ा बांध (बजाज सागर बांध) के निर्माण के लिए जनवरी, 1966 में एक करार हुआ था। योजना आयोग ने गुजरात की कडाना परियोजना को दिसम्बर, 1966 में और राजस्थान ही माही बजाज सागर परियोजना को नवम्बर, 1971 में मंजूरी दी थी।

(ग) जनवरी, 1966 के करार में यह उल्लेख है कि बाद में जब नर्मदा का विकास हो जाएगा और जब माही क्षेत्रों को नर्मदा का जल मिलने लगेगा तब माही का जल राजस्थान में इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में नर्मदा के जल से माही क्षेत्रों के पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और इसलिए राजस्थान के जालौर और बाड़मेर क्षेत्रों में जल के इस्तेमाल के लिए माही के जल को देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुन्दरवन क्षेत्रों में जल-निकास तथा सिंचाई की योजना

2512. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र में जल-निकास तथा सिंचाई के लिये एक बृहत् योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना को केन्द्र सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 47.3 करोड़ रुपए (संशोधित लागत) की अनुमानित लागत की सुन्दरबन डेल्टा परियोजना चरण-I तैयार की है। इस स्कीम में खारे पानी से होने वाले जल प्लावन को रोककर, इस क्षेत्र में पीने के पानी के जलाशय बनाकर तथा उपयुक्त जल-निकास प्रणाली की व्यवस्था करके सुन्दरबन डेल्टा की 5 0,000 हैक्टेयर भूमि का सुधार और विकास परिकल्पित है।

(ग) और (घ) इस स्कीम पर भारत सरकार की टिप्पणियां विस्तृत जांच के बाद राज्य सरकार को भेजी गई थीं। राज्य सरकार ने अभी सभी टिप्पणियों के उत्तर नहीं भेजे हैं।

दक्षिण अफ्रीका को फिल्मों का निर्यात

2513. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अधिकांश फिल्में दक्षिण अफ्रीका को निर्यात की जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अवैध कार्य अनेक वर्षों से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय फिल्मों के कुछ निर्माताओं और निर्यातकों ने सरकार से यह शिकायत की है कि उनकी फिल्मों की प्रिन्टें दक्षिण अफ्रीका में चोरी छिपे ले जाई जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फिल्मों के चोरी छिपे प्रदर्शन को भारत के दक्षिण अफ्रीका के व्यापार बहिष्कार का कुछ पार्टियों द्वारा फायदा उठाया जाना समझती है।

पन बिजली परियोजनाओं में सुधार करने के लिए विशेषज्ञों की बैठक और उसमें दिए गए सुझाव

2514. **श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने जल परियोजनाओं में सुधार के लिए बहुत से सुझाव दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनमें से कितने सुझाव स्वीकार किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) मंत्रालय के सामान्य कार्य के भाग के रूप में, विद्युत क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के साथ नियमित अन्तराल पर विचार-विमर्श किया जाता है । इन बैठकों के दौरान यह फैसला किया गया है कि देश में उपलब्ध शक्यता का उपयोग करने की दृष्टि से जल-विद्युत उत्पादन को विशेष महत्व दिया जाए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह फैसला भी किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये परियोजनाएं यथा सम्भव कम समय में पूरी हों तथा देश में जल-विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में लगे संगठनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए यथा आवश्यक उपाए किए जाएं । इसमें, निर्माण पद्धति में प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक को उन्नत करना, अन्वेषण तकनीकों तथा जल-विद्युत आयोजना आदि में सुधार करना शामिल है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, जहां तक आवश्यक होगा वहां तक और जिन क्षेत्रों में देश में जानकारी उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में, विदेशी विशेषज्ञता को काम में लाया जाएगा ।

बिहार के प्लास्टिक उद्योगों को पी० वी० सी० का आवंटन

2515. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पलामू में स्थित लघु प्लास्टिक उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर पी० वी० सी० कम्पाउंड आवंटित करने का है क्योंकि यह जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पी० वी० सी० का वितरण सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं होता । पी० वी० सी० के उपभोक्ताओं को इसकी सप्लाई या तो देश के भीतर लेने अथवा खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात करके मंगाने की खुली छूट है ।

काम नहीं कर रही पन बिजली परियोजनाएं

2516. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पन बिजली परियोजनाएं इस समय कार्यरत नहीं हैं तथा अपेक्षित विद्युत उत्पादन नहीं कर रही हैं; और

(ख) विद्युत सप्लाई में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जो यूनिट निर्धारित क्षमता पर विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं उन यूनिटों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) देश में विद्युत सप्लाई में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन करें।

(2) केंद्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा ऐसे ही उपाय करने की सलाह राज्य सरकारों को देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भंडार की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(6) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना।

(7) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना और इनमें दोष सुधार/प्रतिस्थापन आदि के लिए कई ताप विद्युत केन्द्रों पर परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना।

विवरण

क०सं०	विद्युत केन्द्र	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	माह जून, 80 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य, मार्च, 80 में किए गए आकलन के अनुसार (जी० डब्ल्यू०एच० प्रतिदिन)	ऊर्जा उत्पादन का वर्तमान स्तर** (जी०डब्ल्यू०एच०/ प्रतिदिन)	ऊर्जा उत्पादन में कमी/ अधिकता (कालम 4-कालम 5) (जी०डब्ल्यू०एच०/ प्रतिदिन)	ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	देहर (हिमाचल प्रदेश साझा परियोजना	660	12.7	10.87	1.83	जल की कम उपलब्धता
2.	चम्बल काम्पलेक्स (राजस्थान) साझा परियोजना	386	1.2	0.74	0.46	जलाशयों में जल स्तर नीचा होना तथा पहले के वर्षों और महीनों में अधिक जल ले लिया जाना।
3.	रिहन्द और ओबरा (उत्तर प्रदेश)	399	1.3	0.71	0.62	पिछले सूखे के कारण जल स्तर नीचा होना।
4.	यमुना चरण-दो (उत्तर प्रदेश)	240	2.60	2.58	0.02	एक विद्युत उत्पादन यूनिट का बन्द हो जाना।

1	2	3	4	5	6	7
5.	अपर सिलेरु तथा लोअर सिलेरु (आंध्र प्रदेश)	520	1.63	2.15	(+) 0.52	पिछले वर्ष सूखा पड़ने के कारण जल की कम उपलब्धता 1 जून के दौरान अन्तर्वाह प्रत्याशा से अधिक है।
6.	उकई (गुजरात)	300	2.4	1.09	1.31	पिछले मानसून में कम जल होना इस समय, जल भंडार हेतु जल संचित किया जा रहा है।
7.	शरावती (कर्नाटक)	890	11.83	6.48	5.35	गत वर्ष सामान्य से कम मानसून आना। जल भंडार के लिए जून में जल संचित किया जा रहा है।
8.	हीराकुंड (उड़ीसा)	270	2.06	0.47	1.59	सूखे की स्थिति होना तथा पहले के महीनों में जल का अधिक ले लिया जाना।
9.	वलिमेला (आंध्र प्रदेश)	360	1.17	2.36	(+) 1.19	गत वर्ष सूखा पड़ा था परन्तु हाल ही में हुई वर्षा/अंतर्वाह प्रत्याशा से अधिक है।

(*) देहर विद्युत केन्द्र में 22 जून से एक उत्पादन यूनिट का अनुरक्षण किया जा रहा है।

(**) ये आंकड़े 1 जून, 1980 से 23 जून, 1980 तक के विद्युत उत्पादन के आंकड़ों पर आधारित हैं।

फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण

2517. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग पर विचार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है। फिल्म निर्माण और सम्बन्धित कार्यकलाप पिछले 50 वर्षों में निजी क्षेत्र में पनपे हैं। सृजनात्मकता, कला आदि के निवेश को तथा इस उद्योग के विशेष स्वरूप को देखते हुए यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार को बड़े पैमाने पर प्रवेश करने की आवश्यकता हो।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में गैस और पेट्रोल के लिए कुओं की खुदाई

2518. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में गैस और पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए कितने कुओं की खुदाई की है और ये कुएं किन-किन एजेंसियों से खुदवाए गए;

(ख) उनमें से कितने कुओं में सफलता मिली और कितने कुओं में सफलता नहीं मिली तथा इन कुओं की गहराई कितनी है;

(ग) उस समय ऐसे कितने कुएं उपयोगी नहीं समझे गए और अब उपयोगी समझे जाते हैं;

(घ) क्या आयोग ने गहरी खुदाई के रिगों की अनुपलब्धता के कारण खोज और खुदाई कार्य बन्द कर दिया है; और

(ङ) क्या सरकार अब भू-वैज्ञानिक तथा भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए ठोस कार्यवाही करने एवं खुदाई कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए तैयार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में हाइड्रो-कार्बन्स का पता लगाने के लिए ओ० एन० जी० सी० ने अभी तक 16 कुओं की खुदाई की है। इनमें से 6 कुओं की खुदाई मैसर्स फोराजोल जो फ्रांस की एक ड्रिलिंग कम्पनी है द्वारा की गई थी तथा शेष कुओं की खुदाई ओ० एन० जी० सी० द्वारा की गयी थी।

(ख) 16 कुओं में से 4 कुओं में गैस की बहुत कम मात्रा पाई गई थी जो वाणिज्यिक

तौर पर व्यवहार्य नहीं थी और 12 कुएं शुष्क पाये गये थे। इन कुओं की गहराई निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या		कुआं संख्या	खुदाई की गहराई
1.	मनहेरा तिब्बा	1	1887.7 एम
2.	-वही-	2	406.6 एम
3.	-वही-	3	795.6 एम
4.	-वही-	4	484.9 एम
5.	-वही-	5	576.8 एम
6.	-वही-	6	951.6 एम
7.	-वही-	7	965.0 एम
8.	-वही-	8	451.0 एम
9.	सुमेरवाली तलाई	1	1509.0 एम
10.	-वही-	2	3556.0 एम
11.	भाकरी तलाई	1	1951.0 एम
12.	-वही-	2	428.0 एम
13.	खरोतर	1	1997.5 एम
14.	-वही-	2	2026.7 एम
15.	विखारन नाई	1	2034.0 एम
16.	भुआना	1	3706.0 एम

(ग) कोई भी नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एक भूकम्पीय पार्टी पहले से ही उन्नत तकनीक के साथ सर्वेक्षण कर रही है और दूसरी पार्टी शीघ्र ही काम में तीव्रता लाने के लिए लगाई जाएगी। अगर प्राप्त आंकड़ों और किए गए विश्लेषणों से आशाजनक स्थलों की विद्यमानता का पता नहीं लगा तो अन्वेषी खुदाई फिर से आरम्भ की जाएगी।

टेलिविजन लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की मांग

2519. श्री छोटू भाई गामित
कुमारी कमला कुमारी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में लोगों की राय टेलीविजन लाइसेंस शुल्क समाप्त करने के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता की भावनाओं को उचित सम्मान देते हुए सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल समुद्र तट के आस-पास समुद्री कटाव

2520. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल समुद्र-तट का काफी हिस्सा हर वर्ष काफी समुद्री कटाव का शिकार हो जाता है जिससे भूमि, मकानों, नारियल के वृक्षों तथा अन्य सम्पत्ति को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो समुद्र-तट के कुल कितनी लम्बाई तक के हिस्से पर समुद्री कटाव का असर पड़ता है और इस समुद्री कटाव के कारण अब तक कुल कितनी भूमि की हानि हुई है;

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में संरक्षी बांधों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया है कि समुद्री कटाव विरोधी कार्य के लिए केन्द्रीय ऋणों को अनुदान में बदल दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 560 कि०मी० की समुद्र-तट लम्बाई में से 320 कि०मी० की लम्बाई समुद्र-कटाव से प्रभावित हुई है। समुद्र-कटाव के कारण भूमि की क्षति के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार ने सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए 78.7 करोड़ रुपये लागत का अनुमान लगाया है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार के अनुरोध पर, केन्द्रीय ऋण सहायता को, जिसे अब समुद्र-कटाव-रोधी कार्यों के लिए दिया जा रहा है, पूर्णतया अनुदान में बदलने के लिए, राज्य सरकार से कुछ और सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

खान के मुहानों पर कोयले का भण्डार

2521. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान के मुहानों पर कोयले का भारी अम्बार लगा हुआ है जिसका लदान किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। खान मुहानों पर लगभग 14 मिलियन टन कोयला पड़ा है जिसे भेजा जाना है।

(ख) खान मुहानों पर कोयला इकट्ठा हो जाने का मुख्य कारण यह है कि खान मुहानों से उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने के लिए परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

बिहार के फुलवरिया बांध योजना की क्रियान्विति

2522. **श्री कुंवर राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के फुलवरिया बांध योजना को समय पर क्रियान्वित करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पांडे) : (क) यह प्रश्न सम्भवतः बिहार के नवादा जिले की फुलवारिया जलाशय स्कीम के बारे में है। 485.14 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना योजना आयोग द्वारा मई, 1978 में अनुमोदित की गई थी। बिहार की वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना के अनुसार इस परियोजना पर हुआ वास्तविक व्यय इस प्रकार है:—

	लाख रुपयों में
1978-79 (वास्तविक)	25
1979-80 (प्रत्याशित)	25
1980-81 (प्रस्तावित)	160

(ख) छठी पंचवर्षीय (1980-85) की रूपरेखा के अनुसार इस जलाशय के 1985 में पूरा होने की सम्भावना है।

कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई तथा वितरण और कीमत के सम्बन्ध में नई नीति

2523. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई, वितरण तथा कीमत के सम्बन्ध में एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तेल के आशाजनक क्षेत्रों के तीव्रतर अन्वेषण कार्य के लिए समय-समय पर परियोजनाएं तैयार की गई हैं। मूल्य वृद्धियां विश्व तेल की स्थिति का अनिवार्य तथा सीधा परिणाम है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में मूल्यों में कितनी वृद्धि हो जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और उनके वितरण के सम्बन्ध में कोई नई नीति नहीं बनी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

1980-81 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का आयात

2524. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ से दो लाख टन कच्चा तेल और पांच लाख टन हाई स्पीड डीजल प्राप्त करने के अतिरिक्त वर्ष 1980-81 के लिए कितने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जायगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के हमारे कुल आयात क्रमशः 16.0 मिलियन मीट्रिक टन और 6.5 मिलियन मीट्रिक टन तक होने की आशा है। इसमें सोवियत रूस से आयात किया जाने वाला 2 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल और 5 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भी शामिल है।

निर्धनों को कानूनी सहायता सम्बन्धी समिति

2525. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और यह समिति कब तक अपनी सिफारिशें करेंगी;

(ख) क्या यह सच है कि निर्धनों को कानूनी सहायता प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पिछले 15 वर्षों से निलम्बित पड़ा है और निर्धन लोग अभी भी कानूनी सहायता से वंचित हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामलों में निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी गई और क्या उसकी पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कानूनी सहायता की व्यापक स्कीम बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। नई दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक विशेष उपबन्ध सम्मिलित किया गया था। (देखिये धारा 304)। इस उपबन्ध द्वारा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में कानूनी सहायता के उपबन्ध को बाध्यकर बनाया गया है। इस प्रसुविधा को विचारण वाले अन्य मामलों में भी लागू करने के लिए उपबन्ध किया गया है। उसी वर्ष अधिवक्ता अधिनियम

का भी संशोधन किया गया था जिससे कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषदें अन्य बातों के साथ कानूनी सहायता के लिए उपबन्ध कर सकें। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 में भी निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता के लिए कतिपय उपबन्ध किए गए हैं। कई राज्य और संघराज्य क्षेत्र भी कानूनी सहायता की स्कीमें चला रहे हैं। कानूनी सहायता स्कीम को अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से मई, 1976 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी०एम० भगवती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अगस्त, 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तावित उच्च शक्ति प्राप्त समिति इस बात के लिए है कि वह उक्त रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कानूनी सहायता स्कीम बनाए और उसको क्रियान्वित करें।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अभी तक किसी मामले के संबंध में कानूनी सहायता की कोई व्यवस्था नहीं की है।

फरक्का बांध परियोजना से भागीरथी-हुगली नदियों के लिए पानी छोड़ा जाना

2526. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1979 से मई 1980 के कम पानी वाले महीनों में फरक्का बांध परियोजना के फरक्का पोसक नहर द्वारा प्रति महीने भागीरथी-हुगली नदियों में प्रतिदिन क्यूसेक के हिसाब से वास्तव में कितना पानी छोड़ा गया गया;

(ख) जो पानी वास्तव में छोड़ा गया है उसकी स्थिति इन महीनों में भागीरथी-हुगली नदियों के लिए गंगा नदी से छोड़े गए पानी की मात्रा की तुलना में जिसके बारे में वर्ष 1977 में सम्पन्न गंगा नदी जल बटवारा संबंधी समझौते के अनुसार भारत और बंगलादेश के बीच समझौता हुआ था, क्या है; और

(ग) क्या वह फरक्का पोसक नहर से उपरोक्त महीनों में भागीरथी-हुगली नदियों के लिए छोड़े गए गंगा नदी के पानी की वास्तविक मात्रा और वर्ष 1977 के गंगा नदी जल बटवारा समझौते के तहत छोड़े गए पानी की मात्रा का तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण						
अवधि		1948-73 के प्रेक्षित आंकड़ों पर आधारित 75 प्रतिशत निर्भरता वाले वर्ष के फरक्का में पहुंचाने वाला जल-प्रवाह (क्यूसेक)	करार के अनुसार ऐसे किसी निर्भरता वाले वर्ष में फरक्का में जल-निकासी (क्यूसेक)	नवम्बर, 1979 और मई, 1980 के बीच फरक्का में पचहुंचाने वाले वास्तविक जल-प्रवाह (क्यूसेक)	करार के अन्तर्गत कालम 4 के प्रवाह में से भारत को जितनी जल-निकासी की अनुमति है।	फरक्का में की गई वास्तविक जल-निकासी
1		2	3	4	5	6
नवम्बर, 1979		1 जनवरी से बटवारा प्रारम्भ होता है		116861	लागू नहीं होता	37622
दिसम्बर, 1979		1 जनवरी से बटवारा प्रारम्भ होता है		105798	लागू नहीं होता	37544
जनवरी, 1980	1-10	98500	40000	88750	35968	35796
	11-20	89750	38500	79566	34131	33988
	21-31	82500	35000	60296	22296	21888
मासिक औसत		89500	37742	75633	30524	30278
फरवरी, 1980	1-10	79250	33000	50995	13995	13978
	11-20	74000	31500	48840	14840	14808
	21-29	70000	30750	48608	17208	17150
मासिक औसत		74500	31785	49511	15284	15249

1		2	3	4	5	6
मार्च, 1980	1-10	65250	26750	47888	17088	17002
	11-20	63500	25500	45345	14945	14956
	21-31	61000	25000	40036	11236	11166
मासिक औसत		64500	25726	44281	14320	14271
अप्रैल, 1980	1-10	59000	24000	39580	11580	11437
	11-20	55500	20750	43596	15796	15640
	21-30	55000	20500	44085	16432	16092
मासिक औसत		55750	21750	42420	14603	14390
मई, 1980	1-10	56500	21500	55655	21178	21369
	11-20	59250	24000	65073	26359	26122
	21-31	65500	26750	73954	30203	30097
मासिक औसत		62000	24169	65186	26052	25999

भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात विद्युत बोर्ड से अवशिष्ट ईंधन तेल का लिया जाने वाला मूल्य

2527. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात विद्युत बोर्ड से अवशिष्ट ईंधन तेल (आर० एफ० ओ०) का लिया जाने वाला वर्तमान मूल्य क्या है और गत चार वर्षों के अन्दर वर्षवार, इसकी कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने इसके लिये 390 रुपये प्रति टन के मूल्य, जिसके बारे में समाचार हैं, के बजाय 1200 रुपये प्रति टन के बाजार मूल्य की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम की मांग क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह मांग 1976 के एम० हिदायतुल्ला पंचाट से मेल खाती है और यदि हां, तो इस पर गुजरात विद्युत बोर्ड की क्या व्याख्या है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप करेगी कि इस विवाद को उचित तरीके से हल किया जा सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) आई०ओ०सी० गुजरात राज्य बिजली बोर्ड (जी०एस०ई०बी०) से लो सल्फर हैवी स्टाक (एल०एस०एच०एस०)। अवशिष्ट ईंधन तेल (आर०एफ०ओ०) जो उन्होंने धुरवरन पावर स्टेशन की दो युनिटों का अस्थायी तौर पर 390 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अदायगी की प्रतिपारित कर रहा है।

गत चार वर्षों में गुजरात बिजली बोर्ड को सप्लाई किये गये आर०एफ०ओ०। एल० एस०एच०एस० की मांग नीचे दी गई है :—

1976-77	6,30,005 मी० टन
1977-78	6,43,930 मी० टन
1978-79	6,71,989 मी० टन
1979-80	6,33,101 मी० टन

(ख) और (ग) आई०ओ०सी० ने हिदायतुल्ला अवार्ड के अन्तर्गत नीचे दिये गये मूल्य मांगें हैं :

किस तारीख से लागू हैं	रुपये 1 मी० टन
16-12-1977	701.08
17-8-1979	1041.52
8-6-1980	1432.16

(घ) आई०ओ०सी० की मांग हिदायतुल्ला अवार्ड पर आधारित है। गुजरात बिजली बोर्ड का विचार है कि आई०ओ०सी० की लागत का अंश जो आई०ओ०सी० द्वारा तेल बांड पूल लेखा को वापिस किया गया था, वह आई०ओ०सी० को अदा नहीं किया जा सकता है। मामले को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है।

विदेशों से वापस भेजे गए भारतीय

2528. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से वापस भेजे गये भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन भारतीय नागरिकों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) स्वदेश लौटे उन व्यक्तियों की, विशेषकर केरल के सहायता के लिये क्या विशिष्ट पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जून 1980 के मध्य तक भारतीय मूल के स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

(1)	श्रीलंका	3,37,462 व्यक्ति
(2)	बर्मा	2,08,959 व्यक्ति
(3)	युगान्डा	9,983 व्यक्ति
(4)	जैरे	35 परिवार
(5)	वियतनाम	2,030 व्यक्ति
(6)	मोजाम्बिक	2,300 व्यक्ति

(ख) और (ग) प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये, बहुत सी कृषि बागान, औद्योगिक तथा लघु व्यवसाय/व्यापार की योजनाएं तैयार की गई हैं। कुल मिलाकर, क्षेत्रीय आधार पर प्रत्यावासियों के किसी वर्गीकरण पर विचार किये बिना योजनाएं लागू की जा रही हैं।

महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल तथा डीजल का आवंटन

2529. **श्री केशवराव पारधी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, मार्च, अप्रैल, तथा मई, 1980 के लिये महाराष्ट्र को मिट्टी का तेल तथा डीजल का कितना कोटा आवंटित किया गया और उस अवधि में वास्तव में कितना कोटा सप्लाई किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि इन महीनों के दौरान इस राज्य में मिट्टी के तेल तथा डीजल की कमी थी क्योंकि अनेक गांवों, कस्बों तथा शहरों में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं कराया गया और इसी प्रकार इंजनों, लैम्पों तथा परिवहन ट्रकों के लिये भी डीजल उपलब्ध नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के लिये मिट्टी का तेल तथा डीजल के कोटे में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

महीने	मिट्टी का तेल		हाई स्पीड डीजल	
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
फरवरी, 1980	67334	68088	101377	95002
मार्च, 1980	71596	68205	120000	112687
अप्रैल, 1980	66029	58790	130800	107078
मई, 1980	64500	57008 (अस्थाई)	120700	109846 (अस्थाई)

(ख) मेरा मंत्रालय/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिसमें महाराष्ट्र शामिल है को मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) का मासिक आवंटन करता है। इस उत्पाद का राज्य के अन्दर वास्तविक वितरण का दायित्व सम्बद्ध राज्य सरकारों का है जिन्हें समय-समय पर इन उत्पादों की सप्लाई यथा सम्भव उत्तम तरीके से नियमित करने का परामर्श दिया जाता है। हाई स्पीड डीजल के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि कृषि की आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता दी जाये। सभारतंत्र और परिवहन प्रतिबन्धनों के कारण, देश के कुछ ऊपरी भागों में कभी-कभी उपलब्धता की समस्या रही है, परन्तु महाराष्ट्र में इन दो उत्पादों की पूर्ण उपलब्धता अधिकांशतः संतोषजनक रही है।

(ग) पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र को आवंटन उन्हें पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों की मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल के मुये वास्तविक विक्रय से भी अधिक हो रहा है।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

2530. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने के सिलसिले में, आने वाले मानसून से पहले की कार्यावधि और सम्पूर्ण वर्ष 1980-81 के लिए कार्यवाही का कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मानसून आरम्भ होने से पहले की अवधि और 1980-81 में उड़ीसा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य में से कितने गांवों में बिजली दी जा चुकी है; और

(घ) उड़ीसा में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान 1544 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। 1-3-1980 से लेकर मानसून के आरम्भ होने तक की अवधि के दौरान राज्य में विद्युतीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित गांवों की कुल संख्या 600 थी।

(ग) जैसा कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है, 1-3-1980 से 31-5-1980 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा में विद्युतीकृत किए गए नए गांवों की कुल संख्या 1196 है।

(घ) राज्य में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 17264 है।

हरदुआगंज, उत्तर प्रदेश में पावर हाउस

2531. **श्री तारिक अनवर** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज में पावर हाउस स्थापित करने के लिए कुल कितनी धनराशि की सहायता दी है;

(ख) कुछ दिन पहले उक्त पावर हाउस में एक यूनिट के जल जाने के कारण कुल कितना नुकसान हुआ और उसके लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया;

(ग) क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस अग्नि-काण्ड की जांच की है और यदि हां, तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पावर हाउस कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कितनी लागत आएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज विद्युत केन्द्र का निर्माण राज्य योजना की एक परियोजना के रूप में किया गया था।

(ख) से (घ) हरदुआगंज (ए) विद्युत घर में 26.4.1980 को आग लगी थी। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने, श्री एस० एस० मिश्र, मुख्य इन्जीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि क्षतिग्रस्त हुए उपस्कर और सिविल कार्यों की कुल लागत 1960 में आर्डर दिए गए उपस्कर की मूल लागत के अनुसार, लगभग 25.40 लाख रुपये है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपस्कर ने 18 वर्ष तक कार्य किया है और यह मानते हुए कि ताप विद्युत सेटों के प्रचालन का सामान्य जीवन 25 वर्ष है, क्षति का ह्रासित मूल्य 6.17 लाख रुपये आंका गया है। इस समय इनके प्रतिस्थापन की लागत लगभग 147 लाख रुपए होने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि जब तक विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती तथा

क्षतिग्रस्त न हुए उपस्करों का परीक्षण नहीं कर लिया जाता, तब तक यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि विद्युत केन्द्र कब उत्पादन करना आरम्भ कर सकेगा ।

भीमकुण्ड बहु-उद्देश्यीय परियोजना

2532. **श्री ब्रज मोहन मोहंती :** क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए भीमकुण्ड बहु-उद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : जी, हां । यह स्कीम 1985-90 की अवधि में लाभ देने के लिए नियत की गई स्कीमों में से एक है । परियोजना प्राधिकारियों की अतिरिक्त टिप्पणियों सहित परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है ।

बम्बई हाई गैस लाइन के लिए 'लैंडफाल' के बारे में विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन

2533. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 4 अप्रैल, 1980 को अहमदाबाद के अपने दौरे के समय यह वक्तव्य दिया था कि एक विशेषज्ञ दल या तो गुजरात के उमरात में या महाराष्ट्र के नवापुर में बम्बई हाई गैस के लिए "लैंडफाल" की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की नए सिरे से जांच करेगा;

(ख) विशेषज्ञ दल में नियुक्त सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या दोनों राज्यों में से किसी विशेषज्ञ को इस दल में शामिल किया गया है; और

(ग) विशेषज्ञ दल अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल किये गये हैं :

1. श्री लवराज कुमार
   अध्यक्ष, औद्योगिक —— अध्यक्ष
   लागत एवं मूल्य ब्यूरो,
   नई दिल्ली ।
2. श्री के० वी० राघवन —— सदस्य
   अध्यक्ष इंजीनियर्स
   इंडिया लि०,
   नई दिल्ली ।

3. श्री एम० एस० आहलूवालिया —— सदस्य
आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

किसी भी राज्य के विशेषज्ञ को इस दल में शामिल नहीं किया गया है परन्तु विशेषज्ञ समिति ने सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया है और जहां आवश्यक समझा जाता है, उनकी सुनवाई की जाती है ।

(ग) आशा है कि विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट जुलाई 1980 के अन्त तक दे देगी ।

अखबारी कागज के आवंटन के बारे में अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन की सिफारिशें

2534. **श्री भीकूराम जैन**
श्रीमती कृष्णा साही } : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि राज्य व्यापार निगम को छोटे समाचारपत्रों को अखबारी कागज का वार्षिक आवंटन 12 किश्तों में करना चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि अखबारी कागज को बिक्री कर से छूट मिलनी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा इन सिफारिशों पर गौर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य व्यापार निगम सभी समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन मासिक किश्तों के आधार पर करता है । तथापि, मात्रा बहुत कम होने की दशा में, राज्य व्यापार निगम आवंटन एक या दो ढेरों में करता है और साथ ही समाचारपत्रों को यह छूट देता है कि वे अखबारी कागज को राज्य व्यापार निगम के गोदाम से कितनी भी किश्तों में किन्तु कम से कम एक रील (लगभग 330 कि० ग्रा०) उठा लें । छोटे और मझौले समाचार-पत्रों के लिए इस प्रकार के रिलीज आर्डरों की वैधता 90 दिन से बढ़ाकर 100 दिन करने पर सरकार विचार कर रही है ताकि ये समाचारपत्र अखबारी कागज की मात्रा को आसानी से उठा सकें ।

जहां तक अखबारी कागज को बिक्री कर से छूट देने का सम्बन्ध है इस पर उन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है जहां राज्य व्यापार निगम के गोदाम से अखबारी कागज बेचा जाता है ।

उड़ीसा की सिंचाई तथा बाढ़ बचाव परियोजनाएं

2535. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास अभी विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत बाढ़ बचाव परियोजनाओं पर सक्रियता से विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) महानदी चितरोतपाले द्वीप सिंचाई परियोजना और इब सिंचाई परियोजना की केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए जांच की जा रही है। छः सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् स्वर्णरेखा, गालुदिह संयुक्त परियोजना, आनन्दपुर बराज परियोजना चरण-एक की नहरों का निर्माण, समाकोई, दारजंग चरण-दो तथा बड़ानाला की पहले ही जांच की जा चुकी है और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तीन बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें नामशः ब्रह्माणी नदी की बाढ़ मास्टर योजना (रेंगाली की बाद की स्थिति), बैतरणी नदी की बाढ़ मास्टर योजना (भीमकुण्ड की बाद की स्थिति) और बाटागांव जल निकास काट, प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

मथुरा तेल-शोधन शाला

2536. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल-शोधन शाला में कब तक काम शुरू हो जाएगा;

(ख) उसमें कौन-कौन से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण का विचार है; और

(ग) कथित तेल-शोधन शाला द्वारा किन-किन क्षेत्रों को ये पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1981 की प्रथम चौथाई में मथुरा शोधन शाला के आरम्भ होने की आशा है।

(ख) मथुरा शोधन शाला से मिलने वाले प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद निम्नलिखित होंगे।

1. तरलीकृत पेट्रोलियम गैस।
2. मोटर स्प्रिट
3. नेफ्था
4. विमानन टरबाइन ईंधन

5. उत्तम मिट्टी का तेल
6. हाई स्पीड डीजल
7. लाइट डीजल आयल
8. मिट्टी का तेल
9. उर्वरक फीड स्टाक
10. वीटूमन
11. सल्फर

(ग) मथुरा तेल शोधन शाला से पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को की जायेगी।

आकाशवाणी पटना केन्द्र का भवन

2537. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना का आकाशवाणी केन्द्र जब से स्थापित हुआ है तब से राज्य सरकार के एक छोटे से भवन में स्थित है और वहां इसके विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्टेशन का आधुनिकीकरण करने और इसके लिए भवन का निर्माण आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी का पटना केन्द्र उस भवन में स्थित है जो मूलतः राज्य सरकार से सम्बन्धित है और जो बाद में आकाशवाणी द्वारा राज्य सरकार से अधिगृहीत की गई थी। जब केन्द्र 1948 में चालू हुआ था तब भवन को पर्याप्त समझा गया था। इसके बाद कई केन्द्र पर और सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं। इससे उसी अहाते में नए स्टूडियो बनाना आवश्यक हो गया है। ये स्टूडियो अन्य राज्यों की राजधानियों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) पटना में नये स्थाई स्टूडियो के निर्माण की परियोजना स्वीकृत हो गयी है और निर्माण कार्य एक या दो वर्ष में शुरू हो जाने की आशा है।

त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र

2538. **श्री ए० ए० रहीम**
श्री वी० एस० विजय राघवन
श्री नीलालोहिथादसन नाडार } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र को स्थापित करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या परिव्यय वित्त समिति की अपेक्षित अन्तिम स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र स्थापित किए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र के लिए चुने गए स्थान को 10-8-79 को अधिकार में लिया गया था। व्यय वित्त समिति ने आवश्यक स्वीकृति दे दी है। ट्रांसमीटर और सम्बन्धित उपकरणों के लिए मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर को आर्डर दे दिया गया है। किसी दूरदर्शन केन्द्र के चालू होने में वित्तीय मंजूरी के जारी होने की तारीख से आमतौर पर लगभग 36 से 42 महीने लग जाते हैं। केन्द्र के 1982-83 में चालू हो जाने की सम्भावना है।

वर्तमान योजना सादे ट्रांसमीशन के लिए है। रंगीन ट्रांसमीशन चालू करने की सम्भावना की अलग से जांच की जा रही है और इसका चालू किया जाना योजना की स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र

2539. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे चालू कब तक किया जाएगा; और

(ग) क्या यह रंगीन टी० वी० होगा अथवा श्वेत ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्र के 1983-84 के दौरान चालू होने की आशा है। रंगीन ट्रांसमीशन चालू करने की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन परियोजना की स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अधिक संख्या में महिला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की मांग

2540. **श्री भीकूराम जैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अनेक संगठनों द्वारा यह मांग की जा रही है कि अधिक संख्या में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाये और बलात्संग एवं महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी मामलों का विचारण करने और उन मामलों में अपीलों पर निर्णय देने के लिए महिला न्यायाधीश होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की जानी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार को उस मांग के बारे में जानकारी है जिसमें बलात्संग और महिलाओं पर हमले आदि से संबंधित मामलों के विचारण के लिए अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवाज उठायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद 234 के अधीन न्यायिक अधिकारियों (जिला न्यायाधीशों को छोड़कर) की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 233 के अधीन जिला न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्तियां उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

तदनुसार भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है कि ये विवाह-विषयक वादों, बलात्संग और महिलाओं पर हमले आदि जैसे मामलों के विचारण के लिए महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करें।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

2541. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री पी० के० कोडियन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को उपयुक्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के पुनरीक्षण के लिये उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि "अनुचित व्यापारिक व्यवहारों" के विरुद्ध उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपबन्ध जोड़े जा सकें। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के संशोधनार्थ समिति द्वारा की गई यह तथा अन्य सिफारिशें, सरकार के विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार को "आन-अकाउण्ट" की गई अदायगी का माफ किया जाना

2542. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार को 1971-72 के दौरान की गई "आन अकाउंट" की सारी अदायगी को माफ कर दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि उस समय राज्य में कोई प्रतिनिधिक सरकार नहीं थी और प्रत्येक कार्य पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण था: और

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार को उक्त अदायगी से माफ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1971-72 के अधिकांश भाग में पश्चिमी बंगाल राज्य राष्ट्रपति के शासनाधीन था किन्तु इससे राज्य सरकार को दिये गये अग्रिम के लेखे प्रस्तुत करने और खर्च न की गई राशि को वापस करने से विमुक्त नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालयों की सूची में अधिवक्ताओं की संख्या

2543. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 को सभी उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की सूचियों में अधिवक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या भारत सरकार को उन अधिवक्ताओं की संख्या की कोई जानकारी है जो इस समय आत्म-निर्भर हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार अधिवक्ताओं को कोई वित्तीय सहायता देने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार के पास उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं की संख्या की बाबत कोई अभिलेख नहीं है। राज्य विधिज्ञ परिषदों को अपने-अपने राज्य के अधिवक्ताओं की सूची रखनी होती है और उच्चतम न्यायालय में "अभिलेख अधिवक्ताओं" और "ज्येष्ठ अधिवक्ताओं" के बारे में जानकारी उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री रखेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

छोटे समाचार-पत्रों की विकास की योजनाएं

2544. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे तथा जिला स्तर के समाचार-पत्रों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनायें तैयार की हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : छोटे और मझौले समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने, प्रचार सामग्री, लेखों, फोटो, चर्बाओं इंवोन्वाइड ब्लाकों की सप्लाई, अखबारी कागज के आबंटन, इत्यादि के मामले में सुविधायें/रियायतें प्रदान करने के

प्रावधानों की पहले ही व्यवस्था है। तथापि, छोटे और मझोले समाचार-पत्रों की सहायता करने के लिये नीति सम्बन्धी विभिन्न पहलू और कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन हैं। अखबारी कागज के आवंटन के बारे में सरकार की नीति की संसद में इस सप्ताह के अन्दर घोषणा कर दी जायेगी। सरकार ने वर्तमान विज्ञापन नीति का पुनर्विलोकन करने का भी फैसला किया है। इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिये एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

200 मेगावाट वाले टरबाइनों का आयात

2545. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश से 200 मेगावाट वाले टरबाइनों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० वर्कर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत सरकार की आयात नीति के अनुसार, इस बात का विचार किये बिना ही कि उपस्कर का निर्माण देश में होता है अथवा नहीं, विद्युत उत्पादन उपस्कर के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को विश्वव्यापी निविदाएं मंगाने की अनुमति है। विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर की गई सिफारिशों पर विचार एक शक्ति प्रदत्त समिति को करना होता है। यह समिति सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित की गई है। अन्तिम स्वीकृति देने से पूर्व सिफारिशों की जांच यह समिति करती है।

(ख) और (ग) ऊर्जा मन्त्री के 15 मई, 1980 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के हरिद्वार यूनिट के दौरे के दौरान कुछ कामगारों ने यह अभ्यावेदन किया था कि विद्युत उत्पादन उपस्कर आयात न किये जायें।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

2546. **प्रो०मधु दण्डवते** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1980 तक सम्भावित कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य था;

(ख) इस तिथि तक कोयले का कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) क्या लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के बीच कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री० विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल और मई, 1980 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 18.51 मिलियन टन था।

(ख) अप्रैल और मई, 1980 में कोयले का वास्तविक उत्पादन 17.75 मिलियन टन रहा।

(ग) अप्रैल और मई, 1980 में उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन के बीच 0.78 मिलियन टन का अन्तर है।

(ग) उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

1. पूर्वी रीजन में कोयला खानों को बिजली के आबंटन में उच्चतर प्राथमिकता।
2. खनिकों की गैर हाजिरी पर नियन्त्रण।
3. सम्बद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से कोयला खनन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार।

जिला रेडियो स्टेशन स्थापित करने की योजना

2547. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला रेडियो स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में और अधिक प्रसारण किये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है तथा ऐसे स्टेशन खोलने के लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच जिला स्तरीय स्थानीय रेडियो स्टेशनों की प्रयोगात्मक आधार पर स्थापना करने का प्रस्ताव है। अनन्तिम रूप से इन केन्द्रों के स्थान निम्नलिखित होंगे :—

1. राजस्थान में कोटा;
2. असम में डिफू;
3. उड़ीसा में क्योंझर;
4. आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद; और
5. तमिलनाडु में नागरकोइल।

कम्पनी के कर्मचारियों की परिलब्धियां

2548. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, कम्पनी (कर्मचारियों के विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2-क) के अनुसार जानकारी संकलित करते समय किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए स्टाफ कार के नाम पर कम्पनी के किसी कर्मचारी को निःशुल्क दी जाने वाली कार और अदा किये जाने वाले मकान किराया भत्ते का भी उसमें बताये गये 'पारिश्रमिक' में सम्मिलित किये जाने वाले धन के सन्दर्भ में मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सही स्थिति को प्रस्तुत करने की दृष्टि से अदा किये जाने वाले पारिश्रमिक में ऐसी परिलब्धियों को भी सम्मिलित करने के लिए इस दिशा में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1976 के परिपत्र सं० 3/76 के अनुसार स्पष्ट किया है कि कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम, 1975 के नियम 2 के खण्ड (ख) में, वाक्य "पारिश्रमिक प्राप्त किया" में, कम्पनियों द्वारा कर्मचारी के किसी लाभ अथवा सुख-सुविधा की व्यवस्था के लिए किए गए सभी व्यय सम्मिलित होंगे, तथा शब्द "पारिश्रमिक" का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 में दिए गए अनुसार होगा । यह भी पुनः स्पष्ट किया गया है कि कम्पनियां, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सूचना देते समय, अपने द्वारा किए गए वास्तविक व्यय में कर्मचारियों द्वारा लिए गए वेतन तथा परिलब्धियों का वर्णन करेगी ।

दिनांक 6 अगस्त, 1976 के परिपत्र संख्या 23/76 की एक प्रति संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-984/80]

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

कम्पनियों में प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के पद

2549. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपको पता है कि अनेक बड़ी पब्लिक लि० कम्पनियों में प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के पद बनाये गये हैं तथा उनके पदाधिकारियों को वेतन के रूप में प्रतिवर्ष एक लाख रुपयों से भी अधिक राशि मिलती है तथा दूसरे अतिरिक्त उन्हें विभिन्न परिलब्धियां मिलती हैं जैसे मुफ्त-परिवहन, मकान किराया भत्ता, मनोरंजन व्यय तथा अन्य व्यय;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में अथवा उनके मन्त्रालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेशों में ऐसे पद बनाने का कोई उपबन्ध है और क्या इनकी नियुक्ति का अनुमोदन उनके मन्त्रालय द्वारा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये पद किस प्रकार बना लिए गए तथा प्रत्येक मामले में मन्त्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान जी। सरकार को ज्ञात है कि कुछ बृहद् कम्पनियां, अपने कार्यकारियों को, परिलब्धियों के अतिरिक्त, एक लाख रु० या इससे अधिक की राशि का पारिश्रमिक अदा कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) कार्यकारियों, चाहे वे प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट अथवा मुख्य कार्यकारियों के समान किसी भी पदनाम से पुकारे जाते हों, की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 269/388 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा जब तक नहीं होती, तब तक कि इस प्रकार के कार्यकारी, उक्त अधिनियम की धारा 314(1-ख) के अंतर्गत नहीं आते। अधिनियम की धारा 314(1ख) के अन्तर्गत आने वाले इस प्रकार के अधिकारियों, जो 3,000 रु० प्रति मास या इससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हो, के लिये सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार के पदों के सृजन के लिए सरकार के अनुमोदन की अपेक्षायुक्त कोई उपबन्ध नहीं है।

यह प्रश्न कि क्या कम्पनियों के कार्यकारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को सरकारी विनियम की सीमान्तर्गत लाने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करना चाहिए, विचाराधीन है।

बम्बई हाई से गैस का उत्पादन

2550. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से गैस का उत्पादन करने के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) इसका प्रयोग किन उद्योगों में होगा; और

(ग) कौन एजेंसी इस गैस की सप्लाई विभिन्न उद्योगों को करेगी और इस सप्लाई का नियमन किस प्रकार किया जाएगा ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई हाई क्षेत्र से सम्बद्ध गैस का उत्पादन केवल खनिज तेल के साथ होता है और गैस का उत्पादन तेल उत्पादन के अनुपात में होता है।

इस समय प्रतिदिन लगभग 1.5 मि० घन मी० सम्बद्ध गैस का उत्पादन होता है और वह उत्पादन 1980 के अन्त तक 2 मि० घन मी० प्रतिदिन की दर से अधिक होने की आशा है जब खनिज तेल का उत्पादन 7 मि० मी० टन तक प्रतिवर्ष हो जाएगा। 1982 में जब खनिज तेल का उत्पादन 12 मि०मी० टन प्रतिवर्ष होने की आशा है, सम्बद्ध गैस का उत्पादन 3.6 मि० घन मीटर प्रतिदिन तक होगा।

सरकार की वर्तमान नीति यह है कि गैस का उपयोग जहां तक व्यवहार्य है उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए फीड स्टाक के रूप में तथा तरल पेट्रोलियम गैस आदि के निकालने के लिए किया जाए। जहां तक गैस इन प्रयोगों में नहीं लाई जा सकती वहां बिल्कुल

अस्थायी तौर पर यह बिजली उत्पादन आदि के लिए जब तक कि उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन प्लांट गैस का पूर्णरूप से प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाते।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग विभिन्न उपभोक्ताओं को पाइप लाइन द्वारा गैस सप्लाई करता है। गैस की सप्लाई उपलब्धता के अनुसार तथा उपरोक्त नीति के अनुसार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर नियमित की जाएगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण

2551. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यिक स्थानान्तरण किया जाए और उनमें से कुछ प्रतिशत की राज्य के बाहर से नियुक्ति की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ग) क्या एक न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा अथवा यह बात सम्बन्धित न्यायाधीश पर छोड़ दी जाएगी कि वह राज्य से बाहर स्थानान्तरण के लिए सहमत है अथवा नहीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अभी तक इन विषयों पर कोई विनिश्चय नहीं किए हैं।

चोटी के पन्द्रह औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां

2552. **श्री बी० के० नायर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चोटी के पन्द्रह औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां वर्ष 1977-1978 और 1979 के दौरान कितनी-कितनी थीं; और

(ख) यदि इसी अवधि के दौरान इन्हें कोई लाइसेंस जारी किए गए हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1977 और 1978 में चोटी के पन्द्रह औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां संलग्न विवरण-I में दी जाती है। वर्ष 1979 की अवधि में इन घरानों की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) संलग्न विवरण-II में 1977, 1978 और 1979 की अवधि में चोटी के पन्द्रह घरानों की कम्पनियों को जारी लाइसेंस के ब्यौरे दिए जाते हैं।

विवरण-I

1977 तथा 1978 के वर्ष में देश के पन्द्रह शीर्षस्थ औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपये में) 1977	1978
1.	बिड़ला	1070.20	1171.15
2.	टाटा	1069.28	1102.11
3.	मफतलाल	285.63	317.86
4.	जे० के० सिंघानिया	267.31	299.57
5.	थाप्पर	215.92	244.06
6.	आई० सी० आई०	209.97	228 73
7.	बांगुर	188.24	220.86
8.	श्रीराम	179.77	204.79
9.	आयल इण्डिया	199.95	203.24
10.	सिंदिया	200.04	202.81
11.	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	185.91	19451
12.	ए० सी० सी०	168.86	186.62
13.	भिवांडीवाला	189.44	178.38
14.	किर्लोस्कर	160.96	176.25
15.	हिन्दुस्तान लीवर	143.59	157.15

विवरण-II

वर्ष 1977, 1978 और 1979 की अवधि में देश में शीर्ष पन्द्रह औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित उपक्रमों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस के ब्यौरे प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	औद्योगिक घराने का नाम	विनिर्माण क्षमता का मद और औद्योगिक लाइसेंस की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)
	1977		
1.	मैसर्स ग्वालियर रेयन मिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड	बिड़ला	पल्प(रेयन ग्रेड)-48,000 टन (विस्तार के बाद) एस-ई०

1	2	3	4
2.	मैसर्स पी०वी०सी० वायर्स एण्ड केबल्स लिमिटेड	श्रीराम	ए०ए०सी०/ए०सी०एस०आर० कण्डक्टर-75 टन (सी० ओ० बी०)
3.	मैसर्स किर्लोस्कर प्यूमैटिक कम्पनी लिमिटेड	किर्लोस्कर	1. गैस कम्प्रैशर 200 सी एम 25 एटमोसफियर प्रैशर-20 संख्या 2. एयर कम्प्रैशर-1000 सी एम 28 एटमोसफियर प्रैशर 20 संख्या (एन०ए०)
4.	मसर्स लारसन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	खानों तथा अन्य हजारडोज लोकेशन अर्थात् सर्किट ब्रेकर्स, गेट और बोक्स आदि 1,500 संख्या
5.	मैसर्स वोल्टाज लिमिटेड	टाटा	वाटर पोलशज कंट्रोल इक्यूपमेंट और सिस्टम-10 करोड़ रुपये (एन०ए०)
6.	मैसर्स दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	श्रीराम	1. एम हाड्रेस सोडियम सल्फेट 5500 टन 2. सोडियम सल्फाइड 200 टन (सी० ओ० बी०)
7.	मैसर्स स्ट्राव प्रोडक्ट्स लि०	जे० के० सिंघानिया	टीशूज सहित कागज की विशेषता, एम० एफ० पेपर आदि 13,500 टन (विस्तार के बाद) एस० ई०
8.	मैसर्स किर्लोस्कर आइल इंजिन्स लि०	किर्लोस्कर	1. बिमेटल स्ट्रिप्स 800 टन 2. बिमेटल बोपरिंग्स 6 मि० संख्या (विद्यमान) 12 ,, ,, (विस्तार के बाद) (एन०ए०/ए०सई०)
9.	मैसर्स लारसन एंड ट्यूब्रो लि०	लारसन एंड ट्यूब्रो	1. सेल्फ प्रोपेल्ड वाइब्रेटर कम्पेक्टर

1	2	3	4
			2. हैवी ड्यूटी राउंड कंपेक्शस इक्यूपमेंट (एन०ए०)
10.	मैसर्स लारसन एंड ट्यूब्रो लि०	—यथोपरि—	स्टील प्लांट वाल्वज 40 संख्या (एन०ए०)
11.	मैसर्स ग्रोडो इण्डिया लि०	—यथोपरि—	फैरो स्टील साउज रेंज में पानी सेवाओं के लिये कास्ट और फोर्ज्ड स्टील और स्टेन लैस स्टील गेज ग्लोब और चेक वाल्व साइज 1/4" से 16" तक 105 पौंड से 800 पौंड 25,000 संख्या (विस्तार के बाद) एस०ई०
12.	मैसर्स दि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०	टाटा	कच्चा कोयला 0.7 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन तक (विस्तार के बाद) एस०ई०
13.	मैसर्स लारसन एंड ट्यूब्रो लि०	लारसन एंड ट्यूब्रो	माउंडेड केस एयर सर्किट ब्रेकर्स 20,000 संख्या (विस्तार के बाद) एस०ई०
14.	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि०	जे० के० सिंघानिया	पोर्टलैंड सीमेंट 6.72 लाख टन (विस्तार के बाद) एस० ई०
15.	मैसर्स रेमन्ड वूलन मिल्स लि०	—यथोपरि—	इन्जीनियर्स स्टील फाइल और सा फाइल 5,00,000 डजन (विद्यमान) — 12,00,000 डजन (विस्तार के बाद) रेस्प फाइल्स-12,000 टन (विद्यमान) 1.00,000 टन (विस्तार के बाद) आदि (एस० ई०)
16.	मैसर्स न्यू इण्डिया फिशरीज लि०	थाप्पर	फ्रीजन और केन्ड मेरिन प्रोडेक्ट और फीगलैंग 4020 टन (सी० ओ० बी०)

1	2	3	4
17.	मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूब्रो लि०	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	एयर सर्किट ब्रेकर्स 600 एम्प 500 वोल्ट ब्रेकिंग क्षमता के साथ 100 के० ए० 600 संख्या से (विस्तार के बाद) (एस० ई०)
18.	मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बावेरी लि०	—यथोपरि—	विभिन्न प्रकार के मेजर्ड कन्वेटर्स 2600 संख्या (एन० ए०)
19.	मैसर्स जय इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०	श्रीराम	सिंगल सिलेण्डर पम्प्स 3,00,000 संख्या एलीमैंट 18,00,000 संख्या आदि आदि
20.	मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	टाटा	स्पोट वेल्डिंग गन 10 संख्या होइस्ट (250 के० जी०) 600 संख्या (एन० ए०)
21.	मैसर्स मैसूर सीमेंट लि०	बिड़ला	पोर्टलैंड सीमेंट 4,00,000 टन (एन० यू०)
22.	मैसर्स ग्राडको इण्डिया लि०	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	फैरो स्टील साइज रेंज 1/4" से 16" में जल सेवा के लिये कास्ट और फोर्ज्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील गेट, ग्लोव और चेक वाल्व 150 पौंड से 800 पौंड तक 2,500 संख्या
23.	मैसर्स केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०	बिड़ला	विस्तार के बाद 4,50,000 टन से 7,00,000 टन तक पोर्टलैंड सीमेंट
1978			
1.	मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	टाटा	2.2 के० डब्ल्यू० रेटिंग तक प्रिंटड सर्किट मोटर 150 संख्या (एन० ए०)

1	2	3	4
2.	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स लि०	जे० के० सिंघानिया	डी० एम० टी० 4,000 टन मोनो इथोलीन ग्लायकोल (उत्पादन द्वारा) 1,000 टन (एन० ए०)
3.	मैसर्स हैदराबाद एस्बेस्टोज सीमेंट प्रोडेक्टस लि०	बिड़ला	कम्प्रेस्ड एस्बेस्टोज सीमेंट शीट 24,00 टन (एन० यू०)
4.	मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	टाटा	1. प्रोसेज गीजिंग 40 संख्या 2. रोटेरी पोजीशन एनकोडर एण्ड रिम्रोडट 100 संख्या 3. लीनर पोजीशन इनकोडंर एण्ड रीम्रोडट 100 संख्या आदि
5.	मैसर्स रस्टन एण्ड हार्नसवाई (इण्डिया) लि०	थाप्पर	डीजल इंजिन (100 से 500 एच० पी० के रेंज में) 2000 संख्या संपूर्ण विद्यमान क्षमता के अन्दर (एन० ए०)
6.	मैसर्स शार्पेज लि०	हिन्दुस्तान लीवर	कार्बन/स्टेनलैस स्टील सेफ्टी रेजर ब्लेड्स 200 मिलियन संख्या (सी० ओ० बी०)
7.	मैसर्स टेलर्ज इन्स्ट्रुमेंट कम्पनी	बिड़ला	1. प्रशर डिफ, प्रैशर टैम्प-रेचर और लेबल के लिये ट्रांसमीटर 600 संख्या 2. रिकार्डर/इण्डीकेटर, रिका-र्डिंग/इण्डीकेटिंग कण्ट्रोलर 100 संख्या 3. रिलेज जैसे स्कायर रूट एक्सट्रेक्शन इण्टरग्रेटिंग कम्यूटिंग राशन और डेविये-शन अलार्मा 300 संख्या 4. मैन्वल लोडिंग स्टेशन 100 संख्या

1	2	3	4
			5. एनेलाइजर जैसे इन्फ्रा रेड आक्सीजन गैस क्रमोटोग्राफ 100 संख्या
			6. मैगनेटिक कि०मी० 200 संख्या
			7. बैटरी बैंक उप सिस्टम्स 200 संख्या
			8. मल्टीपाइन्ट रिकार्डर 400 संख्या (एन० ए०) कुल क्षमता 3,000 संख्या
8.	मै०जे०के० सिन्थेटिक्स लि०	जे०के० सिंघानिया	पोलिस्टर स्टेपल फाइबर = 900 टन, 3,000 टन (विस्तार के बाद)
9.	मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स	श्रीराम	रेयन चाफेंट फैब्रिक = 300 टन रेयन टायर डिप्पड फैब्रिक = 360 टन (एस०ई०)
10.	मै० आडको इण्डिया लिमिटेड	लारसन एण्ड ट्यूब्रो	मैन्यूवल्ली आपरेटेड कार्बन, अलाय और स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन बाल वाल्वज निम्नलिखित केल पुर्जों के साथ :
			1. लोकिंग डिवाइस
			2. एक्सटेंशन स्पिन्डल
			3. फ्लोर स्टेन्डस
			4. चेन आपरेशन के लिये लीवर
			5. लीवर पाइप = 18,000 संख्या (एस०ई०)
11.	मै० दिल्ली क्लाथ एन्ड जनरल मिल्स कं० लि०	श्रीराम	डाटा एन्टरी सिस्टम = 400 संख्या (एन०ए०)

1	2	3	4
12.	मैं० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	श्रीराम	सीरियल डाट-मैट्रिक्स प्रिन्टर्स = 200 संख्या (एस०ई०)
13.	मैं० एटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आई०सी०आई०	रियेक्टिव डायज = 480 से 1100 टन (विस्तार के बाद) एस०ई०
14.	मैं० शिवाजी वर्क्स लि०	किर्लोस्कर	कास्ट आयरन कास्टिंग = 12,660 टन (विद्यमान) 20,000 टन (विस्तार के बाद) (एस०ई०)
15.	मैं० रेमंड वूलन मिल्स लि०	जे०के० सिंघानिया	वूल और सिन्थेटिक्स यार्न, वर्स्टेड सिस्टम = 3,600 अतिरिक्त स्पिन्डल (एस०ई०)
16.	मैं० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	श्रीराम	डाटा लोगिंग इक्यूपमेंट निम्न के साथ : 1. मिको प्रोसेसर सी०पी०यू० पर आधारित 2. कन्ट्रोल स्विचेज और इंडीकेटर सहित फ्रन्ट पैनल आदि = 100 संख्या (एन० ए०)
17.	मैं० ग्रीव्ज फोसेको लि०	थापर	फाऊन्ड्री केमिकल्स = 4600 टन (सी०ओ०बी०)
18.	मैं० भारत जनरल एण्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०	बिड़ला	सोलवेल्ट एक्सट्रेक्शन प्रोसेज द्वारा बैजोटेबल आइल = 50,000 टन (आइल केक की शकल में)
19.	मैं० श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि०	थापर	शुगर डेली केन क्रूशिंग क्षमता 914 टन (विद्यमान) 1500 टन (विस्तार के बाद) (एस० ई०)

1	2	3	4
20.	मैं० ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी लि०	थापर	इलेक्ट्रोमैगनेटिक मल्टीडिस क्लचेज और मीटर=4000 पी०सी०एस० (एन०ए०)
1979			
1.	मैं० केमिकल्स एण्ड फाइब्रे आफ इंडिया लि०	आई०सी०आई०	पोलिस्टर स्टेपल फाइब्रे= 6100 टन (विद्यमान) 10,000 टन (विस्तार के बाद)
2.	मैं० हिन्दुस्तान लीवर लि०	हिन्दुस्तान लीवर	लीनालूल=12 टन(विद्यमान) 50 टन (विस्तार के बाद)
3.	मैं० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	श्रीराम	विस्कोस रेयन टायर कोर्ड यार्न=5000 टन (विद्यमान) 7000 टन (विस्तार के बाद)
4.	मैं० इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि०	आई०सी०आई०	(क) अमोनियम=137000 टन (विद्यमान)411,000 टन (विस्तार के बाद) (ख) यूरिया=225,000 टन (विद्यमान) 675,000 टन (विस्तार के बाद) एस०ई०
5.	मैं० हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज लि०	बिड़ला	ग्लास बोटल=31500 टन वियल्स=2500 टन प्रेस्ड वेयर=5000 टन (विस्तार के बाद) (एस०ई०)
6.	मैं० मैसूर सीमेंट्स लि०	बिड़ला	पोर्टलैंड़ सीमेन्ट (एस०ई०)
7.	मैं० हिन्दुस्तान ब्राइन बोवरी लि०	लार्जन एण्ड टोब्रो	प्रोटेक्टिव व आक्सीलियरीली =32500 संख्या
8.	मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	जे०के० सिंघानिया	पोलिस्टर स्टपल फाइबर= 3,000 टन प्रतिवर्ष (विद्यमान) = 6,000 टन प्रतिवर्ष (विस्तार के बाद) एस०ई०

1	2	3	4
9.	मै० इंडियन रैयन कारपोरेशन लि० (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम के अन्तर्गत 1979 में पंजीकृत)	बिड़ला	हाई टैनसन इन्सूलेटर तथा बशिंग आदि वार्षिक क्षमता, अतिरिक्त क्षमता = 2,600 टन प्रतिवर्ष
10.	मै० भोपाल शुगर इन्डस्ट्रीज लि०	भिवंडीवाला	सोलवेंट एक्ट्रेक्शन प्रक्रिया द्वारा वेजीटेबल तेल = 30,000 टन आयलकेक के रूप में, अथवा 19,500 टन राइस ब्रान के रूप में (सी० ओ० बी०)
11.	मै० किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि०	किर्लोस्कर	पावर जैनरेशन के लिए स्थायित्व वाला डीजल इंजिन विकार योग्य = 500-3500 हार्सपावर 1000 आर० पी० एम० में = 500 सिलेन्डर संख्या का (एस० ई०)
12.	मै०एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि०	ए० सी० सी०	पोर्टलैण्ड सीमेंट 4,00,000 टन(विद्यमान) = 6,00,000 टन (विस्तार के बाद) (एस० ई०)
13.	मै० टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०	टाटा	एल० वी० डी० टी० वर्टीकल बार, डिस्पले, एनालोगू टायमर, डियटिल काउन्टर, तथा डिगटिल टायमर = 4200 संख्या आदि (केवल गृहीत अपेक्षाओं के लिए) (एन० ए०)
14.	मै० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	थापर	लिखने तथा मुद्रण का कागज (एस० ई०)

1	2	3	4
15.	मै० क्रामपटन ग्रीव्ज लि०	थापर	शक्ति तथा वितरण ट्रान्सफार्मर 40 के० वी० क्लास तक (एस० ई०)
16.	मै० मैसूर किर्लोस्कर लि०	किर्लोस्कर	क्री-डान 'ख' श्रेणी, उच्च गति की धागा मशीन (एस० ई०)
17.	मै० स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०	जे० के० सिंघानिया	लिखने तथा मुद्रण का कागज
18.	मै० किर्लोस्कर क्यूमिन्स लि०	किर्लोस्कर	डीजल पावर की इन्टैग्रिल गूस (एन० ए०)

आकाशवाणी कर्मचारियों के लिए आवास

2553. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार आकाशवाणी के अविराम कार्यकरण से संबद्ध कर्मचारियों के लिए काम के स्थान के निकट आवास-पूल बनाने का है जैसा कि अनियमित रात्रि पारियों वाले अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था करने के विषय घंटों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवहन प्रबन्ध करने में प्रतिदिन जो पेट्रोल खर्च होता है उसमें भारी बचत होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने कुछ स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध किए हैं। तथापि, सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण आकाशवाणी के अधिकांश केन्द्रों पर शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारियों को भी आवास स्थान उपलब्ध करना संभव नहीं पाया गया है।

(ग) जी हां, यदि आवास स्थान काम के स्थान के समीप उपलब्ध किया जा सके।

बम्बई हाई से राज्य उर्वरक निगम, बड़ोदा और गुजरात विद्युत बोर्ड को गैस की सप्लाई

2554. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी, बड़ौदा और गुजरात विद्युत बोर्ड को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बम्बई हाई के गैस समृद्ध क्षेत्र से गैस सप्लाई की जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गैस के भारी स्टाक को देखते हुए एक विशेष समिति ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का सुझाव दिया है और यदि हां, तो गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी को, जो एक सरकारी कम्पनी है तथा कम दूरी पर स्थित है, इससे गैस न सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी का बड़ौदा स्थित उर्वरक प्लांट नेफ्था के वर्तमान फीड स्टाक पर जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। इस प्लांट में गैस का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त एक फीड स्टाक से दूसरे में परिवर्तन करने से कोई अतिरिक्त उर्वरक उपलब्ध नहीं होंगे अतः इस परिवर्तन में जो अतिरिक्त व्यय होगा उसका कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता।

सरकार की यह नीति है कि समुद्री क्षेत्र से मिलने वाली गैस का उपयोग, जहां तक व्यवहार्य हो उर्वरकों पेट्रो-रसायनों के उत्पादन तथा खाना पकाने वाली गैस के लिए किया जाए और नाकि बिजली उत्पादन के लिए। बिजली उत्पादन के लिये उपयोग अस्थायी तौर पर केवल तभी तक किया जायेगा जब तक इस गैस का उपयोग करने के लिए उर्वरक और पेट्रो-रसायन प्लांट तैयार नहीं हो जाते।

(ग) गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के स्थल निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी दल इस निर्णय पर पहुंचा है कि गैस स्रोत के समीप उर्वरकों का उत्पादन करके उन्हें खपत वाले दूर-दराज क्षेत्रों में ले जाने की बजाय पाइप लाइन द्वारा इस गैस को ले-जाकर खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का उत्पादन करना सस्ता रहेगा। तदनुसार कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि गैस पर आधारित छः उर्वरक प्लांट उन क्षेत्रों में स्थापित किये जायें जिनमें उर्वरकों की भावी कमी है। इनमें उत्तर प्रदेश। पंजाब क्षेत्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी ने बरोच स्थित प्लांट का गैस के आधार पर विस्तार करने के लिए एक आवेदन किया था। इनफास्ट्रक्चर की उपलब्धता, भविष्य में मांग की प्रवृति, पाइपलाइन द्वारा गैस का परिवहन की अपेक्षा रेलवे की क्षमता को ध्यान में रखते हुये उर्वरकों के परिवहन के अपेक्षाकृत आर्थिक लाभ जैसे घटकों को विचार में रखते हुये; इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

कोयले से गैस का उत्पादन

2555. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेहसाना-कलोल तेल-युक्त क्षेत्रों में उपलब्ध हुए कोयले से गैस निकालने का प्रस्ताव है और क्या आर्थिक दृष्टि से यह व्यवहार्य होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : गुजरात सरकार ने उत्तरी गुजरात क्षेत्र में कोयले के सम्भावित भंडारों से कोयला निकालने का प्रस्ताव किया है जिसमें "तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन" द्वारा ड्रिलिंग कार्य के दौरान पाए गए भण्डारों का उसी जगह पर गैसीकरण भी शामिल है। किन्तु, उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले में यह कोयला 1000-1500 मीटर की गहराई में है और इस कोयले को निकालने या इसके गैसीकरण की किसी योजना पर विचार तेल और गैस स्रोतों के रिक्त हो जाने के बाद ही हो सकता है।

दिल्ली में कस्टोडियन की भूमि

2556. **श्री निहाल सिंह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कस्टोडियन के कृषि और आवासीय प्लाट कौन-कौन से हैं, तथा ये किन-किन क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ख) जनवरी, 1977 से मार्च, 1980 तक किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं को कृषि और आवासीय प्लाट आवंटित किये गये तथा प्रत्येक मामले में कितने क्षेत्रफल भूमि आवंटित की गई और किस आधार पर की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि को सामाजिक संगठनों/संस्थाओं को भी आवंटित करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण 'क'

दिल्ली के विभिन्न गांवों में स्थित निष्क्रान्त ग्रामीण कृषि भूमि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	क्षेत्र		टिप्पणी
		बीघों में	बिस्वों में	
1	2	3		4
1.	जैतपुर	177	1	94 बीघा दिल्ली प्रशासन के लिए अर्जनाधीन है और 29 बीघा और 10 बिस्वा नाले के अन्तर्गत है।

1	2	3		4
2.	अलीपुर	102	18	32-6 बिस्वा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रोकने का आदेश दिया गया है । 9=16 सिविल बाद के अधीन है । 2=16 गैर मुमकिन नहर ।
3.	रोशन पुरा	12	16	गैर मुमकिन रास्ता
4.	बकर वाला	8	6	सिविल न्यायालय में विवादाधीन हैं ।
5.	टिकरी खुर्द	1	4	
6.	पूठ खुर्द	4	16	
7.	पूठ कलां	8	10	
8.	संगोला	0	11	
9.	बवाना	2	1	
10.	सीलमपुर माजरा बुराड़ी	0	2	
11.	शिकारपुर	24	11	संयुक्त
12.	कुरैनी	5	12	
13.	झटीकरा	8	1	
14.	जोवनपुर उर्फ जहरीपुर	18	3	12 बीघा हरिजनों के कब्जे में है ।
15.	झड़ौदा माजरा बुराड़ी	44	12	35 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन नाला
16.	कुतुबगढ़	0	2	
17.	होलम्बी कलां	6	15	
18.	लामपुर	4	8	
19.	बदरपुर खादर	295	9	
20.	मुंडका	22	2	
21.	बुराड़ी	10	9	
22.	ओचंदी	5	8	
23.	पल्ला	19	7	
24.	शोभापुर	78	5	
25.	हमीदपुर	198	11	

1	2	3		4
26.	बख्तावरपुर	20	1	8 बीघा संयुक्त
27.	सुल्तानपुर डबास	12	5	
28.	भौरेगढ़	7	4	
29.	सूरपुर (सैरपुर)	3	5	
30.	बदरपुर माजरा बुराड़ी	130	7	
31.	सतबाड़ी	320	7	112 बीघा तथा 11 बिस्वा में मुंडका पुआर और खाल शामिल है।
32.	जेनापुर	12	16	
33.	चन्दनहोला	5	8	
		1571	18	= 328 एकड़

विवरण—'ख'

दिल्ली के विभिन्न ग्रामीण गांवों में उपलब्ध मकानों/प्लाटों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	गांव का नाम	मकानों की संख्या	प्लाटों की संख्या	योग	टिप्पणी
1.	होलम्बी कलां	4	2	6	
2.	बख्तावरपुर	1	0	1	
3.	मंगेशपुर	1	1	2	
4.	बाजीतपुर ठाकरान	0	1	1	
5.	सन्नोठ	0	1	1	
6.	सतबाड़ी	1	0	1	
7.	सुल्तानपुर डबास	1	1	2	
8.	बांकनेर	1	0	1	
9.	टीगरी	0	1	1	
10.	मादीपुर	1	0	1	
11.	रिठाला	1	0	1	
12.	घेवड़ा	3	0	3	
13.	पटपड़गंज	1	0	1	
14.	बादली	0	6	6	
15.	मुकन्दपुर	1	0	1	
16.	जाट खोड़े	0	9	9	

1	2	3	4	5	6
17.	तुगलकाबाद	1	1	2	
18.	सराय कालेखां	3	0	3	
19.	रोशन पुरा	0	54	54	
20.	नांगलोई सईद	0	2	2	
21.	बारुवाला	8	10	18	
22.	चंगोला	13	3	16	
23.	जैतपुर	16	0	16	
24.	बकरवाला	0	1	1	
25.	छत्तरपुर	9	7	16	
26.	पंजाब खोड़े	0	212	212	विवादास्पद। गांव सभा के अधिकार में है।
		66	312	378	

विवरण 'ग'

उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें कृषि भूमि आवंटित की गई है; प्रत्येक मामले में आवंटित किया गया क्षेत्र तथा आवंटन का आधार दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	अलाटी का नाम	आवंटित क्षेत्र		आवंटन का आधार
		बीघा	बिस्वा	
1.	श्रीमती वासन्दीबाई	11	2	श्रेणी 'क'
2.	श्री राम लुभाई	12	7	" "
3.	श्री गोकल सिंह	12	9	" "
4.	श्री भोला राम	3	5	" "
5.	श्रीमती अमर कौर	20	8	" "
6.	श्री प्रताप सिंह आदि	58	3	" "
7.	श्रीमती राजरानी	71	6	" "
8.	श्री वैष्णों दास	13	0	" "
9.	श्री कान बी तेहलरमानी	42	2	" "
10.	श्री किशन बी तेहलरमानी	40	18	" "
11.	श्री खामू बी तेहलराम	29	8	" "
12.	श्री एस० एन० दत्ता	5	2	" "
13.	श्री ज्ञान चन्द बाली	1	11	" "
14.	श्री तस्लीम उल हक	10	0	" "
15.	श्री नारायण दास	10	6	" "

1	2	3		4
16.	श्री किशन लाल	50	10	श्रेणी 'क'
17.	श्री उदय सिंह	9	6	" "
18.	बहादुर सैन	4	6	" "
19.	श्री गुरबक्श सिंह	96	10	" "
20.	श्री दीप चन्द	42	15	" "
21.	श्री तारा चन्द	43	17	" "
	योग	589	1	= 123 एकड़

श्रेणी 'क' के अन्तर्गत निम्न मामले आते हैं :

(1) वे जिन्हें बागीचों तथा शहरी भूमि से निकाला गया है।

(2) वे जिन्हें भूमि आवंटित कर दी गई है किन्तु आवंटित की गई भूमि राजस्व अधिकारियों के आदेश द्वारा या तो भूमिदारी में चली गई है या असंतुष्ट पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में/अपील/पुनरीक्षण दायर करके कि भूमि निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है, गैर निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई।

(3) वे जिन्हें भूमि आवंटित कर दी गई थी किन्तु बैठे हुए स्थानीय मुजारों से उसका कब्जा नहीं दिलाया जा सका या इस प्रकार आवंटित की गई भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित कर ली गई है।

(4) वे जिन्होंने दिल्ली में भूमि आवंटन के लिए विभागीय अधिकरणों/सिविल न्यायालयों/उच्च न्यायालयों से डिक्रिया प्राप्त कर ली थीं।

विवरण—'घ'

उन व्यक्तियों के नामों, जिन्हें रिहायशी प्लाट अलाट किए हैं, को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	अलाटी का नाम	आवंटन का आधार
1.	श्री रामजी लाल, मनोहर लाल	आवंटन विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम) नियमावली, 1955 के नियम 57 के अन्तर्गत किया गया है।
2.	श्री देव कुमार, आदि	—वही—
3.	श्री के० सी० भाटिया और त्रिलोकीचन्द	—वही—

राज्यों द्वारा धर्म के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानूनों का निरसित किया जाना

2557. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा लोगों के धर्म प्रचार के मौलिक अधिकार पर लगाए गए अनुचित प्रतिबन्धों के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों तथा ईसाइयों में भारी असन्तोष है;

(ख) क्या सरकार संविधान में संशोधन करके अथवा संघ सूची के अधीन ऐसी विधियों को निरसित करने की अवशिष्ट शक्तियों के अनुसरण में समुचित विधान बनाकर इस तरह के अनुचित प्रतिबन्धों को अकृत करने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह का विधान कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस विषय पर संबद्ध अल्पसंख्यकों के मन में कुछ आशंकाएं थीं। उड़ीसा धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1967 (उड़ीसा फ्रीडम आफ रिलीजन ऐक्ट, 1967) और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की विधिमान्यता को सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और अपील में उच्चतम न्यायालय ने आक्षेपित विधानों की सांविधानिक विधिमान्यता को बहाल कर दिया (रेवरन्ड स्टेनीसलाउस बनाम म० प्र० राज्य—ए० आई० आर० 1977 एस० सी० 908)। अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1978 (अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम आफ रिलीजन एक्ट, 1978) भी उन्हीं विधानों जैसा है जिनकी विधिमान्यता उच्चतम न्यायालय ने बहाल रखी थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

थाल-वैशेट उर्वरक परियोजना

2558. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाल-वैशेट में राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लि०, उर्वरक परियोजना के सिलसिले में (1) भवनों (2) सड़कों (3) रेलों और (4) अन्य मदों पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, द्वारा थाल-वैशेट उर्वरक परियोजना पर निम्नलिखित प्रत्येक मदों के लिए 21 जून, 1980 तक किया गया व्यय नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं०	व्यय का मद	व्यय (लाख रुपयों में)
1.	भवन	163
2.	सड़क	6
3.	रेलवे	315
4.	अन्य	2487
	कुल :	2971

केरल में उपभोक्ताओं को प्रति मास 15 यूनिट बिजली की निःशुल्क सप्लाई

2559. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केरल के दो लाख परिवारों को उस समय लाभ मिलेगा जब एक महीने में 15 यूनिट अथवा उससे कम की खपत करने वाले लोगों को निःशुल्क बिजली सप्लाई करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मन्जूरी मिल जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) एक महीने में 15 यूनिट या इससे कम बिजली का इस्तेमाल करने वालों को बिजली की निःशुल्क सप्लाई किए जाने के लिए स्वीकृत की गई किसी स्कीम की जानकारी सरकार को नहीं है। उपभोक्ताओं को बिजली की निःशुल्क सप्लाई करने का मामला पूर्णतः राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है और वे इस किस्म की स्कीमें मन्जूर करने के लिए सक्षम हैं।

फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित वृत्तचित्र

2560. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक शिक्षा के लिए जन माध्यम से राष्ट्र में फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित विभिन्न वृत्त चित्रों के कार्यकरण और प्रभावोत्पादकता का सरकार पुनरीक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में फिल्म डिवीजन ने कितने वृत्त चित्र बनाए हैं तथा उस पर वार्षिक व्यय की राशि क्या है;

(ग) क्या उन वृत्त चित्रों को देश के सिनेमा, थ्येटरों में प्रदर्शित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो कितने "शो" दिखाए गए तथा प्रत्येक वर्ष उन्हें लगभग कितने-कितने व्यक्तियों ने देखा;

(ङ) क्या यह सच है कि कई "एग्जीबीटर्स" तथा सिनेमाघर इन वृत्त चित्रों का प्रदर्शन नहीं करते; और

(च) क्या सरकार का विचार इन वृत चित्रों का प्रदर्शन अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म प्रभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों से दौरान बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों की संख्या तथा इन फिल्मों के निर्माण पर हुआ वार्षिक व्यय इस प्रकार हैं :—

वर्ष	बनाई गई फिल्मों की संख्या	कुल व्यय रुपए
1975-76	129	94,27,181
1976-77	159	1,20,31,398
1977-78	128	1,15,65,932
1978-79	129	1,12,92,039
1979-80	143	क्योंकि फिल्म प्रभाग का वर्ष 1979-80 का प्रो-फार्मा लेखा अभी संकलित किया जाना है, इसलिए व्यय के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सिनेमाघरों के लिए रिलीज करने के लिए बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों को देश के सिनेमाघरों में दिखाया गया था।

(घ) क्योंकि फिल्मों का प्रदर्शन राज्य-विषय है। इसलिए प्रत्येक वर्ष में दिखाए गए शो की संख्या, आदि के बारे में सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होंगी।

(ङ) यह कहना सही नहीं है कि कई प्रदर्शक इन डाकुमेंट्री फिल्मों को नहीं दिखाते। तथापि, कभी-कभी डाकुमेंट्री फिल्मों को न दिखाने के बारे में कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं और मामले को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाता है।

(च) सभी राज्य सरकारों ने (सिक्किम राज्य को छोड़कर) स्वीकृत फिल्मों (जिनमें फिल्म प्रभाग द्वारा सिनेमाघरों के लिए रिलीज किए जाने के लिए बनाई गयी डाकुमेंट्री फिल्में भी शामिल हैं) को अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए पहले ही कानूनी व्यवस्था कर दी है।

रायला कारपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ जांच

2562. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायला कारपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ 5 अप्रैल, 1968 को कम्पनी अधिनियम, की धारा 237 (ख) के अंतर्गत जांच का आदेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो जांच अधिकारियों द्वारा अब तक अपनी रिपोर्ट न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा जांच पूरी करने में हो रही कठिनाइयां क्या हैं और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी ने मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जांच के आदेशों के विरुद्ध लिखित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसके परिणामस्वरूप जांच मई, 1976 तक आगे नहीं की जा सकी। रोकादश के शून्य होने के बाद भी निरीक्षकों ने कम्पनी की लेखावहियों और वोचरों में से कुछ के उपलब्ध नहीं होने, कुछ कर्मचारियों, जिन्होंने जांच के अन्तर्गत कुछ मामलों में कार्य किया था, के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप तथा जांच की अवधि में अर्थात् 1-4-1960 से 31-3-1968 तक के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने विषयक अन्तर्निहित कठिनाइयों के कारण भी जांच संपन्न करने में कठिनाइयां अनुभव की थी।

जांच रिपोर्ट इस विभाग में प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

शालीमार वर्क्स लिमिटेड के विरुद्ध जांच

2563. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शालीमार वर्क्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच करने का आदेश जो दिसम्बर 1973 में दिया गया था उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी; और

(ग) जांच करने में यदि कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो वे क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) शालीमार, वर्क्स लिमिटेड के कार्य-कलापों की जांच के लिये नियुक्त निरीक्षक, अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुये हैं, क्योंकि सम्बन्धित अभिलेखों में से बहुत से अन्य जांच अभिकरणों, जैसे सी० बी० आई० आयरन एण्ड स्टील नियंत्रक, आदि द्वारा अपने अधिकार में ले लिये गये हैं, तथा अभिलेखों का एक भाग, कुछ न्यायालय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, न्यायालय में जमा किया गया है। निरीक्षकों द्वारा इन अभिलेखों की स्थिति निश्चियन के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि जांच को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जा सके। जांच 1-1-67 से 31-10-72 तक की अवधि से संबंधित है। वर्तमान में निरीक्षकों के लिये जांच को पूर्ण करने के लिये 30-6-80 तक का समय बढ़ा दिया गया है। चूंकि ऐसी संभावना नहीं है कि निरीक्षक ऊपर कथित तारीख तक जांच पूर्ण करने में समर्थ होंगे, अतः ऊपर बताये गये कारणों से निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के लिये, और समय बढ़ाये जाने की संभावना है।

उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित मामले

2564. **श्री निहाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निचले न्यायालयों, सत्र न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े हुए ऐसे मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्हें पुलिस द्वारा 7 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष पूर्व दर्ज किया गया था; और

(ख) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उस न्यायालय में 31-5-1980 को पिछले 7 वर्ष से लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 8 थी। उच्चतम न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला 10 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक समय से लम्बित नहीं था।

निचले न्यायालयों, सेशन न्यायालयों और दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) साधारण तौर पर मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए पिछले समय से जो उपाय किए गये हैं उनका वर्णन संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

साधारणतः मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की मंजूर की गई संख्या को 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया। (इसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद सम्मिलित नहीं है।)

(2) उच्चतम न्यायालय नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रार और चेम्बर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो। शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिये नियमों में अन्य संशोधन भी किये गये हैं।

(3) उच्चतम न्यायालय ने यह सूचना भी दी है कि :—

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, एक ग्रुप में रखा जा रहा है जिससे कि एक ही निर्णय से उस पूरे ग्रुप के मामलों का निपटारा हो जाय।

(ख) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति लम्बित मामलों की अंतिम सूची का सदा पुनर्विलोकन करते रहते हैं तथा पुराने और लम्बित मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायपीठों का गठन किया जाता है।

(ग) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और अपील-अभिलेखों के मुद्रण का कार्य जो पहले उच्च न्यायालयों द्वारा किया

जाता था, अत मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से रजिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया है। अनेक मामलों में न्यायालय अपील-अभिलेखों का मुद्रण नहीं कराता है और विशेष इजाजत बुक पर अपीलों की सुनवाई का निदेश देता है तथा अत्यावश्यक मामलों में वह दलीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तारीख नियत करता है।

(घ) सोमवार को प्रकीर्ण मामलों को निपटाने के लिए सात न्यायपीठें बैठती हैं और अन्य दिन सभी न्यायालय प्रकीर्ण मामले और नियमित मामले लेते हैं। नियमित मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

(4) दिल्ली उच्च न्यायालय में 1979 में अपर न्यायाधीशों के दो और पद उस तारीख से जिस तारीख को वे भरे जाते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए सृजित किए गये थे।

(5) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियमों का संशोधन कर दिया गया है जिससे कि एकल न्यायाधीश उन नियमित प्रथम अपीलों की सुनवाई कर सकें जिनकी पहले खण्ड न्यायपीठ एडमिशन के लिए अथवा नियमित निपटारा करने के लिए सुनवाई करती थी। नियमित प्रथम अपीलों के अभिलेखों का मुद्रण कार्य भी नहीं कराया जाता है।

(6) दिल्ली न्यायिक सेवा के मंजूर पदों की संख्या में 26 पद और बढ़ा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जनवरी, 1980 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के 4 अस्थाई पद भी उस तारीख से जिस तारीख को वे भरे जाते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिये सृजित किये गए हैं।

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य

2565. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1979 में परिशोधित पेट्रोल, डीजल तेल और मिट्टी के तेल का क्षेत्रवार प्रति लीटर मूल्य क्या था;

(ख) उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की कीमत 25 मई, 1980 को कितनी थी;

(ग) क्या इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि प्रशासकीय आदेशों द्वारा की गई थी;

(घ) क्या सरकार इन वस्तुओं के मूल्यों को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जून, 1979 को पेट्रोल, डीजल तेल और मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रय मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

रु०/लिटर

	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
पेट्रोल	4.04	4.04	4.04	3.90
कैरोसीन	1.43	1.29	1.38	1.43
डीजल आयल	1.47	1.39	1.49	1.49

(ख) 25.5.80 को इन उत्पादों के मूल्य इस प्रकार हैं :—

रु०/लिटर

	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
पेट्रोल	4.41	4.43	4.42	4.25
कैरोसीन	1.54	1.39	1.49	1.55
डीजल आयल	1.58	1.50	1.60	1.59

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) हम अशोधित तेल और कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों के लिये अपनी आवश्यकताओं के दो तिहाई भाग के लिये आयात पर निर्भर करते हैं जिनकी कीमतें समय-समय पर बढ़ रही हैं।

कुछ कम्पनियों के उच्च अधिकारियों के वेतन और परिलब्धियां

2566. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कम्पनियों, अर्थात् बाटा शू कम्पनी, कोलगेट एण्ड पामोलिव कम्पनी आई०टी०सी०, आई०सी०आई०, केडबरी इंडिया लिमिटेड और 'टिस्को' के चेयरमैनों और निदेशकों सहित उच्च अधिकारियों के वर्तमान वेतन उपलब्धियां और परिलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन उच्च अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, उपलब्धियों और परिलब्धियों पर अधिकतम सीमा लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) छै कम्पनियां, जिनके बारे में, माननीय सदस्य द्वारा सूचना मांगी गई है, में से 5 की बाबत अनुलग्नक 1 के रूप में

एक विवरण-पत्र संलग्न है। विवरण-पत्र इन 5 कम्पनियों के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्रों से उद्धृत किया गया है। कालगेट एण्ड पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नाम की छठवीं कम्पनी की सूचना संग्रह की गई है व अनुलग्नक 2 के रूप में दी जाती है। [**न्यायालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 985/80**]।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1978 को प्रेषित, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित प्रशासनिक मार्ग दर्शक नियम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक, निदेशकों, अथवा प्रबन्धकों पर लागू होते हैं। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा केवल उन मामलों को छोड़कर नहीं होती, जहां इस प्रकार के कार्यकारी उक्त अधिनियम की धारा 314 (1-ख) के सीमान्तर्गत आते हैं।

यह प्रश्न कि क्या, प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों की बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत कम्पनियों के कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को लाने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाना चाहिये, विचाराधीन है।

औषधियों के मूल्य

2567. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता औषधियों के मूल्यों में आगे वृद्धि के लिये सरकार का अनुमोदन मांग रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान औषध मूल्यों का लगभग 65 प्रतिशत कर और विज्ञापन व्यय के कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप विशेषकर अगस्त, 1979 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बाद औषध निर्माताओं ने व्यक्तिगत रूप से तथा अपने संघों के माध्यम से बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है।

(ख) जहां उचित हो, मूल्यों में कोई भी संशोधन करना तभी सम्भव हो सकता है जब ऐसे मूल्य संशोधन के आधारभूत पद्धति और सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिया जाये, जिस पर कुछ समय और लगेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना

2568. **श्री एन० ई० होरो**
श्री के० मालन्ना } : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कुछ खनिकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजने और खनन के स्तर में सुधार करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : कोयला कम्पनियों का विचार इंजीनियरों तथा खनिकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजने का है जैसे—खान निर्माण/मशीनीकृत लॉगवाल खनन/वाशरी का निर्माण/रख-रखाव, कोयले और पत्थरों में द्रुत वेधन, शेफ्ट पैवस्त करना, अत्याधिक मशीनीकृत खानों में सुरक्षा, दूरस्थ नियंत्रण/दूर संचार, आदि ।

दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत संयन्त्र का चौथा यूनिट

2569. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत संयन्त्र का चौथा यूनिट, जो चार वर्षों से निर्माणाधीन है, के चालू किए जाने की संशोधित नियत तारीख दिसम्बर, 1979 को निकल चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो यह 210 मे० वा० यूनिट कब तक तैयार हो जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र की 210 मेगावाट की चौथी यूनिट दिसम्बर, 1980 तक चालू किए जाने की आशा है ।

दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र में कम उत्पादन

2570. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र में कम उत्पादन होने के मुख्य कारण सामग्री प्राप्त करने की गलत नीति और अनुचित तथा दोषपूर्ण रख-रखाव है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विद्युत संयन्त्र की साधारण कार्य अवधि लगभग 25 वर्ष होती है और रख-रखाव ठीक होने पर इससे 40 वर्ष या अधिक समय तक भी काम लिया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो दोषपूर्ण रख-रखाव और सामग्री प्राप्त करने की गलत नीति के लिए कौन जिम्मेवार है और उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के 3 बायलरों में से 2 बायलर 20 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं । परिणामस्वरूप

उनकी 75 मेगावाट की मूल क्षमता को ह्रासित करके यह क्षमता 55 मेगावाट करनी पड़ी है। सुधारात्मक तथा संयन्त्र नवीकरण कार्यक्रमों के जरिए मशीनों के उत्पादन में सुधार करने के प्रयास दामोदर घाटी निगम द्वारा किए जा रहे हैं। एक सरल और कारगर सामग्री प्रबन्ध नीति भी तैयार की जा रही है।

(ग) यद्यपि संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण कार्यकुशलता में कमी आई है, तथापि गलत प्रचालन के लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम का कार्यालय स्थानान्तरित करने का निर्णय

2571. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कार्यालय को दिल्ली से पटना स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मार्च, 1979 में सरकार ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के मुख्यालय को दिल्ली से बिहार में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया। एफ०सी०आई० के मुख्यालय के सही स्थल के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच सरकार को स्थानान्तरण के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनका निपटान रुका हुआ है, एफ० सी० आई० को कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय करार न किये जायें।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि० के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2572. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि०, के श्रमिकों की मार्च, 1980 से चल रही हड़ताल से 600 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैनिसिलिन की हो रही कमी से सम्बन्धित रिपोर्टों से उन्हें अवगत करा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो हड़ताल के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने कम्पनी की व्यावहारिक समझौता करने में मदद करने के लिए इस विवाद का निपटारा करने हेतु उक्त मामले में हस्तक्षेप किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं। 18 मार्च, से 2 मई, 1980 तक श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, को प्रत्यक्ष उत्पादन पर लगभग 4.50 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) उत्पादन में हुई कमी को ध्यान में लाया गया था।

(ग) मांग-पत्र पर समझौता होने तक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स मजदूर संघ जो एच० ए० एल० की एक कामगार यूनियन है ने जुलाई, 1977 की पूर्व प्रभावी तिथि से प्रति कर्मचारी को प्रति माह 100/- की अन्तरिम राहत का भुगतान करने की मांग की थी। यूनियन जीवन निर्वाह की लागत में प्रति घण्टे 1.3 रुपये की वृद्धि के औद्योगिक महंगाई भत्ते के फार्मूले को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थी जबकि यह फार्मूला सभी सरकारी उपक्रमों पर लागू है। अन्तरिम राहत की मांग पर सामान्य मजदूरी समझौते को अलग रखकर विचार नहीं किया जा सका।

(घ) सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया।

मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल

2573. **श्री के० मालन्ना** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मान्यता दे रखी है;

(ख) हाल ही के लोक सभा के निर्वाचन में उनकी सफलता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जनवरी, 1980 में लोक सभा के निर्वाचन में उनकी बहुत कम सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ दलों को उनकी मान्यता अथवा राष्ट्रीय-स्तर से वंचित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी की गई है सदन के पटल पर रख दिया गया है **(विवरण 1)**

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन के पटल पर रख दिया गया है **(विवरण 2)**

(ग) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6 और 7 (सम्बन्धित उद्धरण **विवरण-III** में दिए गए हैं) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात यह अवधारित करने के लिए पुनर्विलोकन करता है कि क्या कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल अपनी मान्यता बनाए रखने का अधिकारी है या कोई अमान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल निर्वाचनों के समय में अपने अभ्यर्थियों को अनन्य रूप से आबंटन के लिए किसी निर्वाचन प्रतीक के आरक्षण के प्रयोजन के लिए मान्यता के लिए अर्ह है। ज्योंही लोक सभा और विधान सभाओं के क्रमशः जनवरी, 1980 और मई, 1980 में हुए साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़ों का अपेक्षित प्ररूप में संकलन कर लिया जाएगा, निर्वाचन आयोग ऐसा पुनर्विलोकन करेगा।

विवरण-1

मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की सूची

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल

1. इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई)
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस (यू)
3. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5. जनता पार्टी
6. जनता पार्टी (सेक्यूलर)

मान्यता प्राप्त दल/ पार्टी का नाम	राज्य/राज्यों जिनमें मान्यताप्राप्त हैं
1. प्लेन्स ट्राईबल्स काउंसिल आफ असम	असम
2. विशाल हरियाणा	हरियाणा
3. जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस	जम्मू-कश्मीर
4. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग	केरल
5. मुस्लिम लीग	केरल
6. केरल कांग्रेस	केरल
7. केरल कांग्रेस (पिल्लई ग्रुप)	केरल
8. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	केरल और पश्चिमी बंगाल
9. पीजेन्ट्स एंड वर्कर्स पार्टी	महाराष्ट्र
10. कुकी नेशनल असैम्बली	मणिपुर
11. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	मणिपुर
12. आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेन्स	मेघालय
13. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मेघालय
14. पब्लिक डिमान्ड्स इम्पलीमेन्टेशन कान्वेंशन	मेघालय
15. नेशनल कन्वेंशन आफ नागालैंड	नागालैंड
16. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	नागालैंड
17. शिरोमणि अकाली दल	पंजाब

1		2
18.	सिक्किम कांग्रेस (आर)	सिक्किम
19.	सिक्किम जनता परिषद	सिक्किम
20.	सिक्किम अनुसूचित जाति लीग	सिक्किम
21.	आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	तमिलनाडु और पांडिचेरी
22.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	तमिलनाडु और पांडिचेरी
23.	त्रिपुरा उपजाति युवा समिति	त्रिपुरा
24.	अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक	पश्चिमी बंगाल
25.	पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल	अरुणाचल प्रदेश
26.	महाराष्ट्रवादी गोमान्तक	गोवा, दमन और दीव
27.	पीपुल्स कान्फ्रेंस	मिजोरम

विवरण 2

1980 में लोक सभा का साधारण निर्वाचन

निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों, निर्वाचित अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों की जिनकी जमानत जब्त हो गई तथा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए विधिमान्य मतों की दलवार संख्या

दल का नाम	निर्वाचन लड़ने वाले	अभ्यर्थी निर्वाचित	जीत का प्रतिशत	जमानत जब्त	डाले गए विधिमान्य मत योग	डाले गए विधिमान्य मत प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क—राष्ट्रीय दल	1,938	484	91.84	443	168,002,272	85.07
1. इंडियन नेशनल कांग्रेस (आई)	491	352	66.79	7	84,288,364	42.68
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस (यू)	212	13	2.47	143	10,450,405	5.29
3. जनता पार्टी	431	31	5.88	115	37,384,739	18.93
4. जनता पार्टी (सेक्यूलर)	293	41	7.78	152	18,599,046	9.42
5. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	48	11	2.09	17	5,122,685	2.59
6. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०)	63	36	6.83	9	12,156,988	7.16
ख—राज्यीय दल	105	34	6.45	28	15,191,635	7.69
7. आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	24	2	0.38	—	4,674,064	2.37
8. अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक	21	3	0.57	17	1,011,564	0.51
9. अखिल भारतीय मुस्लिम लीग	1	—	—	—	196,820	0.10

1	2	3	4	5	6	7
10. आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस	1	—	—	1	13,058	0.01
11. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	16	16	3.04	—	4,236,537	2.15
12. जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस	4*	3*	9.57	—	478,881	0.24
13. केरल कांग्रेस	2	1	0.19	—	356,997	0.18
14. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	1	—	—	1	49,277	0.02
15. मुस्लिम लीग	5	2	0.38	3	475,507	0.24
16. पीपुल्स कान्फ्रेंस	1	—	—	—	53,891	0.03
17. पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल	2	—	—	—	69,810	0.04
18. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	8	4	0.76	3	1,285,517	0.65
19. शिरोमणि अकाली दल	7	1	—	—	1,396,412	0.71
20. सिक्किम कांग्रेस (आर)	1	—	—	—	11,632	0.01
21. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	1	—	—	—	140,210	0.07
22. सिक्किम जनता परिषद्	1	1	0.19	—	31,750	0.02
23. पीजेन्ट्स एंड वर्कर्स पार्टी	5	—	—	1	470,567	0.24
24. महाराष्ट्रवादी गोमान्तक	2	1	0.19	—	127,188	0.06
25. त्रिपुरा उपजाति युवा समिति	2	—	—	2	111,953	0.05
ग—रजिस्ट्रीकृत दल	156	1	0.19	151	1,611,098	0.82
26. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद्	21	—	—	21	61,161	0.03
27. भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	11	—	—	11	30,870	0.02
28. झारखण्ड पार्टी	22	1	0.19	21	254.520	0.13

1	2	3	4	5	6	7
29. मुस्लिम लीग	4	—	—	4	26,363	0.01
30. रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया	32	—	—	31	351,987	0.18
31. रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (खोबरगड़े)	25	—	—	23	383,022	0.19
32. शिव सेना	7	—	—	6	137,880	0.07
33. सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस	1	—	—	1	5,125	0.00
34. शोषित समाज दल (अखिल भारतीय)	8	—	—	8	38,226	0.02
35. सोशल यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया	18	—	—	18	307,224	0.16
36. आल इंडिया लेबर पार्टी	7	—	—	7	14,720	0.01
घ—निर्दलीय	2,821	8	1.52	2,791	12,678,669	6.42
अखिल भारतीय योग	4,620*	527*	100,00	3,413	197,483,629	100.00

* इसमें एक स्थान वह भी सम्मिलित है जिसका निर्वाचन निर्विरोध घोषित किया गया था। इसके अन्तर्गत 21-क्योन्झर (उड़ीसा) और 26-सेरामपोर (पश्चिमी बंगाल) के दो प्रत्यादिष्ट मतदान केन्द्र भी हैं।

विवरण-3

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968

6. राजनैतिक दलों का वर्गीकरण—(1) इस आदेश के प्रयोजनों के लिये, और अन्य प्रयोजनों के लिये, जिन्हें उनकी आवश्यकता पड़ने पर, आयोग विनिर्दिष्ट करे, राजनैतिक दल या तो मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल होंगे या अमान्यताप्राप्त ।

(2) किसी राज्य में राजनैतिक दल को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल तभी, और केवल तभी, माना जायेगा जब या तो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तें या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तें उस दल के द्वारा पूरी की जायें, किन्तु अन्यथा नहीं, अर्थात्—

(क) ऐसा दल—

(क) लगातार पांच वर्ष से राजनैतिक कियाकलाप में संलग्न रहा है, तथा

(ख) यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा के लिये जो तत्समय अस्तित्व में हो और कृत्य कर रही हो उस राज्य में हुए साधारण निर्वाचन में तत्समय विद्यमान रहते और कृत्य करते हुए;

या तो (i) लोक सभा के लिये उस राज्य से निर्वाचित प्रत्येक पच्चीस सदस्यों अथवा उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य;

अथवा (ii) उस राज्य की विधान सभा के लिये उस सभा के प्रत्येक बीस सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य;

निर्वाचन द्वारा भेज चुका है ।

(ख) यथास्थिति, लोक सभा अथवा विधान सभा के लिये जो तत्समय अस्तित्व में हो और कृत्य कर रही हो, उस राज्य में हुए साधारण निर्वाचन में, उस दल द्वारा खड़े किये गये सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या (किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतों को अपवर्जित करते हुए, जो निर्वाचित नहीं हुआ है तथा जिसने उस निर्वाचन क्षेत्र में के सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के कम से कम बारहवें भाग जितने मत प्राप्त नहीं किये हैं) उस राज्य में हुए ऐसे साधारण निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या की (निर्वाचन लड़ने वाले उन अभ्यर्थियों के, जिनके निक्षेप समपहृत हो गये हैं, विधिमान्य मतों को सम्मिलित करते हुए) चार प्रतिशत से कम नहीं ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि लोक सभा अथवा उस राज्य की विधान सभा का कोई सदस्य, उस राजनैतिक दल का सदस्य, यथास्थिति, लोक सभा अथवा उस विधान सभा के लिये निर्वाचित हो जाने के बाद बनता है तो, यह नहीं समझा जायेगा कि उप-पैरा (2) के खण्ड (क) और (ख) में दी हुई शर्तें उस राजनैतिक दल ने पूरी कर ली हैं ।

7. मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के दो प्रवर्ग—(1) यदि कोई राजनैतिक दल पैरा 6 के अनुसार चार अथवा उससे अधिक राज्यों में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल माना जाता है तो वह सारे भारत में "राष्ट्रीय दल" के नाम से ज्ञात होगा और उसी रूप में उसकी प्रास्थिति होगी और वह उसका उपभोग करेगा तथा यदि कोई राजनैतिक दल उसी पैरा के अनुसार चार राज्यों से कम में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल माना जाता है तो वह दल उस राज्य अथवा उन राज्यों में जिसमें/जिनमें वह मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है "राज्यीय दल" के नाम से ज्ञात होगा और उसी रूप में उसकी प्रास्थिति होगी और वह उसका उपभोग करेगा।

(2) उप-पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हर एक राजनैतिक दल, जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व एक बहुराज्यीय दल है, ऐसे प्रारम्भ पर एक राष्ट्रीय दल हो जायेगा और वह तब तक ऐसे बना रहेगा, जब तक कि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात हुए किसी साधारण निर्वाचन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल नहीं रह जाता।

(3) उप-पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हर एक राजनैतिक दल, जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व किसी राज्य में यथोपूर्वोक्त बहुराज्यीय दल से भिन्न कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, ऐसे प्रारम्भ पर उस राज्य में राज्यीय दल बन जायेगा और तब तक ऐसे बना रहेगा जब तक कि वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात हुए किसी साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरूप राज्यीय दल नहीं रह जाता।

विद्युत सम्बन्धी उच्च-स्तरीय अन्तर्मन्त्रालय समिति

2574. **श्री के० प्रधानी :** क्या **ऊर्जा और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तापीय बिजली घर को समय पर चालू करना सुनिश्चित करने के लिये विद्युत सम्बन्धी उच्च स्तरीय अन्तर्मन्त्रालयीय समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के उपकरण की किस्म के बारे में राज्य विद्युत बोर्ड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के बीच कोई विवाद था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऐसी समिति अभी स्थापित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, ए० सी० सी० विकर्स बाबकोक और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा जैसे मुख्य संयंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित स्वदेशी उपस्कर देश में चालू किये जा चुके हैं। पहले उत्पादन उपस्कर में अनेक प्रारम्भिक कठिनाइयां आयी। ये प्रायः सभी केन्द्रों पर काबू कर ली गयी हैं। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा द्वारा निर्मित दूसरा उत्पादन उपस्कर का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है तथा इसके कार्य निष्पादन में बहुत कम शिकायतें हैं।

डीजल की कमी से सड़क परिवहन और कृषि पर प्रभाव

2575. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल ही में हुई डीजल की कमी का सड़क परिवहन और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डीजल की कमी के कारण, सड़क परिवहन और भी महंगा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करना चाहती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मेरा मन्त्रालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आबंटन विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का विशिष्ट कोटा निर्धारित किये बिना ही करता है। हाई स्पीड डीजल का विभिन्न उपभोक्ताओं जिनमें सड़क परिवहन क्षेत्र भी शामिल है, आगे और आवंटन राज्य सरकार ही करती है। परन्तु राज्य सरकारों को परामर्श दी गई है कि वे कृषि को अधिकतम प्राथमिकता दें।

(ख) डीजल की कमी के कारण सड़क परिवहन अधिक महंगा हो गया है, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मेरे मन्त्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) सरकार ने आयात द्वारा तटवर्ती स्थानों पर डीजल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। देश की शोधनशालाओं में उत्पादन को अधिकतम किया जा रहा है और उपलब्ध परिवहन क्षमता का इस्ततम प्रयोग किया जा रहा है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई पहले ही बढ़ाई गई है। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श दी गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत डीजल के समान वितरण को सुनिश्चित किया जाए।

"अशोका दि ग्रेट" पर चलचित्र

2576. **श्री फूल चन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशियों ने "अशोका दि ग्रेट" पर एक चलचित्र बनाया है अथवा बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके बनाने में भारत का क्या योगदान था अथवा है; और

(ग) इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में कर्मचारी

2577. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित इन्जीनियर्स इण्डिया लि० के प्रधान कार्यालय और इसके शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग-अलग कर्मचारियों की वेतनमान-वार, संख्या कितनी है;

(ख) इस उपक्रम में नई दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय और जोनल कार्यालयों में अलग-अलग कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वेतनमान-वार, संख्या कितनी है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों ने इन्जीनियर्स इण्डिया लि० में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिए थे, कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया था और कितने व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश की गई थी;

(घ) क्या इस वर्ग के कर्मचारियों की संख्या सरकार द्वारा उनके लिए निर्धारित किए गए आरक्षण कोटे के अनुसार सभी वेतनमानों में पर्याप्त है,

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(च) क्या यह सच है कि सरकार के अनुदेशों के अनुसार इस वर्ग के उम्मीदवारों का इन्टरव्यू और जांच अलग न होकर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ होती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) यह सूचना विवरण-पत्र 1 में दी गई है।

(ग) यह सूचना विवरण-पत्र 2 में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) निम्नलिखित कारणों से इन्जीनियर्स इण्डिया लि० अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पद भरने में समर्थ नहीं रहा है—

1. इन्जीनियर्स इण्डिया लि० एक बहुत ही उच्च कोटि का तकनीकी संगठन है और आवश्यक इन्जीनियरिंग डिजाइन क्षमता रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी स्तर कम किए जाने के पश्चात भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं होते हैं।
2. विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के संगठनों को भेजी जाती है और उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाता है फिर भी यह संगठन उपयुक्त प्रत्याशियों को भेजने में सफल नहीं रहे हैं।
3. आरक्षित वर्गों के कर्मचारी, अनुभव के पश्चात और कहीं बेहतर अवसर की खोज करते हैं जिसके फलस्वरूप कई मामलों में ये प्रत्याशी नियुक्ति के पश्चात नौकरी में बहुत कम आते हैं।

(च) जी, नही। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का इण्टरव्यू अलग से लिया जाता है।

[विवरण-1

वेतन मान	कर्मचारियों की संख्या			अनुसूचितों की संख्या			अनुसूचित जनजातियों की संख्या		
	मुख्यालय	शाखा/ क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय	शाखा/ क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	मुख्यालय	शाखा/ क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000-125-3500	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2500-100-3000	15	—	—	—	—	—	—	—	—
2000-100-2800	40	—	4	—	—	—	—	—	—
1800-100-2500	78	2	12	—	—	—	—	—	—
1500-60-1800-100-2000	131	5	29	—	—	—	—	—	—
1300-50-1500-60-1800	196	14	59	3	—	1	1	—	—
1100-50-1600	329	23	161	11	1	1	—	—	—
800-50-1350	284	21	185	28	1	1	3	—	2
650-45-920	59	1	8	5	—	—	—	—	—
715-25-740-30-890-35-1100	107	5	14	2	—	—	—	—	—
555-20-615-25-740-30-890-35-995	154	—	111	12	—	1	—	—	—
455-15-515-20-615-25-740-30-830	177	9	51	17	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
380-12-440-15-515-20-615-25-665	38	3	1	10	—	—	2	—	—
350-10-380-12-440-15-515-20-595	131	7	52	18	—	1	—	—	—
290-8-330-10-380-12-440-15-470	14	—	31	2	—	1	—	—	1
245-5-260-7-290-8-330-10-370	28	3	—	6	—	—	—	—	—
225-5-260-6-290-8-330	53	2	22	8	—	1	2	—	—
	1835	95	743	122	2	8	8	—	3

विवरण 2

पद	आवेदन देने वालों की संख्या		साक्षात्कार किये गये की संख्या		जिन्हें नौकरियां दी गई की संख्या		टिप्पणी
	अनु०जा०	अनु०जन० जाति	अनु०जा०	अनु०जन० जाति	अनु०जा०	अनु०जन० जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
इंजीनियर (प्रारम्भिक कार्य)	20	—	1	—	1	—	
एकजीक्यूटिव (लेखा, वित्त, आडिट)	21	—	1*	—	1	—	*3 बुलाए—1 उपस्थित
इंजीनियर (इंसपेक्शन)	30	—	10**	—	5	—	**23 बुलाए—10 आये

1	2	3	4	5	6	7	8
वायेरलैस	18	—	3	—	1	—	
इंजीनियर्स (व्यापारिक स्ट्रेटेजी)	13	—	2	—	—	—	
इंजीनियर्स (मेरीन इंस्ट्रूमेंटेशन)	4	—	3	—	1	—	
सीनियर मिडिल लेवल एक्जीक्युटिव (पावर और सीमेंट)	6	—	—	—	—	—	
ट्रांस्पोर्टेशन तथा कस्टम क्लीयेंस आफिसर	3	—	1	—	1	—	
इंजीनियर्स (सिस्टम)	1	—	—	—	—	—	
प्रोगामर्स (विसनेश डेटा अप्लीकेशन)	9	—	2	—	1	—	
इंजीनियर्स (इंस्पेक्शन)	25	2	1	1	—	1	
इंजीनियर्स (इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी डेवलपमेंट)	43	1	1	—	—	—	
इंजीनियर्स पावर सिस्टम	1	—	—	—	—	—	
इंजीनियर्स (सिस्टम सोफ्टवियर)	1	2	1	1	1	—	
प्लानिंग असिस्टेंट (ग्रेड 1) (सिर्फ अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए)	13	—	7	—	2	—	
इंजीनियर्स 1 सिटम एंनोलिस्ट (आपेशन रिसर्च तथा परिवहन)	2	1	2	1	—	—	
इंजीनियर्स (प्लानिंग)	6	2	4	—	4	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
इंजीनियर्स (इंजीयनिरिग सोफ्ट वियर)	3	1	—	—	—	—	
इंजीनियर्स (मेकेनिकल इक्युपमेंट) —सिर्फ अनु० जाति और अनु० जन-जाति के लिए विज्ञापित)	2	1	2	1	2	—	
इंजीनियर्स (इंस्पेक्शन)—केवल अनु० जाति और अनु० जन-जाति के लिए विज्ञापित)	13	1	10	1	5	—	
इंजीनियर्स (पावर सिस्टम्स)—केवल अनु० जाति और अनु० जन जाति के लिए विज्ञापित)	2	—	2	—	1	—	
प्रोगामर्स—(सिर्फ अनु० जाति/अनु० जन० जाति के लिए विज्ञापित)	2	10	2	—	1	—	
इंजीनियर्स (रियल टाइम एप्लीकेशन)	1	—	—	—	—	—	
इंजीनियर्स (पेट्रोलियम)	—	—	—	—	—	—	
टैक्नीकल राइटर	—	3	—	1	—	—	
इंजीनियर (आर० एण्ड डी०)	2	—	1	—	—	—	
इंजीनियर (प्रौसेस)	—	—	—	—	—	—	
इंजीनियर्स (कम्पयुटर कनफ्युगरेशन)	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
डाक्यूमेंटेशियन आफिसर	1	—	@	—	—	—	@1 अन्० जाति के व्यक्ति को बुलाया वह साक्षात्कार के लिए नहीं आया।
की पंच आपरेटर (एक वर्ष के लिए ठेके पर)	8	—	6	—	—	—	सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल करके कोई योग्य नहीं पाया गया।
इंजीनियर (इस्ट्रक्चरल)	—	—	—	—	—	—	
सीनियर एक्जीक्युटिव (सिस्टम इंजीनियरिंग एण्ड कम्पयुटर सर्विस डिपाटमेंट)	1	—	1	—	—	—	

एकाधिकार गृहों के साथ प्रेस का सम्पर्क समाप्त करना

2578. **श्री चित्त बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार गृहों के साथ प्रेस का सम्पर्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार का यह मत है कि इस विषय का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए समाचारपत्रों के स्वामित्व के प्रसार और इनको बड़े औद्योगिक घरानों से असम्बद्ध करने की मद को पुनर्गठित प्रेस आयोग के संशोधित निर्देश पदों में शामिल करने के बारे में विधिवत् विचार किया जायेगा।

आसाम तथा पूर्वोत्तर जोन में बाढ़ की रोकथाम के लिए कदम

2579. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम राज्य में सारे वर्ष बाढ़ आती रहती है;

(ख) यदि हां, तो आसाम और पूर्वोत्तर जोन में बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) बहुप्रयोजनीय ब्रह्मपुत्र बेसिन परियोजना इस समय किस चरण में है (पूरा ब्यौरा दें) ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) असम राज्य में हर वर्ष बाढ़ें आती रहती हैं।

(ख) और (ग) असम में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की बाढ़ समस्याओं से निपटने के लिए असम सरकार ने 1971 से ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन कर रखा है। केन्द्रीय सरकार इन कार्यों के लिए ऋण सहायता दे रही है। तथापि, ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ समस्या के महत्व और जटिलता को देखते हुए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित बेसिन के जल संसाधनों के बहुद्देश्यीय विकास के एक अनिवार्य भाग के रूप में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करने, तथा राज्य सरकारों की ओर से बहुद्देश्यीय बांधों और अन्य जटिल कार्यों को हाथ में लेने के लिए भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है। ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड गठित करने सम्बन्धी एक बिल शीघ्र ही संसद में रखा जाएगा। इसी बीच केन्द्रीय सरकार देहंग और सुबनसिरी पर दो बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कर रही है।

कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार किया जाना

2580. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ठ कर दिया है कि आम लोगों में जमा राशियां

आमंत्रित करने वाली कम्पनियों को यह कार्य निर्धारित प्रपत्रों पर करना चाहिये और कि उनके संशोधित अथवा परिवर्तित संस्करणों का प्रयोग निषिद्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियों ने हाल ही में ऊंची ब्याज दरों की पेशकश करके अथवा पहले ही में स्वीकृत जमा राशियों की शर्तों में फेरबदल करके उक्त जमाराशियों के लिये विज्ञापन दिये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अदायगी के समय इस सम्बन्ध में जमा कर्ताओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित ब्याज की दरों अथवा जमाराशियों संबंधी शर्तों में फेरबदल के बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कुछ कम्पनियों ने बाद में भूतकाल की अपेक्षा ब्याज की ऊंची दरें दी हैं।

(ग) परिपक्व होने पर निक्षेपों और/या ब्याज की पुनः अदायगी में चूक के सम्बन्ध में कुछ गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध कतिपय निपेक्षकर्ताओं से समय-समय पर विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) जनता से निक्षेपों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के संचालित उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा पहले ही प्रतिग्रहीत निक्षेपों की शर्तों में परिवर्तन निक्षेपकर्ताओं और निक्षेप प्रतिग्रहीत कम्पनी के मध्य पारस्परिक अनुबन्ध का विषय है। इसी तरह. गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज की दर भी निक्षेपकर्ता और निक्षेपप्रतिग्रहीत कम्पनी के मध्य पारस्परिक अनुबन्ध का विषय है। कम्पनी विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत इस तरह के निक्षेपों पर ब्याज की अदायगी की दर के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं किये गये हैं।

मुकदमों के खर्चे में कमी करने के प्रयास

2581. **श्री अर्जुन सेठी**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुकदमें के खर्चे में कमी करने के उनके मन्त्रालय के प्रयास अब तक असफल ही सिद्ध हुए हैं; और

(ख) सरकार ने न्यायालय फीस, अभिलेख तैयार करने की लागत और काउन्सेल फीस जैसी मदों जिन पर मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति खर्च करते हैं के बारे में क्या प्रयास किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मुकदमों के खर्च के तीन भाग हैं :—न्यायालय फीस, अभिलेख तैयार करने का खर्च और काउन्सेल की फीस।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों की बाबत न्यायालय फीस कभी विवाद का विषय नहीं रहा है और इसके पुनरीक्षण की कोई मांग नहीं की गई।

संघ राज्य क्षेत्र के मामले में न्यायालय फीस पड़ोसी राज्यों में प्रचलित दर संरचना के समरूप है।

अन्य सभी न्यायालयों की बाबत न्यायालय फीस राज्य सरकारों की पूर्ण अधिकारिता का विषय है। 1975 में विधि आयोग के इस सुझाव पर कि कम खर्च पर न्याय सुलभ करने के लिए न्यायालय फीस समाप्त कर दी जाए या उसे कम कर दिया जाए, राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया। किन्तु कोई भी राज्य सरकार मुख्य तौर पर वित्तीय तंगी के कारण न्यायालय फीस कम करने के लिए सहमत नहीं हुई। विधि मंत्रालय की सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में बहुमत की राय यह थी कि एक छोटी उप-समिति जिसमें सलाहकार समिति के कुछ सदस्य हों, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित की जाए। न्यायालय फीस राज्य सरकार का विषय है अतः राज्य सरकारों के विचारों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना होगा।

अभिलेख तैयार करने के बारे में यह है कि उच्चतम न्यायालय बहुत से मामलों में यह निदेश देता है कि अपीलों की सुनवाई एसए०ल०पी० पेपर बुक पर की जाए और अभिलेखों का मुद्रण कराने के बजाए वास्तविक प्रभार का संदाय करके साइक्लोस्टाइल करा लिया जाए। विधि आयोग की यह सिफारिश कि पेपर बुकों के मुद्रण से छूट दे दी जाए और पक्षकारों को अभिलेखों को टाइप कराने या साइक्लोस्टाइल कराने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाए, राज्य सरकारों की जानकारी में ला दी गई है।

जहां तक काउन्सेल फीस का सम्बन्ध है, काउन्सेलों द्वारा ली जाने वाली फीस नियत करने में वकीलों की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देने से लाभदायक प्रभाव हो सकता है।

औषध उद्योग में आवश्यकता से अधिक उत्पादन का विनियमन

2582. **श्री पी० एम० सईद :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधि उद्योग में आवश्यकता से अधिक उत्पादन को विनियमित करने के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें जारी किए गए व्यापार करने की अनुमति के औद्योगिक लाइसेन्सों तथा अन्य अनुमति पत्रों को वापस करने का निर्णय किया है ताकि उनमें आवश्यक संशोधन किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औषध उद्योग में आवश्यकता से अधिक उत्पादन को विनियमित करने के लिए सरकार का निर्णय, दिनांक 29 मार्च, 1978

को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए औषध नीति विवरण-पत्र के पैराग्राफ 27.1 से 36 में दिया गया है।

(ख) सरकार ने, औद्योगिक लाइसेन्सों, सी० ओ० बी० लाइसेन्सों अनुमति पत्रों, पंजीयन प्रमाण-पत्रों आदि जैसे विभिन्न लाइसेन्सिंग अनुमतियों के अधीन पहले से जारी किए गए समस्त लाइसेन्सों के स्थान पर एक नया समेकित लाइसेन्स जारी करने का भी निर्णय किया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विचाराधीन है और संशोधन विधेयक को उद्योग मन्त्रालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

हाथी समिति की सिफारिशों को नया रूप देना

2583. **श्री पी० एम० सईद**
श्री सूर्य नारायण सिंह } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग में गम्भीर स्थिति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने यह महसूस किया है कि हाथी समिति, जिसने औषधि उद्योग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया था, की सिफारिशों को नया रूप देना होगा;

(ख) क्या हाथी समिति की लगभग सभी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी सिफारिशों को अभी लागू किया जाना है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हाथी समिति की सिफारिशों की विस्तार पूर्वक जांच करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है जैसा कि औषध नीति के बारे में 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र में दर्शाया गया है। इस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन हो रहा है।

तेल वस्तुओं का विवेकयुक्त उपयोग

2584. **श्री पी० एम० सईद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि यह सुझाव दिया गया है कि तेल वस्तुओं का विवेकयुक्त उपयोग करने से बहुत बचत हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत यदि प्रभावी उपायों को कियान्वित किया जाए तो इससे मार्च, 1981 तक 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ग) यदि हां, तो प्रोत्साहित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा उपरोक्त बचत की जा सकती है; और

(घ) तेल का विवेकयुक्त उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे इन कदमों से तेल का कम उपयोग हो और अधिक विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कम से कम 200 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत हो सके, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को उचित रूप से प्रयोग में लाने की ऐसी कोई योजना मार्च, 1981 तक नहीं है। परन्तु देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में मितव्ययता और कुशलता लाने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :

1. मिट्टी के तेल के बर्त्ती वाला स्टोव को संशोधित रूप में चालू करना जिसकी थर्मल कुशलता लगभग 60% है जबकि अन्य मिट्टी के तेल के बर्त्ती वाला स्टोव जो आमतौर पर बाजार में बेचे जाते हैं की 40 से 45% थर्मल कुशलता है।

2. केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी स्टाफ कारों में मोटर स्पिरिट पेट्रोल की खपत में बचत करें।

3. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों, जिनके पास बड़ी मात्रा में गाड़ियां हैं, का अध्ययन प्रारम्भ करना जिससे वे परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल के उपयोग में अधिकतर कुशलता ला सकें।

4. राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल की खपत में कुशलता लाने के लिए व शहरों और नगरों के अन्दर और स्थानीय परिवहन गाड़ियों पर कानूनी रूप से गति सीमा रोक लगाए और अधिक धुआं देने वाली गाड़ियों पर नियन्त्रण रखें।

5. जहां कहीं तकनीकी रूप से सम्भव हो, मिट्टी के तेल को कोयले द्वारा प्रतिस्थापित करना;

6. मिट्टी के तेल के प्रयोग में कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय करने के सम्बन्ध में उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना;

7. ऊर्जा संरक्षण के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देशन जारी किए गए हैं;

8. मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण के प्रयोग की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करना।

ईराक द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान तेल की सप्लाई

2585. श्री पी० एम० सईद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने भारत को सूचित किया है कि वह 1980-81 के दौरान तेल की पूरी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके अनुरोध को किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न शिविरों में शरणार्थी

2586. कुमारी कमला कुमारी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं तथा उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि उन्हें या तो उनके देशों को वापस भेज दिया जाये अथवा वे स्वयं बस जायें जिससे राज्यों पर खर्च का भार कम हो; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विभिन्न राज्यों में शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों की राज्य-वार संख्या

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी 1-1-1964 से 25-3-1971 की अवधि के दौरान भारत आए थे उनके लिए अब कोई राहत शिविर नहीं है ।

तथापि, निम्न राज्यों/परियोजनाओं में 3164 शरणार्थी परिवार कर्मी शिविरों (अर्थात् पुनर्वास स्थलों के पास) में हैं—

	परिवारों की संख्या
1. कर्नाटक	62
2. महाराष्ट्र	295

3. उत्तर प्रदेश	118	
4. बिहार	108	
5. दण्डकारण्य परियोजना	2581	
योग	3164	परिवार

(ख) भारत-पाक संघर्ष 1971 से प्रभावित विस्थापित व्यक्ति

1. राजस्थान	4281	परिवार

इन शरणार्थियों को निर्धारित दरों पर नि:शुल्क राशन, नकद बेकारी अनुदान, कपड़े, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि के रूप में राहत सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए हैं।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

2587. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े औद्योगिक गृहों के प्रबन्धाधीन ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्होंने 1979-80 में कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों और नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) क्या 1979-80 में दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) यह विभाग बृहद् औद्योगिक घरानों द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों द्वारा, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों की बाबत कोई अलग से आंकड़े नहीं रख रहा है। 1-4-78 से 31-3-79 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के उल्लंघनों के लिये 3848 कम्पनियों तथा उनके अधिकारियों के विरुद्ध 7715 मामले चलाये गए थे। इसी प्रकार की सूचना 1979-80 के वर्ष की अभी संकलित नहीं की गई है।

भारतीय तेल निगम के पास दिल्ली, कलकत्ता मद्रास और बम्बई में एल० पी० गैस कनेक्शन के लिए पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या

2588. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के पास 31 मार्च, 1980 को चार महानगर केन्द्र दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रत्येक में गैस कनेक्शनों के लिये कितने उपभोक्ता पंजीकृत थे; और

(ख) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दी जायेगी ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय इण्डियन आयल कार्पोरेशन बम्बई महानगर क्षेत्र में तरल पेट्रोलियम गैस का विपणन नहीं कर रहा है। अन्य तीन महानगरों में 3-3-80 को घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची में संख्या करीब-करीब निम्न प्रकार थी :

कलकत्ता	39,000
दिल्ली	2,42,000
मद्रास	1,32,000

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, चालू वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर नये गैस कनेक्शन देना सम्भव नहीं होगा। आशा है कि नये गैस कनेक्शन 1981 के आरम्भ से दिये जा सकेंगे जब बम्बई हाई क्षेत्र से खनिज तेल के साथ प्राप्त होने वाली गैस से तरल पेट्रोलियम गैस के निकालने की सुविधायें तथा अन्य सुविधायें चालू हो जायेंगी।

नदी जल के बटवारे पर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद

2589. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों के जल के बटवारे पर भारत संघ के विभिन्न राज्यों के बीच कुछ विवाद हैं;

(ख) यदि हां, तो वे नदियां कौन सी हैं जो विवाद का विषय बनी हुई हैं और वे विवाद किन-किन राज्यों के बीच हैं;

(ग) क्या इन विवादों को हल करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो किस तरह के उपाय किये गये हैं और प्रत्येक मामले में परिणाम क्या रहा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी, हां।

(ख) जो मुख्य नदी जल विवाद अनिर्णीत पड़े हुए हैं वे (1) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच गोदावरी बेसिन; (2) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी बेसिन; और (3) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के बीच यमुना बेसिन, और (4) हरियाणा तथा पंजाब के बीच रावी-व्यास के जल के उपयोग तथा विकास के बारे में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन विवादों की वर्तमान स्थिति और उनको हल करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

गोदावरी बेसिन : गोदावरी के सम्बन्ध में, समय-समय पर, पक्ष राज्यों ने जल के वितरण के बारे में बहुत से करार किये थे। अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 27 नवम्बर, 1979 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आदेश दिया है कि पक्ष राज्यों द्वारा इन करारों का पालन और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जैसाकि उपर्युक्त अधिनियम में व्यवस्था है, कुछ पक्ष राज्यों और केन्द्रीय सरकार ने बाद में न्यायाधिकरण के पास कुछ और निर्देश भेजे जिनमें कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगा गया था। न्यायाधिकरण अब अपनी अगली रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में लगा हुआ है जिसे वह शीघ्र केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

कावेरी बेसिन : जहां तक कावेरी जल के उपयोग और विकास का सम्बन्ध है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सम्बद्ध राज्यों के बीच अगस्त, 1976 में एक समझौता हुआ था। इसके बाद तत्कालीन केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मन्त्री द्वारा अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1978 में इस विचार से तीन बैठकें बुलाई गई थीं कि अगस्त, 1976 के समझौते की पुष्टि की जा सके ताकि बिना और देरी किए इसका क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे बातचीत आगे बढ़ी, यह देखा गया कि ऐसा कोई आम आधार नहीं है जिस पर सन्तोषजनक समझौता हो सके। तमिलनाडु ने इस आधार पर इस समझौते पर आपत्ति उठाई कि यह उस समय किया गया था जब कोई लोकप्रिय सरकार नहीं थी। केन्द्रीय सरकार का विचार है कि मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाई जाए ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

यमुना बेसिन : यमुना जल के उपयोग और जल की उपलब्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों से सलाह करके विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और इस मामले पर उनके साथ आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है।

रावी-व्यास : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के उपबन्धों के अन्तर्गत, हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से व्यास परियोजना के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाले जल का आबंटन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच करने का अनुरोध किया। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 24 मार्च, 1976 को एक आदेश जारी किया जिसके जरिये हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट जल का आबंटन किया गया। पंजाब ने इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें इस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। हरियाणा ने भी मार्च, 1976 के आदेश के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर किया है।

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रेगिस्तानी इलाकों में मोटर गाड़ियों का प्रयोग

2590. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के कार्य में लगी विदेशी कम्पनियों ने रेगिस्तानी इलाकों में जुड़वां तथा डीजल चालित मोटर गाड़ियों के प्रयोग की सिफारिश की है और यदि हां तो तेल

तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा रेगिस्तानी इलाकों में प्रयोग के लिए पेट्रोल चालित मोटर गाड़ियां खरीदे जाने के कारण क्या हैं; और

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रयोग के लिए खरीदी गयी मोटर गाड़ियों का मूल्य कितना है और क्या ये गाड़ियां बेकार खड़ी हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ऐसी किसी सिफारिश की सूचना हमारे पास नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

त्रिपुरा को डीजल की सप्लाई

2591. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में नीलामी के लिए भेजे जाने वाली लगभग एक करोड़ रुपये की दस लाख टन से अधिक चाय डीजल के भारी संकट के कारण त्रिपुरा के भिन्न-भिन्न चाय बागानों में रुकी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा को डीजल सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उद्योग स्रोतों से टी-बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा में रुकी हुई चाय सड़क तथा रेल मार्ग द्वारा भेज दी गई है।

(ख) जनवरी 1980 से त्रिपुरा को हाईस्पीड डीजल की सप्लाई नीचे दिये गए अनुसार की गई थी :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

मास	सप्लाई
जनवरी, 1980	360
फरवरी, 1980	673
मार्च, 1980	783
अप्रैल, 1980	844
मई, 1980	933 (अस्थाई)
जून, 1980 (आवंटन)	1200

त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को उत्पाद की होने वाली सप्लाई पर अत्यधिक निगरानी रखी जा रही है ताकि इस क्षेत्र में उपलब्ध उत्पाद की अधिकतम उपलब्धता और साम्य वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाएं अब काम

कर रही हैं और त्रिपुरा में अब पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति में सुधार होना आरम्भ हो गया है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों को अशोधित तेल के मूल्य कम से कम रखने का अनुरोध

2592. **श्री छोतूभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों को अशोधित तेल के मूल्य यथासम्भव कम से कम रखने के लिए राजी करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारत तेल उत्पादक और निर्यातक देशों द्वारा तेल के मूल्यों में वृद्धि से तेल आयात करने वाले विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए मूल्यों में उचित अन्तर रखने और सुधारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिये जाने के लिए प्रयास कर रहा है।

दिल्ली के न्यायालयों में शपथ पर मिथ्या साक्ष्य मामलों के बारे में समाचार

2593. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 1 जून, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "दिल्ली कोर्ट टू स्पीड अप परजरी कैसेस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1980 तक प्रत्येक न्यायालय में शपथ पर मिथ्या साक्ष्य तथा कूट रचना से सम्बन्धित मामलों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ग) न्यायालयों में ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां। उच्च न्यायालय द्वारा विषय वस्तु की जांच की जा रही है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) साधारण तौर पर मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पिछले कुछ समय से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के दो और पद 1979 में उन तारीखों से, जिसको ये भरे जाएं, 2 वर्ष की अवधि के लिए सृजित किए गए थे।

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियमों में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से एकल न्यायाधीशों को नियमित प्रथम अपीलों की सुनवाई का अधिकार मिल गया है। इन प्रथम अपीलों पर पहले खण्ड न्यायपीठों द्वारा एडमिशन के लिए या नियमित निपटारे के लिए सुनवाई की जाती थी। नियमित प्रथम अपीलों के अभिलेखों को मुद्रण से छूट दे दी गई है।

(iii) दिल्ली न्यायिक सेवा के मंजूर पदों की संख्या में 26 पद और बढ़ा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के 4 और अस्थायी पद भी जनवरी, 1980 में उस तारीख से, जिसको वे भरे जाएं, 2 वर्ष की अवधि के लिए सृजित किए गए हैं।

जनता से राशियों को स्वीकार करने वाली कम्पनियां

2594. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने जनता से जमा राशियों/निधियों को एकत्रित किया है और जो अब परिसमाप्ति हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा एकत्रित की गई जमा-राशियों के भुगतान को सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से वापस करने को प्रथम प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जबकि 1974 के संशोधन अधिनियम द्वारा कम्पनी अधिनियम में गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जनता से निक्षेपों के प्रतिग्रहण को शासित करने के संचालित उपबन्ध पुरःस्थापित किये जा चुके है, कम्पनियां उससे भी पूर्व निक्षेपों को प्रतिग्रहीत करती रही हैं तथा ऐसी भी कम्पनियां हैं जो परिसमापित हो गई होंगी। तदनुसार, विशेष अवधि के अभाव में जिसके लिए सूचना मांगी गई है, उसको प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी। परिसमापित कम्पनी द्वारा अधिमान अदायगियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 में सूचीबद्ध है। अधिमान्य वर्गों में जनता के विज्ञापनों के माध्यम से कम्पनियों द्वारा प्राप्त निक्षेपों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

आयातित अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

2595. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 1980 के जून अथवा मई मास में वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल-मई, 1980 में आयातित अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के क्या मूल्य थे ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) ईराक, संयुक्त, अरब अमीरात और नाइजीरिया से आयातित खनिज तेल के सरकारी मूल्यों में मई 1980 में 2 डालर प्रति बेरल की वृद्धि की गई थी, परन्तु जून 1980 में वृद्धि नहीं हुई थी जबकि ईरान ने मई-जून 1980 के दौरान कोई वृद्धि नहीं की थी। अप्रैल में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा मई और जून 1980 में मिट्टी के तेल का औसतन अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम था। और एच० एस० डी० तथा ईंधन तेल के सम्बन्ध में यह मूल्य मई 1980 में थोड़ा सा अधिक था और जून 1980 में यह पुनः कम हो गया था।

विभिन्न ठेकों के अन्तर्गत खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दिये गये मूल्य बताना न तो जनहित में होगा और न ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप होगा।

असम में बंगला देश के शरणार्थी

2596. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश और पाकिस्तान के उन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जो गत छः महीनों के दौरान सीमा के पास असम में घुस आए हैं, असम को भारी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छः महीनों के दौरान कितने शरणार्थियों को पुनः बसाया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में स्वीकृति हेतु लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2597. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से कितनी और कौन सी विद्युत प्रजनन परियोजनायें स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित पड़ी हैं, और कब से;

(ख) प्रत्येक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बिजली की व्याप्त भारी कमी को देखते हुए परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्राधिकारियों

को प्रस्तुत की गई महाराष्ट्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त प्राप्त होने की तारीख	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. पवना जल-विद्युत परियोजना	1×10 मेगावाट	सितम्बर, 1977	3.95 करोड़ रुपये	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य द्वारा इस परियोजना हेतु आबंटित किए जाने वाले वित्तीय साधनों में सुधार होने तक, इस परियोजना के लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन स्थगित रखा गया है।
2. गिरना जल-विद्युत परियोजना	2×3.5 मेगावाट	जून, 1973	1.75 करोड़ रुपये	यद्यपि, 1973 में प्रस्तुत की गई संशोधित परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन उस समय निवेश सम्बन्धी स्वीकृति हेतु नहीं किया गया था क्योंकि राज्य के ग्रिड में इसका ऊर्जा सम्बन्धी योगदान थोड़ा था, किन्तु बाद में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि स्कीम के लिए

1	2	3	4	5
				पूर्ण औचित्य बताते हुए, वर्तमान कीमतों के आधार पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत करें । ये अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं ।
3. उज्जैनी चरण-एक ताप विद्युत परियोजना	2×500 मेगावाट	मई, 1978	341.92 करोड़ रुपए	इस परियोजना के लिए कोयला लिंकेज अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है ।
4. पारली विस्तार यूनिट-चार	1×210 मेगावाट	दिसम्बर, 1978	76.67 करोड़ रुपए	इस परियोजना के लिए कोयला सप्लाई का व्यावहारिक स्रोत तथा कोयला सप्लाई जिस समय सीमा में उपलब्ध होगी वह समय सीमा अभी सुनिश्चित नहीं हुई है ।
5. पश्चिम महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्र (बम्बई संबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०)	2×210/ 1×500 मेगावाट	जून, 1979	160.99/ 173.07 करोड़ रुपये	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह इष्टकर नहीं होगा कि बड़े आकार के ताप विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य ऐसी प्राइवेट वितरण कम्पनी को सौंप दिया जाए जिसे विद्युत उत्पादन या विद्युत केन्द्रों के निर्माण कार्य में कोई अनुभव या निपुणता प्राप्त नहीं है ।

1	2	3	4	5
6. उरण गैस टर्बाइन चरण-दो	4×60 मेगावाट	जनवरी, 1980	62.58 करोड़ रुपये	इस परियोजना के लिए गैस / एल. एस. एच. एस. की उपलब्ध की पुष्टि न होने के कारण तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा नहीं किया गया है।

तूतीकोरीन ताप संयंत्र

2598. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरीन ताप संयंत्र के पहले चरण के 210 मे०वा० क्षमता वाले यूनिट ने विद्युत उत्पादन आरंभ कर दिया है; और यदि हां, तो किस तारीख से;

(ख) 210 मे० वा० क्षमता का दूसरा चरण कब शुरू होने की संभावना है;

(ग) इस ताप संयन्त्र को रोजाना कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(घ) क्या यह सच है कि कोयला हल्दिया से जहाज द्वारा भेजा जाता है, यदि हां, तो क्या हल्दिया पत्तन में उक्त संयन्त्र के लिए कोयले के लदान की पर्याप्त क्षमता है;

(ङ) क्या तूतीकोरीन पत्तन इस संयन्त्र के लिये प्रतिदिन अपेक्षित कोयले की ढुलाई करने में समर्थ होगा; और

(च) यदि कोयले के लदान आदि में कोई गंभीर कठिनाई हो, तो विद्युत संयन्त्र के कुशल संचालन को बनाए रखने के लिए सरकार क्या वैकल्पिक कदम उठाना चाहती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। पहले यूनिट ने 9 जुलाई, 1979 से उत्पादन आरंभ कर दिया है।

(ख) 210 मेगावाट की दूसरी यूनिट को अगस्त-सितम्बर, 1980 तक चालू किए जाने की आशा है।

(ग) इस विद्युत केन्द्र के लिए रोजाना 3,000 टन कोयले की आवश्यकता होती है।

(घ) तूतीकोरीन ताप विद्युत सन्यन्त्र के लिए कोयला हल्दिया पत्तन द्वारा आता है। हल्दिया पत्तन को वर्तमान हैन्डलिंग क्षमता में कुछ कठिनाइयां हैं जिनके परिणामस्वरूप वह तूतीकोरीन ताप विद्युत केन्द्र के लिए निर्धारित क्षमता में माल हैंडिल कर सकने में समर्थ नहीं है।

(ङ) जी, हां। तूतीकोरीन का नया पत्तन, जो अभी निर्माणाधीन है, तूतीकोरीन ताप विद्युत केन्द्र की दैनिक आवश्यकता का कोयला हैंडिल कर सकने में समर्थ होगा।

(च) कोयले की ढुलाई सम्बन्धी कठिनाइयों यथा ईस्टर्न कोलफील्डस लि० द्वारा अपर्याप्त कोयला सप्लाई, अपर्याप्त वैगनों का आबंटन आदि, पर गौर किया जा रहा है तथा इस ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की पर्याप्त सप्लाई के मामले पर सम्बन्धित विभागों जिसमें रेलवे तथा कोयला विभाग शामिल हैं, के साथ जोरों से कार्रवाई की जा रही है।

बंगलौर को बम्बई और मद्रास के बीच सूक्ष्म तरंग से जोड़ने का प्रस्ताव

2599. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई और मद्रास के बीच की सूक्ष्म तरंग बंगलौर शहर से होकर जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का इस क्षेत्र को दूरदर्शन के अन्तर्गत लाने के लिए बंगलौर को दूसरे केन्द्रों से जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे वर्धक केन्द्र के रूप में प्रयोग करके इसका लाभ उठाने का तथा इन दो स्थानों के दूरदर्शन कार्यक्रमों का लाभ बंगलौर के दर्शकों तक पहुंचाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू 'योजना' अवधि के दौरान बंगलौर में एक स्टूडियो तथा 10 कि० वा० के एक ट्रांसमीटर के साथ पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र को बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र और स्थानीय डाक-तार माइक्रोवेव टर्मिनल के बीच एंड-लिंक सुविधाएं उपलब्ध करके खेलकूद के कार्यक्रम सहित कार्यक्रमों के विनिमय के लिए मद्रास और बम्बई के बीच माइक्रोवेव सर्किट से जोड़ा जा सकता है।

पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और सरकारी मोटर वाहनों पर उसका प्रभाव

2600. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल और डीजल की कीमतें 65 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी है और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने लाभ अथवा हानि की सम्भावना है;

(ख) इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी मोटर वाहनों पर व्यय में कितनी वृद्धि की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस व्यय को कम करने की कोई योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, हां। सरकार को कोई लाभ हानि नहीं है, परन्तु इस वृद्धि से अनुमान है कि तेल उद्योग को 1020 करोड़ रुपये

प्रति वर्ष की प्राप्ति होगी जिससे कि आयातित खनिज तेल तथा कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त लागत को पूरा किया जायेगा ।

(ख) 1978-79 के आंकड़ों के आधार पर मोटे अनुमानों के अनुसार सरकारी राज्य सड़क परिवहन उद्यमों की गाड़ियों पर हाई स्पीड डीजल तेल के बढ़े हुए मूल्य के कारण करीब 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा । पेट्रोल का उपयोग करने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय मन्त्रालयों/राज्य सरकारों को गति सीमा पर प्रतिबन्ध लगाने तथा परिवहन उद्यमों आदि में अधिक कार्यकुशलता तथा संरक्षण प्राप्त करने का परामर्श देकर ईंधन की बेकार खपत को समाप्त करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

वर्ष 1980-81 के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का आयात

2601. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान आयात किये जाने वाले कच्चे तेल तथा मिट्टी के तेल सहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कुल मात्रा के विषय में पेट्रोलियम निर्यात करने वाले विभिन्न देशों के साथ पक्की तौर पर अन्तिम बात कर ली गई है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इन वस्तुओं की आपूर्ति की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों (मिट्टी के तेल सहित) की हमारी सम्पूर्ण पूर्वानुमानित अपेक्षित मात्रा के आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इससे और अधिक ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

विभिन्न राज्यों को बिजली का वितरण करने का मानदण्ड

2602. **श्री पियूष तिरकी** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को बिजली का वितरण करने का क्या मानदण्ड है; और

(ख) पश्चिम बंगाल में बिजली की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य को बिजली की पर्याप्त सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्य, विद्युत की अपनी मांग अपने उत्पादन केन्द्रों से उपलब्ध विद्युत से तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं और केंद्रीय परियोजनाओं में यदि उनका कोई हिस्सा हो तो उस हिस्से से पूरी करते हैं । क्षेत्रीय बिजली बोर्ड क्षेत्र के भीतर ही जिन राज्यों में फालतू बिजली होती है उन राज्यों से उनके पड़ोस के कम बिजली वाले राज्यों को जिस सीमा तक सम्भव हो उस सीमा तक सहायता करने का प्रबंध करता है । प्रणाली की स्थितियों पर निर्भर रहते हुए, कभी-कभी अन्तर्क्षेत्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है । कुछ मामलों में, राज्यों ने विद्युत के विनिमय के लिए द्विपक्षी समझौते किए हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल व्यस्ततमकालीन कमी का सामना कर रहा है तथा इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य ने प्रतिबन्ध लगाए हैं। यह राज्य मुख्य रूप से ताप विद्युत उत्पादन पर आश्रित है। भारत सरकार ताप विद्युत और गैस टर्बाइन केन्द्रों को कोयले और ईंधन तेल की सप्लाई की मानीटरिंग करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईंधन के अभाव में उत्पादन में कमी न होने पाए।

केन्स फिल्म समारोह में भारतीय फिल्मों का विपणन

2603. **श्री नवीन रवाणी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले केन्स फिल्म समारोह में कितने तथा कौन-कौन से अधिकारियों को भेजा गया था और वहां भारतीय फिल्मों के विपणन कार्य के प्रभारी कौन थे;

(ख) वहां पर कितनी तथा कौन-कौन सी फिल्मों को किस-किस द्वारा बेचा गया था; और

(ग) यदि विपणन अन्य प्रदेशों की तुलना में कम था, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन था तथा इस प्रकार की गम्भीर कमियों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) चार अधिकारियों अर्थात् :

1. श्री आर० रैना,
2. कुमारी बिन्दु बत्रा,
3. श्री सी० एफ० जोसेफ, और
4. श्री सी० एच० बाबू राव

को 1980 में केन्स फिल्म समारोह में भेजा गया था राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सर्वश्री सी० एफ० जोसेफ और श्री सी० एच० बाबूराव वहां भारतीय फिल्मों के विपणन कार्य के लिए उत्तरदायी थे।

(ख) केन्स में खरीददारों द्वारा काफी संख्या में भारतीय फिल्में देखी गई थी। लगभग 35.50 लाख रुपए के कुल मूल्य की 80 फिल्मों के पक्के प्रस्ताव मैसर्स यूनीवर्स एक्सपोर्ट सिंडीकेट (50 फिल्में) और यूनीवर्स गलैक्सी फिल्म्स (30 फिल्में) से प्राप्त हुए थे। मैसर्स यूनीवर्स गलैक्सी फिल्म्स गैर-वाणिज्यिक अधिकारों के लिए 25 तमिल फिल्में और फ्रांस में वाणिज्यिक उपयोग के लिए 5 हिन्दी फिल्में लेने के लिए सहमत हो गया है। अन्तिम चयन के लिए फिल्मों के नाम इन कम्पनियों को भेजे जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की टीम के विपणन प्रयास काफी सफल थे। निगम को निःसन्देह भावी समारोहों में अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करना होगा।

छोटी-छोटी इकाइयों से लिए जाने वाले न्यूनतम बिजली शुल्क को समाप्त करने की मांग

2604. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एफ० ए० एस० आई० आई० जो कि क्षेत्र की एक प्रमुख संस्था ने छोटी-छोटी इकाइयों पर लगाए गए न्यूनतम बिजली शुल्क को समाप्त करके तथा अधिकांश मात्रा में होने वाली बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करने के लिए आसान ऋणों की व्यवस्था करके कुछ राहत देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की अत्याशित कटौती तथा अधिकांश क्षेत्रों में होने वाली अत्यधिक बिजली की कमी के मामलों में लघु एककों को राहत देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) राहत देने या न्यूनतम बिजली शुल्क को समाप्त करने के मामले पूर्ण रूप से राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं । राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारें जो भी राहत देना उचित समझें वह राहत देने के लिए वे पूर्ण सक्षम हैं । इसलिए प्रश्न नहीं नहीं उठता ।

उड़ीसा में जिला स्तर के आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना करना

2605. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर में एक जिला स्तर के स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जाएगा और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या उड़ीसा में किन्हीं अन्य जिला स्तर के स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अनन्तिम रूप से उड़ीसा में क्योंझर में जिला स्तर के स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन योजना के बारे में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा । इस परियोजना पर 50 लाख रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) जी, नहीं ।

मेहसाना गुजरात में कोयला निक्षेपों का अप्रयुक्त पड़ा रहना

2607. **श्री आर० पी० गायकवाड़**
मोती भाई आर० चौधरी } : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की करेंगे कृपा कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के मेहसाना जिले में कोयले का भारी निक्षेप उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार तेल मिश्रित लगभग 15000 लाख टन कोयला मेहसाना-कलोल बेल्ट में 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विद्यमान है; और

(ग) क्या इतनी गहराई से कोयले के विदोहन के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास करने का विचार है क्योंकि कोयले के वर्तमान स्रोत तेजी तेजी से घट रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) "तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन" द्वारा मोटे तौर से लगाए गए अनुमान के अनुसार 1,000 तथा 1,500 मीटर की गहराई में लगभग 3755 मिलियन टन कोयले के भण्डार हैं जो गुजरात में कलोल तेल क्षेत्र के दो तेल उत्पादक संस्तरों से मिले हुए हैं। जिस क्षेत्र में ये भण्डार पाए गए हैं उसके लगभग 215 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान है। किन्तु, ये कोयला सीमें तेल और गैस भण्डारों से अत्यधिक मिली हुई है इसलिए, इनमें खनन कार्य करना तेल और गैस स्रोतों की समाप्ति के बाद ही साध्य होगा।

फिल्म्स डिविजन बम्बई के लिए वित्तीय परिव्यय

2608. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म्स डिविजन, बम्बई ने वर्ष 1979-80 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए 95.50 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वित्तीय वर्ष के दौरान योजनावार, वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई थी; और

(ग) परियोजनागत व्यय में यदि कोई कमी हुई हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, नहीं। शुरू में फिल्म प्रभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृत बजट अनुदान 140 लाख रुपए था। मध्य अवधि पुनरीक्षण और योजनाओं की जांच के पश्चात आबंटन को संशोधित कर 26.68 लाख रुपए किया गया था। 1979-80 के दौरान वास्तव में खर्च हुई राशि 25.87 लाख रुपए थी। इसका ब्योरा इस तरह है :

योजना का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1. प्रिंटों की संख्या में वृद्धि	9.63
2. उपकरणों का आधुनिकीकरण	10.22
3. ग्रामीण श्रोताओं के लिए विशेष फिल्मों का निर्माण और 16 मिलीमीटर टेक्नालाजी का विकास	5.59
4. फिल्म विधायन प्रयोगशाला, दिल्ली	10.43
योग	25.87

प्रादेशिक चित्रहार में क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दिया जाना

2609. **श्री आर० के० महालंगी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन और बम्बई दूरदर्शन के साप्ताहिक "प्रादेशिक चित्रहार" कार्यक्रम के लिए गानों के चयन के मामले में कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को अपर्याप्त रूप से स्थान दिया जाता है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए गानों को चुनने में किस नीति का पालन किया जा रहा है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1980 से 31 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान दिल्ली और बम्बई दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत किए गए गानों का भाषावार किस प्रकार वितरण किया गया;

(घ) क्या विभाग और सरकार को कोई शिकायतें मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो वे किस प्रकार की है और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र हर सप्ताह 30 मिनट का प्रादेशिक भाषायी चित्रहार कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है। बम्बई दूरदर्शन केन्द्र हर महीने "चित्रगीत" के दो कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है—एक मराठी में और दूसरा गुजराती में ।

इस कार्यक्रम के लिए गीतों का चयन अनेक बातों अर्थात स्थानीय वितरकों से प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्मों के गीतों की उपलब्धता और संगीत तथा दृश्य की दृष्टि से उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करता है। इन कारणों से कन्नड़, भोजपुरी, मराठी और गुजराती जैसी कुछ प्रादेशिक भाषाओं का दिल्ली के इस कार्यक्रम में यथा अनुपात प्रतिनिधित्व नहीं होता।

(ख) पहले ही रिलीज हुई फिल्मों से केवल उन्हीं गीतों का चयन किया जाता है, जिनके संगीत का पाठ अच्छा होता है और जो परिवार के साथ देखने योग्य होती हैं।

(ग) सन्दर्भाधीन अवधि के दौरान दिल्ली केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में टेलीकास्ट किए गए गीतों को दर्शाने वाला विवरण =1 संलग्न है।

जैसा कि पहले कहा गया है, बम्बई दूरदर्शन केन्द्र हर महीने दो प्रादेशिक "चित्रहार" कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है—एक पूर्णतया मराठी में और दूसरा पूर्णतया गुजराती में।

(घ) और (ङ) केन्द्रों को कार्यक्रमों की आवृत्ति और अवधि बढ़ाने के सुझाव/अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। कभी-कभी किसी भाषा में अधिक गीत टेलीकास्ट करने के अनुरोध प्राप्त होते हैं जिसके लिए दिल्ली केन्द्र उन भाषाओं के गीतों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, बशर्ते कि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध हों।

दूरदर्शन केन्द्रों को प्राप्त सभी सुझावों/अनुरोधों को कार्यान्वित करना कठिन है, क्योंकि ट्रांसमिशन की अवधि और कतिपय भाषाओं के फिल्मी गीतों की स्थानीय रूप से उपलब्धि सीमित है।

विवरण-1

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा जनवरी-मार्च, 1980 की अवधि के दौरान प्रादेशिक चित्रहार में टेलीकास्ट किए गए गीतों की संख्या

कार्यक्रमों की कुल संख्या=13	प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि = 30 मिनट	टेलीकास्ट किए गए गीतों की कुल संख्या = 91

प्रत्येक भाषा में टेलीकास्ट किए गए गीतों की संख्या

तमिल	तेलुगु	मलयालम	कन्नड़	पंजाबी	भोजपुरी	मराठी	बंगला	गुजराती
10	15	19	4	15	1	6	18	3

वाराणसी रेडियो स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

2610. **श्री जैनुल बशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कला और संस्कृति के क्षेत्र में वाराणसी के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए सरकार का विचार वाराणसी रेडियो स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे एक स्वतंत्र रेडियो स्टेशन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी, वाराणसी का पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन के रूप में दर्जा बढ़ाना एक स्वीकृत 'योजना' स्कीम है स्टूडियों का निर्माण कार्य पहले ही मुकम्मल हो चुका है और इंस्टालेशन सम्बन्धी कार्य चल रहा है। स्टूडियो के फरवरी, 1981 तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली प्रादेशिक भाषा की फिल्में

2611. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली टेलीविजन पर प्रादेशिक भाषा की कितनी फिल्में दिखाई गई;

(ख) प्रादेशिक फिल्मों के चयन का क्या मापदण्ड है;

(ग) क्या टेलिविजन पर प्रादेशिक फिल्मों को अधिक बार दिखाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) टेलीकास्ट किए जाने के लिए प्रादेशिक और हिन्दी की फीचर फिल्मों के चयन का मापदण्ड इस प्रकार है :

1. दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली कोई भी फिल्म या अन्य सामग्री उन निर्देशों के अनुरूप होगी जो फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए हुए हैं।
2. केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'ए' के रूप में प्रमाणीकृत फिल्में टेलीकास्ट नहीं की जायेंगी।

3. 'ए' के रूप में प्रमाणीकृत फिल्मों से कोई अनुक्रम भी 'चित्रहार' या इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों में नहीं दिखाया जाएगा ।

4. 'यू' के रूप में प्रमाणीकृत फिल्में भी विधिवत् गठित समिति द्वारा प्रिव्यू की जानी चाहिए और फिल्मों को टेलीकास्ट करने से पहले उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए।

5. कोई भी ऐसी फिल्म जिसका प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है और इसलिए उसको 'अप्रमाणीकृत' समझा जाता है, दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जायेगी ।

6. दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्में सामाजिक उद्देश्य वाली होनी चाहिएं और परिवार के साथ देखने योग्य होनी चाहिएं ।

(प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में सामान्यतया बारी-बारी दिखाई जाती हैं बशर्ते कि सम्बन्धित भाषाओं की फिल्में उपलब्ध हों) ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा वर्ष 1979 और 1980 के दौरान 11-5-80 तक टेलीकास्ट की गई प्रादेशिक फिल्मों की संख्या क्रमशः 28 और 9 थी । इन फिल्मों का भाषा-वार ब्योरा इस प्रकार है :

प्रादेशिक फिल्म की भाषा	1-1-79 से 31-12-79 तक	1-1-80 से 11-5-80 तक
बंगला	3	2
उड़िया	2	1
असमिया	2	1
कन्नड	2	1
तमिल	3	—
भोजपुरी	3	—
पंजाबी	2	1
मल्यालम	2	—
गुजराती	2	1
तेलुगु	2	1
मराठी	2	1
सिंधी	1	—
काश्मीरी	2	—
कुल :	28	9

केरल में पालघाट में करियार कुट्टी करपारा परियोजना

2612. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पालघाट में करियार कुट्टी करपारा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) करपारा करियार कुट्टी परियोजना एक बहुद्देश्यीय परियोजना है, जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 95 मेगावाट है। परियोजना की अनुमानित लागत 48.55 करोड़ रुपए है, जिसमें से 32.06 करोड़ रुपए विद्युत के हिस्से में डाले जाने हैं। जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी। जल विज्ञान, अभिकल्प सम्बन्धी पहलुओं, तथा अनुमानित लागत पर टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को अप्रैल/जून, 1979 में भेजी गई थी। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

2. बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण इस स्कीम की स्वीकृति हेतु इस पर पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति में कार्रवाई की जाएगी तथा इसके बाद विद्युत संघटक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्रवाई की जायेगी।

(ख) और (ग) इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक राज्य में कोयले के वितरण के लिए स्टाक यार्ड

2613. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का वितरण करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टाकयार्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कुछ कार्यकारी दल गठित किए गए हैं जो पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तरी रीजन में विविध-वस्तुओं के डम्प—जिनमें कोयला और कोक भी होगा स्थापित करने के प्रश्न की जांच करेंगे। इस बीच कोल इंडिया लि० ने साफ्ट कोक का वितरण करने के लिए कलकत्ता तथा सिलीगुड़ी में कुछ डम्प स्थापित किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन न दिया जाना

2614. **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि जो समाचार पत्र विभिन्न मतों तथा साम्प्रदायों में घृणा फैलाते हैं उन्हें विज्ञापन न दिये जाएं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान वाराणसी से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर, 1979 के 'आज' में 'साम्प्रदायिकता पनपाने का पाप' शीर्षक के सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता का आदर करती है और इससे यह आशा करती है कि यह निष्पक्ष और उत्तरदायी हो । हम इस मामले में भारतीय प्रेस परिषद की राय लेने के लिए इसको उसके पास भेज रहे हैं ।

भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम और भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा मकानों का छोड़ा जाना

2615. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम तथा भारत पेट्रोलियम निगम ने उनके कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक आवास समस्याओं का सामना करने के बावजूद कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली में पट्टे पर लिये गये और किराये पर लिए गए मकानों को छोड़ दिया है और मकान मालिकों को वापस कर दिया है;

(ख) उपरोक्त स्थानों पर खाली किये गये मकानों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन स्थानों पर कर्मचारियों की आवास समस्याओं के समाधान के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

2616. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात वर्ष 1974-79 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन बिहार को कुल कितनी धनराशि दी थी और उसमें से इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण के योजना लिए नियत की गई पूरी धनराशि का उपयोग नहीं कर सका; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए नियत की गई राशि का शत-प्रतिशत उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना जो 1974-75 में आरंभ हुई थी तथा 1978-79 में समाप्त होनी थी, 1977-78 में समाप्त हो गई। 1974-78 की अवधि के दौरान बिहार की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण किस्तों की लगभग 35.78 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। पांचवीं योजना के आरम्भ होने के समय पर उपयोग न की गई 9.79 करोड़ की राशि को हिसाब में लेते हुए, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना के दौरान उपलब्ध कुल धनराशि 45.57 करोड़ रुपये थी। 1974-78 की अवधि के दौरान इसमें से 35.70 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में लाई गई थी। 1979-80 के दौरान 14.34 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की किस्तों का भुगतान किया गया है। 1979-80 के दौरान उपयोग में लाई गई राशि 4 करोड़ रुपये थी।

(ख) खर्च किए जाने के लिए 20.21 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च, 1980 के अन्त में शेष थी। यह राशि बिहार में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए आगामी वर्षों में खर्च की जाएगी।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि निर्माण सामग्री की सप्लाई में कमी के कारण और संगठनात्मक तथा परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा भुगतान की राशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकना सम्भव नहीं हो सका।

हिन्दालको को बिजली की सप्लाई

2617. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक वर्षवार, उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत व्यवस्था द्वारा हिन्दालकों को बिजली की कितनी औसत दैनिक सप्लाई (मेगावाट में) की गई थी;

(ख) समान अवधि के दौरान वर्षवार हिन्दालकों को यह बिजली किस दर (प्रति मेगा-वाट) से सप्लाई की गई थी;

(ग) वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक वर्षवार उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत व्यवस्था ने घरेलू उपभोक्ताओं, लघु उद्योगों, मध्यम दर्जे के उद्योगों और अन्य बड़े उद्योगों को किस दर से बिजली सप्लाई की (दैनिक औसत); और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि हिंदालको के साथ कोई विशेष रियायत बरती गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सप्लाई की गई सूचना के अनुसार, 1975-76 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने हिंडालकों की प्रतिदिन की अधिकतम औसत मांग नीचे लिखे अनुसार पूरी की थी :

1975-76	41.62 मेगावाट
1976-77	72.18 मेगावाट
1977-78	12.25 मेगावाट
1978-79	27.03 मेगावाट
1979-80	47.30 मेगावाट

उपर्युक्त सप्लाई के अतिरिक्त, हिंडालको के अपने रेणुसागर विद्युत केन्द्र से विद्युत के उत्पादन में कमी हो जाने पर, समय-समय पर और जब कभी आवश्यक होता था तब, हिंडालको को लगभग 60 मेगावाट तक की अवलम्ब रूप तथा आपात सहायता भी दी गई है।

(ख) 1-4-1975 से 29-6-1975 तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 1.9977 17 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रभार लिए थे। 30-6-1975 से 31-3-1980 तक (मुख्य सप्लाई के लिए) लागू दरें विवरण-1 में दी गई हैं। 1-4-1975 से 29-6-1975 तक अवलम्ब तथा आपात सहायता के लिए सप्लाई की दरें 3.75 रुपये प्रति के० वी० ए० प्रति सप्ताह+11.1 पैसे प्रति यूनिट +ईंधन अधिभार+यथा लागू बिजली ड्यूटी थीं। 30-6-1975 से 31-3-1980 तक की अवधि के दौरान अवलम्ब रूप तथा आपात सहायता के लिए सप्लाई की दरें विवरण-2 में दी गई हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में घरेलू, लघु तथा मध्यम विद्युत, बड़े पैमाने पर तथा अत्यधिक बड़े पैमाने पर विद्युत की श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू ए० सी० सप्लाई के लिए औसत दर दिखाने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-3)।

(घ) मैसर्ज हिंडालको को विद्युत की सप्लाई उत्तर प्रदेश सरकार तथा मैसर्ज हिंडालको के बीच 29-10-1959 को हुए एक करार के अनुसार की गई थी। यह करार 25 वर्ष की लंबी अवधि के लिए था और विद्युत सप्लाई शुरू किए जाने की तारीख से अर्थात् 3-4-1962 से 16 वर्ष की अवधि तक इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। इस दर में शेष 9 वर्षों की अवधि के लिए परस्पर सहमति से अधिकतम 10% तक का संशोधन किया जा सकता था। नया करार 30-6-1975 को निष्पादित किया गया था जो 30-6-1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू था।

विवरण-1

30.6.75 से और बाद में मैसर्स हिन्डलको की मुख्य सप्लाई के लिए लागू दरों को दिखाने वाली विवरण

ब्यौरा	30.6.75 से (पैसे/यूनिट)	15.5.76 से (पैसे/यूनिट)	1.3.78 से लेकर 30.6.78 तक (पैसे/यूनिट)	1.7.78 से (पैसे/यूनिट)	1.6.79 से (पैसे/यूनिट)
1	2	3	4	5	6
1. अधिकतम संविदात्मक ऊर्जा का प्रथम 25%	9.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	9.5+2.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	9.5+2.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	13.0968+ ओ.सी.सी.वी.ए.	15.61+ ओ.सी.सी.वी.ए.
2. अधिकतम संविदात्मक ऊर्जा का अगला 25%	10.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	10.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	10.5+2.2+ ओ.सी.सी.वी.ए.	14.4754+ ओ.सी.सी.वी.ए.	17.25+ ओ.सी.सी.वी.ए.
3. अधिकतम संविदात्मक ऊर्जा का अगला 25%	11.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	11.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	11.5+2.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	15.8540+ ओ.सी.सी.वी.ए.	18.89+ ओ.सी.सी.वी.ए.
4. सभी शेष यूनिट अधिकतम संविदात्मक सीमा तक	12.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	12.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	12.5+2.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	17.2326+ ओ.सी.सी.वी.ए.	20.53+ ओ.सी.सी.वी.ए.
5. पूरी विद्युत की लागू दर (बिजली पर किसी भी प्रकार के सभी करों और शुल्कों समेत)	11.00+ ओ.सी.सी.वी.ए.	11.00+ ओ.सी.सी.वी.ए.	11.00+2.5+ ओ.सी.सी.वी.ए.	15.1647+ ओ.सी.सी.वी.ए.	18 07+ ओ.सी.सी.वी.ए.

(करार में की गई व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.सी.वी.ए. में ईंधन अधिकार हेतु भारत सरकार ने 18.10.78 से 1.5 पैसे प्रति यूनिट लेने की अनुमति दे दी ।)

टिप्पणियां:—(1) ओ.सी.सी.वी.ए. सूचित करता है ओवरा के कोयले की लागत में विभिन्नता संबन्धी समायोजन को ।

(2) टैरिफो की सामान्य पुनरीक्षा के समय उपरोक्त दी गई दरों में इनके करार में दिए गए प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर वृद्धि की गई ।

विवरण-2

30-6-1975 से तथा इसके बाद मैसर्ज हिंडालको को अविलम्ब रूप तथा आपात सहायता सप्लाई पर लागू टैरिफों को दिखाने वाला विवरण

ब्यौरा	30-6-75 से	15-6-76 से	1-3-78 से लेकर 30-6-78 तक	1-7-78 से	1-6-79 से
1	2	3	4	5	6
1. प्रभार्य मांग	3.75 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति सप्ताह	3.75 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति सप्ताह	3.75 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति सप्ताह	3.75 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति सप्ताह	5.00 रुपये प्रति के.वी.ए. प्रति सप्ताह
2. प्रभार्य ऊर्जा (ईंधन लागत संबंधी घट-बढ़ हेतु समायोजन तथा बिजली शुल्क को छोड़कर)	11.1 पैसे/यूनिट	12.025 पैसे/यूनिट	12.025+2.5 पैसे/यूनिट	15.725 पैसे/यूनिट	27.75 पैसे/यूनिट
3. न्यूनतम वार्षिक मांग प्रभार	रु० 5,26,000.000 प्रति मास की दर से रु० 63,10,966.80 प्रभार्य तथा	रु० 5,26,000.00 प्रति मास की दर से रु० 63,10,966.80 प्रभार्य तथा	रु० 5,26,000.00 प्रति मास की दर से रु० 63,10,966.80 प्रभार्य तथा	रु० 6,19,500,000 प्रति मास की दर से रु० 74,33,300.16 प्रभार्य	रु० 10,27,777.80 प्रति मास की दर से रु० 1,23,33,333.60 प्रभार्य

टिप्पणी :—(1) कालम 2 से 6 के अन्तर्गत मांग प्रभार समय-समय पर लागू साप्ताहिक आधार पर परिवर्तित, भारी विद्युत टैरिफ के मांग प्रभार के प्रथम भाग पर आधारित है।

(2) कालम सं० 2 से 6 के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभार, स्वीकार्य छूट देने के पश्चात् समय-समय पर लागू की गई भारी विद्युत टैरिफ के ऊर्जा प्रभार के प्रथम भाग पर आधारित है।

(3) ईंधन सरचार्ज तथा बिजली शुल्क सामान्य अधिक विद्युत खपत वाले उपभोक्ताओं पर समय-समय पर लागू दरों पर उदग्राह्य है।

(4) उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों पर बोर्ड द्वारा 1-3-78 से 30-6-78 तक की अवधि के लिए लगाया गया 2.5 पैसे/यूनिट अतिरिक्त प्रभार अवलम्ब रूप तथा आपात सहायता सप्लाई पर भी लगाया गया है।

विवरण-3

15.6.76 से तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में ए० सी० सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू औसत दरों को दिखाने वाला विवरण।

क्र० सं०	उपभोक्ताओं की श्रेणियां	वोल्टेज जिस पर टैरिफ लागू हैं (वोल्ट्स)	औसत दर निकालने का आधार	प्रति यूनिट औसत दर पैसों में			
				15.5.76 से लागू	1.7.78 से लागू	1.6.79 से लागू	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	घरेलू बिजली और पंखे	230	समान दर	41.00 +ई.डी.2.00	45.00 +ई.डी.2.00	45.00 +ई.डी.2.00	—
2.	100 बी.एच.पी. (75 किलोवाट) तक कम और मध्यम विद्युत	400	समान दर	24.00 +ई.डी.100	30.00 +ई.डी.1.00	35.00 +ई.डी.1.00	16.2.80 से बिजली शुल्क की दर बढ़ाकर 2.00 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6 7	8
3.	75 किलोवाट (100 बी.एच.पी.) 400 से अधिक तथा 200 किलोवाट (235 के. वी.ए.) तक की अधिक विद्युत	400	100 किलोवाट 40% भार अनुपात 29,200 यूनिट प्रति मास	17.10 +ई.डी.1.00 +ईंधन सर-चार्ज	20.05 +ई.डी.1.00 +ईंधन सर-चार्ज	38.21 +ई.डी.1.00 (11,000 वोल्ट की सप्लाई पर लागू)	16-2-80 से बिजली की दर बढ़ाकर 2.00 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है।
4.	200 किलोवाट (235 के.वी.ए.) से अधिक	400	5,000 के.वी.ए., 60% भार अनु-पात 18, 61, 500 यूनिट प्रति मास	15.45 +ई.डी.1.00 ईंधन सरचार्ज	19.45 +ई.डी.1.00 ईंधन सरचार्ज	34.98 +ई.डी.1.00 (11,000 वोल्ट की सप्लाई पर लागू)	-वही-

टिप्पणी :—विद्युत उत्पादन पर भारत सरकार द्वारा 1.3.78 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लगाए जाने के परिणामस्वरूप तथा इसी तारीख़ से ही कोयले और ईधन तेल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने से 1.3.78 से 30.6.78 तक की अवधि के लिए 2.5 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है। चंडीगढ़ के अन्दर एक लड़की को बगैर किसी मुकदमे के पुलिस थाने में रखा गया पुलिस कस्टडी में और उसको सारी रात रखा गया। सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, उत्तर काशी के अन्दर एस० डी० एम० ने बलात्कार किया, मुरादाबाद के अन्दर एस० एच० ओ० ने बलात्कार किया..... (व्यवधान)...बागपत के अन्दर पुलिस ने बलात्कार किया..... यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह लोक सभा सुप्रीम बाडी है और हमें ही देश को कोई रास्ता देना है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। यह बहुत गम्भीर मामला है...

श्री मनीराम बागड़ी : चंडीगढ़ सेंटर में आता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए...

श्री मनीराम बागड़ी : होम मिनिस्टर बार-बार राज्य सभा में गए हैं, लोक सभा में आकर उन्होंने बात भी नहीं की है। लोक सभा जो सुप्रीम बाड़ी है, देश की चुनी हुई जो आपकी लोक सभा है वहां ज्ञानी जैलसिंह, गृह मन्त्री ने आकर एक दफा भी नहीं कहा, वहां तीन दफा कहा। मालूम देता है जैसे कोई जेठ और वहू का रिश्ता हो। वह बहू हैं जो जेठ के सामने आकर ध्यान भी नहीं देना चाहते कि क्या करना है क्या नहीं करना है...(व्यवधान)...आप कोई रास्ता निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेरी बात सुनिए। मैं निकालूंगा रास्ता।

यह बहुत गम्भीर समस्या है। स्त्रियों के साथ इस प्रकार का अमानुषिक बर्ताव कोई करता है, यह बहुत गलत है। इसको एक सामाजिक तरीके से हमको रोकना है। गवर्नमेंट और आप सब मिलकर यह करेंगे तब होगा। मैं होम मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा। उन्होंने कल वहां बयान भी दिया है.....

श्री मनीराम बागड़ी : यहां क्यों नहीं दिया।.....

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप 377 में आइए। इसमें मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। इसमें कल्स इजाजत नहीं देंगे। आप 377 में आइए।...(व्यवधान)...मैं आपकी बात सुनूंगा।...(व्यवधान)...

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पर विधि आयोग का 81वां प्रतिवेदन और केन्द्रीय वक्फ परिषद् का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पर विधि आयोग के 81वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 976/80]

(2) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—977/80]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा कि एक के बाद एक को सुनेंगे आप।

अध्यक्ष महोदय : अब किस बात पर आप को कहना है ?

श्री राम विलास पासवान : मेरी बात आकाशवाणी के सम्बन्ध में है। साठे साहब यहां बैठे हुए हैं। लोक सभा की कार्यवाही को आकाशवाणी द्वारा जानबूझ कर सप्रेस किया जाता है। जो भी लोक सभा में कार्यवाही चलती है चाहे वह प्रिविलेज मोशन हो···

अध्यक्ष महोदय : यह मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह सुन रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : कल यहां प्रिविलेज मोशन पर मामला चला था। आप ने रूलिंग दी है। तमाम अखबारों में आया है, रेडियो पर नहीं आया है। कल इसी हाउस में कालिंग अटेंशन हुआ आप के रेडियो पर नहीं आया···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे भी लूंगा।

श्री राम विलास पासवान : साठे साहब, आप के प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है लेकिन इस तरह विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप कह दीजिए कि आपने कोई सप्रेशन लगा दिया है—विरोधियों की बातों के ऊपर।···(व्यवधान)···यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, हमारे पास यह कार्यवाही है इसको देखिए और रेडियो की सारी न्यूज को देखिए, उसमें यह कहीं नहीं है। राज्य सभा की सारी कार्यवाही आती है, लेकिन लोक सभा की कार्यवाही नहीं आती है। यह क्या है ?

रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने की योजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 26 पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करना

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं रंगीन दूरदर्शन आरम्भ करने की योजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 26 पर डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के 10 जून, 1980 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक

वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—978/80]

श्री मनीराम बागड़ी : प्वाइन्ट आफ आर्डर। हमारी लोकसभा का एक नियम है कि जो भी कार्यवाही हो वह हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में मिले।

अध्यक्ष महोदय : दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी।

श्री मनीराम बागड़ी : लेकिन मुझको सिर्फ अंग्रेजी में दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यह कह दिया गया है। मिलेगी आपको। श्री मगन भाई बारोट—सभा पटल पर रखे गए पत्र ?

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर उपायों सम्बंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन और अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के बारे में तथा भारतीय उर्वरक निगम लि०, नांगल एकक के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर उपायों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—979/80]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियाँ—खंड 1—अप्रत्यक्ष कर और खंड 2—प्रत्यक्ष कर। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—980/80]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1979 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग—3—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (नांगल एकक)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—981/80]

श्री मनीराम बागड़ी : मैं नहीं चाहता की एक्साइटमेन्ट हो। उपदेश के पत्र तो लिख देते हैं लेकिन घर मंत्री जी को नहीं कहते कि लोकसभा में आकर··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर ध्यान देंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने आरोप लगाया है कि आकाशवाणी के द्वारा लोकसभा की कार्यवाही को जानबूझ कर सप्रैस किया जाता है। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसंत साठे) : यह गलत बात है। आपका आरोप बिल्कुल असत्य है।

श्री राम विलास पासवान : आप जांच कराइए ।

श्री वसंत साठे : जांच कराने का सवाल नहीं है, मैं आपको पूरा ब्यौरा दे दूंगा । **(व्यवधान)** ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने गैर-पार्लमेन्टरी शब्द का इस्तेमाल किया है । उन्होंने कहा है आप असत्य बोलते हैं । उनको कोई अधिकार नहीं है असत्य कहें । आप कौन होते हैं असत्य कहने वाले । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : झूठा नहीं कहा है । झूठा शब्द अनपार्लमेन्टरी है । असंसदीय शब्द नहीं रखा जाता है ।

श्री वसंत साठे : "अनट्रू" अंग्रेजी में तो समझ में आता है । मैंने आपको झूठा नहीं कहा है, अनट्रू कहा है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव—श्री हरिकेश बहादुर ।

— ——

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

'उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के ग्यानसु गाँव में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति'

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के ग्यानसु गांव में बादल फटने तथा समस्त गांव के कथित नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप लोगों पर आ पड़ी घोर विपत्ति ।"

कृषि और ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें, तो मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा··· **(व्यवधान)**

रेलमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : प्वाइंट आफ आर्डर, सर । यहाँ की हमेशा यह परम्परा रही है कि हिन्दी में सवाल किए जाते रहे तो अंग्रेजी में जवाब दिए जाते रहे ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी कोई मनाही नहीं है । **(व्यवधान)** ऐसी कोई बात नहीं है । जिसको हिन्दी में बोलना हो हिन्दी में बोले और अंग्रेजी में बोलना हो अंग्रेजी में बोले । इसमें कोई मनाही नहीं है ।

मान्यवर, हिन्दी में सवाल होता है तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता रहा है और अंग्रेजी में सवाल होता है, तो हिन्दी में जवाब दिया जाता रहा है । यहाँ की परंपरा है कि दोनों भाषाएं चलती रही हैं, दोनों को चलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई रुकावट नहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इसमें अच्छा होता है कि हिन्दी में सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे दो और अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में दे दो । लेकिन दोनों चलें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । जब स्पीकर खड़ा होता है, तो सब लोग बैठते हैं । यह गलत परंपरा क्यों चलाते हैं, क्यों नियमों का उल्लंघन करते है···देखिए, जब स्पीकर खड़ा होता है, तो सब सुनते हैं । सदस्य यदि उल्लंघन करते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है । तरीके से चलना चाहिए । उत्तेजना से सिवाय विनाश के कुछ नहीं मिलता है··· **(व्यवधान)** ···मेरी बात सुनिए···जब मैं बोल रहा हूं, तब आप नहीं बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : बागड़ी जी समझें ।

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी भी इस बात को समझें और सारे सदस्य समझें । सवाल इतना है कि हाउस की परंपरा है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं चलती हैं । जिसको हिन्दी आती हो, वह हिन्दी में जवाब दे । अच्छा रहता है, यदि हिन्दी में सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे । लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, तो वह कर सकता है । किसी सदस्य को यहाँ ट्रैजरी-बैंच पर अंग्रेजी नहीं आती है, उसका सवाल हिन्दी में होता है तो यहां ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन अगर वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता है तो उसके लिए हम मजबूर कैसे कर सकते हैं । किसी को न हिन्दी के लिए मजबूरी है, न अंग्रेजी के लिए मजबूरी है । हिन्दी हमारी मातृभाषा है, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है । सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी पर भाषा को थोपना हमारा धर्म नहीं है, इसलिए ऐसा मत···

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत···आप क्यों ऐसा करते हैं, जब मैं बोलता हूं । ···**(व्यवधान)**···मौलाना साहब आप मत बोलिए । आप मुझे रूल दीजिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, पंडित जी किस रूल में बोल रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको एलाउ किया था ।

श्री मनीराम बागड़ी : कृषि मंत्री···

अध्यक्ष महोदय : मेरा कोई मंत्री नहीं है, सारे आनरेबल मेम्बर्स हैं·····

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे भी एलाउ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के अन्तर्गत ?

श्री मनीराम बागड़ी : रूल 76 के अन्तर्गत । एक रूल है—एक तरीका है । भाषा के सवाल पर लोकसभा में परम्परा है कि जो भाई हिन्दी नहीं जानता है, उससे जबरदस्ती हिन्दी नहीं बुलवाई जाती है और जो अंग्रेजी नहीं जानता है, उससे जबरदस्ती अंग्रेजी नहीं बुलवाई जाती है । लेकिन कायदा यह है कि अगर हिन्दी जानता हो और सवाल हिन्दी में किया हो, तो उसका जवाब हिन्दी में देना चाहिए और सवाल अंग्रेजी में किया है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली ··· प्रजातंत्र में किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप हमारे ऊपर दबाब डालेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

श्री मनीराम बागड़ी : हिन्दी भाषा पर डालेंगे ? कमलापति जी इस मामले में सही नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूलिंग दे दी है। आप बोलिए। यह मंशा है, किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। आपकी बात भी मान ली, पंडित जी की बात भी सही है।

मनीराम बागड़ी : देखिए ···

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाउ नहीं करूंगा ··· दबाव किसी पर नहीं डाला जा सकता है। किसी भाषा पर दबाव नहीं डाला जा सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी : कायदा है।

अध्यक्ष महोदय : मन की बात है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है··· मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कृषि मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : उत्तर-प्रदेश के उत्तर काशी में हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दुर्घटना हुई। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछने पर पता लगा है कि भारी वर्षा के कारण 24 जून, 1980 को रात 11 बजे उत्तरकाशी के निकट भूस्खलन हुआ। उत्तरकाशी की नगरपालिका-सीमा में स्थित ग्यांसु गांव के कुछ मकान एक नाले के शिलाखण्डों के गिरने से नष्ट हो गए। अभी तक 21 शव निकाले जा चुके हैं। तीस व्यक्ति जख्मी हुए थे, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं। तीन व्यक्ति लापता हैं। जिस परिवार में एक सदस्य की मौत हुई है, उसके लिए राज्य सरकार ने 2000 रुपए, जिसमें दो व्यक्ति मरे हैं इसके लिए 3000 रुपये और जिस परिवार में दो से अधिक सदस्यों की जानें गई हैं, उसके लिए 5000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह अदायगी की मंजूरी दी है। घायल व्यक्तियों के लिए उनकी चोट के अनुसार 300 रुपए से 1000 रुपए तक अनुग्रह राहत की मंजूरी दी गई है। मकान बनाने के लिए भी राज-सहायता दी जा रही है। राज्य के पर्वतीय विकास मंत्री राहत कार्यों की निगरानी करने के लिए तत्काल हैलिकाप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे। सार्वजनिक निर्माण विभाग को हिदायत दी गई है कि वह भविष्य में भू-स्खलन की रोकथाम करने के लिए नाले में एक पुश्ता बनाए। मलवा हटाने के लिए टेहरी तथा देहरादून से बुलडोजर लाए गए हैं। आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर और एक संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। गांव की आबादी वाली जगह को इस तरह नियोजित करने का प्रस्ताव है, जिससे उसपर ऐसे भू-स्खलन का कम असर पड़े। राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने देखा और उनकी बातें सुनी। इसमें जो राहत के लिए पैसा देने की बात कही गई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धनराशि बहुत कम है, इस में वृद्धि की जानी चाहिए।

इस स्टेटमेन्ट में यह भी लिखा है गया कि इस गाँव को बचाने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह

केवल उसी गाँव का मामला नहीं है, इस तरह के भू-स्खलन हमेशा उस क्षेत्र में हुआ करते हैं। अभी दो साल पहले भागीरथी में एक बहुत बड़ी चट्टान टूट कर आ गिरी थी जिस से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो गया था। और यह डर पैदा हो गया था कि यदि चट्टान कहीं हटी तो कई जिले साफ हो जायेंगे और मैदानी भागों में भी उसका बहुत भयंकर असर पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार वह संकट टल गया और उतना बड़ा कष्ट नहीं आया जिसकी अशंका थी।

अभी कुछ ही समय पहले टिहरी-गड़वाल के रगड़ा गाँव में भी भू-स्खलन हुआ, जिस में 5 आदमी मर गये। हर जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। सवाल यह नहीं है कि कहीं एक जगह ऐसी घटना होती है तो उसके बचाने का प्रबन्ध करें, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के सवाल पर आप क्या कदम उठाने जा रहें हैं ? यह होता इसलिए है कि वहां पर जंगलों की कटाई बहुत तेजी से होती है। जब तक जंगलों की कटाई को नहीं रोकते और नया जंगल नहीं लगाते, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन कारण क्या है जिसके कारण से जंगल काटे जा रहें हैं ? उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के लोग अपने मकान बनाने के लिए और जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं कारणों से वे जंगल काटते आ रहें हैं। वहाँ के लोगों को सिमेंट, लोहा, गैस, मिट्टी का तेल सस्ते दामों पर यदि दिया जाए तो यह जंगल काटने का काम रुक जाएगा। सरकार को इस वारे में सोचने की आवश्यकता है और कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अभी मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है या नहीं, अगर आपकी जानकारी में कोई चीज आयी है तो आप स्वयं राज्य सरकार को सहायता दे सकते हैं। अतः मैं आप से सवाल करना चाहता हूं कि—

(क) जो धन राहत हेतु दिया गया है, वह धन बहुत कम है। क्या केन्द्र सरकार उसमें कुछ वृद्धि करेगी ?

(ख) केन्द्र सरकार ने अभी तक क्या सहायता की है ?

(ग) जंगलों के काटे जाने के कारण इस प्रकार भू-स्खलन होता है, क्या सरकार वनों की रक्षा हेतु कठोर कदम उठायेगी तथा नये जंगल लगाये जाएंगे ? और जिन कारणों से जंगल काटे जाते हैं क्या उन कारणों को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : माननीय स्पीकर साहब जो यह अचानक हादसा हुआ उसके बारे में कल शाम 6 बजे के बाद आपका हुक्म मिला कि आपने मोशन एडमिट कर लिया है। उस समय तक दफ्तर बन्द हो चुका था। लेकिन आपका हुक्म मिलने के बाद जितनी हमसे कोशिश हो सकती थी हमने कोशिश कर के इस के बारे में फौरन जानकारी हासिल की।

रातों रात जो हम को जानकारी मिली उससे इतना ही पता लगा कि यह हादसा जो लेण्ड स्लाइड्स का हुआ, उसका असर जो सारा गाँव था उसके ऊपर नहीं था। कुछ मकान या

[श्री बीरेन्द्र सिंह राव]

झोपड़ियां नहीं मजदूरों ने या तो किराये पर लिये हुए थे या बनाए हुए थे जो कि वहां सात सौ फीट ऊंची पहाड़ी से एक वहां नाला जाता है, उस नाले के बीच में, उसके बेड में थे। उसमें कुछ मलबा रुका हुआ था। उस रोज अचानक रात को 11 बजे बारिश आयी और जो उसमें पानी भरा हुआ था वहां रुकावट दूर हुई होगी और अचानक सारे पत्थर और पहाड़ नाले में फिसल पड़े। नाले के बीच में तीन चार मकान थे जो कि खत्म हो गए हैं। इसका गांव पर कोई असर नहीं हुआ है। ऐसा भी मालूम हुआ है कि उस रोज कुछ मजदूर लोग अपनी तनख्वाह लेने के लिए वहां गए हुए थे। उनमें कुछ तनखाह लेने के बाद वापस चले गये और कुछ दूर अपने गांव नहीं जा सके। वे वहीं उन मकानों में अपने साथियों के पास ठहर गए जिसकी वजह से भी वहां काफी मौतें हुई। यह बहुत दुःख की बात है। लेकिन यह मामला लोकल है। इसका ज्यादा ताल्लुक राज्य सरकार से है। चूंकि यह मामला यहां रेज हुआ और आपने इजाजत दी तो जो जानकारी हमें मिली है उसको मैं अर्ज कर रहा हूं।

इसमें राज्य सरकार ने जो सहायता दी है उसको मैंने आपको बतलाया। राज्य सरकार ने अभी तक कोई सहायता सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं मांगी है। अगर वह कोई सहायता मांगेगी तो जितनी सहायता हम दे सकते हैं वह दी जाएगी। ऐसी कैलेमिटीज में राहत के काम करने के लिए यू०पी० गवर्नमेंट को करीब 11 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी दी हुई है। फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन के मुताबिक स्टेट्स क पास मार्जिन मनी होती है जिसमें से इन चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर कहीं ज्यादा खर्च की जरूरत हो, कोई भारी मुसीबत हो स्टेट गवर्नमेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कह सकती है कि मजीद और सहायता दीजिए तो उसमें भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट सहायता देती है। वैसे चीफ मिनिस्टर के पास अपना रिलीफ फण्ड होता है। ऐसे हादसे के लिए डिस्ट्रिक्ट के अन्दर भी रुपए होते हैं। उतरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वहां नगरपालिका भी है।

जहां तक जंगलों की रक्षा का सवाल है, यह एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान हैं। जंगलों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करने के लिए हम कानून के अन्दर तरमीम करने की सोच रहे हैं क्योंकि अभी तक यह सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट किस हद तक अपने अख्तियारात बढ़ा सकती है जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सके, उसके लिए हम शायद जल्दी ही आपके पास इस हाउस में आयेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : जिन कारणों से जंगल काटे जाते हैं, क्या उन कारणों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इसके लिए तो रिश्वत भी जंगल के महकमे से दूर करनी पड़ेगी ठेकेदारों को भी बीच में से हटाना पड़ेगा और यह कानून भी बदलना पड़ेगा। दरख्त भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यह सारा प्रोग्राम फारेस्ट डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है जिसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उसके लिए और ज्यादा पैसा देने की बात सोची जा रही है। बहुत से गांव है जहां इस तरह का खतरा है। लोग पहाड़ों की जड़ में मकान बना लेते हैं, नालों के साथ बना लेते हैं क्योंकि

वहाँ पानी आसानी से मिल सकता है। अचानक अगर तेज बारिश हो जाती है तब बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। दो इंच बारिश एक रात को हो गयी और उससे पहले कोई बारिश नहीं हुई थी और उसकी वजह से जितना रुका हुआ मलवा था वह सारा अचानक फिसल पड़ा और बीच में ये मकान दब गए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सबसे पहले तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर जो मंत्री जी ने हिन्दी में पढ़ा है। वह आहिस्ता-आहिस्ता और अटक-अटक कर पढ़ा है। इस का कारण यह नहीं कि उनको हिन्दी का ज्ञान नहीं है। बल्कि गलती आपके दफ्तर की है। आप देखें कि अंग्रेजी का कितना साफ छपा हुआ है। जहाँ तक हिन्दी के उत्तर का सम्बन्ध है अगर पंडित भी कोई पढ़ना चाहे, हमारे कमलापति जी त्रिपाठी भी पढ़ना चाहें जो एक बहुत बड़े पंडित हैं और हिन्दी के ज्ञाता हैं तो वह भी नहीं इसको पढ़ सकते हैं। यह तो छपाई की बात है।

हमारे कृषि मंत्री जी गाँव के हैं, किसान हैं। उन्होंने कहा है कि कल छः बजे उनसे पूछा गया और उनका यह काम नहीं है, राज्य सरकार का यह काम है और जो टूटी फूटी-बातें बताई गई उनको उन्होंने यहाँ बता दिया है। दरअसल, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि मौत में भी हमारे यहाँ आदमी आदमी में फर्क किया जाता है, आदमी को नहीं देखा जाता है, उम्र नहीं देखी जाती है, आदमी कहाँ मरा है, किस जगह मरा है, किस कुल का है, किस खानदान का है, आदि चीजों को देख कर ही उसके खानदान वालों को मदद दी जाती है। काश हम इस देश को गाँधी का देश मान कर चलते, काश इस देश को हम शहीदों का देश मान कर चलते (इंटरप्शंज) और भी कोई गाँधी क्या है ? गाँधी का मतलब ही महात्मा गाँधी है। और कोई गाँधी नहीं है।×× हो सकता है। लेकिन गाँधी तो एक ही था (इंटरप्शंज) सरकार का काम है, वह जवाब दें। आप जैसे×× को मैं जवाब नहीं देता हूं। आप बैठ जाएं।

श्री आरिफ मुहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा का माननीय सदस्य प्रयोग कर रहे हैं उसकी ओर मैं आप का ध्यान जरूर दिलाऊंगा। कभी ××कहते हैं और कभी **शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस सदन की कुछ मर्यादा है। उस मर्यादाका पालन होना चाहिये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : असंसदीय शब्दों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमान माननीय मनी राम बागड़ी जी इस सदन को जनता पार्टी बना देना चाहते हैं। हम शोक विह्वल हैं। हम इस वक्त अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चहते हैं। लेकिन जिस तरह से वह हमें उक्सा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। आप ही हमारे अधिकारों के रक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल करें।

××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : कब यह देश गांधी का देश बनेगा जिसमें मानव जिन्दगी तो शायद यकसाँ नहीं हो सकेगी लेकिन मौत की कीमत तो बराबर होगी ? इन मरने वालों को इमदाद दी गई है। मंत्री जी ने कहा है। कि एक मरा होगा तो दो हजार रुपये, दो मरे होंगे तो तीन हजार रुपये और दो से ज्यादा मरे होंगे तो शायद पाँच-छः हजार रुपये। जहां तक जख्मी होने वालों का सम्बन्ध है उनको तीन सौ दिया जायेगा। अब आप देखें कि हवाई दुर्घटनाएं भी होती हैं। हवाई जहाज की दुर्घटना में कोई मर जाता है तो उसके परिवार को एक लाख दिया जाता है। हमारे कमला पति जी त्रिपाठी जमीन पर चलते हैं और रेल दुर्घटना में अगर कोई मरता है तो उसके परिवार वालों को पचास हजार मिलते हैं। यह कम इसलिये मिलता है कि वह जमीन पर चलते हैं। जो बेचारे गाँव के गरीब, दरिद्र और झोपड़ी में रहने वाले हैं उनके परिवार वालों को दो तीन हजार ही यहां दिया जा रहा है। उसकी अवाज नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, वह भी दुर्घटना में मरा है लेकिन उसको दो तीन हजार ही दिया जा रहा है। हम आदमी की जिन्दगी की कीमत तो बराबर नहीं कर सकते हैं लेकिन मरने पर जो कीमत हम देना चाहते हैं वह तो हर एक को बराबर देनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जवाब बिल्कुल अधूरा है। उनका दोष मैं कैसे न मानू ? फोन पर सीधा वह लखनऊ से पूछ सकते थे कि गाँव की आबादी कितनी है, कितने उन में से लोग प्रभावित हुए हैं, उनके वास्ते राशन का क्या प्रबन्ध किया गया है, बीमार या जख्मी जो हो गये हैं उनके इलाज का क्या प्रवन्ध किया गया है, उनके लिये कितने मकान बनवाए जाएंगे या मकानों की व्यवस्था करने के मामले में उनकी क्या मदद की जाएगी। इस सबकी जानकारी भी उन्होंने नहीं ली है।

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि कम से कम कृषि मंत्री जी को तो ध्यान देना चाहिए था, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ माँगा या नहीं, आपका इखलाकी फर्ज था। उन्होंने तो सारी कोताही की है 24 तारीख की खबर है 150 से 200 तक के मरने की और यहां पर 2100 की है एक जोरदार घटना घटी है, उसकी इत्तिला भी नहीं दी, आपसे मदद भी नहीं मांगी। कुछ मदद की है जो कि नहीं के वराबर है। आपका फर्ज था कि अपने फंड्ज से, प्रधान मंत्री के फंड्ज से कुछ न कुछ इन्सानी तौर पर उनकी मदद करने का, इमदाद पहुंचाने का। यह तो अस्थायी बात हुई।

स्थायी तौर पर मैं निवेदन करुंगा कि हवाईजहाज, रेल और झोंपड़े में मरने वालों को मदद देने में जो फर्क किया जाता है क्या इस फर्क को मिटाने का सरकार विचार कर रही है ? इसी तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है उनको प्राकृतिक प्रकोप, भगवान का प्रकोप कहकर जो जवाब दिया जाता है, तो उससे कोई शासन अपने आपको दोष से वंचित नहीं कर सकता है। चाहे उसका इलाज हो या न हो, उसका सरकार को प्रवन्ध करना चाहिए। मुख्य कारण यह है कि जंगलात कट रहे हैं।

चर्चा होती है जब कभी दुर्घटना होती है। जब दुर्वटना हट गई तो उसकी चर्चा नहीं। क्या कृषि मंत्री जी इस सदन को और राष्ट्र को यह विश्वास दिलायेंगे कि उनकी भरपूर कोशिश होगी कि जो जंगलात पूंजीपतियों ने ठेके पर लेकर काटने शुरु किये हैं, उनके ठेके सरकार कैंसिल

करेगी और जंगलात की हिफाजत होगी और मरने वालों में जो 2 हजार 50 हजार और 1 लाख, का फर्क सहायता देने का है उसको दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय बागड़ी जी ने जो बाते कहीं हैं, उनमें उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि भारत सरकार जो काम करती है, वह कायदे कानून में बंधकर करती है। ऐसे एडहाक तरीके पर कोई बात आज अगर सरकार की तरफ से हो जाये तो उसको सारे देश में निभा पायेंगे या नहीं, यह भी सोचना है। फाइनेन्शियल रिसोर्सेज भी देखने पड़ते हैं।

बागड़ी जी ने जिक्र किया हवाई जहाज में मरने वालों का, रेलों और बसों में मरने वाले लोगों का तो उन दुर्घटनाओं से यह बिल्कुल मुख्तलिफ है। हवाई जहाज में लोग सफर करते हैं, पर हवाई जहाज ठीक तरह से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का एक महकमा है, इसलिये उसको मुआवजा देना पड़ता है और देना चाहिये। यह सरकार का उसूल बन चुका है हर जगह। इसी तरह से रेलों में है। रेलों में लोग बैठते हैं, सरकार की रेल समझकर, सरकार की जिम्मेदारी है रेलें ठीक चलें। तो वहाँ भी रेलवे मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है कि उन लोगों की सहायता की जाये जिनकी कि महकमे की कमी की वजह से मौत हुई हो। बसों में भी यही उसूल लागू होता है। लेकिन क्या यही उसूल जितने मकान गिरे हैं, जितने हादसे होते हैं, उस में बना सकते हैं ? उसमें भारत सरकार कहां तक हिस्सा लेगी, यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। यह मामूली बात नहीं है, जिस तरह से बागड़ी साहब कहते हैं, यह ऐसे तय नहीं हो सकती है।

अभी चन्द दिन हुए, एक मकान की बालकनी गिर गई, ज्यादा लोग छज्जे पर चढ़ गये, 20 आदमी मर गये तो क्या किसी ने मुआवजा दिया, किसी ने सवाल उठाया इस चीज का ? रोजाना मकान गिरते हैं, दिल्ली में कितने ही पुराने मकान गिर जाते हैं, भारत सरकार अगर इस तरह मुआवजा देना शुरु करे तो कितने ही हत्याएं और हादसे देश में होते हैं। यह लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, भारत सरकार के अपने कायदे बनाये हुए हैं।

अभी कल की ही बात है, मिन्टों में मिन्टों ब्रिज के नीचे एक बस डूब गई। अगर वहां पर फायर ब्रिगेड न होता, और यह हादसा दिल्ली में न होता, तो वहां पच्चीस तीस आदमी मर गये होते। उन्हें निकाला गया। दिल्ली में पार्लियामेंट है और यह घटना कनाट प्लेस के नजदीक हुई। कनाट प्लेस में घंटों तक पानी खड़ा रहा और सारा ट्रैफिक बन्द रहा। थोड़ी सी बारिश दिल्ली में हुई और सारी नालियां बेकार हो गई। इतना पानी नहीं निकल सका और जगह-जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया।

हो सकता है कि कई बच्चों की मौत हो गई हो। पहाड़ों की यह एक समस्या है। बहुत से गाँव ऐसे हैं, जो पहाड़ों के नीचे बसे हुए हैं। वे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को खास तौर पर ध्यान देना चाहिये कि उनकी आबादी को कैसे महफूज करें। भारत सरकार का इतना ही फर्ज है कि वह स्टेट गवर्नमेंट की सहायता करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट फ्लड वगैरा किसी भारी दुर्घटना के सिलसिले में हमसे सहायता मागें, तो हम नान-प्लान फंडज् में से सहायता दे सकते हैं। भारत सरकार ऐसे हादिसों में 75 फीसदी सहायता देती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट 25 फीसदी

श्री बीरेन्द्र सिंह राव

अपनी तरफ से मिला कर किसी की मदद करना चाहे। इस बारे में हमारे कायदे बने हुए हैं। सहायता मिलतीरही है, मिल रही है, मिलेगी, अब भी मिल सकती है। लेकिन इन घटनाओं की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं सम्भाल सकती है। मैं इस मामले में माफी चाहता हूं।

लातूर-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे याचिका

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : महोदय मैं लातूर-मिरज छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में श्री जी० एस० रहिरकर और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ और तट-अपरदन के नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके एकीकृत क्रियान्वयन के लिए बोर्ड की स्थापना और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट-अपरदन के नियंतरण के उपायों की योजना बनाने और उनके एकीकृत क्रियान्वयन के लिए बोर्ड की स्थापना तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री केदार पांडे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

श्री सीता राम कोआपरेटिव शूगर्स लिमिटेड, कोटा कोटा, आन्ध्र प्रदेश के लाइसेन्स का नवीकरण

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय, भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के विशाखापतनम जिले में नरसीचलम तालुक में कोटाकोटा नामक स्थान पर सहकारी क्षेत्र में एक चीनी कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया था जो 23-2-74 को दिया गया था। तदनुसार 74 में श्री सीताराम कोआपरेटिव शूगर्स लिमिटेड नामक एक सहकारी चीनी कारखाना पंजीकृत किया गया था। प्रवन्धक वर्ग सूखे की परिस्थितियों और रुचि की कमी के कारण समय पर शेयर पूंजी नहीं जुटा सका। उसके पश्चात नया प्रबन्धक वर्ग आया और उसने जोर-शोर से शेयर पूंजी एकत्र की किन्तु वह भी पूरी पूंजी नहीं जुटा पाया। अब भारत सरकार ने उपर्युक्त चीनी मिल से यह कहा है कि वह 30 दिन के भीतर बतायें कि उनका लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। उसके पश्चात प्रबन्धक वर्ग ने 31-12-1981 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया क्योंकि चुनाव के कारण उनके कार्य में रुकावट पड़ने से वे अपेक्षित पूंजी एकत्र नहीं कर पाये। प्रबन्धक वर्ग 20 लाख रुपये एकत्र कर चुका है। कुछ-एक हजार छोटे तथा सीमान्त कृषकों ने सहकारी ऋण समितियों से ऋण लेकर शेयर पूंजी अदा

की । वे लोग इस कारखाने से बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं कि यह कारखाना लग जाने पर उनकी आय स्थिर होने में सहायक होगी । विशाखापतनम जिले में नरसीचलम तालुक एक पिछड़ा इलाका है । वहां के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए यह उद्योग बड़ा आवश्यक है । अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि उपर्युक्त कारखाने के लायसेंस का नवीकरण कर दिया जाये ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) सरकारी विभागों में देश में बनी मशीनों के उपयोग की आवश्यकता

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्ब लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाता हूं ।

हाल ही में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि प्रधान मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की आयातित सामान तथा उपकरण पसन्द करने की प्रवृत्ति की निन्दा की है और यह कहा है कि यदि देशी विकल्पों पर कुछ अतिरिक्त खर्च करना भी पड़े अथवा यदि वे आयातित सामान व उपकरण के मुकाबले कुछ कम स्वचालित तथा आधुनिक हों तो भी सर्वदा उनके इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिये । केन्द्र सरकार की इस नीति को देखते हुए जिसको कि प्रधान मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था 6 टर्बाइन के, जिनको भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड बना सकता था, आयात का आर्डर क्यों दिया गया । जिसके बारे में यह बताया जाता है कि एक टर्बाइन के आयात पर एक करोड़ रु० खर्च आयेगा । जहां तक भारत हैवीइलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का सम्बन्ध है, इस आयात के परिणामस्वरूप उसे इतना घाटा होगा जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता ।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड प्रथम श्रेणी का एक ऐसा संगठन है जो टर्बाइन तथा अन्य उपकरणों का निर्माण कर रहा है, जिनका निर्यात होता रहा है और इन निर्यातों को पसंद भी किया गया है । परन्तु मन्त्रालय के अधिकारी भारत सरकार पर भी जोर और दबाब डाल रहे हैं कि वह टर्बाइनों के आयात करने की आत्मघाती नीति अपनाने का निर्णय लें । मन्त्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिए कि कौनसी मशीनरी का आयात किया जा रहा है, कौनसी मशीनें आदि यहां उपलब्ध हैं और कौनसी ऐसी मशीनें आदि हैं जिनका सरकारी अथवा निजी क्षेत्र, किसी में भी निर्माण नहीं किया जा सकता । सम्बन्धित मन्त्री इस आशय का एक वक्तव्य सभा में शीघ्र ही दें ।

(तीन) 27 तथा 28 जून, 1980 को आय-कर कर्मचारियों द्वारा काम करना बन्द करने के समाचार की जाँच

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : एक निर्धारिती तथा आयकर अधिकारी के बीच कथित हाथापाई के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए मयूर भवन, नई दिल्ली स्थित आयकर कार्यालय के कर्मचारियों ने 27 जून, 1980 को दोपहर बाद और फिर 28 जून, 1980 को काम रोक दिया जिससे निर्धारितियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा । 28 जून,

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

1980 को ऐसे भवन में, वह भी एक काम-चलाऊ काउंटर पर, जहां जनसुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी उनको घंटों उमस भरे मौसम में लाइन में खड़े रहना पड़ा। मेरा अनुरोध है कि इस सारे मामले की जांच की जाये और समय पर विवरणियां दाखिल करने को उत्सुक निर्धारितियों को बेवजह परेशान किये जाने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।

(चार) इस्पात, कच्चे लोहे, पैराफीन वैक्स, आदि के आबंटन तथा वितरण के संबंध में पश्चिम बंगाल के प्रति कथित भेदभाव

श्री समर मुखर्जी (हवड़ा) : पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत पहले कच्चे माल हेतु स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया, भारत पेट्रोलियम तथा राज्य व्यापार निगम के पास 1.20 करोड़ रु० जमा किया था। किन्तु इन संस्थाओं ने न तो कच्चा माल दिया है और न ही पश्चिम बंगाल सरकार की जमा राशि को वापस किया है। सरकारी क्षेत्र की इन संस्थाओं द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की उपेक्षा की जो वास्तव में बड़े खेद की बात है। इसके अतिरिक्त इस्पात, कच्चा लोहा, पैराफीन मोम, फलों तथा अन्य कच्चे माल के नियतन तथा वितरण के मामले में पश्चिम बंगाल के साथ बड़ा भेदभाव बरता गया है। पश्चिम बंगाल को 1979-80 में 31,000 टन इस्पात का आबंटन किया गया किन्तु बाद में उसको केवल 24,000 टन इस्पात ही प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार विभिन्न राज्यों को इस्पात के आबंटन के मामले में बड़ी असमानता है जबकि ऐसे राज्यों को जहां इंजीनियरी उद्योग अपेक्षाकृत कम हैं, ज्यादा इस्पात आबंटित किया गया है।

अतः मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान इस गंभीर भेदभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह पश्चिम बंगाल को वाजिब कोटा आबंटित करने के लिए तथा उसकी जमा राशि वापस करने के लिए तत्काल कदम उठायें।

(पांच) केरल में शिक्षण संस्थाओं को कापियां सप्लाई करने में विलम्ब का समाचार

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं इस अवसर पर नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान केरल राज्य में एक गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं जो राज्य की शिक्षण संस्थाओं को जिल्द वन्द तथा विना जिल्द की कापियों की अपर्याप्त सप्लाई से पैदा हुई है। महोदय, 4 मार्च, 1980 को एलेप्पी जिला उपभोक्ता सहकारी समिति (अलेप्पी डिस्ट्रिक्ट कन्ज्यूमर कोआपरेटिव) तथा केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (केरल स्टेट कोआपरेटिव कन्जयूमर फैडरेशन) ने कापियों के आर्डर दिये थे और नेशनल कोआपरेटिव कन्जयूमर फैडरेशन ने उनको तथा उनके नाम से भेजे गये अग्रिम के प्राप्त होने की सूचना दी थी। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि तामिलनाडु राज्य में भी यही स्थिति चल रही है जैसाकि तामिलनाडु के शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य से, जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, पता चला है।

मेरा नागरिक पूर्ति मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर नेशनल कन्जयूमर फैडरेशन को पूरा करने में इस अत्यधिक विलम्ब के कारणों की जांच करें और फैडरेशन तथा कापी-निर्माताओं को निदेश दें कि वे केरल राज्य को कापियाँ तत्काल सप्लाई करें। मैं मन्त्री

महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह स्टेट फैडरेशन तथा डिस्ट्रिक्ट फैडरेशनों को दिये जाने वाले कमीशन को, जिसको कि नेशनल फैडरेशन ने एक तरफा ढंग पहले तय की गई दर से कहीं कम कर दिया है, पिछली दर पर दिये जाने की व्यवस्था करें ।

(छः) निगमित क्षेत्र में औद्योगिक निवेशों में कमी को रोकने के उपाय

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : वर्तमान बजट पेश किये जाने के एक सप्ताह पश्चात निगमित क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की दृष्टि से स्थिति इससे पूर्व पाई जाने वाली स्थिति से स्पष्ट रूप से कम अनुकूल है और इसलिए शेयरों के मूल्य में भारी गिरावट आई है ।

इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय है :

(क) यदि विक्रय के आगम में से लाभ को फिर सरकारी बांडों की खरीद में लगा दिया जाये तो पूंजी अभिलाभ कर से छूट की अवधि बढ़ा दी जाये ।

(ख) कम्पनी की माली हालत बिगड़ जाने अथवा उसके दिवालिया हो जाने की स्थिति में निगमित सावधि जमा राशियों, डिबेन्चरों तथा प्रीफ्रेन्स शेयरों को कानूनी रूप से प्रतिभूत परखों के समकक्ष रखा जाये ।

(ग) लिमिटेड कम्पनियों के संचित मूल्यह्रास पर देय बकाया प्रभार (वैलंसिंग चार्ज) को समाप्त करना ।

(सात) विहार में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है कि विहार के कोई 20 जिलों के 296 प्रखंडों में प्रायः सूखे का प्रकोप, हर दो या तीन वर्षों के उपरान्त हो जाता है । इसमें छोटा नागपुर का पर्वतीय उपत्यका बुरी तरह से प्रभावित होता रहा है । यहां हरिजन आदिवासी तथा अन्य पिछड़े कमजोर वर्गीय समाज को पेयजल संकट भी उपस्थित होता रहा है । उस समय आपातकालीन व्यवस्थाओं के द्वारा रिंग बोरिंग कर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है । वह अपर्याप्त है और यह सूखे की समस्या एक राष्ट्रीय विपदा के रूप में बरकरार है ।

अभी पूरे बिहार में सिंचाई की व्यवस्था अत्यल्प है । वर्णित सूखे क्षेत्रों के कृषि क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल में से 2 से 5 प्रतिशत की सिंचाई 33 वर्षों के प्रशासन ने किया है अतः प्राकृतिक प्रकोपों से आम जनता को स्थायी निदान नहीं दिया जा सका है ।

इन क्षेत्रों की सिंचाई समस्या स्थायी रूप से हल करने के लिए भूगर्भ जल स्रोतों का शोषण वैज्ञानिक ढंग से करना अत्यावश्यक है । अभी तक 30-40 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रफल का सर्वेक्षण किया जा सका है । भूगर्भीय जल स्रोतों का सर्वेक्षण युद्धस्तर पर करके जल सिंचाई के लिए लाने के लिए विकास योजनायें तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ।

सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के इन प्रभावित प्रखण्डों के बीच में चाहे राँची, हजारीबाग या पटना में स्थापित किया जाये । वहां विशेषज्ञों, तकनीकी अधिकारियों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित रीजनल आफिस अविलम्ब खोला जाये । इस सम्बन्ध

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा

में भू० पू० मुख्य मंत्री, कर्पूरी ठाकुर, श्री रामसुन्दर दास तथा बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री किदवई जी भी कृषि मंत्री, भारत सरकार को लिखते रहे हैं।

अस्तु, मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री का ध्यान इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करने का आग्रह करते हुए आशा करता हूं कि केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् का क्षेत्रीय सर्वांगपूर्ण कार्यालय बिहार में अविलम्ब खोलने की व्यवस्था करायेंगे।

(आठ) तमिलनाडु के समूचे सेलम जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की आवश्यकता

*श्री सी० पलानी अप्पन (सेलम) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला उठाना चाहता हूं। इस समय सेलम टेलीफोन डिवीजन में तीन टेलीफोन सब-डिवीजनल केन्द्र हैं जिनके नाम हैं—सेलम टेलीफोन केन्द्र, शिवापली केन्द्र और मेघनूर केन्द्र। इस डिवीजनल एक्सचेंज में लगभग 7000 टेलीफोन लाइनें कार्य कर रही हैं। पिछले 4 या 5 सालों से इस सेलम टेलीफोन डिवीजनल एक्सचेंज में कोई विकास नहीं हुआ है और यह एक्सचेंज प्रतिवर्ष केवल 200 नए टेलीफोन कनेक्शन दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रसार कार्य पूरा हो जाने के बाद ही नए कनेक्शन दिए जायेंगे। वर्तमान प्रसार कार्य के पूरा होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे।

सेलम (तमिलनाडु) में गत वर्षों से अनेक बड़े उद्योग, जैसे कि इस्पात संयंत्र, चल रहे हैं। इस कारण सहायक लघु उद्योगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। टेलीफोन सुविधाओं के अभाव में इन उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके और विकास में रुकावट पैदा हुई है।

इसके अतिरिक्त सेलम में व्यापारिक कार्यकलापों में भारी वृद्धि तथा यातायात में भारी प्रसार हुआ है। आज स्थिति यह है कि 100 रु० प्रति सब्सक्राइबर की दर से वहां 800 सब्स-क्राइबर ने जमानत जमा राशि जमा की है। यह कुल मिलाकर 8 लाख रु० बैठती है। नए कनेक्शन देने की गति धीमी होने के कारण सेलम जिले में और सब्सक्राइबरों की आशा नहीं की जा सकती।

इस जिले में लगभग 100 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के कनेक्शन काट दिये गये हैं। दलित तथा गरीब वर्ग, रोगी लोग, यात्री, लारी ड्राइवरों को, जिनके पास टेलीफोन नहीं हैं—परेशानी हो रही है। नीतिमेडु (सेलम) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र का तथा नेशनल होटल का, जो कि एक स्थाई होटल है, कनेक्शन काट दिया गया है। टेलीफोन विभाग जनउपयोगिता की उपेक्षा कर व्यापारिक हितों को पूरा करने के कार्य में लगा है। इसके बावजूद एक सब्सक्राइबर को 4000 रु० देना होगा। कम से कम समाज का गरीब वर्ग तो इस स्थिति में न होगा। इसके अलावा इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल धनी लोग ही टेलीफोन रख सकते हैं।

अतः माननीय संचार मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे सारे सेलम जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के आदेश जारी करें और जिन अधिकारियों ने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के कनेक्शन काटे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

---

*तमिल में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप अगले विषय को लें उससे पहले मैं नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अनेक अवसरों पर, कुछ ज्वलन्त समस्याओं पर हम नोटिस देते हैं और हमें यह पता चलता है कि कुछ ऐसे विषयों को, जो सरकार को बहुत परेशानी में डालने वाले होते हैं, उनको उठाने की अनुमति नहीं दी जाती, उदाहरणार्थ बागपत घटना के बारे में इस सदन की कुछ महिला सदस्यों ने उस स्थल का दौरा किया था, एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसे अध्यक्ष महोदय और गृह मन्त्री को प्रस्तुत किया था, परन्तु उन्हें विशेष उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा, सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुकी है और वे वहां पर कुछ स्थायी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। हमने इसके बारे में नियम 377 के अधीन नोटिस दिया है, परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय को मैं उस तरीके के बारे में अपना असन्तोष प्रेषित करना चाहता हूं, जिससे नियम 377 के अधीन मामलों का चयन किया जाता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी दे दी जायेगी।

सामान्य बजट 1980-81 सामान्य चर्चा जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर आगे चर्चा करेंगे। श्री चन्द्र शेखर सिंह।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

यह देखकर बड़ा हर्ष होता है कि बजट प्रस्तावों की समाज के सभी वर्गों द्वारा व्यापक सराहना की गई है। यह सामान्यतः आज की आर्थिक स्थिति की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसमें उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को कुछ राहत दी गई है और इसमें भारी मात्रा में ऐसे कर नहीं लगाये गये हैं जो उत्पादन विरोधी साबित हों और इससे विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों को बड़ी निराशा हुई है। इसमें राजसहायता को कम करने और उपभोग व्यय में कटौती करने का भी प्रयास किया गया है जिससे योजना व्यय के लिए राशि उपलब्ध हो सके।

इस बजट में जितने घाटे की सम्भावना व्यक्त की गई है, उसे सभी अर्थशास्त्रियों ने उचित सीमाओं के भीतर माना है। कुछ सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि घाटे का अनुमान कम साबित हो सकता है जैसा कि पिछले वर्ष चौधरी चरण सिंह के बजट में किया गया था। परन्तु हम आशा करते हैं कि सरकार के प्रयासों के कारण और मानसून की अच्छी वर्षा होने से कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र—दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन में सही दिशा में वृद्धि होगी और अनुमानित घाटा उसी स्तर पर कायम रहेगा।

वस्तुतः यह बजट चौधरी चरण सिंह द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत उस बजट के एकदम प्रतिकूल है, जो देश के लिए घोर विपत्ति साबित हुआ। पिछले वर्ष के बजट ने उच्च मुद्रास्फीति-

श्री चन्द्र शेखर सिंह

कारी प्रवृत्तियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। मुझे नहीं पता कि चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय का कार्य संभालने या बिगाड़ने के लिए अधिक स्मरण किया जायेगा अथवा वित्त मन्त्री के रूप में उनके कार्यकरण के लिए। मैं वित्त मन्त्री के रूप में उनके कार्यकरण को इस स्थिति के लिए अधिक उत्तदायी समझता हूं, क्योंकि हम राजनैतिक प्रक्रिया में परिवर्तन कर सके हैं, परन्तु उनके बजट का प्रभाव आज भी विद्यमान है और उसका आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषण में आम आदमी के लिए काफी चिन्ता व्यक्त की और बजट प्रस्तावों में यह चिन्ता पूरी तरह गायब थी। बजट प्रस्तावों में आम आदमी के लिए उनके अनुसन्धान में मुझे उनका मार्ग-दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि व्यापक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रस्तावों से उन ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ होगा, जो समाज के सबसे निर्धन वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। आदिवासी लोगों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रावधान, अनुसूचित जातियों के लिए किये गये विशिष्ट प्रावधान, भूमिहीन लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय स्थल देने के लिए किये गये प्रावधान और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए किये गये अधिक प्रावधान से उन सामान्य जनों को लाभ होगा, जिनके लिए चौधरी साहब ने काफी चिन्ता व्यक्त की है। मैं उन्हें और विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जब तक कांग्रेस (आई) सत्ता में है और इस देश का नेतृत्व श्रीमती गांधी के हाथों में है, आम आदमी को कभी भी नहीं भुलाया जायगा। उसे हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों में प्रमुखता की जाएगी और हम उन कार्यक्रमों को निस्टापूर्वक क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि उन पर वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री सावधानीपूर्वक विचार करेंगी। हम सभी विकास की अधिक तेज गति का वचन देकर यहां आये हैं, परन्तु मुझे खेद है कि वार्षिक योजना व्यय से यह उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं होता। वर्ष 1980-81 के योजना व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो मूल्यों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए वस्तुतः कम व्यय है। मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यय में 14 या 15 प्रतिशत वृद्धि नहीं है, बल्कि व्यय की राशि में कमी ही है। समग्र रूप से वार्षिक योजना के आकार में 3000 करोड़ रु० की वृद्धि की जानी चाहिए थी, जिससे श्री चरण सिंह द्वारा थोपी गई मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को निस्प्रभावी किया जा सके और वर्तमान स्तर पर विकास की गति को कायम रखा जा सके। मुझे आशा है कि परिव्यय में वृद्धि करने और विकास सम्बन्धी व्यय की गति को तेज करने के लिए प्रयास किया जायगा।

मैं अपने भाषण में अधिक संसाधन एकत्रित करने के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि रक्षा व्यय को छोड़कर अन्य गैर-विकास व्यय, विशेष रूप से प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए अधिक सुदृढ़ प्रयास किया जाना चाहिए। मेरी यह राय है कि जब तक प्रशासनिक तन्त्र में आमूलचूल सुधार नहीं किया जायगा,

हम परिणामो को और योजना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते । इस बारे में मेरा अनुभव यह रहा है कि वर्तमान व्यवस्था न केवल अपव्ययकारी और बहुमूल्य संसाधनों को बरबाद करने वाली है, बल्कि कुछ क्षेत्रों और स्थितियों में यह उत्पादन-विरोधी और अवरोधक है । मैं वर्ष 1972 में अपने राज्य में अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के सम्बन्ध में अपने अनुभव को बताना चाहूंगा । बिहार में काफी लम्बी हड़ताल चली थी और फाइलों तथा मामलों का निपटान करने के लिए हमने नए प्रबन्ध किये थे, जिसके अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सीधे कार्य आबंटित कर दिया था । मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि जब तक हड़ताल चली, उस समय मामलों का निपटान अपेक्षाकृत अधिक जल्दी होता था । इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ मूलभूत परिवर्तन किये जाने चाहिए, जिससे योजनाओं को विकासोन्मुख बनाया जा सके और सभी स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों को अधिक सम्बद्ध किया जाय ।

सर्व प्रथम, उन विभिन्न स्तरों में कमी की जानी चाहिए, जिनसे होकर कोई फाइल गुजरती है और फाइल पर प्रारम्भिक नोटिंग उस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जिसने सभी मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की निष्पक्षता और व्यापक दृष्टिकोण अपना रखा हो । यह बजट का कार्य नहीं है, परन्तु मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि इसमें हमारे महत्व-पूर्ण हित अन्तर्ग्रस्त हैं और बजट से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं जिनमें प्रशासन और विभिन्न मन्त्रालय इस दिशा में कदम उठाने के लिये बाध्य हो जाएंगे ।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा जिस पर बहुत अधिक विश्वास दिखाया गया है । वर्तमान प्रणाली का अर्थ है कुछ क्षेत्रों में थोड़ी-सी उचित दर की दुकानें खोल देना । यदि प्रणाली भी ठीक प्रकार से कार्य करे तो भी यह आज की परिस्थितियों की मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से एक नया रूप देना होगा और मेरा विचार तो यह है कि सरकार को दुर्बल वर्ग के लोगों का, जो गरीबी से नीचे के स्तर पर जीवन-यापन करते हैं, पता लगाना चाहिए और यदि मूल्य बढ़ते हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता हो तब यदि आवश्यक समझा जाए तो हमें समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए मूल्यों में राजसहायता देने पर विचार करना चाहिए और उनके प्रतिदिन के जीवन-यापन के लिये आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिए ।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने यह तथ्य सामने रखा है कि जबकि कृषि में धनी वर्ग के फार्मों से आय सकल राष्ट्रीय उत्पादन की 40 प्रतिशत है, वहां सरल कराधान में उनका योगदान 0.5 प्रतिशत है, अर्थात लगभग नाममात्र का है । यदि के० एन० राज समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय तो इससे 500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है । मैंने समिति के उन प्रस्तावों का अध्ययन किया है । इन्हें क्रियान्वित करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । परन्तु राज्य सरकारों को सहमत करा के उन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा सकती है । इसके अतिरिक्त बजट में कृषि सम्पत्ति से वर्तमान सम्पदा-शुल्क समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए जो कारण दिये गये हैं वे न्यायोचित नहीं हैं । मुझे आशा है वित्त मन्त्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे ।

कृषि क्षेत्र में हमारी नीति स्पष्ट और सुदृढ़ होनी चाहिए । जहाँ हम भूमि की अधिकतम सीमा लागू करें और धनीवर्ग के कृषकों पर कर लगाएं वहाँ हमें मध्यवर्ग के तथा प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहन देने चाहिए ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ा सकें जिसकी तत्काल आवश्यक्ता है ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, समाप्त करिये।

श्री चंद्रशेखर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये मेरे पास बहुत से सुझाव हैं। मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता। मैं इन्हें वित्त मन्त्री को भेज दूंगा। परन्तु अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट प्रस्तावों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनसे मूल्य-वृद्धि रुक सके और मूल्य स्थिर हो सकें। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जब तक दृढ़ ओर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उन्हें इसमें सफलता मिलेगी, इसमें मुझे सन्देह है। वास्तव में, यह कार्य बड़ा कठिन है। मूल्यों का स्तर और सूचना कुछ निर्णयों, स्वतन्त्र निर्णयों से सम्बद्ध है, कुछ निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिए जाते हैं, कुछ निर्णय कुछ अन्य देशों की सरकारों द्वारा लिए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक निर्णय ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं जो अनेक स्थानों पर बिखरे हैं और जो निजी लाभ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। किन्तु फिर भी इस बात पर हमें गम्भीर रूप से विचार करना होगा। यदि आप वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते और उत्पादन और निर्यात में वृद्धि नहीं कर सकते तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील नहीं कहा जा सकता। महोदय, मुझे अपने माननीय वित्त मंत्री की क्षमता में और प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पूर्ण आस्था है मुझे विश्वास है कि वह इस प्रश्न पर विचार करेंगे और समस्याओं का गहराई से अध्ययन कर कुछ ठोस उपाय करेंगे। माननीय वित्त मंत्री ने निश्चय ही कुछ सुझाव दिए हैं जिससे मुद्रा की स्फूर्ति को कम और नियन्त्रित किया जा सकता है। मैं इन सुझाओं का स्वागत करता हूं किन्तु मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अर्थ-शास्त्रियों, प्रशासकों तथा विपक्षी नेताओं से परामर्श करके अधिवेशन के अन्त तक देश को यह बताने की स्थिति में होंगे कि सरकार ने इस बात पर दृढ़ है और उसने ऐसे कदम उठाने का निर्णय कर लिया है जिससे मूल्यों पर नियंत्रण लिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से इन बजट प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं। श्री झारखंडे राय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मंत्री महोदय आज शाम छः बजे चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, आपके द्वारा मैं एक भूली-भटकी समस्या की तरफ सदन और बाहर की महान जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी मतलब है नक्सलवादी कम्युनिस्टों से। हमारा देश और राजनितिक लोग करीब-करीब यह भूल चुके हैं, सरकार भी दुनिया के देखने में भूल चुकी है कि इस नाम के लोग अभी भी हजारों देश की जेलों में बन्द हैं। एक समय था जब 33 हजार नक्सलवादी पकड़े गए थे जिनमें साढ़े 3 हजार से लेकर साढ़े 8 हजार तक जेलों के भीतर और बाहर एनकाउन्टर के नाम पर या जेलों से भागने के प्रयास के नाम पर गोलियों से उड़ा दिए गए थे। इन सांढ़े 33 हजार में उत्तर-प्रदेश के 400 लोग थे। उसमें हमारे प्रदेश के दो आदमियों को फांसी की सजा हुई थी एक श्री श्याम नारायण तिवारी और दूसरे डा० सत्यपाल, लेकिन सुप्रीमकोर्ट की अपील में वह सजा काले पानी की सजा में परिवर्तित कर दी गई।

इन्दिरा दशाब्दी में पहली बार हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद 2 आदमी फांसी पर लटका दिए गए जो कि नक्सलवादी कम्युनिस्ट आंध्र के हैं, जबकि 40-40 पुराने जूरिस्टों ने अपील की, सुप्रीमकोर्ट के एडवोकेटों ने अपील की, खुद जयप्रकाश नारायण ने अपील की थी कि इनको फांसी की सजा न दी जाए, लेकिन वह प्रार्थना स्वीकार न की गयी। आज हालत यह है कि इनमें नजरबन्द हैं, सजायाफ्ता हैं, हवालाती हैं, इनमें महिलाएं हैं, विवाहित हैं या अविवाहित, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इनकी दुर्दशा हिन्दुस्तान की विभिन्न जेलों में आन्ध्र, बिहार, बंगाल, यू० पी० और पंजाब में इस कदर है कि मैं हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि मैं हिन्दुस्तान की भयंकर जेलों में रह रहा हूं, अंग्रेजों के राज्य में भी इतनी दुर्दशा नहीं थी जितनी आज इन नक्सलवादी कम्युनिस्टों की हिन्दुस्तान की जेलों में हैं। इतनी दुर्दशा अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, जो कि आज हिन्दुस्तान में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्री घनश्याम शुक्ल उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जेल में 13 वर्ष से सजा काट रहे हैं। लेकिन उन को नहीं छोड़ा गया है। डा० सत्यपाल लखनऊ की जेल में 10 साल से तन्हाई में पड़े हैं. रात में हथकड़ी पड़ जाती है। इतने भयंकर अत्याचार तो हम लोगों के साथ भी नहीं हुए। लेकिन भारत सरकार और सूबाई सरकार चुपचाप कानों में तेल डाले बैठी है। महिलाओं के साथ भी मानवीय व्यवहार नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि उन नक्सलवादियों की सारे हिन्दुस्तान में 3, 4 मुख्य मांगें हैं, जो कि उचित हैं।

देवली कन्सन्ट्रेशन कैम्प में जहां जयप्रकाश नारायण और हम साथ थे, वहां भी हम लोगों को भयंकर सजा मिली, अंग्रेज सरकार ने हम लोगों को रात को मिलिट्री जेलों में रखा लेकिन सबको उचित श्रेणी दी। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत थोड़े से लोग हैं, भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सबको हर प्रदेश की जेल में कन्सन्ट्रेट किया जाये, सुरक्षा की जितनी व्यवस्था हो सके करें, उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन एक जगह कन्सन्ट्रेट करके उन्हें समय-समय पर पैरोल पर छोड़ा जाए। अंग्रेजों ने भी छोड़ा था। उनकी रिहाई पर विचार किया जाये। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और सूबाई सरकारों की राय से उन सबको छोड़ दिया जाये कि वे एक बार अपनी राजनीति और विचारधारा पर विचार करें और देखें कि देश की वर्तमान स्थिति में उनका रास्ता सही है या नहीं पहले यह काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, फिर जनता पार्टी की सरकार ने भी नहीं किया और अब कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है।

आपने कृपा करके मुझे जो समय दिया है, उसका सदुपयोग करके मैं इस भूली हुई समस्या की ओर देश का, महान् जनता का, सरकार का और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये।

श्री आर० बाई० घोरपाडे (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह मेरा पहला भाषण है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। अप्रत्यक्ष करों तथा आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर करों में किए गये परिवर्तनों का मैं स्वागत करता हूं। ऐसा कहने में कोई गलती नहीं है कि गत बीस वर्षों में इस जैसा कोई बजट पेश नहीं किया गया, जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की परिस्थितियां पैदा हुई है। साथ ही समाज के सभी वर्गों में ऐसी विचारधारा फैली थी कि इस वर्ष भी बहुत अधिक कर लगाये जायेंगे। इसका श्रेय—हमारे वित्तमन्त्री महोदय को जाता है जिन्होंने देश को यह दिखा दिया है कि वह इतने अधिक कर लगाए बिना भी उत्पादन प्रधान बजट और साथ ही यथार्थवादी बजट पेश कर सकते हैं। हमारे वित्त मन्त्री विशेष बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्हें भूतपूर्व सरकार से बहुत खराब आर्थिक स्थिति प्राप्त हुई थी और उन्होंने वर्ष 1980-81 के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से सराहनीय बजट पेश किया है इस बजट की निःसन्देह चारों ओर प्रशंसा हुई है इस विषय में कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता कि इस बजट से अधिक उत्पादन और कुछ सीमा तक पूंजी जुटाने और अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के प्रयोग के लिए परिस्थितियां पैदा हुई हैं। साथ ही मेरा विचार है कि हमारे वित्त मन्त्री इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक नहीं गए हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक उर्वरकों पर उत्पादन-शुल्क

[श्री आर० वाई० घोरपाडे]

लीजिए बजट से ज्ञात होता है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने से राजकोष को 3700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। परन्तु साथ ही, एक कृषक के रूप में, मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे कृषक समाज के हितों पर, विशेषतया सीमांत और छोटे कृषकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक छोटे किसान को उसके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिल पाता है और इन परिस्थितियों में, जबकि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि से, सीमांत तथा छोटे किसानों को उर्वरक की खरीद कर पाना असंभव हो जायेगा। इस अनिवार्य तथा प्रमुख आदान को खरीदते समय अच्छे पैसे वाले किसानों को भी एक बार सोचना पड़ेगा। अतः कृषक समाज का भार कम करने के लिये मैं दो सुझाव देता हूं। यह आवश्यक है कि गेहूं और चावल आदि का खरीद मूल्य उर्वरकों के मूल्यों के अनुपात में ही हो। दूसरे, उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए यह अनिवार्य आदान सीमांत तथा छोटे किसानों को भी उपलब्ध हो सके। हम सभी को इस वर्ष बहुत अच्छी वर्षा की आशा है—इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, परन्तु यदि सीमांत और छोटे किसान इतने अधिक मूल्यों वाले उर्वरक नहीं खरीद पायेंगे तो वे उत्पादन नहीं बढ़ा सकेंगे और अच्छी वर्षा का लाभ समाप्त हो जायेगा। एक किसान के रूप में मैं सम्बद्ध अधिकारियों को इसके गम्भीर परिणामों के बारे में सावधान करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जो सदैव किसान के कल्याण की बात सबसे पहले सोचते हैं, मेरे सुझाव स्वीकार करेंगे जिससे न केवल कृषि उत्पादन ही बढ़ेगा अपितु किसान उनके तथा सरकार का आभारी भी होंगे। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि किसानों की उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई विपणन की है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की बातें तो बहुत लोग करते हैं परन्तु जब वे सत्ता में थे तब तक उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मध्य-पूर्व में हमारी भारी निर्यात की संभावनायें थीं। वहां हमारी सभी वस्तुओं की भारी मांग थी। परन्तु हमने किया क्या ? हमने एक बहुत पुरानी और अवास्तविक नीति अपनाई और कहा कि मध्य-पूर्व को कृषि वस्तुओं का और निर्यात नहीं किया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि निर्यात देश निवासियों के मूल्य पर किया जाए फिर भी हमारे पड़ोसी देशों से हमारे कृषि उत्पादों की इतनी अधिक मांग थी तब सरकार एक नीति निर्धारित कर सकती थी कि यदि आप 12 महीने में इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो सरकार इन्हें मध्य-पूर्व के देशों को निर्यात कर सकती है। मध्य-पूर्व के देश अल्फांसो आम 25 रु० प्रतिकिलो ग्राम की दर से खरीदने के लिए तैयार थे। मांस, शाकसब्जियों तथा कृषि उत्पादों के मामले में भी ऐसा ही था। यदि उद्देश्यपूर्ण और ठीक दृष्टिकोण अपनाया जाता तो मुझे विश्वास है कि कृषिक क्षेत्र में, विशेषकर हमारे देश में उत्पादन बाहुल्य हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री घोरपाड़े, यह आपका पहला भाषण है; मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किन्तु आपको भी समय-सीमा का पालन करना होगा।

श्री आर० वाई० घोरपाडे : कृपया मुझे दो या तीन मिनट और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके भाषण से लगता है कि आप एकदम हुत अच्छा भाषण दे रहे हैं।

श्री आर० वाई० घोरपाड़े : मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बताना चाहता हूं। महोदय, ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 20वीं शताब्दी के बकासुर बन गए हैं। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के इस पहलू की गम्भीरता को महसूस करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकारी क्षेत्र में किए गए 15,000 करोड़ रु० के निवेश से लाभ प्राप्त होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उन्होंने जब यह वक्तव्य दिया था, तो उनके मस्तिष्क में वह बातें होंगी, जो मैं अब कहने जा रहा हूं।

जब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सक्षम तथा उत्पादनोन्मुख नहीं हो जाते, वे न केवल हमारे देश के धन को खाली करेंगे अपितु कुल मिलाकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला करेंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एक आदर्श बनना चाहिए तथा निजी क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए गति-निर्धानक बनना चाहिए। वास्तव में, अनेक मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश के अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बहुत ही अशोभनीय उदाहरण बन गए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें कुप्रबन्ध, अकुशलता तथा अक्षमता का स्मारक नहीं बनना चाहिए।

इस भावना के साथ वित्त मंत्री महोदय ने उन्हें जनता से प्राप्तियां स्वीकार करने के अनुमति दे दी है, जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी। मैं एक उद्देश्यपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा और सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सामान्य हिस्सों में जनता को निवेश करने की अनुमति दी जाए। ऐसे निवेशकर्ताओं को 5000 रु० तक प्रारम्भिक निवेश में आय-कर से छूट दी जानी चाहिए। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जनता की, मध्य आय समूह के लोगों की भागीदारी मिलेगी। इससे जनता इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल प्रहरी ही नहीं होगी अपितु यह कदम लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप भी होगा।

मैं एक और सुझाव देता हूं कि अधिकारियों के वेतन तथा श्रमिकों के बोनस को प्रत्येक एकक की उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और कुशल तथा उत्पादनशील एवं देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने में काफी सहायता मिलेगी।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सम्पदा कर पर छूट की सीमा 1 लाख रु० से बढ़ाकर 1.5 लाख रु० कर दी है। मैं समझता हूं कि सम्पदा कर निर्धारण के अन्तर्गत आने वाले लोगों की संख्या कुछ सौ ही होगी। मैं 1976-77 के आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। इस वर्ष वसूल किया गया सम्पदा कर राजस्व 6 से 7 करोड़ है। मेरा सुझाव है कि सम्पदा कर को निम्नलिखित कारणों से पूर्णरूपेण समाप्त कर देना चाहिए:—

[श्री आर० वाई० घोरपाडे]

सम्पदा कर दो बार लगाया जा रहा है। समानता तथा न्याय की यह मांग है कि सम्पदा कर अनौचित्यपूर्ण होने के कारण इसे पूरी तरह से वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि आप एक ही सम्पदा पर कर सम्पदा-कर के नाम से तथा पुनः इस पर सम्पदा-शुल्क के नाम से लगा रहे हैं। यह पूंजी निर्माण में भी जो औद्योगिक आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, तथा इसके बदले रोजगार के जो अवसर होते हैं, उनमें भी बाधक बनता है इससे, जैसा कि मैंने पहले बताया, निवेश के लिए आवश्यक नया आधार बनेगा, जिसके बदले रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो इस समय की मांग है।

अब मैं केन्द्रीय तथा राज्य बिक्री करों को समाप्त करने के विषय को लेता हूं, जो भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा विलम्ब की जड़ें हैं, जिसके कारण देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

केन्द्रीय तथा राज्य बिक्री करों को निम्नलिखित कारणों से स्रोत पर उत्पाद शुल्क के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए:—

इससे सीधे बिक्री कर की चोरी समाप्त हो जाएगी। इससे माल का शीघ्र आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा, जो कि एक विकासशील देश में अत्यन्त आवश्यक है। इससे सभी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार का पूरी तरह अन्त हो जाएगा। किन्तु राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कुछ आशंकायें हो सकती हैं कि उन्हें होने वाली राजस्व की क्षति का क्या होगा। यहां मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि स्रोत पर उत्पाद-शुल्क के समान अनुपात में केन्द्र तथा राज्यों को बंटवारे के लिए एक सांविधिक प्रावधान क्षेत्र चाहिए।

मेरा एक और अन्तिम सुझाव यह है कि वर्ष 1980 को "तालाबन्दीरहित तथा हड़ताल रहित" वर्ष के रूप में माना जाए। विरोधी दल के मेरे अनेक मित्र चीन में हुए आर्थिक चमत्कार के आंकड़ों तथा संख्याओं को उद्धृत करना चाहेंगे। किन्तु वहां विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था के बारे में उनमें से कोई भी कुछ कहने का साहस न करेगा। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि वहां पर विद्यमान व्यवस्था को भारत में शुरू किया जाए। यदि वरिष्ठ राजनैतिक नेता तथा संसद, जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, सरकार को अपना सहयोग दें और यदि अधिकारी, श्रमिक-वर्ग, की जो हमारे देश का आधार है, आशाओं और आकांक्षाओं को समझने का निर्णय करे तथा उनके हितों को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करें, तो हम कम से कम एक वर्ष के लिए 'तालाबन्दी रहित' तथा 'हड़ताल रहित' प्रणाली शुरू कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कम से कम एक वर्ष तक व्यक्ति घन्टों की क्षति को नष्ट होने से रोकना। मुद्रास्फीति के दबाव तथा बढ़ते मूल्यों की वर्तमान परिस्थितियों में यह नितान्त आवश्यक है। समय की मांग है—उत्पादन, अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन। इसके अलावा एक ओर हमारे उद्योगपति तथा दूसरी ओर हमारे श्रमिक नेताओं द्वारा वर्ष 1980 को 'तालाबन्दी रहित तथा हड़ताल रहित' वर्ष घोषित करना ही संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, स्थापित क्षमता तथा सम्पूर्ण वितरण के लक्ष्य

को प्राप्त करने का एकमात्र उत्तर है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस बजट की भावना के युक्तियुक्त परिणाम निकले हैं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस बजट के माध्यम से राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था, जिसको लोकदल और जनता सरकार ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया था, उसको यह बजट फिर से स्थायित्व देगा और राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ायेगा तथा इस राष्ट्र के नागरिकों में सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा।

मान्यवर जहां मैं बजट की आलोचना के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं आपको यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले जिस तरह का बजट इस सदन में पेश हुआ था और उस समय जो आज के वित्त मन्त्री थे, उन्होंने 12 मार्च, 1979 को इस सदन में एक भाषण दिया था और उस समय उन्होंने एक विरोधी सदस्य की हैसीयत से कुछ वायदे किये थे। मुझे खुशी है कि जो कुछ वायदे किए थे, जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को पूरे तरीके से अपने बजट में पूरा करने का ध्यान रखा है। जिस समय हमारी सरकार यहां आई और जनता ने उसे मौका दिया, देश का नेतृत्व करने के लिये, उस दिन देश की अर्थ व्यवस्था में 2700 करोड़ रुपये का घाटा था। उस 2700 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर आई और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादन में जितनी गिरावट थी वह किसी से छिपी नहीं है। यह भी आपको मालूम होगा कि आज से बहुत पहले इस बात को कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब "दास कैपिटल" में यह कहा था—कि खाद्य सब वस्तुओं की मुद्रा है। हिन्दुस्तान की आज जो अर्थ व्यवस्था है उस में कार्ल मार्क्स की बात पूरी तरह से लाग होती है। उसका कारण यह है कि आज भी हिन्दुस्तान के अंदर जो राष्ट्र की आमदनी है उसका 50 प्रतिशत खेती की पैदावार से आता है और यदि किसी देश के अन्दर खेती की पैदावार की ओर राष्ट्र की सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि वह राष्ट्र की तरक्की नहीं कर सकता है। हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के लिए जरूरी है कि बजट में जो प्रावधान किया जाय, उसमें कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, सहकारिता क्षेत्र में, फर्टिलाइजर क्षेत्र में हमने क्या व्यवस्था की है, विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने 12 मार्च, 1979 को यहां पर जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश की जो अर्थ-व्यवस्था है, उसमें खेती की पैदावार का मामला अहम है और उस खेती की पैदावार में सीरल्स, पलसेस और एडिबल आयल की पैदावार में बहुत बड़ी गिरावट आई है।

आज मैं कहना चाहता हूं—इस देश के अन्दर जो 1979-80 में खेती की पैदावार में 10 परसेन्ट की गिरावट आई है, यह 10 परसेन्ट की गिरावट बहुत बड़ी कन्सर्न की बात है और इस गिरावट को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारी सरकार के ऊपर है। हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए कि इस कमी को हम कैसे पूरा करें और कैसे आगे बढ़ें, जैसे हम पहले आगे बढ़ते रहे हैं। उस समय हमने कई बड़े-बड़े प्राजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हुए थे, जिनके द्वारा इस देश के डेजर्ट्स को प्लेटोज को और हिली टेरेन्स को उपजाऊ बनाया गया था। उन प्राजेक्ट्स को जनता

[श्री रामसिंह यादव]

सरकार ने तीन सालों के अन्दर बिलकुल नेगेटिव कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्न की पैदावार में, सीरियल्ज की पैदावार में, पल्सेज की पैदावार में और एडिबल आयल्ज की पैदावार में गिरावट आई। आपको मालूम है—इतना बड़ा प्राजेक्ट उस समय के कांग्रेस शासन ने हाथ में लिया था, जिसको राजस्थान कैनाल कहते हैं, जो सारे हिन्दुतान को अन्न दे सकता था। आपको मालूम है कि राजस्थान नहर एक इतना बड़ा प्राजेक्ट है जिसकी लम्बाई 450 किलोमीटर है और जिसके मुकाबले की दुनिया भर में कोई दूसरी कैनाल नहीं है। 1958 में इस कैनाल को शुरू किया गया था और 1980 तक इसको पूरा किया जाने का लक्ष्य था, लेकिन आज वह केवल एक फेस में पूरी हुई है और मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि पिछले तीन सालों के अन्दर केवल 8 या 10 किलोमीटर लम्बाई तक ही इसका निर्माण हो सका है इस अवधि में केवल 8 से 10 करोड़ रुपया ही जनता सरकार ने इसके लिए रखा था और वह रुपया भी पूरा खर्च नहीं हुआ।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर फाइनेन्स भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि वे भी राजस्थान के पड़ौसी राज्य के रहने वाले हैं। भुट्टो जो उस समय पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट थे, उन्होंने अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में जो 300 पृष्ठ का लिखित बयान दिया था, उसमें उन्होंने अपनी देशभक्ति का उल्लेख करते हुए बड़े गर्व से कहा था कि उन्होंने ईरान के शाह को मजबूर कर दिया था कि वह हिन्दुस्तान को राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिए कोई सहायता न दे, आप उनकी उस किताब को उठाकर देखिए—उसमें भुट्टो ने कहा था कि राजस्थान कैनाल केवल इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह स्टेटिजिक तरीके से वहां की मिलिट्री के फोर्टिफिकेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे न केवल हिन्दुस्तान को अपनी कृषि की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा।

इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि आप ऐसे प्रोजेक्ट को स्पेशल तौर पर अपने हाथ में लीजिए। यह केवल एक प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान का प्रोजेक्ट है और जैसा आपको मालूम होगा, इस प्रोजेक्ट के 450 किलोमीटर तक पूरा होने से 4 मिलियन टन गेहूं, 2 मिलियन टन दालें, 1 मिलियन टन एडिबल आयल्ज और 1 मिलियन टन कपास पैदा होने का अनुमान है। इसमें 76 लाख फैमिलीज के रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को 1980 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि गाडगिल फार्मूले के अनुसार हमारी स्टेट को जो पैसा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। राजस्थान को 5.76 परसेन्ट मिलना चाहिए था, सेन्ट्रल ऐस्सिटेंस के रूप में, लेकिन जो 7वां फाइनेन्स कमीशन बना, उसकी सलाह पर 5.15 परसेन्ट एस्सिटेंस दी गई है। मुझे खेद है—ऐसी स्टेट जिसके पश्चिमी हिस्से में डेजर्ट है, दक्षिणी हिस्से में हिली-टैरेन्ज हैं और पूर्वी हिस्से भरतपुर में बाढ़ें आती हैं—उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। हमारे राज्य से सबसे ज्यादा रा-मैटीरियल आपको मिलता है, लिगनाइट वहां से मिलता

है, राक-फास्फेट वहां से निकलता है, सिलिकान-सैण्ड वहां से निकलता है और सबसे ज्यादा सीमेंट राजस्थान देता है। सीमेंट के सारे रा-मैटीरियल्ज वहां पर उपलब्ध हैं—ऐसे प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आपके बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान कैनाल को एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मानकर इसकी तरफ विशेष ध्यान दें और उसको जल्द से जल्द पूरा करायें।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी ने पिछड़े इलाकों के लिए, खासकर के 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए विशेष रूप से बजट में प्रावधान किया गया है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तो वे स्टेट्स हैं जिनका इफेक्टिव लिट्रेमी रेट 50-60 परसेन्ट है। एक राजस्थान प्रदेश है जहां पर इफेक्टिव लिट्रेसी रेट 21.57 परसेन्ट है। उसमें भी ग्रामीण महिलाओं में यह चार परसैन्ट है। एजूकेशन के प्वाएंट आफ व्यू से जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से विशेष रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम है हमारी पार्टी का यह ओबलीगेशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का विस्तार करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनके लिए एजूकेशन की दृष्टि से बजट में विशेष रूप से प्रावधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने इस बजट में डीजल और उर्वरक के बारे में विशेष प्रावधान किया है। यह बात सही है कि ओपेक कन्ट्रीज ने तेल का जो रेट बढ़ाया है उसके कारण हमें 2,466 करोड़ रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और हमें इसका रेट बढ़ाने से 2,100 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके बावजूद भी, डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ाने के बावजूद भी अपनी सरकार के खजाने के ऊपर 366 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मैं इसके लिए वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस भार को ढो कर किसानों को राहत दी है। मैं एक बात, यहां कहना चाहूंगा कि जो लोग देहात से आते हैं उन को यह मालूम है कि केरोसीन और डीजल में कभी का इतना गेप नहीं रहा जितना कि आज पैदा हुआ है, शायद यह कन्ज्युमर को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो आज डीजल 2.40 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है और केरोसीन 1 रु. 64 पैसे लीटर पर मिल रहा है। इन रेट्स की वजह से केरोसीन और डीजल में 75 पैसे का अन्तर आ गया है। यह अन्तर कभी भी 10 पैसे या 15 पैसे से अधिक नहीं रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि केरोसीन डीजल में मिलाया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे किसान का ट्रेक्टर खराब होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस बात को फिर से सोचिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसान को डीजल दीजिए। जो डीजल किसान के काम आता है उसका रेट कम कीजिए। केरोसीन और डीजल के बीच में रेट का गेप कम कीजिए वरना इससे आपका ज्यादा नुकसान होगा, पब्लिक का नुकसान होगा।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां पर आपने फर्टिलाइजर के बारे में नीति अपनायी है, जैसाकि मैंने शुरू में अपने भाषण में इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाया है कि आज राष्ट्र में खेती का जो उत्पादन, कृषि उत्पादन दस प्रतिशत गिरा है उसकी गिरावट का

[श्री रामसिंह यादव]

कारण अकेले ड्राट ही नहीं है। उसके और भी कारण है। उसका कारण बिजली के उत्पादन में कमी भी है। 1980 के अन्दर हमारी थरमल पावर की फेल्योर थी, राजस्थान में हमारे एटोमिक पावर प्लान्ट की फेल्योर थी, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स ने भी बिजली का उत्पादन कम किया। ये सब फेल्योर से यह उत्पादन गिरा। आप पावर एनर्जी के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को अक्टूबर, नवम्बर के महीनों में ये मिल सकें, डीजल मिल सके।

मान्यवर आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा। कांग्रेस हकूमत ने कोटा के अन्दर सुपर थरमल प्लान्ट शुरू किया था। मुझे दुख है कि जनता सरकार ने उसमें एक पैसा नहीं लगाया। वित्त मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें। उन्हें मालूम ही है कि किसी राष्ट्र की विकास दर आंकने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस देश के अन्दर प्रति व्यक्ति कितने यूनिट बिजली खर्च होती है, कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है यदि देश के अन्दर प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा है तो वह देश विकसित माना जाता है। यदि इन चीजों की खपत कम है तो पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। हिन्दुस्तान बिजली, डीजल और पेट्रोल की खपत की दृष्टि से जितने भी डवलपिंग कन्ट्रीज हैं, उनमें बहुत पीछे है। वह थर्ड वर्ल्ड की कन्ट्रीज में भी बहुत पीछे है। इसलिए आपको इस दिशा में विशेष प्रयत्न करना होगा। अन्त में मैं यही कहता हूं कि आप किसानों के लिए अक्टूबर से मार्च के महीनों में डीजल की विशेष व्यवस्था करें जिससे कि किसान के खेतों में पानी पहुंचे।

मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में हमारी पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अन्तिम इच्छा यह थी कि उनकी अस्थियां किसानों के खेतों में जाकर गिराई जाएं। इनके पीछे उनका इरादा यह था कि किसान के खेत की पैदावार बढ़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उर्वरक, डीजल, आदि की कीमतें घटाएं ताकि किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर सके और उससे पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। फर्टिलाइजर पर आप सब्सिडी दें और उसका रेट भी कम करें।

बड़े दुख की बात है कि सबसे ज्यादा कीमतें फर्टिलाइजर की ही बढ़ी हैं जिसका किसान इस्तेमाल करता है किसान पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है मेहरबानी करके फर्टिलाइजर की आप कीमत कम करें और मैं यह भी चाहता हूं कि आगे आप जितने भी फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाएं इफको के माध्यम से लगाएं, कोऑपरेटिव के माध्यम से ही लगाएं और किसी प्राईवेट पार्टी को आप फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के वास्ते इन्टेंट न दें, उसको अनुमति न दें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : मैं इस बजट का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। विरोध करने से मेरा मतलब कुछ कमियां बताना है और कुछ सुझाव भी देना है।

बजट में बड़े आदमियों को राहत दी गई है, गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है। यह बजट एक ऐसा बजट है जैसे विलायती बोतल में देशी शराब भर दी जाय। बजट बड़े नाटकीय

ढंग से पेश किया गया है। दो दिन पहले चार सौ करोड़ खाद के दाम बढ़ाकर एकत्र करने की योजना करली गई थी, 2100 करोड़ रुपया तेल पर बढ़ाकर लेने की व्यवस्था करली गई थी यह सारा भार गाँवों पर और किसानों पर ही पड़ने वाला है। इसका मतलब साफ है—या तो सरकार किसानों को मिटाना चाहती है या फिर सरकार गलती कर रही है तेल और फर्टिलाइजर का सारा जो भार है यह किसानों पर डालकर क्योंकि डीजल इंजन और ट्रेक्टर तेल से ही चलते हैं। खाद और तेल का दाम किसानों के लिए कम नहीं किया गया है, बढ़ा दिया गया है। आपने स्वयं माना है कि दस प्रतिशत खेती के उत्पादन में गिरावट आई है। अब यह जो बढ़ोतरी की गई है इससे हो सकता है कि अगले बजट में आपको यह मानना पड़े कि 25-30 प्रतिशत खेती की पैदावार में गिरावट आई है। इतनी गिरावट आ सकती है। गाँव में कोई इतनी मंहगी खाद इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

जो राहत दी गई है बड़े लोगों को ही दी गई है। इनकम टैक्स में बड़े आदमियों को ही राहत दी गई है। इनकम टैक्स की छूट दस हजार से बढ़कर बारह हजार कर दी गई है और अधिभार बीस से दस प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उनको ही राहत मिलेगी जो बड़े आदमी हैं।

वैल्थ टैक्स में छूट एक लाख की जगह डेढ़ लाख की गई है। यह बड़े आदमियों के लिए ही है।

यहाँ पर बड़ी मेजें थपथपाई गई जब यह घोषणा की गई कि प्रेशर कुकर, टूथ पेस्ट, टी. वी. और रेडियो पर टैक्स की दर कम कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन चार चीजों में से गाँव में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ? कोई कुम्हार शहर में आ जाता है और ट्रांजिस्टर गधे के गले में बांध कर ले जाता है तो लोग तमाशा देख लेते हैं। वरना न तो वहां कोई ट्रांजिस्टर है न टी० वी० और न प्रेशर कुकर जिनपर राहत दी गई है 160 वाट के बल्ब आदि पर जो छूट और रियायतें हैं वे बड़े आदमियों को ही दी गई हैं। किसानों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो उसकी पैदावार का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली मांग तो मैं यह करना चाहता हूं कि किसान की खेती को उद्योग में लिया जाना चाहिए। देश में 20 प्रतिशत लोग जो चीजें बनाते हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को तो उद्योग माना जाता है और वे सभी अपनी वस्तुओं की कीमतें स्वयं तय करते हैं लेकिन बदकिस्मती है इस देश की कि 34 साल की आजादी के बाद भी 80 प्रतिशत आदमी जो पैदावार करते हैं, उसका मूल्य तय करने का हक उनको नहीं दिया गया है। इस वास्ते मेरी मांग है कि खेती को उद्योग में आप लें। अगर आपने ऐसा किया तो एक हजार रुपये क्विन्टल गेहूं, चने और जौ आदि की कीमत देनी पड़ेगी। फिर—आप फर्टिलाइजर, तेल आदि के दाम बढ़ाएं, दूसरी चीजों के बढ़ाएं लेकिन हमारा खर्चा जोड़कर हमें दाम दें। अगर खर्चा जोड़कर किसान को उसकी

[चौ० मुल्तान सिंह]

पैदावार के दाम नहीं दिए गए तो देश की वही हालत होगी जो चीन में हुई थी। वैसी हालत होना शुरू भी हो गया है एक तरह से। तब हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे और देश में 80 प्रतिशत जनता बगावत कर सकती है। हमारे यहां से हरड़ की लौद को ले जा करके और उससे टोकरी बना करके बेचा जाता है तो उसको उद्योग में लिया जाता है, खेत से मिट्टी खोदकर ले जाया जाता है और उससे बर्तन बना करके बेचा जाता है तो वह उद्योग कहलाता है, और इस तरह से जितने भी शक्ल बदलने वाले है वे तो मालदार है लेकिन जो पैदा करने वाले हैं वे भूखों मर रहे हैं। सरसों खरीदी, तेल निकाला और उद्योग में आ गए, गेहूं लिया, आटा पीसा, रोटी बनाई, उद्योग में आ गए। क्या कारण है कि किसान ही उद्योग में नहीं आ रहा है ?

हर साल बजट बढ़ता जा रहा है, इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। बस टैक्स बढ़ा दिया, काम चला लिया। जब तक खेती का उचित मूल्य नहीं दिया जाएगा, यह मामला सुलझने वाला नहीं है।

आप बजट को देखिए, उद्योग में 20 फीसदी, नहीं तो 5 फीसदी आदमी काम करता है और खेती में 80 फीसदी गाँव का आदमी और किसान काम करता है। लेकिन उद्योग का बजट ज्यादा और खेती को धन बहुत कम दिया गया है। जबकि खेती की हालत यह है कि खेत कटते जा रहे हैं, चम्बल, जमुना, गंगा का बीहड़ बढ़ता जा रहा है उससे यह बात पैदा होती है। यही हालत पहाड़ों की है, मिट्टी कटकर नदियों में भर जाती है और अक्सर बाढ़ आती है। ट्रेक्टरों की हालत है कि जो ट्रेक्टर सरकारी सेवा केन्द्रों में हैं काफी खराब पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मरम्मत को।

अगर आज किसी दुकान पर किसान गेहूं बेचे तो आप उसका भाव तय करेंगे, 117 रुपये उसको मिलेगा। मुनाफा जोड़कर 117 रुपये के भाव पर उसको पैसा मिलेगा। लेकिन आज हमारा गेहूं पड़ रहा है 500 रुपये, जौ पड़ रहा है 300 रुपये, चना पड़ रहा है 500 रुपये, लेकिन दाम देंगे 117 रुपये। क्या हम भिखारी हैं ? 2, 3 रुपये बढ़ा दिए, खेती पर और 4 अरब रुपया बढ़ा दिया खाद पर। आज लोग देहातों में भूखे मर रहे हैं। लेकिन यह 80 फीसदी जिस दिन बगावत करेंगे तो उस दिन इनको रोकने वाली कोई ताकत देश में नहीं होगी।

सिंचाई विभाग के बारे में हम पिछले 34 साल से कहते आ रहे हैं, 15 साल से हम एम० एल० ए० भी रहे और अब यहां भी दूसरी बार आये हैं। मैं चाहूंगा कि आप कृषक को सिंचाई के लिए पानी दें, बीज दें और रुपया दें और खाद भी दें। जितनी किसानों के काम आने वाली चीजें हैं, वह सब कृषि मन्त्री को ही देनी चाहिएं, चाहे वह दिल्ली का कृषि मन्त्री हो या प्रदेश का हो। अगर वह पानी देता है, तो दूसरा खाद नहीं देता है, अगर खाद देता है तो पानी नहीं देता। अगर खाद और पानी मिलता है तो रुपया नहीं मिलता। इस झगड़े के कारण खेती में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राज्य मन्त्री कितने ही बना दीजिए, लेकिन मन्त्रालय किसानों का एक होना चाहिए आज दिक्कत हो रही है कि गाँव में

कहा जाता है कि स्टेट छोटी है, कारिन्दे घने हैं। मिनिस्टरों की पोस्ट बढ़ती जाती है, आप बढ़ाइए, लेकिन राज्य मन्त्रियों की बढ़ाइए, मन्त्री एक ही रखिए। जो किसानों के काम आने वाली वस्तुएं हैं, वह सब उसी के अधीन होनी चाहियें।

हम हमेशा ही प्रदेश में या केन्द्र में कृषि मन्त्री के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय बच्चे पढ़ाने के, फलां मन्त्रालय में पहुच जाइए। खाद देने वाला दूसरा है। जितने भी आपके सरकारी साधन हैं, ट्यूबवैलों के, नहरों के, आप सिंचाई का पैसा तो पूरा लेते हैं, लेकिन पानी कभी एक दफा मिलता है, कभी दो दफा और कभी मिलता ही नहीं।

इस देश की बदकिस्मती है कि 34 साल की आजादी के बाद भी आज हम इस देश की जमीन को पानी नहीं दे पाये। क्यों नहीं सारी जमीन को पानी दिया गया। गांवों के अन्दर 4 फुट का रास्ता कच्चा भी नहीं है, बहन-बेटियों को बैलों में बिठाकर विदा किया जाता है, ब्याह-शादियों में। आज क्या कारण है कि दिल्ली और पूना में 500 फुट चौड़ी सड़कें हैं ? आजादी क्या 20 आदमियों को ही मिली है ? मैं समझता हूं कि किसानों के लिए और गांवों में रहने वालों के लिए गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। यही कहकर मैं सभापति जी आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि जो बजट पेश हुआ है, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ उस पर टीका टिपण्णी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह कुछ तरीका सा हो गया है कि उसकी तारीफ की जाए और टीका टिपण्णी की जाये। मगर मैं समझता हूं कि कोई भी बजट काबिले-तारीफ उस वक्त होगा जबकि उसके द्वारा देश के मुख्तलीफ सवालात, कठिनाइयां और दुश्वारियां दूर हो जायेंगी। और अगर वे सारे सवालात, वे सारी कठिनाइयां और दुश्वारियां ज्यों की त्यों बनी रहीं तो मैं समझूगा कि यह बजट काबिले-तारीफ नहीं है।

जरूरत इस बात की है कि सदन में जो बजट पेश किया जाता है, उसको सही मानों में अमली जामा पहनाया जाये। तभी वह काबिले-तारीफ और काबिले-तहसीन हो सकता है। अगर उसको अमली जामा न पहनाया गया, तो वह यकीनन काबिले-तारीफ नहीं है। मैं चन्द मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे रेलवे को ही लीजिए। आज रेलवे में फर्स्ट क्लास का टिकट लेने वाला और रिजर्वेशन कराने वाला सबसे ज्यादा बेवकूफ है। उसे कम बेवकूफ वह आदमी है जो सैकंड क्लास की टिकट लेता है और फर्स्ट क्लास में जाता है। और उस सबसे ज्यादा होशियार वह आदमी है, जो टिकट लेता ही नहीं है। भागलपुर से दिल्ली का किराया 190 रुपये हैं अगर मेरा नाम वैटिंग लिस्ट में है, तो मुझे गाड़ी में टापला खाना पड़ता है, अपना बिस्तरा इधर से उधर ले जाना पड़ता है। मगर एक आदमी कंडक्टर या टी. टी. को सिर्फ 10 रु० देता है तो उसको सही जगह मिल जाती है और पहले मिल जाती है और ऐसे फर्स्ट क्लास के डिब्बों में 90 फीसदी बिना-टिकट लोग बैठते हैं, जो चालाक, शातिर और गुंडे होते हैं।

[श्री समीनुद्दीन]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 अप्रैल, 1980 को जब मैं भागलपुर से चला तो एक आदमी अपने परिवार के साथ फर्स्ट क्लास में था। मैं दूसरे डिब्बे में था। बहुत से बिना-टिकट लोग चढ़ गए। उन्होंने उन लोगों को रोका। टी० टी० ने भी रोका। इसके नतीजे में उनको पीटा गया, उनकी बीवी को मारा गया और पथराव किया गया। चाहे एम० पी० हो चाहे कोई अफसर हो, क्या हिम्मत है कि वह किसी आदमी को रोक सके।

मुझे याद है कि इमर्जेंसी के जमाने में दानापुर डिविजन में एक महीने में 45 लाख रुपयों का नफा हुआ था। लेकिन आज हालत यह है कि फर्स्ट क्लास में जाने वाले 90 फीसदी बिना-टिकट होते हैं। इसकी वजह यह है कि रेलवे बजट को सही मानों में अमली जामा नहीं पहनाया गया है और इन्तजामी हालात दुरुस्त नहीं किए गए हैं।

मैं गोड्डा क्षेत्र, संथाल-परगना से आता हूं। वहां अंग्रेजी दौरे-हुकूमत में रेलवे लाइनें जहां थीं, आज भी वहीं पर हैं—एक इंच इधर से उधर नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र के बहुत से लोगों ने रेल देखी तक नहीं है। बहरहाल इस बात को लिखा जाता है, कभी बजट में भी आता है है, मगर अमली जामा उसको नहीं पहनाया जाता है। हद् है कि संथाल परगने का मुख्यालय दुमका है, वहां भी रेल नहीं है। बजट को ऐसे तरीके पर पेश किया जाता है कि बहुत-सी जगह तो काफी फायदे पहुंचाए जाते हैं और बहुत-सी जगह फायदे नहीं पहुंचाए जाते हैं।

बजट के सिलसिले में मुझे यह भी कहना है कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त मंहगाई है, हर जगह, गांव में हर घरों में इसकी वजह से परेशानी है। दूसरी चीज विधि-व्यवस्था है, आज डकैतियों का सिलसिला भी उसी तरह से है जिस तरह से जनता राज में था। अब तक कोई सुधार उसमें नहीं हुआ है। आए दिन मर्डर होते हैं, खूं-रेजी होती है, खून-खराबा होता है, राह चलना मुश्किल है। इस बजट के जरिए अगर इसका सुधार हो, कानून-व्यस्था दुरस्त हो, लोग अमन-अमान से रहें, जनता की जिन्दगी चैन से गुजरे तो मैं कहूंगा कि बजट बहुत बढ़िया है।

इसी तरह आज इर्रीगेशन का मसला है। मैं अपने क्षेत्र की बातें करता हूं चनान डैम, दो डैम हमारे यहां हैं सरकार ने इन को बनाया है मगर उसी नदी में बनाया है जिस नदी से किसानों पानी मिलता आया है। जिस नदी से वहां के लोग बाप दादों के जमाने से पानी लेते आ रहे है उसी की एक नहरी शकल यह सरकार ने बना दी है, जिस तरह से कि शराब वही है केवल बोतल बदल दी गयी है। सच है कि कोई खास व्यवस्था पानी की वहां नहीं है। बरसा होती है तो पानी मिलता है, अगर बरसा नहीं होती है तो लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। हालत यह है कि 1979 में नहर के होते हुए भी हर जगह सुखाड़ हुआ और अकाल-क्षेत्र उसको घोषित किया गया फिर ऐसा है कि नहर से जितना पट वन हो सकता है उससे चार गुना, पांच गुना कमांड एरिया करार दिया गया है। हद है कि ऐसे किसानों से भी कर वसूला जाता है जिसके खेतों में कभी पानी नहीं मिलता है। रबी फसल का भी कर वसूला जाता है और खरीफ फसल का कर अलग वसूला जाता है और हैरत तो यह है कि कहीं-कहीं तालाब, कब्रिस्तान और घरों का भी कर वसूल जाता है। यह सब काम कर्मचारी द्वारा घर बैठे होता है। होना यह चाहिए कि उसकी जितनी

एरिया पटाने की क्षमता हो उतना ही कमांड एरिया पटवन के लिए करार देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करार देना चाहिए। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है।

बहुत-सी जगह तो नहरें खुदी हुई हैं जैसे पड़ैया, गुड्डा और घुरैया मगर अब तक उन नहरों में पानी नहीं दिया है न कोई शक्ल है कि पानी पहुंचाया जाय। वहां सरकार की तरफ से इतने अखराजात होते हैं मगर जिस मकसद के लिए उस नहर को बनाया गया है वह मकसद पूरा नहीं होता है. किसानों के खेतों में पानी नहीं जाता है और बहुत से किसान तो ऐसे हैं कि उनसे नहर का कर भी जबरदस्ती वसूला जाता है। अब तो हालत यह है कि हमारे इलाके के बहुत से किसान यह कहने लगे है कि नहर बनकर बड़ा खराब हुआ, पहले, नहर नहीं थी तो तीन रुपए बीघा मालगुजारी हम लोग देते थे और किसी तरह गुजर कर लेते थे। मगर आज तो 33 रु० एकड़ हमें टैक्स लगता है। और पानी भी नहीं मिलता है फिर भी टैक्स वसूल कर लिया जाता है। तो इससे बेहतर तो यह था कि यह नहर नहीं होती। हम लोग उसकी तरफ तवज्जह दिलाते हैं मगर कामयाबी नहीं होती है। जो मराआत हम किसानों को दिलाना चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिल पाते हैं। मैं मानता हूं के आज सरकार की ओर से बहुत बड़ी सहूलियतें, इमदाद और ताउन इलाकों को दी गई है लेकिन रास्ते की जो मशीनरी है, और जो आफिसर्स हैं वह इतने भ्रष्ट हैं कि यह चीजें सरजमीन पर नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को वह नहीं मिल पाती हैं। जरूरत इस बात की है कि जो चीजें सरकार की ओर से आती हैं वह किसानों, मजदूरों और गरीबों को मिलें। इस बजट को जब आप अमली जामा पहनायेंगे तभी यह काबिले तारीफ होगा। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट की ताईद करता हूं और इस बात की उम्मीद रखता हूं कि इस बजट को अमली जामा पहनाया जायेगा।

✲**श्री एस०आर०ए०एस० अप्पाला नायडू** (अनकापल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री आर० वेंकटरमन द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसका उद्योगपतियों तथा व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों ने हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने इस बजट को पसन्द न किया हो। जैसाकि हमारे अमर नेता संजय गांधी ने टिप्पणी की है कि स्वतन्त्र भारत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब ऐसा सुन्दर बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें हमारे देश के लाखों लोगों की आशायें तथा आकांक्षायें प्रतिबिंबित हुई हैं। इस बजट से सामान्य व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हैं क्योंकि इस वर्ष उसे भारी करों से मुक्त रखा गया है। यह हमारी प्रगतिशील नीतियों का एक दस्तावेज है। इसमें हमारे समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए व्यवस्था की गई है, एक शब्द में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक क्रांतिकारी बजट है। हमारे वित्त मन्त्री ने सभी आवश्यक वस्तुओं को अतिरिक्त कर से छूट देकर सूझबूझ तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया है।

घाटे की अर्थव्यवस्था हमारी राजवित्त प्रणाली का एक स्थायी अंग बन गई है। शायद हम बच नहीं सकते यह परम्परा हमारे हीदेश में नहीं है, अपितु समस्त विकासशील विश्व में है यह एक विश्वव्यापी घटना है फिर भी वित्त मन्त्री महोदय के इन प्रयासों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने

✲ तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस०आर०ए०एस० अप्पाला नायडू]

जहां तक संभव हुआ है इस अन्तर को कम करने का प्रयास किया है।

महोदय, प्रगति की योजनाओं के बगैर कोई बजट नहीं हो सकता। विकास के बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्धि के बिना हमें विश्व में कोई स्थान नहीं मिल सकता। अतः विकास कार्यों के लिए अधिक आवंटन किए जाने चाहिए।

किसान होने के नाते मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं। यहां मैं उन किसानों तथा अन्य ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने उर्वरकों पर अतिरिक्त कर लगाया है। अब इन करों के कारण उर्वरकों के मूल्य आसमान को छू रहे हैं। कृषि सम्बन्धी लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है। वर्षा नहीं होती है। किसानों को प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उर्वरकों के मूल्यों में वर्तमान वृद्धि से हमारे किसानों की कमर टूट जाएगी। महोदय, हमारी कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिले। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करें मात्र उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है हमें सहकारी समितियों के माध्यम से सप्लाई को भी सुचारु बनाना होगा जिससे कि हमारे किसानों को, बिना किसी कठिनाई के आवश्यक मात्रा में खाद मिल सके। इस प्रकार की नीति से हमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी। संकर किस्मों का इस्तेमाल करने से हमारे किसानों को ज्यादा उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगी अतः यह आवश्यक है कि उर्वरकों का अधिक उत्पादन तथा उचित वितरण हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस नीति को अपना कर किसानों को प्रोत्साहन दे।

एक और गम्भीर मामला है, आज जिसका सामना हमारे किसान कर रहे है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, वे उत्पादन कर रहे हैं। किन्तु उन्हें उनके परिश्रम जोखिम का प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अनेक लोग गांवों में जो कुछ उनके पास है, उसे बेचकर वे शहरों की ओर आ रहे हैं। वे फैक्टरियों में रोजगार ले रहे हैं। दिन-प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। एक ओर कृषि उत्पादन गिरता जा रहा है और दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है तथा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। लोग भूखों मर रहे हैं। देश में लोग परेशान हैं। महोदय, मुझे भय है कि यदि इस स्थिति को आगे बढ़ने दिया गया तो हमें गम्भीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा हमारी वसूली नीति यथार्थ वादी नहीं है। अतः उर्वरकों तथा वसूली सम्बन्धी नीतियों को पूरी तरह से सुधारा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस आवश्यकता पर यथोचित विचार करेंगे।

मैं एक बात चीनी-नीति के बारे में कहूंगा। वर्तमान नीति से गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस नीति में भी पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए।

अधिक उत्पादन करने हेतु हमें किसानों को बढ़ावा प्रोत्साहन देना चाहिए। गन्ने अधिक उत्पादन करने हेतु हमें सभी संसाधनों का उपयोग उचित रूप से करना चाहिए। हमें उनके उत्पा-

दन के लिए उचित मूल्य देना चाहिए। गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। इस बात का भय है कि उपकी कुण्ठा के कारण उत्पादन में और गिरावट आ सकती है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए हम बड़ी मात्रा में चीनी का आयात कर रहे हैं, यदि किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है हमें बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ेगा। यदि सरकार गन्ने के लिए उचित मूल्य दे तो हम आयात पर अधिकाधिक निरर्भता को दूर कर सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम 200 रु० प्रति टन मूल्य निश्चित करे। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

मैं अनकापल्ली निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जहां गुड़ का भी उत्पादन होता है। वहां बाजार में इसकी भरमार है। माल की ढुलाई के लिए ज्यादा माल डिब्बों को उपलब्ध कराने के लिए मैंने सरकार से अनुरोध किया था किन्तु माल डिब्बों की कमी निरन्तर बनी हुई है। किसान अन्य क्षेत्रों को गुड़ नहीं भेज पा रहे हैं। उन्हें स्थानीय बजार में भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी गुड़ की कमी है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की समय पर सप्लाई करके उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की सहायता करें।

महोदय, हमारी मजदूरी नीतियों में गम्भीर खामियां हैं। समान किस्म के और समान कार्य के लिए मजदूरों को भिन्न मजदूरी मिल रही है। हम देखते हैं कि यही कारण है कि उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। जब हड़ताल होती है तो नियोक्ता तालाबन्दी की घोषणा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन उत्पादन में गिरावट आती है। कम उत्पादन के कारण मुद्रा स्फीति आती है तथा इसके बदले मुद्रा स्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः इस कुचक्र को तोड़ना चाहिए।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री घोरपाड़े ने सुझाव दिया है, कि सरकार को हड़ताल तथा तालाबन्दी पर रोक लगानी चाहिए। तभी हम इस गम्भीर स्थिति का जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, निवारण कर सकेंगे। यदि हम चाहें, तो हम इस पाबन्दी को चार अथवा पाँच वर्ष बाद, जब अर्थ व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जाए, हटा सकते हैं। संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी, असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को हानि पहुंचा कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं।

विजाग इस्पात संयंत्र के लिए 70 करोड़ रु० का आवंटन करने के लिए मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री का बहुत आभारी हूं। जैसाकि उन्होंने अपने बजट भाषण में टिप्पणी की है कि इससे बहुत अच्छी शुरूआत करने में मदद मिलेगी। मैं अपने लोगों की ओर से आपको इस आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र पूरा होने के लिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो और ज्यादा धन देने में मन्त्री महोदय संकोच नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध करायें। क्षेत्र के योग्य लोगों को अधिक दायित्वपूर्ण पद दिए जायें? मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री एस०आर०ए०एप० अप्पाला नायडू]

मैं एक बार पुनः बजट का समर्थन करता हूं। लोग भूखों मर रहे हैं। देश में प्रशान्ति फैल रही है। श्रीमानजी मुझे डर है कि यदि यह स्थिति को और बिगड़ती रही तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। हमारी क्रय नीति भी यार्थार्थिक नहीं है। अतः उर्वरक तथा क्रय नीतियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस आवश्यकता की ओर उचित ध्यान देंगे।

मुझे एक बात चीनी नीति के सम्बन्ध में कहनी है। वर्तमान नीति से गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस नीति की भी अच्छी तरह पुनरीक्षा की जानी चाहिए। हमें कृषकों को अधिक गन्ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें अधिक गन्ना पैदा करने के लिए अपने सभी साधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। हमें कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देना चाहिए। गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। हमें भय है कि उनकी निराशा से गन्ने के उत्पादन में और कमी आ सकती है। हम अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में चीनी का आयात कर रहे हैं और यदि कृषकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। हमें भारी मात्रा में चीनी का आयात करना पड़ता है। यदि सरकार गन्ने का उचित मूल्य दे तो हम चीनी के आयात पर अत्यधिक निर्भरता से बच सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि गन्ने का मूल्य कम से कम 200 रुपये प्रति टन निर्धारित किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी।

मेरा चुनाव क्षेत्र अनाकापल्ली है जहां पर गुड़ भी बनता है। वहां बाजार में गुड़ की भरमार है मैंने उस गुड़ के स्टाक को उठाने के लिए सरकार से अधिक वैगनों की व्यवस्था करने की प्रार्थना की थी। लेकिन वैगनों की कमी चली आ रही है। किसान दूसरे स्थानों को गुड़ नहीं भेज पा रहे हैं। उनको स्थानीय बाजार में गुड़ का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि देश के अन्य भागों में गुड़ की कमी है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को समय पर अपेक्षित संख्या में वैगनों की सप्लाई करके सहायता की जाए।

श्रीमान जी हमारी मजदूरी नीति में भी गम्भीर दोष है। मजदूरों को एक ही किस्म और परिमाण के काम के लिए अलग-अलग मजदूरी मिल रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वे हड़ताल का सहारा लेते हैं। जब हड़तालें होती हैं तो नियोक्ताओं द्वारा तालाबन्दी की घोषणा करदी जाती है, इसके परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन उत्पादन में कमी होती जाती है। कम उत्पादन से मुद्रा-स्फीति से मूल्य बढ़ते हैं। अतः इस दुष्चक्र का अन्त होना चाहिए।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री घोरपाडे ने सुझाव दिया है, सरकार को हड़तालों तथा तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम उस गम्भीर स्थिति को रोक सकते हैं जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। यदि हम चाहे तो हमारी अर्थ व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जाने पर इस प्रतिबन्ध को चार-पांच वर्ष के पश्चात् हटा सकते हैं। संगठित क्षेत्रों के

कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचा कर अधिक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का बिजाग स्पात संयत्र के लिए 70 करोड़ रुपये का नियतन के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

जैसाकि उन्होंने अपने भाषण में कहा है, इससे अच्छी शुरूआत होगी। अपने क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उन्हें इस नियतन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि की जरूरत होने पर इसे देने में मंत्री महोदय नहीं हिचकिचायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्थानीय जनता को रोजगार के अधिक अवसर दिए जायें। उस क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को ही अधिक जिम्मेदारी से कार्य दिए जायें। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

एक बार फिर इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमानजी, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बजट हमारे सामने है।

मुझे इस बात पर गर्व है कि वे तमिलनाडु के हैं और वस्तु स्थिति यह है कि वे तमिलनाडु से चौथे वित्त मंत्री हैं। वित्त मन्त्री महोदय के समक्ष जो कठिनाइयां रखी गई हैं, उन पर विचार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि वित्त मन्त्री महोदय ने कराधान का अच्छी तरह वर्गीकरण करके कठिनाइयों को संतुलित करने का प्रयास करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से वित्त मन्त्री महोदय को साबुन, साइकिल, टूथ पेस्ट, जीवन-रक्षक दवाइयां, कन्ट्रोल, के कपड़े, सिलाई की मशीन, प्रेसर कुकर आदि जनसामान्य के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर करों में छूट देने के लिए बधाई देता हूं।

एक ओर करों में 40 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है और दूसरी ओर बजट में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 223 करोड़ रुपये और सीमा शुल्क में लगभग 40 करोड़ रुपये के कर लगाए गए हैं। ये कर हाल में ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरकों की कीमत में वृद्धि के अतिरिक्त हैं, इससे एक वर्ष में 2100 करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी होगी। मुझे आशंका है कि करों के इस बोझ से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में और अधिक वृद्धि होगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार कीमतों में स्थिरता लाने तथा पर्याप्त पूर्ति और वितरण के माध्यमों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी, जिससे कि जनता परिहार्य असुविधाओं तथा कठिनाइयों से बच सकें।

कीमतों की वृद्धि की स्थिति में राज्यों में बहुत कठिनाइयां होती हैं मेरी आल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी संघीय प्रणाली के ठीक प्रकार से कार्य करने में विश्वास करती है। भारतवर्ष संघ में राज्य तथा केन्द्र चाहे वहां कोई भी पार्टी सत्तारूढ हो देश में अच्छा प्रशासन लाने तथा निर्धन तथा पददलितों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने की मिली-जुली साझेदारी होती है.

[श्री एन० सुन्दर राजन]

मेरा सम्बन्ध आल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी से है और केन्द्र में सुविख्यात श्रीमती इन्दिरा गांधी के यशस्वी नेतृत्व में कांग्रेस (आई) पार्टी की सरकार है। अभी-अभी एक बार निर्वाचन हो जाने पर हमें जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए तथा हमें जन सामान्य को अधिक से अधिक समृद्धि बनाने के लिए संघीय प्रजातन्त्र की सच्ची भावना से एक दूसरे को अपना सहयोग देना चाहिए। जैसाकि आप जानते हैं, राज्य सरकार को दिन-प्रतिदिन के कार्य-कलापों में विशेष तौर से कीमतों में वृद्धि होने तथा वस्तुओं की कमी की स्थिति में अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब कभी कीमतों में वृद्धि होती है, राज्य सरकारों को समाज के निर्धन वर्गों को सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित करना पड़ता है तथा उन्हें सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूर वर्ग को भी राहत देनी पड़ती है।

अतः मैं वर्तमान कीमतों की वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आल इण्डिया अन्ना द्रमुक पार्टी के सदस्य के रूप में केन्द्रीय सरकार से कीमतों में वृद्धि होने तथा मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना करता हूं।

मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा सावधानी से काम लेना चाहिए तथा यथा सम्भव साधन जुटाने चाहिए लेकिन राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए सीमांत गुन्जाइश और क्षमता होती है।

मैं कृषकों, विशेष तौर से छोटे किसानों तथा खेतीहरों की दुर्दशा के बारे में इस सभा का ध्यान तमिलनाडु के दौरे के समय कृषि राज्य मन्त्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन जी द्वारा दिए गये इस सुस्पष्ट आश्वासनों की ओर दिलाना चाहूंगा कि कृषकों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जायेंगे। केन्द्रीय सरकार तथा उसकी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुछ ठोस सहायता दी जानी चाहिए। उर्वरकों, बिजली तथा कृषि यन्त्रों आदि आवश्यक सामान की कीमतें बढ़ रही हैं किन्तु उन्हें तदनुरूप कोई लाभ नहीं दिया गया है। इससे कृषक वर्ग में प्रतिवर्ष ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। केन्द्रीय सरकार की कृषि कार्यों के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों को माफ करने के लिए स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

मैं, शिवकाशी चुनाव क्षेत्र से चुनकर आने के नाते वित्त मन्त्री महोदय की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन से प्रतिबन्ध हटा दिया है। उन्होंने उत्पादन शुल्क में प्रति गुरुस 1.60 रुपये की रियायत प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इन शर्तों के कारण केरल में दियासलाई के 2000 लघु एकक बन्द हो चुके हैं। जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं मैं इतना निश्चय ही जानता हूं कि कुटीर उद्योगों को पोटाशियम क्लोराइड आदि कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता की अवश्य ही आवश्यकता पड़ती है। मुझे आपको यह बताने का अवसर मिला है कि मेरे चुनाव क्षेत्र शिवकाशी को छोटा जापान कहा जाता है लघु क्षेत्र माचिस उद्योग में 2,00,000 रोजगार मिल रहा है हस्तनिर्मित माचिस उद्योग ने यान्त्रिक क्षेत्र अर्थात भारत के बहुराष्ट्रीय विमको के एकाधिकार समाप्त कर दिया है। माचिस उद्योग में कुटीर उद्योग तथा हस्तनिर्मित क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। हस्तनिर्मित

क्षेत्र कुटीर उद्योग के न केवल देश में माचिस की जरूरतों को पूरा करने बल्कि देश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के प्रयासों की कमी को भी पूरा करता है। कुटीर तथा हस्त-निर्मित क्षेत्रों के बीच प्रति गुरुस उत्पादन शुल्क के 2.90 रुपये का अन्तर रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार इनके बीच कुछ अन्तर रखना ही चाहती है तो यह कुटीर उद्योग तथा हस्तनिर्मित क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1.60 रुपये तथा प्रचलित 4.50 रुपए प्रति गुरुस होनी चाहिए।

शिवकाशी विश्वभर के पटाखों का निर्यात करके करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। फिर भी यह एक विचित्र बात है कि शिवकाशी की वैगनों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा रही है। अभी तक शिवकाशी में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र भी स्थापित नहीं किया गया है, हालांकि दिवाली तथा अन्य त्यौहारों के अवसर पर जब पटाखें जलाये जाते हैं शिवकाशी को देश भर में याद किया जाता है। विदेशी व्यापारी वर्ग से सम्पर्क करने के लिए शिवकाशी में टेलीफोन की पर्याप्त सुविधा व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुझे इस बात से खुशी है कि आय कर छूट की सीमा बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी गई है। जिससे 6 लाख निर्धारितियों को आय कर से राहत मिली है। फिर भी मेरा सुझाव है 12000 रुपये की आयकर छूट सीमा सभी के लिए होनी चाहिए। यह इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति की आय 12000 हजार रुपए से बढ़ जाती है, तो आय कर 8000 रु० की आमदनी से ही लगाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बी० आर० नहाटा (मंदसौर) : महोदय, मुझे इस सभा में पहली बार बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

बजट एक दस्तावेज है जिसके आधार पर हम यह समझते हैं कि देश को किस दशा में जाना है। यदि बजट से अधिक उत्पादन अधिक कुशलता से कार्य करने उचित वितरण, लोगों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि लोगों को सुविधाओं में वृद्धि, तथा कीमतों पर नियन्त्रण करने आदि का निदेश मिलता है तो इन सब बातों का यही तात्पर्य होता है कि बजट ने देश को एक दिशा दी है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष में ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। अतः हमें कुछ अल्पकालीन तथा कुछ दीर्घकालीन कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध विशेष में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में देश का उत्पादन गिरा है तथा देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। अतः इन परिस्थितियों में जिन बातों पर विचार किया जाना है वे बातें ये हैं : क्या हमने उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं या नहीं, और यदि हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है तो क्या इसका उचित ढंग से वितरण किया जाएगा। यदि बजट में ये विशेषताएं विद्यमान हैं तो निश्चय ही बजट की सराहना की जाएगी तथा वित्तमन्त्री महोदय को इसके लिए बधाई देनी होगी। मैं निवेदन करता हूं कि

[श्री वी. आर. नहाटा]

हमारे उत्पादन की धुरी बिजली उत्पादन है तथा इसी के आधार पर हमारी अर्थ व्यवस्था चलती है।

वित्तमंत्री ने तीन प्रकार के विद्युत, उत्पादनों, अर्थात तापीय, पनबिजली तथा परमाणु के लिए कुछ राशि निर्धारित की है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पनबिजली सर्वदा पानी की सप्लाई पर निर्भर होती है। वर्षा कम होने की अवस्था में पनबिजली उत्पादन में हमेशा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके उत्पादन में जमीन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारण है तथा जमीन को न किसी के द्वारा पैदा किया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। यदि हम पनबिजली उत्पादन की ओर ध्यान देंगे तो बहुत सी जमीन को जलमग्न करना पड़ेगा तथा इससे देश को बहुत हानि होगी। इसलिए पनबिजली परियोजनाओं की ओर ध्यान देने से पूर्व इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले पर भी विचार करना अत्यावश्यक है।

अन्य कारण तापीय विद्युत का उत्पादन है। इस समय तेल आयात के परिणामस्वरूप देश में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है क्योंकि तेल के मूल्यों में वृद्धि से इसका आयात बहुत महंगा हो गया है जिससे देश की अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है। इसलिए इन अवस्थाओं में अभी हमारे सम्मुख दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो परमाणु ऊर्जा है तथा अन्य विकल्प तापीय विद्युत है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि बजट में जो हमें करना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस देश में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा ये तीन ऊर्जा के स्रोत हैं तथा ये तीनों ही हमें बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः प्रौद्योगिक विकास के इस युग में हमें अनुसंधानों द्वारा सुनिश्चित करना है कि इन तीन प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर और अधिक ध्यान दिया जाय। केवल इसके पश्चात ही सकेगा कि प्रगति के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप हम इस देश के उपयोग के लिए आवश्यक विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकें,

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

मेरा निवेदन यह कि जमीन—विशेषकर उपजाऊ जमीन—को तब तक जलमग्न न किया जाय जब तक कि ऐसा करना अत्यावश्यक न हो। अतः हमें केवल एक प्रकार के विद्युत उत्पादन पर ही ध्यान न देना है अपितु दूसरे प्रकार के विद्युत उत्पादन पर ही ध्यान नहीं देना है अपितु दूसरे प्रकार के विद्युत उत्पादन पर भी ध्यान देना है। अभी हमारे पास कोयले का प्रचुर भण्डार है। अतः हमें तपीय परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए तथा इसके लिए बजट में निर्धारित राशि से कई गुना अधिक राशि का प्रावधान करना चाहिए।

बिजली की बहुतायत के कारण हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उत्पादन में वृद्धि अवश्य की जाय तथा उत्पादन बढ़ने के पश्चात् उसके वितरण का प्रश्न उपस्थित होगा। उत्पादन के मामले में भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें उत्पादन के बढ़ने तक प्रतीक्षा न करनी पड़े इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेलवे उद्योग तथा अन्य यातायात सुविधाएं उत्पादन के मूलभूत

स्रोत हैं। इन्हीं मुख्य साधनों से हमारी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार होता है अथवा गिरावट आती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों में उत्पादन की गिरावट के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है।

जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, लगभग 4 वर्ष पूर्व इसका मूल्य केवल 13 रु० प्रति बोरी था जबकि आज इसका मूल्य 30 रु० प्रति बोरी है। इस मूल्य पर भी यह उपलब्ध नहीं है। यह बात मेरी समझ से बाहर है। मेरे अपने जिले में 70 करोड़ टन चूना पत्थर का भण्डार है। मैं मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले से चुनकर आया हूं जहां पर 70 करोड़ टन चूना पत्थर प्राप्य है परन्तु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने सीमेंट उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया था, यहां तक कि भारतीय सीमेंट निगम ने भी इसके लिए आवेदन किया था, किन्तु रेल सुविधाओं की कमी के कारण कुछ खास काम नहीं किया गया है। अतः मेरा यह निवेदन है कि रेलवे तथा उद्योग के बीच आवश्यक समन्वय होना चाहिए। इन उद्योगों को सीमेंट, इस्पात तथा यातायात सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए।

वित्त मन्त्री के बजट भाषण में मैंने यह पाया कि इन्होंने खनिजों के सर्वेक्षण के लिए कुछ राशि का प्रावधान किया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अविलम्ब हमें खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण करना चाहिए तथा समस्त देश में इन प्रमुख उद्योगों के विकास के लिए योजना तैयार करवानी चाहिए। इसके बिना देश शीघ्र प्रगति नहीं कर सकता।

जब हम इन प्रमुख उद्योगों के विकास सम्बन्धी उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, तब एक ओर तो हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकेंगे तथा दूसरी ओर उत्पादन में भी वृद्धि होगी जिसका अर्थ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होना होगा तथा जब राष्ट्रीय आय बढ़ जायेगी तो उसके वितरण का प्रश्न उठेगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी अवस्था में जनता का शोषण हो। हम ऐसी प्रणाली चाहते हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा पददलित लोगों को अधिक लाभ मिल सके। पद दलित लोगों के उत्थान के लिए हमें प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। इन परिस्थितियों में हमें यह भी देखना है कि किसी प्रकार का अपव्यय न हो।

मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे जिले का इस देश में अफीम उत्पादन के मामले में एकाधिकार है। प्रतिवर्ष करोड़ों रु० मूल्य की पोस्ते की ढोंढी बरबाद की जा रही है। 4 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने पोस्ते की ढोंढी की उपलब्धता के आधार पर चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एक फैक्टरी स्थापित करने का निश्चय किया था। परन्तु जनता शासन के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया मैंने वित्त मन्त्री से अनुरोध की है कि वे प्रतिवर्ष 200 करोड़ रु० मूल्य की पोस्ते की ढोंढी को बरबाद होने से बचाने का प्रयास करें। मैंने एक पत्र लिखकर भी उन्हें देशी प्रणाली के आधार पर इस फैक्टरी को स्थापित करने संबंधी सुझाव दिया है। इससे हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा इससे अर्थ व्यवस्था को सुधारने में भी मदद मिलेगी। मैंने छोटी-सी मद का उल्लेख किया है। इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाना है जहां कहीं भी हमें इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की संभावना प्रतीत हो, वहां हमें उनकी स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

[श्री बी. आर. नहाटा]

हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जहां कहीं भी हमें हानि हो रही हो, जहां कहीं भी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो, इसको ठीक किया जाना चाहिए। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के कारण है अथवा निजी क्षेत्र के कारण; मुझे केवल इसी बात से सरोकार है कि जनता को अपने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं कम दामों पर मिलती रहें तथा कीमतों में वृद्धि न होने दी जाय। हमें बहुत अधिक हानि को रोकने के लिए घाटे में चलने वाले उद्यमों के साथ सख्ती बरतनी होगी, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में हों।

जब हम कहते हैं कि उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो हमें जनसंख्या में वृद्धि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन वृद्धि का लाभ हमें नहीं मिलेगा तथा देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

हमें शासन की कार्यकुशलता को भी देखना होगा। मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे जिले में सीमेंट फैक्टरी के लिए भारत सरकार ने 1952 में एक आशय पत्र दिया था। 1976 में इसकी आधार शिला रखी गई थी तथा अब इसका निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। अतएव इस प्रकार 20 वर्ष बेकार नहीं किए जाने चाहिए। कल मैंने श्री डूंगा का भाषण सुना था; वे भी सेवाओं अथवा कार्यपालिका के स्तर पर अकुशला की बात कर रहे थे। मेरा विनम्र निवेदन है कि निर्णय बहुत शीघ्र लिए जाने चाहिए। निर्णय लेने में हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा जो भी निर्णय लिए जायें उन्हें अविलम्ब तथा उचित समय पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि हम कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं करेंगे, तो सारी योजना अस्त व्यस्त हो जाएगी तथा योजना के अस्त-व्यस्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से असन्तुलन उत्पन्न होगा।

यह सर्वविदित है कि छठी पंचवर्षीय योजना अभी तक तैयार नहीं हो पायी है। परन्तु मैं वित्तमन्त्री को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस योजना के पंचवर्षीय प्रारूप के पूरा होने का इन्तजार न करके एक वर्ष के प्रारूप को तैयार किया है तथा इस एक वर्षीय योजना को अगले चार वर्षों के लिए तैयार की जाने वाली योजना में शामिल कर लिया जायगा। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, इस्पात तथा सीमेंट जैसे प्रमुख उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें रेलवे को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि रेलवे अधिकारियों की कुछ क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति रही है। परन्तु यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जहां तक सम्भव हो हमें आदिवासी क्षेत्रों तथा पिछड़े इलाकों में रेल लाईनें बिछाकर इनकी दूरी कम करनी चाहिए तथा इनका विकास करना चाहिए हमें सर्वेक्षणकर्ताओं के निष्कर्षों पर नहीं डटे रहना चाहिए। हमें राष्ट्र हित को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं होगा यदि राष्ट्रीय हित में अथवा अधिक खर्च के कारण कोई विशेष उद्योग अथवा कोई विशेष रेल लाईन हमारे क्षेत्र में न पहुंचे किन्तु यदि यह राष्ट्रीय हित में है तो हर हालत में इसको किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है कोटा, सिंगोली, जावड़, नीमच, मद्रास, बांसबाड़ा तथा गोधरा को जोड़ने वाली एक रेल लाईन द्वारा बम्बई तथा दिल्ली के बीच की 70 किलोमीटर की दूरी को कम किया जा सकता है तथा इससे परिवहन सम्बन्धी लागत में

7 प्रतिशत की बचत होगी तथा कम से कम 5 सीमेंट फैक्टरियों के खुलने की संभावनाएं बन सकेंगी। अतः क्या हमें इसे नहीं करना चाहिए ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण का निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

श्री० बी० आर० नहाटा : चूंकि घन्टी बज रही है, मैं केवल आधे मिनट में अपना भाषण पूरा करूंगा।

महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमें सभी उपाय करने चाहिए। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दी गई कर सम्बन्धी राहत सराहनीय है तथापि मैं निवेदन करूंगा कि हमारी कर-प्रणाली को ध्यान में रखते हुए उत्पादन वृद्धि में प्रोत्साहन देने के लिए करों में और राहत दी जानी चाहिए तथा इसी के साथ कर की चोरी करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को कर की चोरी नहीं करने दी जानी चाहिए। हमें देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना चाहिए।

इस बजट से मुझे पता चलता है कि इसमें देश को उत्पादन बढ़ाने, कीमतों को कम करने तथा विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का बहुत सराहनीय प्रयास किया गया है। हमें पिछली सरकार से बहुत बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति प्राप्त हुई थी तथा इस बजट द्वारा देश में विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में सही प्रयास किया गया है। अतः मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची): सर्वप्रथम मैं द्रमुक की ओर से वित्त मंत्रीको वर्ष 1980-81 के लिए आम आदमी का बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं।

समाज के सभी वर्गों द्वारा बजट का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। इस का सीधा कारण यह है कि इससे देश के सभी समुदायों को लाभ होगा। मुझे इसमें समाजिक परिवर्तन लाने की अनेक योजनाओं, आर्थिक कार्यक्रमों, औद्योगिक विकास गतिविधियों तथा सामाजिक उत्थान योजनाओं की झलक मिलती है।

इस बजट की यह कहकर आलोचना की गई है कि इससे आम आदमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें 930 करोड़ रु० का राजस्व घाटा दिखाया गया है। यह आलोचना हमारे भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री, श्री सतीश अग्रवाल ने की थी। परन्तु मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा। घाटे की अर्थ व्यवस्था समाज के लिए हानिकारण नहीं है बशर्ते जितनी धनराशि की घाटे की व्यवस्था की गई है, उस धनराशि का सही तरीके से निवेश किया गया हो और उसका देश के विकास के लिए उपयोग किया जाए। यह कहा गया है कि कुछ छोटी-मोटी रियायतें देने मात्र से ही यह बजट आम आदमी का बजट नहीं हो जाता। परन्तु हमें कुछ वर्गों को रियायतें देने तथा अन्य वर्ग पर कर लगाने जैसे दो मुद्दों को इकठ्ठा नहीं करना चाहिए। यह सरकार आम जनता तथा समाज के गरीब वर्ग की भलाई के लिए कार्य करने को वचनबद्ध है।

इसलिये सरकार को यह अधिकार है कि वह जन साधारण के लिये उन्नति के उपायों

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

की व्यवस्था करे। इसीलिये ये उपाय सरकार द्वारा आरम्भ किये गये बीस सूत्री कार्यक्रम से ही सीधे रूप में लिये गये हैं। अतः सरकार इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उचित दृष्टिकोण पर विचार कर रही है।

दूसरी बात का सम्बन्ध कर प्रस्तावों से है। कोई भी सरकार बिना कर लगाये देश पर शासन नहीं कर सकती। इस बजट के ये कर जन साधारण से वसूल न किये जाकर केवल नियमित क्षेत्र तथा धनी वर्ग से वसूल किये जायेंगे। तथा इससे वेतन भोगियों पर कर भार कम हो जायगा। इसलिये यह कहना गलत है कि यह बजट जन साधारण के हितों के विरुद्ध है। इस बजट को निम्नलिखित दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये:

1. इस का उद्देश्य हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिये अनेक कल्याणकारी उपाय आरम्भ करना; तथा कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़ाना है;
2. देश की अर्थ व्यवस्था पर उचित दुष्प्रभाव पिछली सरकार की गलत धारणाओं का परिणाम है;
3. पट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि हुई है;
4. भारत के मुद्रा सम्बन्धी कार्य कलापों में आयी अस्थिरता है;
5. सरकार का प्रयास मूल्य और मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करना है;
6. सरकार वेतन भोगियों पर कर भार को भी कम करना चाहती है; और अन्त में सरकार जनता तथा जन साधारण के प्रति वचन बद्ध है;

इसलिये बजट को उक्त दृष्टिकोणों से देखना चाहिये। उदाहरण के लिये, कल ही उप वित्तमंत्री ने विस्तार पूर्वक सरकार के कल्याणकारी उपायों तथा उन्नति के कार्यकलापों को बढ़ाने के बारे में बताया था। मैं इस सम्बन्ध मे उनके विचारों का समर्थन करता हूं। सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिये 1979-80 के लिये किये गये 1,811 करोड़ रुपयों के बजाय 2,247 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इस बजट में अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिये व्यापक विशेष संघटक योजनाओं पर 100 करोड़ रुपये व्यय की भी व्यवस्था है। जन जातीय विकास के लिये 70 करोड़ रुपये का आबन्टन किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये 250 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह अत्यावश्यक है और इसे कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये। नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष योजनाय आरम्भ की जायेंगी। बजट में निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिये पोषण आहार के लिये धन निर्धारित किया गया है। युवकों के लिये राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये बजट में 340 करोड़ रुपये का आबन्टन किया गया है। 35,000 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये बजट में 294 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सूखा ग्रस्त क्षेत्रों तथा बरमाये गये कुओं के लिये 40 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। खादी तथा ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के लिये 150 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। बुनकरों के लाभ के लिये हथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया है। कृषकों को चार लाख पम्प सैट दिये जायेंगे और इस वर्ष में

25,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी। भूमिहीन मजदूरों के लिये ग्रामीण आवास एवं झोंपड़ा निर्माण योजना के अन्तर्गत लगभग आठ लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास के अन्तर्गत छोटे किसान विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षोन्मुखी कार्यक्रम तथा अच्छे बीज की सप्लाई के लिये 158 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय: अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं और अधिक समय ले सकता हूँ। मेरे लिये आधे घन्टे का समय निर्धारित है।

सभापति महोदय : आप भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : कोयला, ऊर्जा, इस्पात तथा उर्वरकों का उत्पादन बढाने के उपाय किये जा रहे हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों पर कर भार कम करने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं ; छोटे और नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कुछ मामलों में करों से पूरी राहत दी जा रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम विकास के लिये है तथा बारह सूत्री कार्यक्रम राहत कार्य के लिये है। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नेवेली लिग्नाइट के लिये कुछ राशि तथा सेलम इस्पात संयन्त्र के लिये 57 करोड़ रुपये तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विकास कार्यक्रम के लिये 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं यह सब यह बताने के लिये कह रहा हूँ कि सरकार विकास की एक दिशा में अग्रसर हो रही है जो कि जन साधारण के लाभ के लिये है। इसीलिये सरकार ने ये कार्यक्रम आरम्भ किये हैं। सरकार की नीतियों के आलोचक अभी मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि के बारे में बहुत सी बातें कह रहे थे। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपका क्या योगदान है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कीमतें बढ़ी हैं; मुद्रास्फीति की प्रवृति बढ़ रही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ। किन्तु यह किसकी देन है। इस आर्थिक संकट के लिये कौन जिम्मेदार है 1979-80 तक जनता शासन काल के दौरान बजट सम्बन्धी घाटा 3905 करोड रुपये था। यह बजट सम्बन्धी घाटा समन्वयतया विकास अभाव के कार्यक्रम के कारण था। इसलिये जनता शासन काल में यह बजट सम्बन्धी घाटा हुआ। जनता सरकार को इन गलत धारणाओं का अब हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि 1978-79 में मुद्रा की सप्लाई 18.3 प्रतिशत थी जो कि 3,643 करोड़ रुपये अधिक थी। राष्ट्रीय आय बहुत कम अर्थात् 4.5 प्रतिशत थी। आरक्षित मुद्रा मे 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वाणिज्यिक क्षेत्रको बैंक का ऋण 1977-78 में जो 2372 करोड़ रुपये था बढ़कर 43.14 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी मुद्रा कोष कम होकर 50 करोड़ रह गया। मार्च, 1979 से मार्च, 1980 तक 9 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई। श्री सतीश अग्रवाल ने बताया है कि बजट घोषणा के पश्चात् पहले सप्ताह मे मूल्य सूचकांक मे 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों को मैं यह बताऊंगा कि कैसे 1979 के मार्च में 2.4 प्रतिशत, अप्रैल मे 3.4 प्रतिशत, मई में 1.5 प्रतिशत जून में 2 प्रतिशत, जुलाई में 4.6 प्रतिशत, अगस्त में 3.2 प्रतिशत; सितम्बर में 1.2 प्रतिशत और अक्तूबर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी में लोक सभा चुनाव के पश्चात् यह वृद्धि केवल

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

0.2 प्रतिशत, फरवरी में 3 प्रतिशत, मार्च में 0.4 प्रतिशत और अप्रैल में 0.6 प्रतिशत थी। इस प्रकार लोक सभा चुनाव के पश्चात इस प्रवृत्ति में कमी आने लगी यद्यपि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से मूल्य वृद्धि हुई।

पिछली सरकार ने 7 से 8 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन विकास दर की परिकल्पना की थी। अनुमान था की 1979-80 में यह लगभग 4 प्रतिशत होगी किन्तु 1979-80 के पहले ग्यारह महीनों में 0.8 प्रतिशत की कमी हुई। कुप्रबन्ध ही औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कम उत्पादन होने का मुख्य कारण था। औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित धन राशि को अन्य कार्य के लिये लगा दिया गया था।

महोदय, मेरे मित्र विशेषरूप से श्री रामअवतार शास्त्री ने भी चीनी के बारे में बहुत बार अनेक प्रश्न किये हैं। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि चीनी के मूल्य में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है। 'इकनामिक सर्वे' में स्पष्ट रूप से सही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 'इकनामिक सर्वे' जनता सरकार द्वारा किये गए कुछ अच्छे कार्यों की सराहना भी की गई है किन्तु साथ ही वास्तविक चित्रण इस प्रकार दिया गया है:—

> "1978 के मध्य अगस्त में चीनी पर से नियन्त्रण हटाये जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि चीनी के संरक्षण मूल्य के अभाव में चीनी का मूल्य स्तर मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित हुआ। गन्ने का अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में बाजार मूल्य अत्यधिक नीचे स्तर तक पहुंच गया। अगस्त, 1978 और 1979 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक 15 प्रतिशत गिर गया जिससे उत्पादकों को इसका उत्पादन अलाभकारी लगा···उद्योग में इसकी प्रतिक्रिया हुई और उसने मार्च से उसकी निकासी पर नियन्त्रण लगा दिया और इससे मूल्य बढ़ने लगे। कुछ सीमा तक इस वृद्धि का यह जानकर सहन किया जा सकता था कि यह अति-उत्पादन के परिणामस्वरूप मूल्य स्तर अत्यधिक कम होने को रोकने का उपचारात्मक उपाय है। किन्तु दो महीने में 20 प्रतिशत वृद्धि चिन्ता का विषय बन गया।"

इसलिए, इसका यह कारण था चीनी के मूल्य में वृद्धि होने का कारण यह था कि 1978 के मध्य अगस्त में चीनी पर से नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया। 1978 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई। न केवल भारत पर बल्कि विश्व के सभी देशों पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने का प्रभाव पड़ा है। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उनकी यह रिपोर्ट जनता सरकार के कार्य के बारे में है। मैं **'इकनामिक टाइम्स'** से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं।

इसमें कहा गया है:—

> "कन्सॉर्टियम के सदस्य देशों के लिए विश्व बैंक के नोट के अनुसार 1979-80 में भारत के आर्थिक क्षेत्र के कार्यकलाप में गिरावट आई। कृषि उत्पादन में प्रतिरोध हुआ। सूखा बिजली की अत्यधिक कमी तथा डीजल की कमी से कृषि उत्पादन में कमी आई

> ...कुल राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) में 3 प्रतिशत कम हो गया। श्रमिक अशान्ति तथा कोयले के परिवहन की कठिनाइयों के कारण उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। विश्व-व्यापी मुद्रा स्फीति से भारत की आर्थिक समस्याएं भी बढ़ी। गईं 8'

यहां तक कि विश्व बैंक ने भी जनता सरकार के आर्थिक कार्य-कलापों का बड़ा निराशावादी चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही मैं पैट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि से अत्यधिक चिन्तित हूं। इसको नियन्त्रित करने के लिए कुछ उपाय किये जाने चाहिये।

पैट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। साथ अनेक कारण हैं और मैं उनपर अत्यधिक विस्तार में नहीं बोलना चाहता। पैट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि होने का सभी देशों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण ने भी 1980 में मंदगति से विकास की भविष्यवाणी की थी। उसमें बताया गया है:—

> "संयुक्त राष्ट्र विश्व-व्यापी सर्वेक्षण के अनुसार 1980 में विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों में निरन्तर अपेक्षाकृत मन्दगति से विकास होगा और सोवियत संघ और पश्चिम यूरोप के अन्य केन्द्रीय योजना और अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी स्थिति अच्छी नहीं होगी।
>
> वर्तमान स्थिति में आर्थिक सहयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विचार विमर्श की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
>
> वर्तमात स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय विचार विमर्श में तेल-निर्यातकर्ता तथा गैर-तेल निर्यातकर्ता विकाशील देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
>
> विश्व की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अगामी पांच वर्ष—1980 से 1985 के भावी विश्लेषण के बारे में 'इकनामिक सर्वे' में कहा गया है कि भविष्य के निराशाजनक होने की सम्भावना है।
>
> "आगामी वर्षों में मुद्रास्फीति दर अधिक रहने की सम्भावना है।"
>
> संयुक्त राष्ट्र के विश्व-व्यापी सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है। अब, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का प्रश्न विश्व के सभी देशों के लिए सर्वाधिक चिन्ता का विषय है और उन्हें इस सम्बन्ध में उचित उपाय करने होंगे।"

जहां तक मेरी पार्टी का सम्बन्ध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि असम की समस्या का हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। असम में हमारे देश के तेल उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसलिए हमें विदेशों से तेल का आयात करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा बहुत अधिक व्यय हो जाती है। इसलिए भारत सरकार को समुद्र तट पर तथा अन्य स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा पर एक कार्यकारी दल का गठन किया, राष्ट्रीय परिवहन नीति

[श्री सी० टी०दण्डपाणी]

निर्धारित की, पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन गठित की। इनमें से एक अध्ययन में व्यय से कम 55 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत का उल्लेख किया गया है। परन्तु लक्ष्य 200 करोड़ रुपए वार्षिक बचत का है। ऐसा उल्लेख किया गया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन समितियों की सिफारिशों का अध्ययन किया जाए और यह सुनिश्चित करें कि इन समितियों की नीतियों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। जिससे 200 करोड़ रुपये की बचत हो सके। ऐसा करने से 500 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता मिलेगी।

समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं कि बम्बई हाई में काम धीमा पड़ गया है। इसके साथ ही मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि गोदावरी के तट पर भी हमें कुछ तेल मिला है। हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग को तमिलनाडु में कावेरी तट पर भी खुदाई करके तेल का पता लगाना चाहिए। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि हमें गुजरात से भी कुछ गैस मिल जाएगी। यदि उद्योगों के लिए इन लाभकारी संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग किया गया तो पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य नहीं बढेगा और इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।

मैं बैंकों के आर्थिक कार्यों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। एक ओर तो हमें घाटे की स्थिति का सामना करना पड रहा है और दूसरी ओर हमें पैट्रोलियम उत्पादों के लिए अधिक से अधिक अदायगी करनी पड रही है।

जहां तक भारत का संबंध है बैंकों का कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं है। जिस ढंग से बैंको में कार्य हो रहा है, मैं उससे खुशी नहीं हू। रिजर्व बैंक का बैंकिंग उद्योग पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बैंकिंग उद्योग ने जिसमें राष्ट्रीकृत बैंक भी शामिल हैं, किस प्रकार रिजर्व बैंक के अनुदेशों की अवेहलना की है। इस संबंध में मैं एक सुसंगत पैरा उध्दृत कर रहा हूँ:—

> "चूंकि बैंकों ने निर्धारित सांविधिक के नकद अनुपात तथा नकद राशि अनुपात बनाए रखने में त्रुटि की तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ऋण प्रसार को नियत्रित नहीं किया था, इसलिए बैंकों पर नियन्त्रि रखने के लिए और उपाय करना आवश्यकहो गया था।"

अत: कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहा है।परन्तु इस देश में रिजर्व बैंक यह समझता है कि वह प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित कर सकता है।

मैं बैंकों की राजस्व तथा वित्तीय नीति के बारे में बताना चाहता हूं। बैंकों द्वारा अपनाई गई वर्तमान नीति लाभकारी नहीं है तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि जैसे बैंक भी आम व्यक्ति की तात्कालिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते तथा वे मुद्रा स्फीति को रोकने में असमर्थ हैं। यह अच्छा ही होगा कि सरकार रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक पर और अधिक नियंत्रण करे। भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान उद्योगों को अकारण ही ऋण दे देते हैं वे यह भी नहीं सोचते कि ऐसा करने से कीमतों तथा अन्य क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 या आठ ऐसे वित्तीय संस्थान है जहां प्रबन्ध निदेशक नियुक्त हैं। भारतीय वित्त निगम आदि के प्रबन्ध निदेशक अपने आपको महाराजा समझते हैं और जो वे चाहते हैं वही करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान यह भी नहीं देखते कि वित्तीय व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता का अधिकतर लाभ केवल बडी कम्पनियों, बडे घरानों को मिलता है। इनमें से कुछ एकाधिकार और निर्बन्धन कार्य व्यापार प्रथा आयोग के अन्तर्गत आती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परियोजना वित्त योजना के अन्तर्गत लगभग 60% से भी अधिक ऋण परियोजना लागत के लिये दिया जो कि 10 करोड रुपये से भी अधिक है। एकाधिकार और निर्बन्धन कार्य व्यापार प्रथा आधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार प्राप्त बडी कम्पनिया ही अधिकतर सहायता विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त कर रही हैं, उदाहरण तथा, परियोजना वित्त योजना के अन्तर्गत उन्हें 27.7 प्रतिशत, आसान शर्तों पर ऋण योजना के अन्तर्गत 43.5 प्रतिशत, तकनीकी विकास योजना के अन्तर्गत 46% और बिलों का पुन: मिति काटने के अन्तर्गत 25.9% दिया गया। मैं ये आंकडे यह दिखाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये वित्तीय संस्थाएं केवल बडे घरानों की ही सहायता कर रही हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि इन पर सरकार का अपेक्षित नियंत्रण हों ताकि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण हो सके। और इन ऋणों आदि की योजनाओं पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक जब भी कोई अनुदेश जारी करता हैं तो बैंक छोटे तथा गरीब आदमियों को ही दबाता है, उनके ऋणों में कटौती की जाती हैं परन्तु ये बैंक कभी भी बडे आदमियों पर हाथ नहीं डालते। ऐसा करने से मुद्रा स्फीति बढती है। दूसरे गरीब आदमियों का उद्योग तथा व्यापार विकसित नहीं हो पाता।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था की संकल्पना के बारे में कुछ कहा गया था। अपने देश में हम ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति को स्वीकार किया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि साम्यवादी देशों में भी मिश्रित अर्थ व्यवस्था का विकास हुआ है। 'चीनी अर्थशास्त्री पूंजीवादी पद्धति का पुन: प्रवर्तन चाहते हैं' शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया है कि:—

> "चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के एक सरकारी मुख्य-पत्र 'पीपल्स डेली' में एक विख्यात अर्थशास्त्री ने अपने लेख में लिखा है कि चीन की अर्थ व्यवस्था पद्धति में मूल-भूतसंशोधन किया जाना चाहिए जिसमें बहुत लम्बे अर्से से समाप्त पूंजीवादी पद्धति में मूलभूत जाना चाहिए एजेंसियों और एक्सचेन्जों का पुन: स्थापना शामिल हैं।
>
> " यह लेख श्री एक सुमुकिफयों का है जिसमें आगे कहा गया है:—
>
> "सरकारी उद्योग तथा वाणिज्य में नौकरशाही को समाप्त करने के लिए स्पर्धा की अनुमति होनी चाहिए भले ही यह योजना के मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत क्यों न हो।'
>
> "संक्षेप में, देश की समाजवादी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए मार्किट की

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

कार्यप्रणाली को नियमित करने का अवसर देने तथा पूंजी बढाने के लिए बहुत सी पूंजीवादी व्यापार प्रथाओं को बडे पैमाने पर पुनः प्रवर्तन की वकालत की है।"

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति इस देश के लिए बिलकुल खराब नहीं है अपितु इसके साथ ही हमें सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था रखनी होगी। सरकार को इस देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जैसाकि, कई बार कहा गया है कि देश में बहुत अधिक काला-धन है और समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है। काले धन को समाप्त करने के लिए सरकार को कड़े कठोर कदम उठाने चाहिए

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। आयकर की छूट सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। परन्तु यदि आय 12,000 रुपये से बढ जाती है और यह 12,001 रुपये हो जाती है तो आयकर की छूट सीमा 8000 रुपये होगी। इससे कम वेतन पाने वाले प्रभावित होंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरे, मेरा सुझाव है कि उरवकों की कीमत में कमी की जानी चाहिए। हमारा कृषि प्रधान देश है और यदि उरवकों की कीमत कम रखी जाती है तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

अब मैं कृषि ऋणों के बारे में कहना चाहता हूं। तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य ने कृषि ऋणों के बारे में कुछ कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किसानों से वायदा किया है कि केन्द्रीय सरकार चाहे अंतिम सहायता दे या न दे वे 420 करोड रुपये तक इन ऋणों को बड़े खाते में डाल देंगे। परन्तु ये ऋण 420 करोड रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। कम महत्व वाली बातों के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने कहा है कि वित्त मंत्री ने उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें कुछ रियायतें दी हैं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही श्री वेंकटारमन को जानता हूं। वे तमिलनाडु में परिवहन मंत्री तथा उसके बाद उद्योग मंत्री रहे हैं। हालांकि हम उस समय विद्रोही दल में थे परन्तु किसी भी सदस्य ने उंगली उठाकर यह नहीं कहा कि श्री वेंकटारमन भ्रष्ट हैं। मैं श्री चरण सिंह से सहमत नहीं हूं परन्तु इसके साथ ही किसी को यह भी नहीं सोच लेना चाहिए कि दूसरे भी श्री वेंकटारमन जैसे होंगे। वित्त मंत्री ने अपना पूरा प्रयास किया है।

विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिए 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि पर्याप्त नहीं है परन्तु सरकार ने गरीब लोगों की सहायता के लिए शुरुआत करके उचित दिशा में कदम उठाया है। अतः हमें इस बजट की प्रशंसा करनी चाहिए तथा वित्त मंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिए। लोगों से किए गए वायदों के अनुसार उन्होंने सही दिशा में कदम उठाया है। यह एक अच्छा बजट है। मैं आशा करता हूं कि सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण

करने का प्रयास करेगी तथा मुद्रा स्फीति पर रोक लगाएगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर): वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत 1980-81 के लिए बजट का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक समाजवादी तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित एक आश्चर्यजनक बजट है। हालांकि, विरोधी पक्ष में बैठे मेरे मित्रों ने इसकी अनेक व्याख्याएं की है जिनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे एक या दो बातें कहनी हैं।

महोदय, आप जानते है कि जनता तथा लोकदल की सरकारों ने देश को दिवालिया बनाकर छोडा है और इस सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में केवल छः महीने पहले ही कार्यभार संभाला है। छः महीने के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जबकि सारे देश में अव्यवस्था फैली हुई थी और सरकारी खजाने का दिवाला निकला हुआ था। अतः मैं वित्त मंत्री तथा उनके मंत्रालय को समाजवादी तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण वाला बजट, जिसमें आम आदमी पर नए कर नहीं लगाए गए हैं, प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ।

विरोधी पक्ष के माननीय नेता श्री चरण सिंह को आशंका है कि इस सदन में यह बजट प्राप्त होने पर मूल्यों तथा मुद्रा स्फीति में और वृद्धि होगी। परन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री चौधरी साहिब 1979-80 का 2700 करोड रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बाद हुई मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति के बारे में वे इतनी जल्दी कैसे भूल गए। वह अच्छी तरह जानते हैं कि उनके इस सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद मूल्य कैसे बढे थे। यह सब कुप्रबन्ध, गलत ढंग से काम चलाने और राजकोष के दुरुपयोग के कारण हुआ था। मैं राजकोष के दुरुपयोग के बारे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, महोदय वे महान युवा नेता तथा देश के उदीयमान नेता श्री संजय गांधी का अप्रत्यक्ष रूप से नाम ले रहे हैं परन्तु वे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं कि श्री गांधी लक्ष्य प्राप्ति के लिए देश को उचित दिशा की ओर ले जा रहे थे। अपना पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन्होंने हमें सिखाया था कि "प्रत्येक शिक्षित एक अशिक्षित को शिक्षित बनाए" के सिद्धान्त से देश के बहुत अधिक अशिक्षितों को सरकारी खजाने से एक पैसा खर्च किए बिना शिक्षित बनाया जा सकता है। परन्तु जनता सरकार ने प्रतिशोधात्मक खेया अपनाया और लोगों के सामने अपने आपको "सब जनता" दर्शाते हुए यह प्रचार किया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो किया वह केवल प्रचार मात्र था। उन्होंने अशिक्षितों को शिक्षित बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर करोडों रुपया खर्च किया है परन्तु इसका नतीजा उनके अपने दल के कार्यकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए रात्रि स्कूलों में नौकरी देने के सिवाय और कुछ नहीं किया। क्या वित्त मंत्री यह बताएंगे कि प्रौढ़ शिक्षा पर पिछले तीन वर्षों मे कितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ? यदि सरकार ने हमारे युवा नेता की नीति पर अमल किया होता तो उक्त धन को बचाया जा सकता था जो बेकार गया। इसी प्रकार युवा नेता श्री संजय गांधी ने अपने पांच सूत्री कार्यक्रम में "एक पौधा लगाओ" का नारा दिया था परन्तु जनता तथा लोक दल सरकारों ने सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सुपुत्र श्री संजय गांधी का कार्यक्रम कहकर इसे पूर्ण रूप से बन्द कर

[श्री चिन्तामणि जेना]

दिया और "वन महोत्सव" पर बड़ी धनराशि खर्च करनी शुरू कर दी। माननीय वित्त मंत्री बता सकते हैं कि पिछले तीन वर्षों में राज्यों तथा केन्द्र ने "वन महोत्सव" पर कितना रुपया खर्च किया परन्तु यदि हम श्री संजय गांधी के रास्ते पर चले होते तो वृक्षारोपण पर इतनी बड़ी धन राशि खर्च नहीं होती। इस प्रकार जनता और लोकदल सरकारों के व्यर्थ के कार्यों में धन लगाने से रोजगार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति तथा मूल्यों में वृद्धि हुई। मैं राजकोष के दुरुपयोग का एक ऐसा ही उदाहरण और रखना चाहता हूं। मैं परिवार नियोजन के बारे में बता रहा हूं। मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री चौ० चरण सिंह को भगवान राम तथा अपने आपको 'हनुमान' बताने वाले श्री राजनारायण के बारे में बता रहा हूं। जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने ग्रामीणों की चिकित्सा के लिए एक योजना लागू की थी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 2000 की जनसंख्या पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्त नियुक्त किए गये। लेकिन योजना का कोई फल नहीं निकला केवल अपने दल के लोगों को रोजगार तथा वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना लागू की गई थी ताकि आने वाले चुनाव में वे चुनाव प्रचार कर सकें। 6 वर्ष का प्रशिक्षण तथा एक वर्ष का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्राप्त आई. एस. सी या बी. एस. सी भी हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा इलाज नहीं कर पाते फिर ये अशिक्षित व्यक्ति किसी एम. बी. बी. एस डाक्टर से तीन महीने का प्रशिक्षण लेकर मरीजों का कैसे इलाज कर सकते हैं। यह कुछ नहीं है केवल जनता का पैसा बर्बाद करना है। मेरे विचार में इस योजना को चालू करने वाले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री महान हनुमान, श्री राजनारायण के दिमाग में एक बात थी कि देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। श्री राजनारयण इस बात को अच्छी तरह जानते थे परन्तु जब युवा नेता श्री संजय गांधी ने इसको अपने पांच सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया तो श्री राजनारायण और जनता सरकार ने इसे पसन्द नहीं किया परन्तु, चूंकि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी था, उन्होंने यह योजना लागू कर दी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के इलाज से लोग तुरन्त मर जांए। इस प्रकार श्री राजनारायण एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे अर्थात् अपने दल के लोगों को रोजगार देना तथा इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के इलाज से मृत्यु दर में वृद्धि होने से जनसंख्या पर नियंत्रण पाना। जनता सरकार द्वारा राजकोष का दिवाला निकालने में श्री चरणसिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मुद्रा स्फीति और मूल्यों में वृद्धि, जो श्री चरण सिंह और जनता सरकार द्वारा की गई, के बारे में नही बताया हम सब जानते हैं आपात स्थिति में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने मुद्रास्फीति तथा मूल्यों में वृद्धि पर किस प्रकार रोक लगा दी थी। यह मेरा या मेरे दल के सदस्यों का विचार नहीं है। यह उन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ शास्त्रीयों का विचार है जो उस समय भारत आए थे और वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में एक वर्ष की अवधि में मुद्रास्फीति शून्य हो गई जो कि विश्व के किसी भी अन्य विकासशील या विकसित देश में नहीं हो पाई। इस एक वर्ष की अल्पावधि में.....

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आपका समय समाप्त हो गया है। एक सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपना भाषण पढ़े।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं कुछ और बाते भी बताना चाहता हूं। अपना भाषण समाप्त

करने से पहले वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया उड़ीसा में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के मामले पर विचार करें। इस उर्वरक कारखाने की आधारशिला पारादीप में 1974 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रखी थी। जनता सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस पर एक पाई भी खर्च नहीं की और न ही इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था की। बल्कि उसने आधारशिला को ही उखाड़ फेंका। वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे छठी पंचवर्षीय योजना में पारादीप उड़ीसा में इस संयंत्र को स्थापित करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार मित-व्ययता से काम लें ताकि मुद्रा स्फीति रोकी जा सके।

श्री शान्ताराम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय इस बजट को समर्थन करने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। इस बजट में लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट समाचार में चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं एक व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर, एक सिनेमा के मैनेजर तथा एक आम व्यक्ति से मिला। आप मेरा विश्वास करें कि जिस भी व्यक्ति से मैं मिला उसने इस बजट और वित्त मंत्री की सराहना की। बजट में किए गए उपायों की उन्होंने सराहना की क्योंकि निम्न-मध्यम श्रेणी, जिसकी आय पर रोक लगी हुई थी, को इस बजट में सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है। सदन में यह विचार व्यक्त किया जा चुका है कि आयकर की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने से लगभग 6 लाख लोगों को फायदा हुआ है। मैं विश्व-विद्यालय के एक अध्यापक से मिला था जिसने मुझे बताया कि आयकर की सीमा बढ़ाने से उसे बहुत राहत मिली है इससे लगभग समाज के सभी वर्गों के लोगों को फायदा हुआ है। धन-कर की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

इस आलोचना से मैं सहमत नहीं हूं कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत नहीं दी गई है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि सभापति महोदय अपने भाषण में इस संबंध में आप काफी कुछ कह चुके हैं। इस बजट में बैंको को निदेश दिए गए हैं कि वे खण्ड स्तरीय केन्द्रों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं तथा प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति को ऋण सुविधाएं प्रदान करें। हमारे एक अच्छे मित्र, साथी और विरोधी पक्ष के एक नेता श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है। शायद उनका ध्यान इस कार्यक्रम के परिणामों की बजाय इसकी अव्यवहारिकता की ओर अधिक है। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर देखें कि भूमिहीन मजदूरों को कैसे जमीन और प्लाट दिये जाते हैं। वे मेरे राज्य के रहने वाले हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर वे स्वय देखें कि गरीब किसान और भूमिहीन मजदूरों को किस प्रकार मकान दिए गए हैं और वे कैसे मकान मालिक बन गए हैं। वे आकर देखें कि हमारे प्रगतिशील नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यक्रम का लोगों को कसा फल मिला है।

वित्तमंत्री के बजट प्रस्ताव की निंदा करने वालों ने बजट प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है। कृषि उपकरणों की कीमतों में कमी तथा बैंक से श्रृण देने की सुविधाएं

[श्री शान्ताराम पोटदुखे]

प्रदान करके छोटे किसानों को राहत दी गई है। प्रौद्योगिक विकास को सरकार ने बजट में प्राथमिकता प्रदान की है। हमारा देश विश्व की राज्यव्यवस्था तथा विश्व समुदाय का एक भाग है। प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विकास में हमने अन्य देशों की बराबरी करनी है। जहां तक तकनीकी विकास का संबंध है, हमारे तकनीशियन पीछे नहीं है। इस बजट में प्रौद्योगिकी विकास के लिए राहत दी गई है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि टेलीविजन और रेडियो प्रचार के सशक्त माध्यम हैं और इन माध्यमों से लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। अब रंगीन टेलीविजन का युग आ गया है। हमें प्रौद्योगिक विकास में विश्व के अन्य देशों से पिछड़ना नहीं चाहिए।

कोयला उद्योग की राष्ट्रीयकरण की आलोचना की गई थी। कोयला उद्योग की तीखी आलोचना की जा रही थी कि इससे आशानुकूल लाभ नहीं हो रहा है। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयलाखानों के मजदूरों के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए जिनसे इन मजदूरों को काफी लाभ पहुंचा है। राष्ट्रीयकरण से पहले कोयलाखानों के बेईमान मालिक मजदूरों का शोषण करते थे। अब आप कोयलाखानों में जाकर स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार उनकी पुनर्वास व्यवस्था की गई है, किस प्रकार कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं।

महोदय, आज बिजली उत्पादन की सबसे अधिक जरूरत है। बजट में बिजली उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसा एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर जिले में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाना है। परन्तु केन्द्रीय सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। यदि इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया तो मुझे भय है कि इस परियोजना के पूरा होने में 15-20 वर्ष और लग जायेंगे। अतः वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेकर इसकी मंजूरी दे तथा सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि शीघ्र विद्युत उत्पादन शुरू हो सके।

अंत में, मैं पीने के पानी के लिए आबंटित राशि की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधान सभा के अभी हाल ही के चुनाव में मेरे मित्र श्री विलास मुत्तेमवार के निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था। मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे रोते हुए बताया था कि दिन में हमें रोजगार गारंटी कार्यक्रम में काम करना पड़ता है और रात को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है।

मैं आपको बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : सभापति महोदय, पहले बजट का प्रयोग आय और व्यय में सन्तुलन रखने के लिए किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसे देश की अर्थ व्यवस्था

को बदलने और अमीर और गरीब के बीच आय के अन्तर को कम करने वाला एक यन्त्र में बदल दिया गया है। इसका प्रयोग ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच अन्तर को कम करने के लिए भी किया जाता है। एक प्रगतिशील बजट लाने के लिए मैं वित्त मंत्री को तथा विरोधी पक्ष द्वारा की गई आलोचना का समुचित उत्तर देने के लिए उपमंत्री, श्री बारोट को बधाई देता हूं।

स्वतंत्रता के नाम पर जनता सरकार ने जानबूझ कर या अनजाने में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार की अनुशासनहीनता सारे देश में विद्यमान हैं। पुनः अनुशासन लाने का उत्तरदायित्व अब हम पर आ पड़ा है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनहीनता विद्यमान है। विशेष रूप से उद्योग में स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने श्रमिकों को हड़ताल करने और मशीनरी को कम उपयोग करने की अनुमति दी है। अतः उत्पादन में कमी हुई। हर जगह क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है।

हम श्रीलंका, बंगला देश और अन्य देशों को सीमेंट का निर्यात करते थे, परन्तु अब हमें इसे आयात करना पड़ रहा है। पहले, कांग्रेस शासन में हमने 100 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात किया था, परन्तु जनता शासन में इसमें भारी कमी हुई और अब हमें उसका आयात करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमें अनेक अन्य वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है। कांग्रेस शासन में चीनी का भण्डार पर्याप्त था, परन्तु अब हमें यह भी आयात करनी पड़ रही है। इसी प्रकार हमारे उद्योगों तथा संसाधनों के कम उपयोग किये जाने के कारण हमारे पास उन वस्तुओं का आयात करने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिनका पहले हम निर्यात किया करते थे।

हमारे यहां बिजली की कमी है। यदि हम बिजली की कमी बने रहने दी, तो उद्योगों तथा उत्पादन में सुधार लाना हमारे लिए कठिन हो जायेगा। अतः हमारा पहला कर्त्तव्य एक एकीकृत योजना बनाने का है ताकि विद्युत उत्पादन बढ़ सके। सुबह हिमालय की विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे चर्चा की गई थी। इस प्रकार की क्षमता अन्य स्थानों में भी है। अतः हमें इस प्रकार की सारी क्षमता का उपयोग करना है तथा यह देखना है कि हमारे यहां आवश्यकता से अधिक विद्युत हो।

कहा गया है कि हमें अपने उद्योगों का विकास करना है। इससे मैं सहमत हूं, परन्तु लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, इसलिए उद्योगों का विकास करना कठिन है। कांग्रेस शासन में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह महसूस किया था कि हमारे पास अनाज का फालतू भण्डार है, परंतु गरीब ग्रामीण लोगों के पास अनाज खरीदने की भी क्षमता नहीं है। अतः उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम चालू किया जाये और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम दिया जाये। अनेक योजनायें हैं। परन्तु यदि ग्रामीण लोगों की दशा को सुधारने में किसी योजना से सहायता मिली है तो वह है काम के बदले अनाज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न केवल गरीब लोगों को काम मिल रहा है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें तथा भवन बनाये जा रहे हैं, टैंकों की मरम्मत की जा रही है और अन्य बहुत से काम किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। जनता शासन में यह तदर्थ आधार पर

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

था। अब इसे स्थायी आधार पर बना दिया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री श्री बारोट ने बताया है कि नकद भुगतान किया जा रहा है। परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि यह राशि गत वर्ष दी गई राशि की तुलना में कम है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिये। हमें एक योजना बनानी चाहिये और काम के बदले अनाज के इस कार्यक्रम को पूर्ण रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम में विकसित किया जाना चाहिये। यदि हम ग्रामीण गरीबों को पूर्ण रोजगार दे सकें, तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ जायेगी। इस कार्यक्रम के साथ-साथ हमें ग्रामीण आवास की भी व्यवस्था करनी होगी। इन दोनों चीजों के माध्यम से हम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं।

जहां तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि इससे ग्रामीण लोगों को काफी लाभ हुआ है। अकेले मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में ही हम 1500 मील लम्बी नई सड़कें, 500 स्कूल भवन बना लिए हैं और सैकड़ों टैंकों की मरम्मत किए हैं। इस प्रकार दो वर्ष की अवधि में अनेक कार्य किये गये हैं। इसे सदैव के लिए जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यदि आज हम सड़कें बनाते हैं, तो कल हमें उनकी मरम्मत करनी होगी, हमें उनका रख-रखाव करना होगा। अतः काम के बदले अनाज के इस कार्यक्रम को या पूर्ण रोजगार के बदले अनाज की योजना को सदैव के लिए बनाये रखा जाना चाहिये और इसे योजना में शामिल किया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कुछ काम करने हैं। यदि कांग्रेस सरकार ने बंजर भूमि बांटने का निर्णय किया है, तथापि आज तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। हमें मध्य प्रदेश सरकार को, गरीब लोगों को बंजर भूमि देने के लिये निर्णय लेने तथा एक अध्यादेश जारी करने के लिए बधाई देनी चाहिए। अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना होगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री अन्तुले को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने उन ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जो छोटे तथा सीमान्त किसानों ने सहकारी समितियों से लिये थे। यदि अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करते हैं, तो ग्रामीण लोगों को अवश्य लाभ पहुंचेगा।

एक और बात भी है। हमारी सरकार वनों का विकास करने के लिए वचनबद्ध है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीब लोग सरकार पर वनों का आरक्षण समाप्त करके उन्हें खेती के लिए बाग बगीचे लगाने के लिए उन लोगों को देने के लिये जोर डाल रहे हैं। हम अपने वनों को नहीं दे सकते। अतः हमें बीच की नीति अपनानी चाहिये ताकि हम वनों का विकास कर सकें और इसके साथ-साथ कृषि मजदूरों और भूमिहीन गरीब लोगों को, सीमांत कार्यों के रूप में बाग-बगीचे लगाने के लिये सहायता भी कर सकें। अतः हमें एक सामाजिक सुरक्षा वनरोपण योजना बनानी चाहिये।

हमने शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। अब हमें शहरी आय की भी अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी क्योंकि केवल तभी हम शहरी तथा ग्रामीण लोगों के बीच का अन्तर दूर कर सकते हैं। अतः यह जरूरी है कि सरकार शहरी आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये एक विधेयक लाये।

अब, हमें प्राकृतिक विपत्तियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष समुद्री तूफानों तथा बाढ़ के कारण किसानों को लगभग 300-400 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस बार हिमाचल प्रदेश में ही ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो गई। अतः हमें प्राकृतिक विपत्तियों से बचने के लिये कुछ करना चाहिये। प्राकृतिक विपत्तियों को दूर करने के लिए अन्य देशों में कानून है। हमें भी एक कानून बनाना चाहिये ताकि प्राकृतिक विपत्तियों का मुकाबला किया जा सके।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री आर० वेंकटरामन द्वारा वर्ष 1980-81 के लिये प्रस्तुत किये गए केन्द्रीय बजट का समर्थन करता हूं।

इस असाधारण तथा बहुत अच्छे बजट की सभी ने सराहना की है, विशेषरूप से अर्थ-शास्त्रियों, शिक्षाविदों तथा समाचारपत्रों ने। आपको याद होगा कि वह पहले योजना आयोग के एक सदस्य थे और तामिलनाडु के एक बहुत ही सफल उद्योग मंत्री थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके कार्य पर आश्चर्य नहीं है। सम्भवतः आजादी के बाद यह सबसे अच्छा बजट है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा चिन्ता की बात है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3 प्रतिशत की कमी होना। कृषि उत्पादन में 10 प्रतिशत की भारी कमी और औद्योगिक उत्पादन में 1 प्रतिशत की कमी हुई है। मुख्य क्षेत्रों, विशेषकर विद्युत, कोयला तथा रेलवे के कार्य निष्पादन में भारी गिरावट आई है। यह बात तो समझ में आती है कि सूखे के कारण पनबिजली उत्पादन में 2.2 प्रतिशत की कमी हुई है, परन्तु यह चिन्ता की बात है कि थर्मल स्टेशनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद भी देश में विद्युत की भारी कमी है।

जर्मन सलाहकारों के अनुसार कोयले की अपर्याप्त सप्लाई तथा इसकी घटिया किस्म तथा रख-रखाव का प्रबन्ध ठीक न होना विद्युत उत्पादन की गम्भीर स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का केवल 45 प्रतिशत ही उपयोग किया गया है जो बहुत ही कम है।

कोयले के बारे में भी वही पुरानी बात है। हम भारी निवेश के बावजूद केवल 106 करोड़ मीटरी टन का उत्पादन कर पाये हैं, जो चार वर्ष पहले किये गये उत्पादन के बराबर है।

रेलवे के बारे में भी यही स्थिति है।

इन गम्भीर त्रुटियों, विशेषकर रेलवे कोयला, तथा विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐसी त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। इन त्रुटियों का प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम, अलौह धातुओं, सूती वस्त्रों और चीनी का उत्पादन कम हो गया है। चीनी के उत्पादन में 28% की कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्य मंत्रालय को मजबूर होकर 12 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करना पड़ा है।

[श्री एम० एस० संजीवी राव]

वित्तमंत्री ने यह सही कहा है कि आज देश में गिरती हुई स्थिति को रोकने के लिए मार्गोपाय तरीके तथा तन्त्रों को ढूंढना आवश्यक हो गया है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाया जा सके।

महोदय, भुगतानों में सन्तुलन के बारे में गम्भीर स्थिति को देखकर भी चिन्ता हुई है। देश में भारी मात्रा में विदेशों से मुद्रा भेजी जाती है, जिससे स्थिति कुछ ठीक बनी हुई है। यह सच है कि विदेशी भुगतानों में वास्तविक कमी केवल 56 करोड़ रुपये की हुई है। परन्तु व्यापार में शुद्ध घाटा 2,232 करोड़ रुपये का है, जो गत वर्ष के घाटे से दुगना है।

हम इस गम्भीर स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करने जा रहे हैं। यहां मैं औद्योगिक समुदाय से यह अपील करूंगा कि वे मध्य-पूर्व के महत्त्वपूर्ण देशों में इंजीनियरी माल, इंजीनियरी सेवाओं तथा परामर्श सेवाओं का और अधिक निर्यात करें। मध्य-पूर्वी देशों में कोरिया भारत का प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी है। भाग्यवश उसके सामने कुछ कठिनाइयां हैं और मेरा यह विचार है कि इंजीनियरी क्षेत्र को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और इस अन्तर को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जैसाकि आप जानते हैं, ईरान पर व्यापार प्रतिबंध लगा है और हमारे देश को इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए और खूब निर्यात करना चाहिए।

यह खुशी की बात है कि 1980-81 की वार्षिक योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का प्रयास किया गया है। योजना में ऊर्जा, जोकि अत्यत महत्त्वपूर्ण है, के लिये लगभग 2,745 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इस वर्ष इस निमित्त कोई 11 प्रतिशत अधिक धन लिया गया है और मैं आशा करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सिंगरौली, रामगुंडेम, फरक्का तथा कोवरा में 4 सुपर तापीय बिजलीघर यथाशीघ्र पूर्ण हों। यहां मैं आपको यह बता दूं कि आन्ध्रप्रदेश में कृष्णा नदी के पार नागार्जुन सागर तथा श्री सेलम में दो विशाल बांध हैं और रिवर्सीबिल लाइन लगाकर पम्प से पानी एकत्र करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त स्थान है। ऐसा करके हम कोई 1 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य को तत्काल शुरू करें।

यद्यपि बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने काफी धन की व्यवस्था की है किन्तु नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए केवल 65.59 करोड़ रु० की ही व्यवस्था की है और परमाणु शक्ति उद्योगों के लिए केवल 47.70 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की है। मेरे विचार से यह राशि बहुत थोड़ी है। फ्रांस देश की शक्ति की 20 प्रतिशत जरूरत नाभिकीय विद्युत जनन से पूरा कर रहा है। वे इस दिशा में इतनी जोर-शोर से कार्य कर रहे हैं कि 1985 तक अपनी जरूरत की 50 प्रतिशत बिजली वे नाभिकीय शक्ति केन्द्रों से पूरी करेंगे ऐसी उनको आशा है। यदि आप स्वेडन को लें, उन्होंने वस्तुतः एक जनमत संग्रह किया है और नाभिकीय शक्ति के खतरों के बावजूद लोगों ने नाभिकीय शक्ति के पक्ष में अपना मत दिया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए और विशेषकर यदि आपको याद हो कि हमारे पास केवल 43,000 टन यूरेनियम का भण्डार है और हमारे पास लगभग 6 लाख टन थोरियम है, तो ऐसी 'फास्ट ब्रीडर तकनालाजी' विकसित करने की आवश्यकता है

जिससे कि थोरियम का उपयोग किया जा सके। मैं वित्तमंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि नाभिकीय बिजली केन्द्रों तथा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए आवंटन में वृद्धि की जाये।

अब मैं पैट्रोलियम विभाग पर आता हूं। यह देखकर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि आपने इस ओर 837 करोड़ रु० अर्थात पिछले वर्ष से 215 करोड़ रु० अधिक की व्यवस्था की है। आपने बम्बई हाई प्लेटफार्म के लिए 99 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैट्रोलियम के लिए केवल पर्याप्त धन देने से ही बात नहीं बनती। यहां मैं यह कहूंगा कि सरकार पट्रोलियम उत्पादों के उपयोग को कम करने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। इस वर्ष 190 लाख टन पैट्रोलियम पदार्थों के आयात का बिल 5,200 करोड़ रु० बैठेगा। मेरा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका सहित प्रत्येक देश पैट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के लिए कारगर उपाय कर रहा है। पिछले वर्ष मैं ब्राजील गया था। वहां अधिकांश कारों में वे गैसाओल, अर्थात 80 प्रतिशत पैट्रोल और 20 प्रतिशत अलकोहल का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एक लाख ऐसी कारें चलायी हैं जो सौ प्रतिशत अलकोहल से चल रही हैं। इस दिशा में हमने क्या कदम उठाए हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस सबंध में हमें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अलावा हाल ही में मुझे पता चला है कि आस्ट्रेलिया में ऐसे इंजन विकसित किए गए हैं जो डीजल आयल के स्थान पर सन फ्लावर आयल से चल सकते हैं। हमारे यह कहने का क्या फायदा कि हमारे यहां बहुत सारे तकनीकीविद अथवा बहुत सारे शिल्पविज्ञानी हैं जबकि हम उनसे काम ही न लें। आप बड़े गर्व से यह दावा करते हैं कि आप विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के लिए 116 करोड़ रु० देने का इरादा रखते हैं। किन्तु यदि आप इन कार्यों को कार्यान्वित नहीं करते तो इनका क्या फायदा?

आप सौर उर्जा के विकास के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? दो या तीन महीने पहले मैं पश्चिम जर्मनी मेले में हनोवर गया, मैंने पाया कि सारे मेले में सौर ऊर्जा विकास दर्शाने वाली चीजों की भरमार थी किन्तु यहां सिवा इस आशय के एक या दो समाचारों के कि हमने सौर शक्ति से चलने वाले रेफ्रिजिरेटर तथा कूलर विकसित किए हैं; इस दिशा में हमने कुछ नहीं किया है। अतः केन्द्र सरकार को इस प्रश्न पर भी कारगर रूप से विचार करना चाहिए।

अब मैं पत्तनों की बात लेता हूं। मुझे खुशी है कि पत्तन विकास के लिए आपने 102 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। किन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि विशाखापत्तनम के लिए, वहां आयल बर्थ (तेल घाट) का विकास करने के लिए आपको 27 करोड़ रु० नियत करने चाहिए क्योंकि यहां भी पैट्रोलियम के नियमितीकरण की बात पैदा होती है। मैं जानता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया। अब मैं आखिरी बात पर जो कागज और लुगदी उद्योगों के बारे में है, आता हूं।

मुझे खुशी है कि आपने 77.1 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। किन्तु यह जो कागज और लुगदी का मद है—इसकी सारे संसार में कमी है। खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में एक परियोजना की सिफारिश की है कि अन्दमान से लकड़ी लेकर आन्ध्रप्रदेश अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र काकीनाडा में लकड़ी की लुगदी बनायी जाये। इसके लिए तकनीकी रिपोर्ट देने हेतु धन खाद्य और कृषि संगठन जुटा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाये।

[श्री एम० एस० संजीवी राव]

अंत में मैं कृषि पर आता हूं। आपने कृषि के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। किन्तु जहां तक मछली पालन का संबंध है, बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है। कृपया याद रखिए कि समुद्र के नए कानून के अन्तर्गत हमारा क्षेत्र 320 किलोमीटर बढ़ गया है। जिसका मतलब यह हुआ कि 55-60 किलोमीटर के समुद्र तट में हमने 1.99 मिलियन वर्ग किलोमीटर और जोड़ दिए हैं। इतने बड़े क्षेत्र का यदि आप उपयोग नहीं करते तो हमारा क्या फायदा ? हमने मछली पालन के लिए केवल 33 करोड़ रु० की ही व्यवस्था की है। कृषि और भारी उद्योग मंत्रालयों ने योजना बनाई है कि प्रत्येक वर्ष हमें 100 डालर अर्जित करने चाहिये। जिस पर लगभग 100 करोड़ रु० की लागत आती है। लेकिन इसके लिए आप दे क्या रहे हैं ? मात्र 1.2 करोड़ रु०। इतना कम आबंटन किसलिए किया गया है ? मैं आशा करता हूं कि श्री वेंकटारमन इस मामले पर विचार करेंगे और इस असंतुलन को ठीक करेंगे।

अंत में मैं वित्तमंत्री से उनकी दूरदर्शिता, जोकि उन्होंने इलैक्ट्रानिक उद्योग को राहत देने तथा सस्ते रेडियो सैटों पर से लाइसेंस फीस हटाने में दिखाई है उसके लिए उनको बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री को उनके बजट पर बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय आप 10 मिनट बोल सकते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : किन्तु मेरा मिनट 100 सैकण्ड का होना चाहिए।

सभापति महोदय : इस गणित को इस सभा में हम स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री ए० के० राय : सभापति महोदय, किसी अनिच्छुक व्यक्ति की कोई बात सुनने को मजबूर करना बड़ा कठिन काम है और किसी अनिच्छुक मंत्री को हमारी बात सुनने के लिए राजी करना बिल्कुल असंभव है। एक अच्छी बात यह है कि माननीय वित्तमंत्री ने हमारी बात सुनने के लिए अपना प्रतिनिधि यहां छोड़ दिया है...

सभापति महोदय : आपके पास समय बहुत कम है।

श्री ए० के० राय : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो हम कहें उसका मंत्रियों तथा सभा पर प्रभाव अवश्य पड़ना चाहिये। परन्तु हमारा अनुभव हमें बताता है कि दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं होता।

लोगों ने बजट का समर्थन किया है और बजट की परिभाषा करने की कोशिश की है चाहे यह समाजवादी बजट है अथवा पूंजीवादी। आखिर किस तरह का बजट है यह ? मूलरूप से यह बजट 'आइसबर्ग' की तरह है जिसका 1/10 भाग दिखाई देता है और 9/10 भाग पानी में छिपा है। इतना ही नहीं, कोई भी असावधान नाविक इससे टकराकर अपने जहाज को ध्वस्त करा लेगा। मुझे वित्तमंत्री को इधर-उधर कुछ कर हटाने के लिए वाह-वाही लूटते देख कर आश्चर्य होता है। मुझे टूथ पेस्ट तथा टूथ ब्रश पर कर कम करने, प्रैशर कुकरों, टेलीविजन आदि पर कुछ राहत देने पर आश्चर्य हुआ था। इसकी वजह से उनकी काफी तारीफ की गई। ऐसा प्रतीत

होता है कि लोग शीघ्र ही इस सभा और हम लोगों के बारे में यह सोचना शुरू कर देंगे मानो हम कोई विदेशी राष्ट्रिक हों और किसी ऐसी चीज के बारे में विदेशी भाषा में बात-चीत कर रहे हों जिसका उन्हें कोई ज्ञान ही न हो। महोदय, भारत जैसे अल्पविकसित देश में बजट को इस तरह की चीजों से नहीं आंका जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री या सरकारी पक्ष में बैठे उनके प्रतिनिधि से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो आयकर देते हैं। हमारे देश में कर देने वाले निर्धारितियों की संख्या कितनी है ?

भारत जैसे देश में जहां 65 करोड़ की आबादी में से केवल 25 लाख लोग ही आयकर दाताओं की परिधि में आते हैं, मैं बजट की प्रशंसा करने वाले सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि एक अच्छे बजट के बारे में उनकी कसौटी क्या है ? हमारे जैसे देश में बजट आय और व्यय के बीच संतुलन करने वाला एक सरल अंकगणित ही नहीं है अपितु वह हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा सम्पूर्ण समाज को नया रूप देने का एक साधन है। आज यथास्थिति की नहीं बल्कि स्थायित्वता की जरूरत है। जब सदस्यों ने स्थायित्वता की बात कही तो उनका अभिप्राय यथास्थिति से था। आज जो स्थिति है, उसमें यथास्थिति भी अव्यवस्था से बदतर है। वर्तमान कराधान पद्धति के बारे में यह मेरा विचार है। हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिये ? हमारा लक्ष्य ऐसा बजट होना चाहिए जो हमें आत्मनिर्भर विकासोन्मुखी तथा रोजगारोन्मुखी बजट की ओर अग्रसर करें। यदि हम विश्व के उन 130 देशों की ओर देखें जिनकी आय भारत से कम है, इन देशों में हमारा 114वां स्थान आता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगले पांच, दस या बीस वर्षों में किस साधन के सहारे भारत का स्थान ऊपर उठाना चाहते हैं। आप कोई सूत्र बताइये, कोई समय-तालिका बताइये ताकि आप लोगों को यह बता सकें अगले कुछ वर्षों के लिए यह हमारा कार्यक्रम है ताकि आने वाले समय में वह अधीरता की स्थिति में न रहें। इसके लिए आपको अपनी समयतालिका बतानी चाहिए। पिछली जनता सरकार ने एक अच्छी चीज की। उनकी कोई योजना नहीं थी। उसका कारण यह था कि उनको मालूम था कि वे दो वे कहा करते थे कि वे बेरोजगारी की समस्या को दस वर्ष के अन्दर हल कर देंगे। अब जबकि आप पुनः सत्ता में आ गये हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमें यह बतायें कि इस समस्या का हल करने के लिए आप और कितने वर्ष लेंगे ?

हमारा उद्देश्य विकासोन्मुखी होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस बार निवेश प्रतिशत भी पिछले वर्ष से कम है। जहां तक प्रतिशतता का संबंध है, पहले निवेश कुछ कम होता था। अब बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया है। आर्थिक विश्लेषण से तो यही पता चलता है हमारे जैसे अल्पविकसित देश में हमारे विचार से राष्ट्रीय आय का 25 से 30 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हमें लोगों से आहवान करना चाहिये कि वे कुछ और समय मुसीबत सहें। हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यस्था होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि हमारी निर्भरता बढ़ रही है, घट नहीं रही। पहले हम आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था के स्तर तक पहुंच गये थे। 1972-73 में हमारे यहां केवल 159 करोड़ रुपये की ही विदेशी मुद्रा

[श्री ए० के० राय]

आई थी। पिछले वर्ष यह बढ़कर 524 करोड़ रु० हो गई। इस वर्ष यह 800 करोड़ रु० पर रही। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमें और अधिक विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। महोदय, यह सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा भी कि नहीं ?

श्रीमान जी, आज वे कहते हैं कि वे एक नई शुरूआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री अपने उत्तर में यह बतायें कि भारत अर्थ व्यवस्था के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा। यह भी कहा गया है कि यह बजट रोजगारोन्मुख है। अब, अगर आप आंकड़ों को देखें, तो आप पायेंगे कि रोजगार के अवसर पैदा होने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से कम होती जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे रोजगार के अवसर किस प्रकार उत्पन्न करने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : उन्होंने काम के बदले अनाज योजना प्रस्तुत की है और इसके लिए 340 करोड़ रु० प्रावधान किया है। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 90 करोड़ जन-दिवस पैदा हो सकेंगे, जिसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 3.5 रु० से 4 रु० के बीच राशि प्राप्त होगी। यह राशि निर्धन ग्रामीणों के लिए कम है, क्योंकि यह राशि निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी से भी कम है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाय, परन्तु इसके साथ ही साथ 3.5 रु० या 4 रु० की समग्र गणना को भी बदला जाय।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : इस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं पूंजी निवेश और पूंजी निर्माण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्रीमान जी, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र धनबाद को पहले उद्योगों का बगीचा कहा जाता था, जबकि अब इसे उद्योगों का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहां आर्थिक संकट-ग्रस्त उद्योग हैं और निष्क्रिय उद्योग हैं। एक कारखाना है जिसका नाम कुमारदुबी इंजीनियरिंग वर्क्स है और जिसमें लगभग 3,000 श्रमिक नियुक्त हैं। वह बन्द पड़ा है और सारी पूंजी निष्क्रिय पड़ी है। वित्त मन्त्री अपने उत्तर में हमें यह बतायें कि आर्थिक रूप से संकटग्रस्त उद्योग के प्रश्न का वह किस प्रकार समाधान करना चाहते हैं और बन्द उद्योग को किस प्रकार चालू करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें श्रमिकों की सहायता लेनी पड़े।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, पहली दफा आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्तमंत्री जी ने जिन खराब परिस्थितियों में यह बजट प्रस्तुत किया है, और जिस तरीके से इस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं निश्चित तौर से यह आशा करता हूं कि इस बजट के

जरिए कीमतें घटेंगी, मुद्रास्फीति घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। हमारे बहुत-से विरोधी भाइयों ने इसके सम्बन्ध में कहा है कि जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। मैंने इस बजट को देखा है। जिन आंकड़ों के ऊपर जो रुपया इन्होंने दिया है उससे निश्चित तौर से यह उम्मीद बंधती है कि अगर हमारे ये कल-कारखाने चाहे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों उनमें जिस तरीके से हम उत्पादन करना चाहते हैं, उस तरीके से उत्पादन हो तो निश्चित रूप से उस उत्पादन की बढ़ोतरी की वजह से कीमतें घटेंगी और मुद्रा-स्फीति भी घटेगी।

जिस तौर तरीके से जनता पार्टी के शासन ने पिछले वर्षों में इस देश की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है, उसकी जितनी भी बुराई की जाय या उस व्यवस्था को जितना भी खराब बताया जाय वह कम है।

आप देखेंगे हर क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट आई है। राष्ट्रीय आय में 3 परसेंट की गिरावट आई, कृषि आय में 10 परसेंट की गिरावट आई, इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आई और बिजली में 45 परसेंट कम उत्पादन हुआ। चीनी में 28 परसेंट की कमी हुई है। पिछले शासन में 20 परसेंट मुद्रास्फीति होने से जो कीमतें बढ़ीं उससे हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जनता पार्टी को न तो शासन करना आया और न ही विरोध करना आया। इसलिए उस शासन की जितनी भी बुराई की जाए वह कम है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : राजनीति में भी गिरावट आई।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह तो पहले से ही आई थी।

जो लोग बिल्कुल ही राज करना नहीं जानते थे उनको यहां पर लाकर बिठा दिया गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कांग्रेस के शासन में जितना उत्पादन होता था, जिन-जिन क्षेत्रों में होता था, जो चीजें हम बाहर भेजते थे जिससे हमारे देश को फारेन-एक्सचेंज मिलता था उसमें जिस प्रकार से गिरावट आई उसको देखने से अच्छी तरह मालूम होता है कि जनता पार्टी ने किस प्रकार से इस देश के विदेशी व्यापार को बर्बाद किया और इस देश के व्यापार को बर्बाद किया। इसी कारण हमारे देश के उत्पादन में गिरावट आई। यह सारी बातें हमें जनता पार्टी के शासन से मालूम होती हैं।

मैं जिस प्रदेश राजस्थान से यहां पर चुनकर आया हूं, वहां पर हमारी सबसे बड़ी समस्या सूखे की रही है। वहां पर हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल आ जाता है। जनता पार्टी के शासन में 1977 से 1979 तक दो साल तो अच्छे निकले, भगवान की कृपा से, लेकिन 1979 में जब अकाल पड़ा तो हम समझते थे कि कम से कम 20-25 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जायेगी लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि ऐसे नाकाबिल लोगों को गद्दी पर बिठा दिया गया था जो मुश्किल से 1 परसेंट लोगों को भी काम नहीं दे सके जिसके कारण लाखों लोगों को दूसरे प्रान्तों में जाकर अपना जीवन बसर करना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति जनता पार्टी के शासन में उपस्थित हो गई। लेकिन जबसे कांग्रेस पार्टी का शासन वापस आया है तब से राजस्थान में, मैं समझता हूं, जहां पहले एक लाख लोगों को भी गल्ले के बदले अनाज योजना और दूसरी योजनाओं में नहीं

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

लगाया गया था, वहां अब 22 लाख लोगों को रोजी-रोटी मिल रही है। जिस काम को जनता और लोकदल सरकारों ने नहीं किया उसको अब कांग्रेस की सरकार कर रही है।

सार्वजनिक विवरण प्रणाली के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के एक मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कि हम सारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करेंगे लेकिन क्या किया उन्होंने ? उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बिल्कुल खड्ड में डाल दिया। इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी पैदा होती थी और 2 रुपये 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से जनता को चीनी दी जाती थी लेकिन जनता सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को पूरी छूट दे दी जिसकी वजह से आपने देखा कि किस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ गयीं। जब जनता पार्टी का शासन सामने जाने लगा था तब आपने देखा कि चीनी की क्या कीमतें हो गई थीं और अब कांग्रेस को कोस रहे हैं। (व्यवधान) जनता पार्टी शासन ने चीनी के ऊपर से कन्ट्रोल हटा दिया और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े कारखानेदारों से करोड़ों रुपये प्राप्त किए तथा उन्हें छूट दे दी कि करोड़ों रुपये लूटकर अपने खजाने भरें।

गरीब लोगों को लुटायें, इस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अन्दर जनता पार्टी के शासन में हुई। इस प्रकार की वितरण प्रणाली इनकी है। हम तो समझते थे कि जितनी भी जनता की आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको सस्ते भाव पर जनता को दिलवायेंगे। जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता श्री मोहन धारिया जी ने एक बहुत ही विशाल वितरण प्रणाली का प्रचार किया था कि हम छः महीने के अन्दर देज में इस प्रकार की वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर देंगे, जिससे ग्राम गरीब आदमी को उससे लाभ मिलेगा। हमने देखा क्या—खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस प्रकार की स्थिति जनता पार्टी ने देश में वितरण प्रणाली द्वारा स्थापित कर दी। अब कांग्रेस की सरकार को फिर पहले जैसी वितरण प्रणाली को स्थापित करने में समय लगेगा। इस दिशा में कुछ काम हुआ है मगर वह काम तेजी से होना चाहिए, जिससे ग्राम गरीब आदमी को उससे फायदा मिले।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया और वह यह कि इन्होंने स्मगलर्स को छोड़ दिया। यहां पर जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय सारे देश के स्मगलर्स को चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, सबको पकड़-पकड़ कर हमारी सरकार ने बन्द कर दिया था, क्योंकि उनकी वजह से देश में धन या अन्य प्रकार की व्यवस्थायें बिगड़ती चली जा रही थीं। मगर बम्बई के कुछ लोगों को, बड़े-बड़े अरबपतियों को जिनका वहां पर साम्राज्य स्थापित है, उस प्रकार के लोगों को इन्होंने खुली छूट दे दी कि खूब लूटो और खूब स्मगल करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार की अव्यवस्था को हमारे देश में जनता पार्टी के शासन ने स्थापित किया। उनकी नजीर दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको नहीं मिल सकती है, किस प्रकार से इन्होंने बजुर्ग नेता के जरिए इस देश को संभाला था।

अब मैं आपसे राष्ट्रीय रोजगार योजना के संबंध में कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय रोजगार योजना को ज्यादा से ज्यादा लागू किया जाए, जिससे जितने भी अर्द्ध बेकार गांव के लोग हैं, उन

को जगह-जगह रोजगार मिले ; मैं समझता हूं कि अगर आप ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे, चाहे पी० डब्लू० डी० हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे वाटर वर्क्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वह सारे का सारा काम इस योजना के तहत कराया जाना चाहिए, ताकि करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। जब आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, तब जाकर हमारे देश से बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी समाप्त होगी।

अब मैं आप से काम के बदले अनाज योजना के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। कल हमारे उप वित्त मन्त्री ने कहा था कि काम के बदले अनाज योजना कांग्रेस की योजना थी और इस योजना में इन्होंने क्या किया कि लाखों टन अनाज अपने कार्यकर्ताओं के जरिए स्मगल किया और लाखों टन अनाज इनके कार्यकर्ता खा गए, चाहे सरपंच हो, चाहे अन्य प्रकार के लोग हों ; इन्होंने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस प्रकार के लोगों को काम दिया, इसकी विस्तृत जांच यदि हर प्रदेश के अन्दर करें तो आप को मालूम होगा कि जनता पार्टी के शासन में काम के बदले अनाज योजना में किस प्रकार से लाखों टन अनाज का दुरुपयोग किया गया। देश में जो पंचायत लेवल पर ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनको भ्रष्ट किया और गलत तरीके से देश में काम किया, उसका उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है।

सभापति महोदय, बजट के अन्दर एग्रीकल्चर के अन्दर धन का काफी प्रावधान किया गया है लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम के अन्दर आपसे भीलवाड़ा जिले को नहीं लिया जब कि अजमेर और उदयपुर जिले को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया। भीलवाड़ा जिले में हर दूसरे साल अकाल पड़ता रहत है यदि इस जिले को डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाए, तो निश्चित रूप से वहां के गरीब लोगों को राहत मिलेगी और आर्थिक तौर पर से भी उनकी उन्नति होगी। इसी तरह भीलवाड़ा जिले में चार बांध हैं—मेजा, खाड़ी, अखड़ और मरेरी। जब कांग्रेस सरकार थी, तब यह कहा गया था कि वर्ल्ड-बैंक के जरिए से इनको डेवेलप किया जाएगा, मगर दुर्भाग्य से जनता पार्टी का शासन आया और वह सारी की सारी योजना विफल हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि उसी प्रकार के कार्यक्रम को फिर से हाथ में लाया जाए, जिससे इन बांधों को डेवेलप करके ज्यादा-ज्यादा उत्पादन कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

राजस्थान में पेय जल की बड़ी भयंकर समस्या है। वहां पर पीने का पानी चार-चार और पांच-पांच मील से लाना पड़ता है। आपने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था बजट में की है, वह बहुत कम है। 35000 गांवों में से सिर्फ 1000 गांवों में कुछ व्यवस्था की गई है। बकाया गाँव वैसे ही पड़े हुए हैं। सरकारी सर्वे के अनुसार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था केरल राजस्थान के लिए हो, तब जाकर वहां पीने के पानी का इन्तजाम हो सकता है। इस समय जो एमाउन्ट आपने बजट में प्रस्तावित किया है उससे तो राजस्थान में मुश्किल से 100-150 गाँवों में ही पीने का पानी पहुंच पायेगा। इस समय हमारी समस्या पीने के पानी की है और इस समस्या को आप जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस काम के लिए ज्यादा एमाउन्ट देना पड़ेगा।

अब मैं कुछ शब्द एडल्ट एजूकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं .....

सभापति महोदय : 15 मिनट हो गए, अब आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सिर्फ एक-दो प्वाइन्ट्स और कहना चाहता हूं।

नर्बदा नदी के पानी के बारे में मैं पिछली दफा भी निवेदन करना चहता था, लेकिन आप ने समय न होने के कारण बोलने नहीं दिया। राजस्थान और गुजरात के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत कडाना बांध का 5 लाख एकड़ फिट पानी राजस्थान और जालोर और बाड़मेर जिलों को देना तय हुआ था। लेकिन बाद में ट्रिब्यूनल ने इसके खिलाफ फैसला दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह फैसला गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने मिलकर किया था, लेकिन ट्रिब्यूनल के इस प्रकार के फैसले से राजस्थान की बहुत क्षति हुई है। राजस्थान के ये दो जिले बिल्कुल डेजर्ट जिले है, जिनमें कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय, इस पानी के दिए जाने से निश्चित रूप से राजस्थान के इन दो जिलों को बहुत लाभ होगा। हमारे करोड़ों-लाखों लोग आपको दुआ देंगे।

मुझे बहुत-सी बातें आपसे निवेदन करनी थीं, लेकिन समय नहीं है, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुन्दरसिंह (फिल्लौर) : चेअरमैन साहब, फैमिली प्लानिंग के लिए जो रुपया रखा गया है, वह बहुत कम है, इस काम के लिए ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए। आज देश की आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रोज एक्सीडेन्ट्स होते हैं और हर तरफ बुरी हालत है। आदमी कहीं जाय, तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में साइकिलें चलती हैं, लोगों को रोड-सेन्स बिल्कुल नहीं है इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे संजय गांधी की फैमिली प्लानिंग की जो स्कीम थी, वह बड़ी शानदार थी, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेन्ट किया जाय, तो इतने एक्सीडेन्ट्स और लड़ाई झगड़े न होते।

अब मैं थोड़ा-सा अपने इलाके की बाबत अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां श्री हरगोविन्द-पुर-व्यास योजना थी। जिसका सर्वे जब हमारी सरकार पंजाब में थी, तब उसने कराया था और उसके लिए पैसा भी एलाट हो गया था। लेकिन जब अकालियों की गवर्नमेंट वहां आई तो उसने उस योजना को बन्द कर दिया। मैं चाहता हूं कि उस योजना को फिर से चालू कराया जाय।

लुधियाना से चण्डीगढ़ के लिए रेल लाइन का सर्वे किया गया था और उसको बनाने का सरकार का इरादा भी था। लेकिन उसको फिर काट दिया गया है। मेरी दरख्वास्त है कि उसको फिर से शुरू करना चाहिए।

आपने इस बजट में सड़कों के लिए जो 114 करोड़ रुपया रखा है, वह बहुत कम है, इसको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मेरे इलाके गुरदासपुर में एक "मस्तो ब्रिज" की योजना थी, उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं रखा है। मेरा इलाका बहुत बैकवर्ड इलाका है—इसलिए इस ब्रिज का काम जरूर करना चाहिए।

जैमलसिंह तहसील पठानकोट में यहां 10-10 मील तक कोई डाकखाना नहीं है और वहां इतनी बुरी हालत है कि चिट्ठियां दस-दस दिन में पहुचती हैं। हमारे मिनिस्टर-स्टीफन

साहब—बहुत लायक आदमी हैं, मुझे उम्मीद है, वे वहां पर जरूर डाकखाने खुलवायेंगे। कुछ काम तो उन्होंने किया है, लेकिन वह काफी नहीं है।

यह बजट जो तैयार किया गया है, सिर्फ 6 महीनों के अन्दर तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी बड़ा बैलेंस्ड बजट है, इससे बेहतर कोई बजट नहीं हो सकता था।

यह बजट तरक्की की तरफ एक कदम है। इससे हरिजनों को, गरीबों को और हरेक आदमी को तरक्की मिलेगी। यह एक बड़ा भारी शानदार बजट है। इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था।

मैं आपको एक बात टेलीफोन के सिलसिले में कहना चाहता हूं। मैंने परसों एक टेलीफोन फिरोजशाह रोड से दीनानगर के लिए बुक किया था। मैं तीन दिनों से उसके लिए कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी तक वह फोन नहीं मिल सका है। मैं समझता हूं कि एक्सचेन्ज में ड्यूटी पर जो अहलकार लोग हैं वे ड्यूटी को पूरी तरह से अन्जाम नहीं देते हैं। इसकी तरफ स्टीफन साहब को ध्यान करना चाहिए। बड़ी बुरी हालत है, इसको जल्दी से ठीक करना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्वामी विवेकानन्द ने यह कहा है, "जीवन के किसी भी क्षेत्र में, फल की परवाह किए बिना, सही कर्त्तव्यपालन आत्मा की पूर्णता की अधिकतम प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है।"

स्टेट्स की निस्बत यहां सेन्टर में आकर मैं हैरान हूं कि यहां के अहलकार अपनी ड्यूटी को अन्जाम नहीं दे रहे हैं। इसको फौरन ही ठीक करना चाहिए और एक्सचेन्ज में फौरन से काम होना चाहिए।

होशियारपुर जिले में नसराला में एक रेलवे फाटक है। उस पर केवल एक ही चौकीदार है। वह चौबीसों घण्टे उस पर काम करता है। क्या एक आदमी 24 घण्टे काम कर सकता है? वहां पर बुरी हालत है। वहां एक की बजाय दो चौकीदार होने चाहिएं। इसी तरह से शाहसिकन्दर, नकदीक दीनानगर, जिला गुरदासपुर में तो कोई भी चौकीदार नहीं है। वहां पर कई मौतें हो चुकी हैं। वहां पर किसी चौकीदार के रखने का इंतजाम होना चाहिए; लुधियाना से पठानकोट को रेल चलती है वह पठानकोट में शहर के बीच से गुजरती है। जब वहां रेल गुजरती है तो ट्रैफिक बन्द हो जाता है। वहां पर पुल बनना चाहिए

मैं समझता हूं कि अगर गुरदासपुर जिले में मस्तो का पुल बन जाए तो उस बैकवर्ड इलाके की बहुत तरक्की हो सकती है। मैंने इस बारे में बाबू जगजीवन राम जी और सरदार स्वर्णसिंह जी को लिखा था। कई चिट्ठियां लिखी थी लेकिन उन्होंने मुझे लिखा कि यह सिविल का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए सेन्टर को चाहिए कि वह इस काम को करे। इससे वहां की बैकवर्डनेस दूर हो सकती है। इसी तरह फीरोजपुर जिले में माको में भी पुल की बड़ी जरूरत है। वहां भी पुल होना चाहिए।

जहां तक हरिजनों का सवाल है, हमारी पार्टी के लोग भी हरिजनों का नाम लेते है और जनता पार्टी वाले भी उनका नाम लेते थे, गरीबों का नाम लेते थे। लेकिन जनता पार्टी की

[श्री सुन्दर सिंह]

हुकूमत के दौरान जो हरिजनों के साथ सुलूक किया गया वह हमेशा याद रहेगा। उन्होंने बड़ी बुरी हालत की थी। पता नहीं अब वे किस मुंह से उनका नाम लेते हैं। उनकी हुकूमत में तो हरिजनों और गरीबों को वोट डालने के लिए जाने तक नहीं दिया गया था। उस समय बड़ी बुरी हालत थी।

हमारी सरकार ने जो बजट बनाया है उसको देखकर लोग बहुत खुश हैं और कहते हैं कि अब उनको एक रोशनी नजर आती है, एक शुआ नजर आ रही है और उनको लग रहा है कि उनका भला होगा और उनकी जो इच्छा है वह पूरी होगी।

एक बात मैं रेल मन्त्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे गांव के नजदीक से एक सड़क जाती है और रेलवे लाइन जाती है। वहां पर एक फाटक है। वहां पर एक चौकीदार होना चाहिए। वहां कई दुर्घनाएं हो चुकी हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। यह रेलवे का काम है। बूटा सिंह जी जब रेल मन्त्रालय में थे तब मैंने उनको भी लिखा था। अब त्रिपाठी जी हैं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां चौकीदार रखने की वह व्यवस्था करें ताकि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ये बन्द हो सकें।

हरिजनों को जो उनके हकूक हैं वे मिलने चाहिए। ये सब जनता पार्टी जब बरसरे इक्तदार आई थी तो छिन गए थे। एक एम० एल० ए० ने मुझे कहा था कि तुमको कांग्रेसियों ने सिर पर चढ़ा रखा है, अब हम तुमको तुम्हारी जगह बतायेंगे और आने वाली जगह पर लाएंगे। इनके राज में यही कुछ हुआ है। इस बजट से पता चलता है कि हरिजनों का अब कल्याण होगा और दूसरों का भी भला होगा।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। इसमें जो स्कीमें बताई गई हैं उनका प्रापर इम्लेमेंटेशन होना चाहिए जैसाकि अभी हमारे एक बिहार के साथी श्री समीनुद्दीन ने कहा है। मैं उनकी ताईद करता हूं। आपको इम्लेमेंटेशन और प्रापर इम्लेमेंटेशन पर जोर देना चाहिए।

"जीवन के किसी भी क्षेत्र में, फल की परवाह किए बिना, सही कर्त्तव्य-पालन आत्मा की पूर्णता की अधिकतम प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है।

हर किसी को अपनी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए।

'प्रत्येक कर्त्तव्य पावन होता है और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा सर्वश्रेष्ठ ईश्वर आराधना है। यह बुद्ध, बन्धनयुक्त व्यक्ति की अज्ञान से लिपटी आत्मा और भ्रमित व्यक्ति का उद्धार करने और उसे अन्धकार से प्रकाश में लाने के लिए काफी सहायता का स्रोत है। हमारे निकट जो कर्त्तव्य है, जो कर्त्तव्य हमारे हाथों में है, उसे अच्छी तरह से पूरा करके हम स्वयं को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं और इस प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। क्रमिक रूप से हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें हम सर्वाधिक वांछनीय और प्रतिष्ठित कर्त्तव्य कर

सकेंगे । प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं अत्यधिक ईमानदारी और अत्यधिक सत्य-निष्ठा होती है । वह उनकी असाधारण सफलता का कारण होता है । वह पूर्णतः निःस्वार्थ नहीं हो सकते, परन्तु वह उसकी ओर उन्मुख होता है । अगर वह पूर्णतः निःस्वार्थ हो, तो उसका त्याग बुद्ध और ईसा के त्याग के समान महान होता । निःस्वार्थ-भावना के स्तर से ही सर्वत्र सफलता के स्तर का पता चलता है ।"

यह चीज संजय गांधी में मौजूद थी और इसलिए तमाम दुनिया उनकी इज्जत करती है । वह भी इसको समझते थे और इसके मुताबिक चलते थे, इसपर अमल करते थे, अपनी ड्यूटी करते थे । आज देखने में आ रहा है कि लोग ड्यूटी नहीं करते हैं । मैं एक मिनिस्टर के एक अहलकार को जानता हूं जिस पर मिनिस्टर का कोई असर नहीं था और वह जो चाहता था करता था । वह बिल्कुल अपनी ड्यूटी नहीं करता था । यह सब सिलसिला ठीक हो जाएगा अगर हर एक आदमी अपनी ड्यूटी करे और जो कानून हमने बनाए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो ।

मुझे बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहनी थी लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं और मैं पज्जल भी हो गया हूं । मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं ।

अन्त में मैं अपने अपोजीशन के लायक दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं :

"चरित्र के अभाव में ज्ञान एक बुराई की शक्ति मात्र है, जैसाकि विश्व के प्रत्येक प्रतिभा-सम्पन्न चोरों और बदमाशों में देखी जाती है ।"

महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आदमी चालाक होता है वह हमेशा दूसरों को एक्सप्लायट करता है और अन्त में आप भी एक्सप्लायट हो जाता है । इसलिए हमारा दर्शन होना चाहिए :

"मैं दूसरों को ठगने के बजाय, दूसरों से ठगा जाना ज्यादा पसन्द करता हूं ।"

यह दर्शन होना चाहिए । यह स्वामी विवेकानन्द ने कहा था । आप एक्सप्लायट भी करें और हरिजनों की सिम्पथी भी लें ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं ।

हरिजनों की जो हालत चौ० चरणसिंह ने की उसको हम भूल नहीं सकते हैं । जितने हमारे आदमी मारे उनका बदला लेकर हम रहेंगे । बदला लिए बगैर हम लोग दम नहीं लेंगे । हमारे खून में भी जोश है ।

जितने आदमी मारे गए हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में तथा दूसरी जगहों पर उनका हमें बदला लेना है । मैं कहूंगा कि तमाम हरिजन इकट्ठे हों और श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करें । बिना उनके हाथ मजबूत किए कोई शुआ नजर नहीं आती है, कोई हमें बचा नहीं सकता है । इस चीज को हमने देख लिया है ।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । बाकी बातें मैं फिर किसी मौके पर कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मन्त्री आज शाम को 6 बजे बहस का उत्तर देंगे इसलिए मैं अपने सभी माननीय मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे समय-सीमा का पालन करें— मुझे आशा है कि वे पाँच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : बजट प्रस्तावों में घोषित कुछ रियायतों के लिए वित्त मन्त्री की स्तुति गान किया गया है और उनकी अतिरंजित प्रशंसा की गई है। बजट प्रस्ताव पेश करने पर वित्त मन्त्री को प्रथम दृष्ट्या प्रशंसा और सराहना प्राप्त हुई है, परन्तु लोगों को सच्चाई का पता चल गया है और वे बजट के बारे में अपनी राय में परिवर्तन कर रहे हैं। व्यापार और उद्योगों में लगे व्यक्ति और अर्थशास्त्री भी अपनी राय में संशोधन कर रहे हैं।

जहां तक उनके द्वारा आम आदमी को कुछ हद तक राहत दिए जाने का सम्बन्ध है, मैं उनका निष्पक्ष भाव से स्वागत करता हूं। जिस हद तक रियायतें दी गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। परन्तु यहां ऐसा लगता है कि उन्होंने वित्त मन्त्री के रूप में कार्य न करके, सत्तारूढ़ पार्टी के जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने बहुत कलात्मक खेल खेला है और यह उसी तरह का है जैसा कि बम्बई में होता है। बम्बई में जो जेबकतरे होते हैं वे जेब काटते हैं और बिना किसी को पता लगे ही माल निकाल लेते हैं। जेब तराशने की उस कला और शिल्प में हमारे वित्त मन्त्री ने बहुत कुशलता, बहुत अच्छे तरीके से प्रवीणता प्राप्त कर ली है॥ अगर उसके लिए कोई प्रशंसा की जा सकती है, तो वह उस प्रशंसा के पात्र हैं। उसकी वजह से मैं उन्हें बधाई, प्रशंसा और सराहना देने को तैयार हूं।

कुछ व्यक्तियों ने इस बजट को भ्रमोत्पादक बजट की संज्ञा दी है। कुछ व्यक्तियों ने यह कहा है कि यह बजट 'कल्प वृक्ष' है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह बजट 'कल्प वृक्ष' है। कुछ व्यक्तियों ने यह कहा है कि स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद यह सर्वश्रेष्ठ बजट है। मेरी राय यह है कि इस बजट की तुलना 'बिकिनी' से की जानी चाहिए। यह बिकिनी बजट है। बिकनी बजट का तात्पर्य यह है कि "जो कुछ यह दर्शाती है, वह आकर्षक हैं, परन्तु जो कुछ यह छिपाती है, वह महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है।" उन्होंने इस देश की आम जनता के साथ धोखाधड़ी की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा है इस अनिश्चित विश्व में दो ही बातें निश्चित हैं— "मृत्यु और कर"। वर्तमान बजट केवल लोकवादी बजट है और लोगों को नहीं पता कि आगामी महीनों में उनके समक्ष क्या-क्या कठिनाइयां आने वाली हैं। वित्त मन्त्री मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को रोक नहीं सकेंगे और इन बजट प्रस्तावों की मार से भविष्य में लोग कराहते रहेंगे। उन्होंने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों पर पहले ही कर बढ़ा दिए हैं और रेल किरायों में वृद्धि कर दी है और यह राशि कुल मिलाकर 2400 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है। यह सब बजट पेश करने से तीन दिन पहले किया गया है। यह एक चालाकी से भरा दांव-पेच से युक्त लोकवादी बजट है। सत्तारूढ़ पार्टी के जन सम्पर्क अधिकारी ने मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन करने की ओर ध्यान नहीं दिया है जब अर्थव्यवस्था दलदल में फंसी हुई और जड़ हो चुकी है, तो संरचनात्मक और मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वित्त मन्त्री ने एक स्वर्णिम अवसर गवां दिया है। अगर उन्होंने यह सब किया होता तो उन्हें सम्पूर्ण देश से प्रशंसा प्राप्त होती। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। सत्तारूढ़ दल ने केवल लोकवादी नारे का आश्रय लिया गया है।

बाहरी तौर पर बजट कर-रियायतों से भरा पड़ा है परन्तु कर व्यवस्था से बाहर पहले ही भारी मात्रा में धनराशि चुपचाप एकत्रित करने की व्यवस्था कर ली गई है। मैं उत्पाद-शुल्क के बारे में बताना चाहता हूं। उपलब्ध अल्प समय के अन्दर मैं सम्पूर्ण विषय के साथ न्याय नहीं कर सकता परन्तु मैं कुछ उदाहरण दूंगा। अधिकार की योजना के अन्तर्गत 214 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि कर दी गई है। जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में, केवल आवश्यक वस्तुओं के बारे में दी गई रियायतों का ही उल्लेख किया जाता है और उत्पाद-शुल्क देय वस्तुओं के बारे में पूरी सूची नहीं दी जाती। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लोगों को लाभ दिया है, जबकि लोगों पर वित्तीय भार थोप दिया गया है।

टूथपेस्ट, नियन्त्रित किस्म का कपड़ा, विद्युत बल्ब, औषधियों, साबुन और साइकिल के कलपुर्जे जैसी आम उपयोग की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क में कमी का उल्लेख करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे उन्होंने भारी राजनैतिक लाभ उठाया है, परन्तु शुल्कों में दी गई रियायतों का वास्तविक मूल्य केवल 15 करोड़ रुपए ही बैठता है, जो कि उस अतिरिक्त कर भार का केवल एक छोटा-सा अंश मात्र है जो उन्होंने इस बार स्वयं थोप दिया है। प्रश्न यह है कि क्या इन रियायतों से आम आदमी को क्या फायदा होगा। क्या निर्माता इस लाभ को आगे उपभोक्ताओं को भी देंगे ? उत्तर है—"नहीं", निर्माता इन रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने नहीं जा रहे।

कर प्रस्तावों और उस यथाकथित रियायत का उल्लेख करते हुए, उन्होंने निगमित क्षेत्रादि को दी है, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी बजट को इस बात से परखा जा सकता है—(क) क्या इससे मुद्रास्फीति रुकेगी (ख) क्या इससे मूल्य स्तर पर रोक लगेगी (ग) क्या यह पूंजी-निर्माण को प्रोत्साहन देगा (घ) क्या बजट विकासोन्मुख है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछें और वित्त मन्त्री के सभी प्रस्तावों की बहुत निष्पक्ष ढंग से जांच करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि मुद्रा-स्फीति में 25 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है कि यह वृद्धि 15 से 25 प्रतिशत के बीच हो सकती है परन्तु मेरा यह विचार है कि मुद्रास्फीति लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक होगी।

वित्त मन्त्री घाटे को किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं ? वे या तो योजना परिव्यय में कमी करके या करदाताओं की जेबों से अधिक रुपया निकालकर या आवश्यक सरकारी व्यय में कटौती करके ऐसा कर सकते हैं। वित्त मन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है। विदेशी सहायता 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है और वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष न्यास निधि से 540 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं। अब तक की परम्परा पूर्णतः भिन्न रही है। इस बार वित्त मन्त्री ने नई प्रणाली का आश्रय लिया है। पहले पद्धति यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों को कभी भी बजट-प्राप्त नहीं समझा जाता था। अगर वित्त मन्त्री ने बजट से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों को पृथक रखने की विगत प्रक्रिया को अपनाया होता तो बजट घाटा बहुत अधिक हो गया होता, जो 2500 करोड़ रुपए की राशि तक जा पहुंचता और उन्होंने इस बात को आम आदमी से छिपाया है। इस प्रकार उन्होंने रियायत देने का भ्रम पैदा किया है कि जैसे कि वह लोगों को बहुत ज्यादा रियायत दे रहे हैं।

[श्री रतन सिंह राजदा]

आर्थिक स्थिरता को एक बार पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और मूल्य-स्तर स्थिर होने के रूप में परिभाषित किया गया था आज इसके प्रयोजन अपेक्षाकृत अधिक साधारण हैं, अब अर्थ-शास्त्री केवल उन उपायों से ही सन्तुष्ट हैं, जिनसे लम्बे समय तक भारी बेरोजगारी और मूल्यों में धीमी गति से लम्बे समय तक बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को रोका जा सके, जिससे मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। विकास से किसी समय यह तात्पर्य था कि लोगों की आर्थिक स्थिति में क्रमिक रूप से सुधार हो, परंतु अब इसका अर्थ अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और जागरूग हो गया है अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व-निर्धारित दर पर एकल राष्ट्रीय आय के वास्तविक मूल्य में निरंतर वृद्धि हो और ऐसे उपाय किए जाए जिनसे साथ-ही-साथ स्थिरता को बढ़ावा मिले।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि इस विषय के साथ, बहुत ही अल्पावधि में न्याय करना सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस विषय के साथ निश्चित रूप से न्याय किया है।

श्री रतन सिंह राजदा : जैसा कि मैंने कहा है, इस बजट की तुलना बिकिनी से की जा सकती है तथा मुझे एक शेर याद आ रहा है। सत्तारुढ़ पक्ष के मेरे मित्र इस बजट की ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं कि मानो यह कल्पवृक्ष है और इससे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। किन्तु एक शेर कहा गया है :—

मत रीझिए कभी ऊपर की सफाई पर

सामान्य व्यक्ति के प्रति दिखाई गई यह दया तथा उसे दी छोटी राहतें—

मत रीझिए कभी ऊपर की सफाई पर

इस बजट में कुछ भी नहीं है—

वरक सोने का चिपकाया है गोबर की मिठाई पर।

श्री उत्तम भाई एच० पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पेश किए गए बजट का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। समाजवाद की ओर अग्रसर होने वाली यात्रा से आम प्रजा के दिलों को चैतन्य करने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री सारे देश के अभिनन्दन के पात्र हैं।

सचमुच, इस बजट से विशाल जनसमूह जिसने जनता पार्टी के शासन में तीव्र वेदना का अनुभव किया था, मुक्ति का अनुभव करेगा, साथ ही समाजवाद की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने की आगे की कूच में महत्व का हिस्सा प्रदान करेगा।

सन्त तुलसीदास ने कहा था कि—

रघुकुल रीति सदा चलि आई।
प्राण जांय बरु वचन न जाई॥

जिसके अनुरूप कांग्रेस ने जो वचन दिए थे उन्हें परिपूर्ण करने के लिए प्रधानमन्त्री वचन-बद्ध हैं। यह बजट भगवान वामन का एक छोटा सा और पहला कदम है और आगे कदम उठाना है। इस दृष्टि से प्रधानमन्त्री जी से हामरी अपीलें हैं कि गरीब और विशाल जनसमूह के हित में

राष्ट्र की समृद्धि का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाए। उन्हें देश के अग्रगण्य चोटी के अमीरों से अधिक धन निकालने के लिए टैक्सों का आयोजन करने के लिए बड़े साहस के साथ आगे आना होगा।

माननीय मन्त्रीगण और मेरे जैसे आम सदस्य को भी देश का आर्थिक नक्शा बदलने के लिए कोरे तख्ते पर एक समृद्ध चित्र बनाना होगा जिसके लिए निजी सुख और कुछ ऐशो आराम की चीजों की कुरबानी करनी होगी। हमारा देश और देश की जनता सबसे पहले त्याग और सुखों के बलिदान की आशा करती है।

अंग्रेजों के जमाने से विरासत में मिले हुए शासकीय ढांचे को ऊपर से नीचे तक आमूल परिवर्तन करना होगा और उसे चलाने के लिए बहुत ही सावधान जागृत रहना होगा।

बजट में बीस सूत्री कार्यक्रम पर अमल करने की योजना की सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारे शासनकर्ता अधिकारियों की निष्ठा पर ही निर्भर रहेगा। अगर वे इस कार्यक्रम में अपना दिल नहीं लगाएंगे तो अच्छी से अच्छी योजना भी सफल न होगी। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस कार्यक्रम का वक्त पर मूल्यांकन करने के लिए संसद और पक्ष के लोगों में से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए और यह समिति निष्ठापूर्वक अपने काम को अन्जाम दे सकें ऐसी सुविधाएं उसको प्रदान की जाएं।

देश के उत्तरी पूर्वांचल प्रदेशों में तेजी से फैलती आग हमारे लिए बड़ी चिन्ता का विषय बनी हुई है। हमें बहुत सावधानी रखनी होगी कि इस आग के अंगारे देश के और प्रदेशों में न फैलें। देश की एकता के लिए चाहे कितना भी बलिदान देना पड़े, कम ही माना जाना चाहिए और ऐसे बलिदान के लिए हम सबको सच्चे हृदय से तैयार रहना होगा। इस वक्तव्य द्वारा मैं सदन के मित्रगण और देश के लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं कि अगर हम आदिवासी और पिछड़ी हुई जातियों के प्रश्नों को हल करने में सफल नहीं हुए तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

देश के छोटे से छोटे आदमी को आजादी के फलों को पहचानने का यह मौका हम नहीं देंगे तो हमारी लोकशाही केवल प्राणविहीन मुर्दों जैसे साबित होगी। केवल लोकशाही का रटन करने से गरीबों के पेट नहीं भरेंगे। इसके लिए तो ठोस कार्यक्रम की नींव पर मजबूत कदम रखने ही होंगे।

विवेकानन्द ने भी कहा था कि गरीबों के लिए रोटी ही भगवान होती है और भूखे आदमी के लिए रोटी बड़ी से बड़ी धर्म की बात का कोई मतलब नहीं होगा। इनके लिए तो रोटी की प्राप्ति ही लोकशाही का साक्षात्कार होगा। इसीलिए तो माननीय प्रधानमन्त्री जी इस दिशा में विशेष कदम उठा रही हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है।

जब मानव भी चन्द्र पर पहुंच गए हैं, तब हमें रुढ़िवादी मानस-स्थापित हित, और प्रत्याघाती तत्वों के बुर्कों का पर्दाफाश करना होगा। बदलती हुई इस परिस्थिति को हम यदि नहीं पहचानेंगे तो हमारी बात सुनने और सहने को कोई तैयार न होगा।

[श्री उत्तम भाई एच० पटेल]

देश के सुखी भाई बहनों को भी समाज के पीड़ित और पिछड़े लोगों की चिन्ता करनी होगी और उनके लिए कुछ न कुछ त्याग करना ही होगा। उन्हें अपना थोड़ा ऐश आराम छोड़ना ही होगा। उनकी यह मामूली-सी कुर्बानी भी देश के लिए नव-निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती है। दिन में तीन चार कपड़े बदलने की आदत, परिवार के हर एक आदमी के लिए एक-एक मोटर का सुख और निजी सुखों का थोड़ा सा त्याग अपने गरीब भाई बहनों के लिए करने को उन्हें तैयार रहना चाहिए और ऐसे त्याग में जीवन की सफलता का अनुभव कर सकेंगे।

यह दुर्लभ मनुष्य जन्म औरों के कल्याण में काम आएगा तभी ही उसकी कोई कीमत होगी, वरना रावण जैसे अनेक राजा इस धरती से उठ गए और आज उनको याद करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। क्या हमारी दिलचस्पी ऐसे जीवन में है ? मैं मानता हूं कि इसका उत्तर नहीं में होगा।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि देश मेरा है और अपने देश के लिए मर मिटने को मैं तैयार हूं, ऐसी भावना हम सबके दिलों में प्रकट करने की शक्ति परम कृपालु परमात्मा हमें प्रदान करें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने कुछ विचार प्रकट करने का मौका दिया। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो केन्द्रीय बजट इस सदन में उपस्थित किया है, 1980-81 के लिए, जो उसके सम्बन्ध में उन्होंने घोषणा की कि हमने बहुत-सी राहतें आम जनता को दी हैं, किसान, कामगार और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को भारी राहत पहुंचाई है जिसके लिए उनके दल के सदस्यों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। किसी ने कहा कि यह क्रांतिकारी बजट है, किसी ने इसको अभूतपूर्व बताया और किसी ने इसको समाजवादी बजट कहा। लेकिन अगर सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल अंकगणित का जादू सा है कि कुछ टैक्सों को इधर से उधर कर दिया, कुछ पर राहत दे दी और कुछ पर कर लगा दिया, इस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने का ज्यादा प्रयास इसमें किया गया है। गरीबो की रेखा से नीचे जो 60 प्रतिशत लोग हैं, हरिजन आदिवासी लोग, उनको प्रेशर कूकर, टेलीविजन, टूथपेस्ट सिलाई की मशीन—इन चीजों की क्या जरूरत है ? बेचारे जो लोग जंगलों में और गांवों की झोपड़ियों में रहते हैं उनको इन ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो केवल मध्यम वर्ग के लोगों को ही राहत पहुंचाने की बात है। जो लोग आलोचना करते हैं उनको घूस के रूप में या उनको मानने के लिए एक झुनझुना दे दिया गया है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि गरीब लोगों पर, कामगारों पर तथा किसानों पर व्यापक रूप से महंगाई का भार बढ़ा है।

जहां तक इस बजट के लिए कुछ एप्रीशिएट करने की बात है, हम माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने जनता सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं को, जिनके द्वारा जनता की भलाई के लिए बहुत सा काम हुआ और आम जनता उससे प्रसन्न है, जारी रखते हुए ग्रामीण योजनाओं के लिए धन का प्रावधान किया है। अन्यथा यह बजट कोई क्रांतिकारी बजट नहीं है क्योंकि इसके कारण जो अमीर हैं वे अमीर रहेंगे और जो गरीब हैं वह गरीब रहेंगे। इस

बजट में केवल स्टैटसको मेनटेन करने पर ध्यान रखा गया है।

मंत्री जी ने कहा है कि आयकर में छूट दी गई है जिससे लोग आसानी और स्वेच्छ से कर दे देंगे। जनता सरकार द्वारा निर्धारित 10 हजार की सीमा को बढ़ाकर 12 हजार किया गया है लेकिन मुद्रास्फीति की जो दर है उसके अनुसार यदि आप देखें तो इस सीमा को 13,100 होना चाहिए था। 1977-78 में जब 10 हजार की सीमा निर्धारित की गई थी उसके बाद आज की मुद्रास्फीति के हिसाब से यह सीमा 13,100 से भी अधिक बैठती है। यदि 15 000 रुपये भी होता, तो कुछ बात समझ में आती कि आपने जनता को कुछ राहत दी है। जो आयकर के विभिन्न प्रकार से अफसरों से मिलकर कर-वंचना की जाती है, कर की वसूली नहीं होती है, मैं समझता हूं कि अभी भी इसमें आपका 7 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक इनकम टेक्स बकाया है। देश में अभी 7 हजार से 9 हजार करोड़ रुपये तक काला धन समानान्तर चल रहा है। इसी तरह से फिल्म उद्योगों से भी 7 हजार करोड़ रुपये के लगभग की राशि बकाया है, जो अभी तक वसूल नहीं हो पाई है। सरकार ने नए-नए करों की व्यवस्था की है, लेकिन अगर आप कर की वसूली मुस्तैदी से करते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता और देश की अर्थ रचना में एक नई दिशा मिलती और जो नए-नए करों से जनता पर बोझ डालना पड़ता है वह न डालना पड़ता।

बजट तो आश्चर्यजनक है। समाजवादी और अभूतपूर्व सभी इसको मान सकते हैं। जब आय-व्यय दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों समान होते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि यह बजट बिल्कुल बैलेंस्ड है, सन्तुलित है, लेकिन दोनों में असंगतियां हैं। किसी कर को बढ़ा दिया, किसी कर में घटा दिया। अप्रत्यक्ष करों में इतनी वृद्धि हुई है कि आम जनता पर काफी भार पड़ेगा।

बजट आने के पहले डीजल पेट्रोल और खाद के दाम इतने बढ़ा दिए गए, जिससे आपको 21 सौ करोड़ रुपये का फायदा हुआ। यदि 21 सौ करोड़ रुपये में कुछ कैमिकल प्रोडक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो 3500 करोड़ रु० का अतिरिक्त बोझ आम जनता पर पड़ेगा और जो 1417 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, वह कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपये होगा, जिससे हर व्यक्ति के ऊपर 55 रुपये से अधिक बोझ पड़ जाता है। जबकि इस देश में अभी भी दरिद्रता की स्थिति में जीवन बिताने वालों की संख्या काफी है और इतना बोझ अगर पड़ता है और आम लोगों में राहत की बात कही जाती है, तो यह मजाक सा लगता है।

वस्तुतः अभी जो देश में अर्थ-रचना है, वह बहुत ही दोषपूर्ण और गलत है। अभी भी हम पुरानी लीक पर चले जा रहे हैं। अगर कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाना होता है तो इस दिशा में विचार किया जाता है और नये ढंग से हम काम करते हैं।

मैं एक-दो उदाहरण आपको बिहार के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। हमारे बिहार में अभी भी जितने सरकारी उपक्रम हैं, वे सब घाटे में चलते हैं, उनको देखनेवाला कोई नहीं है। वे घाटे में क्यों चलते हैं, इसकी रेस्पोंसिबिलिटी किस पर लादी जाय, किस पर इसका उत्तरदायित्व डाला जाय ? अभी हमारे पेट्रोलियम मन्त्री ने बताया कि जिस सिन्दरी के कारखाने को कोल के आधार पर 2 हजार करोड़ रुपये में लगाया गया था, वह केवल 7 करोड़ रुपये मे नीलाम कर दिया गया और उसे अब पेट्रोलियम बेस्ड बनाया जा रहा है, जब कि देश में पेट्रोल का अभाव है। इस तरह से सरकार नई-नई पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की स्थापना करती रहे और वे सब घाटे में चलती रहें तो क्या इस तरह से देश चल सकता है ?

[श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा]

बिहार के गया जिले के बगल में 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पंचानपुर गांव है, वहां पर एफ० सी० आई० का एक ओपन गोदाम है। आप ने पिछले मई महीने में सुना होगा कि उसमें 10 करोड़ की लागत का गेहूं जल गया। यह एक बड़ी रहस्यमयी घटना है। वहां पर कुछ इस तरह के गिरोह, वेस्टेड-इन्टरेस्ट वाले लोग घूमते रहते हैं और सारा माल चोर दरवाजे से ले जाकर उन्होंने बगल-बगल के बनियों को 80 रुपये क्विंटल में बेच दिया और इस तरह से गोदाम का सारा माल साफ कर दिया, बाद में उसमें आग लगा दी। वहां पर सी० आर० पी० की फोर्स लगी हुई थी, दो-दो दमकलें लगी हुई थीं। दमकल वालों का कहना था कि उनको पेट्रोल नहीं मिल सका, इसलिए समय पर नहीं आ सके। दमकलों को पेट्रोल न मिलने से 10 करोड़ रुपये का गोदाम जल जाय—यह कम दुखद घटना नहीं है।

इस तरह के घाटों की पूर्ति हम जनता पर टेक्स लगा कर, उनसे टेक्स वसूल करके करें, इस तरह से देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बजट में जितनी बातें कहीं गई हैं, सब पुराने ढंग की बातें हैं। इस तरह का बजट आने पर कुछ लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं, कुछ उसकी आलोचना करते हैं—यही परम्परा शुरू से चली आ रही है, लेकिन इसमें कोई नई गति हो या जिस तरह से हमारे सत्तारूढ़ दल के भाइयों ने इसकी प्रशंसा की है—ऐसा कोई तथ्य इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला है, केवल मध्यम वर्ग और धनी वर्ग के लोगों को मिला है। इस बजट से गरीब-गरीब रह जाएंगे और अमीर अमीर होते जाएंगे।

आपकी सर्वेक्षण रिपोर्ट में बतलाया गया है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 1688 रुपए है, जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय केवल 679 रुपये है। अन्य प्रान्तों की भी यही हालत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं—इतना बड़ा अन्तर, किसी प्रान्त की आय 2000 रुपये और किसी की आय 500 रुपये—क्या यह कोई सही अर्थ रचना है? हमें देश के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करना होगा, जिसमें हर व्यक्ति की आय बढ़े। आज भी हमारे गांवों में 5 करोड़ से ऊपर असंगठित कृषि मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं—इन लोगों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है? इन लोगों के रहन-सहन का दर्जा बढ़े, इनकी मजदूरी बढ़े, इनके परिवार के बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले—इसके लिए आपने इस बजट में क्या प्रावधान किया है? क्या इस तरह से देश का कल्याण होगा, कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा होगा? केवल पुरानी परम्परा के अनुसार ज्यों-का-त्यों इस बजट को यहां रखने का प्रयास किया।

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया, जैसा कि वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने पर, सदन, पत्रकार दीर्घा तथा सार्वजनिक दीर्घा से लोगों द्वारा उनका शानदार स्वागत किया गया। जनता, प्रैस, विरोधी दलों के विभिन्न नेताओं, श्रमिक नेताओं, विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाओं, मध्य वर्ग के लोगों, गृहणियों, श्रमिकों, कृषकों तथा उद्योगपतियों—सभा ने वित्त मन्त्री को ऐसा अद्वितीय बजट प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। मैं भी माननीय वित्त मन्त्री को इस बजट के लिए बधाई देता हूं।

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है घाटे की अर्थव्यवस्था एक आम बात हो गई है। किन्तु पिछले वर्ष श्री चरण सिंह ने 2700 करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया था, जिससे 23 प्रतिशत मुद्रा स्फीति हुई तथा केवल 9 महीने की अवधि के भीतर मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई,

तथा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई और सामान्य लोग बहुत ही दुःखी हुए। उत्पादन वृद्धि तथा निवेश द्वारा ही इस मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कृषि तथा औद्योगिक, दोनों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय वित्त मन्त्री ने जो अधिक राशि आवंटित की है, वह उचित ही है।

माननीय वित्त मन्त्री ने विभिन्न कर-सम्बन्धी रियायतों की एक योजना प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए, उन्होंने लाभ पर लगने वाले पूंजी कर पर 7 वर्ष के लिए 25 प्रतिशत कमी कर दी है। उन्होंने गत सामान तथा मुद्रण मशीन सहित औद्योगिक मशीनों पर आयात शुल्क में कमी से अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। नये उद्योगों को एक नियत अवधि के लिए कर से मुक्त रखा गया है। इन सब बातों से लगता है कि इनसे राजस्व की क्षति होगी। किन्तु देश की अर्थव्यवस्था यदि माननीय वित्त मन्त्री की स्वस्थ विचारधारा का अनुसरण करती है, तो बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से अधिक कर की प्राप्ति होगी।

मध्य वर्ग के लोगों का औद्योगिक उपक्रमों की भागीदारी तथा बचत में हमेशा सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके बावजूद, बढ़ते कर-भार तथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों का सबसे ज्यादा प्रभाव इस वर्ग पर पड़ा है। मुद्रा स्फीति के कारण मध्य वर्ग के लोगों की बचत तथा कर देने की क्षमता में ह्रास हुआ है। अतः माननीय वित्त मन्त्री द्वारा आयकर छूट की सीमा को 10,000 रु० से बढ़ाकर 12,000 रु० करने तथा आयकर अधिभार को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के लिए मध्य वर्ग के लोग उन्हें बधाई देने के लिए बाध्य हैं।

श्री चरण सिंह द्वारा पिछले वर्ष अन्धाधुन्ध कर लगाने के कारण, 9 महीने की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 25% प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अतः वित्त मन्त्री द्वारा साबुन, सस्ते प्रसाधन, टूथ पेस्ट जैसी चीजों पर उत्पाद-शुल्क में कमी के प्रस्ताव तथा जीवन-रक्षक दवाइयों, साइकिल तथा अन्य वस्तु पर उत्पाद-शुल्क की समाप्ति और एक और दो बैण्ड के रेडियो पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने से सामान्य लोग वास्तव में प्रसन्न होंगे।

केन्द्रीय सरकार को अनेक वर्षों से अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करना पड़ता है। माननीय वित्त मन्त्री को भी अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर होना पड़ा है। किन्तु उन्होंने इस बजट में आवश्यक वस्तुओं पर छूट दी है। इसके स्थान पर उन्होंने सिगरेटों पर कर लगाया है तथा ऐसी कुछ मदों पर, जिनका उत्पादन देश में होता है, आयात शुल्क लगाया है। टेलीविजन सैटों तथा अन्य विद्युत उपकरणों, जो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि देश में इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा इनका निर्यात भी बढ़ेगा, पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने के प्रस्ताव से इसके निर्यातकारी वस्तुओं के निर्माण के निवेश में वृद्धि होगी। लघु उद्योगों को भी उनके विस्तार तथा विकास के लिये अनेक रियायतें दी गई हैं। सरकारी क्षेत्र को भी एक निश्चित अवधि के लिये कर में पूरी छूट दी गई है।

महोदय, यदि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर देखें, तो आप पायेंगे कि माननीय मन्त्री महोदय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संपोषण तथा विकास के लिए एक सुन्दर प्रयास किया है। प्रस्तावित सामूहिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा इसके लिए 342 करोड़ रु० के प्राव-

[श्री अजीत सिंह दाभी]

धान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धमनियों में निश्चित रूप से नये रक्त का संचार होगा। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को नकद सहायता देने के प्रावधान से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में काफी सहायता मिलेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सहायता के लिए 100 करोड़ रु० की राशि का आवंटन एक सही दिशा में सही कदम है। विद्युत, इस्पात तथा कोयले के लिए अधिक राशि का आवंटन अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है तथा यह बात माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी से नहीं बच सकी है कि जब तक विज्ञान तथा तकनीकी के लिए अधिक राशि का आवंटन नहीं किया जाता, देश का विकास नहीं हो सकता।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यह बजट देश के विकास के लिए है। इस बजट पर हमारे माननीय वित्त मन्त्री श्री वेंकटरमन की बहुमुखी प्रतिभा की स्पष्ट छाप लगी हुई है—श्री वेंकटरमन जो तमिलनाडु के उद्योग मन्त्री थे, श्री वेंकटरमन जो एक पत्रकार थे तथा जिन्होंने स्वराज तथा श्रमिक कानून पत्र का सम्पादन किया, श्री वेंकटरमन जो अनेक वर्षों तक हमारे देश के योजना आयोग के सदस्य रहे, श्री वेंकटरमन जिन्हें संयुक्त राष्ट्र को गए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में सात बार भेजा गया तथा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

पिछले वर्ष जनता पार्टी सरकार ने 606 करोड़ रु० के रिकार्ड अप्रत्यक्ष कर लगाये थे। उस सरकार ने पुनः 59 करोड़ रु० के अप्रत्यक्ष कर तथा रेल मन्त्री द्वारा इस वर्ष लगाए गए करों को यदि जोड़ लिया जाए तो सामान्य व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर का बोझ लगभग 263 करोड़ हो जाता है।

पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में ह्रास, विदेश व्यापार में घाटा तथा अत्यधिक मूल्य वृद्धि ने माननीय वित्त मन्त्री को पूरी तरह से असमर्थ बना दिया है। हमारे पास बहुत ही सीमित क्षेत्र था। यदि आप जनता सरकार के वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट को देखें, तो आप पायेंगे कि उनके बजट में 675 करोड़ रु० की विपुल राशि करों के जरिये प्राप्त की थी और इसके बावजूद वे पूंजी तथा राजस्व व्यय में केवल 100 करोड़ रु० वृद्धि कर पाये, तथा वर्ष के अन्त में 2700 करोड़ रु० का रिकार्ड घाटा रहा। इसके विपरीत, श्री वेंकटरमन पूंजी तथा राजस्व व्यय में 3000 करोड़ रु० की वृद्धि करने में समर्थ हुए हैं, मात्र 285 करोड़ रु० कर के माध्यम से, और 1,470 करोड़ रु० का घाटा छोड़कर। अतः श्री वेंकटरमन ने इस बजट को बड़ी दक्षता से तैयार किया है तथा आन्तरिक, सामाजिक, राजनैतिक, मानव-सृजित अथवा प्राकृतिक कारण से सामने आई विशाल चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने एक कलाकार की गम्भीरता तथा कल्पना से यह बजट तैयार किया है। अतः देश के अर्थशास्त्रियों को यह बताने के लिए कि बजट बनाना कोरा लेखा-जोखा रखना नहीं है, अपितु यह एक कला है।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एस० रेड्डी—उपस्थित नहीं हैं। श्री रासबिहारी बहेरा—उपस्थित नहीं हैं। श्री महेन्द्र प्रसाद—वे भी उपस्थित नहीं है। श्री ए० टी० पाटिल।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1980-81 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट पर सामान्य बहस के समय मेरी जो सीमाएं हैं उनसे मैं अवगत हूं। मैं अपने विचार बजट के केवल दो पहलुओं तक ही सीमित रखूंगा। इसके एक पहलू का सम्बंध साधनों के उपयोग करने तथा दूसरे कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन से है। जहां तक कार्यकलापों के क्षेत्र तथा कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन का सम्बंध है, यह बजट निश्चय ही पिछले वर्ष के बजट से अच्छा है।

इस बजट की जो कुछ भी आलोचना की गयी है वह केवल एक ही मुद्दे पर की गयी है और वह मुद्दा यह है कि इसमें साधारण आदमी की भलाई की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह इस बजट की पहली आलोचना है। बजट का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन विशेषतौर से योजना परिव्यय के आवंटन के आधार पर किया जा सकता है। जहां तक वर्तमान बजट का सम्बंध है, इसमें केन्द्रीय योजना के लिए कुल 7,340 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इस 7,340 करोड़ रुपए की कुल धनराशि में से 340 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए है। मैं इस कार्यक्रम का विशेष तौर से सबसे पहले इस लिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से बेरोजगारी की समस्या शायद देश की सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ा मसला है, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, यह प्रत्येक चुनाव का एक सबसे बड़ा राजनैतिक मसला होगा। जहां तक वर्तमान आंकड़ों का सम्बंध है, ये आकड़े रोजगार कार्यालयों से प्राप्त किए गए हैं तथा इनके बारे में हमें बताया गया है कि विभिन्न रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों के लगभग 1.5 करोड़ नाम पंजीकृत हैं। इस योजना के अन्तर्गत हमारा इरादा लगभग 85 करोड़ से 90 करोड़ मानव दिनों का सृजन करना है। इस विशेष पहलू का और विश्लेषण करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे गुजरात के विद्वान और माननीय सदस्य ने कहा है, आपके सभी राजनैतिक तथा सामाजिक दर्शनों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति तथा देश के नागरिकों को रोजी प्राप्त नहीं होती तथा इस देश में इतनी अधिक जनसंख्या है कि वह रोजी के लिए तरसती है तथा उसे रोजी नहीं मिल पाती है। मौलिक अधिकारों, संविधान, प्रजातंत्र या तानाशाही तथा सामाजिक दर्शन के सम्बंध में आपकी तमाम बातों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि मनुष्य को रोजी नहीं मिलती। यहां रोजी का समस्या है और इस बजट में आपको पता लगेगा कि इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

हमने महाराष्ट्र में एक रोजगार गारंटी नाम की योजना चलायी है जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। इसमें गारंटी का प्रावधान है। हमने गारंटी दी है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि वह इसमें इस बात की गारंटी का एक खण्ड जोड़े कि जो भी व्यक्ति एक निर्धारित समय के भीतर काम चाहता है उसे, काम चाहने वाले व्यक्तियों की निश्चित संख्या होने पर, निर्धारित समय के भीतर काम दिया जाएगा। इस प्रकार की गारंटी अवश्य ही दी जानी चाहिए। श्रीमान् जी, इस बजट और पहले बजट में यही अन्तर

[श्री ए० डी० पाटील]

है कि पिछली सरकार इस गारंटी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी या उसकी इसे स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी तथा वह इस प्रकार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहती थी।

तत्कालीन केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार की योजना में सहायता देने को तैयार नहीं थी। उस सरकार का यह कहना था कि हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकते हैं। समाज में प्रतिस्पर्धा होती है। जो व्यक्ति जिन्दा रहने के योग्य होंगे वही जिन्दा रहेंगे और जो जिन्दा रहने की स्थिति में नहीं होंगे वे जिन्दा नहीं रहेंगे। उनका इस प्रकार का सिद्धान्त था। यह पुराना सिद्धान्त है तथा सत्य तो यह है कि यह एक अप्रचलित सिद्धान्त है। पिछली सरकार ने योग्यतम अतिजीविता के सिद्धान्त को अपनाया था जबकि इस सरकार का यह कहना है कि "यह हमारी जिम्मेदारी है। यह देखना सरकार तथा समाज की जिम्मेदारी है कि समाज का प्रत्येक सदस्य जीवित रहे।" श्रीमान्, यही अंतर है निश्चित सिद्धान्त तथा एतदर्थता में, इच्छा और अनिच्छा में, नीति तथा नीति के अभाव में। अतः यदि कोई व्यक्ति ऐसे बजट, जिसका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है, का मूल्यांकन करना चाहता है, तो उसे इसका मूल्यांकन इस विशिष्ट विधि से करना होगा। तत्पश्चात वह चाहे तो कहे कि इस बजट की कोई नीति नहीं है, इस बजट में सत्ताधारी दल द्वारा पूर्व निर्धारित एक खास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कोई व्यापक कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि इस सभा के किसी व्यक्ति या किसी सदस्य का ऐसा दृष्टिकोण है तो उसे उस विधि से व्यक्त करना चाहिए। तब हम समझ सकते हैं कि यह इस बजट की उचित आलोचना है। लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। इस बजट के कुछ आंकड़े लेकर हमारे सामने यह कहते हुए प्रस्तुत किए गए हैं कि इन आंकड़ों का सम्बंध मध्यम वर्ग और इन आंकड़ों का सम्बंध उच्च वर्ग से है। लेकिन इसमें एक कार्यक्रम है। मैं आंकड़ों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। आंकड़े अन्तिम आंकड़े हैं। यद्यपि ये आंकड़े बजट में दिए हुए हैं तथापि यह बात नहीं है कि हम इनसे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हम इससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 85 करोड़ से 90 करोड़ मानव दिनों के सृजन का विचार किया गया है जिसका रोजगार के रूप में यह अर्थ होगा—यदि हमें प्रति वर्ष एक व्यक्ति के कार्य करने के 300 दिन लेते हैं तो हम 30 लाख व्यक्तियों को सालभर रोजगार दे सकेंगे।

हालांकि हमारे रोजगार कार्यालयों के रोजगार रजिस्टरों में 1.5 करोड़ लोग हैं, और हम 30 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं अर्थात हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ही बेरोजगार व्यक्तियों में से 20 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे। रोजगार सृजन करने का केवल यही कार्यक्रम नहीं है। इस देश के लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अनेकों और भी कार्यक्रम हैं। इस देश में जो भी व्यक्ति बेरोजगार हैं उनको इस प्रकार रोजी का साधन या रोजगार दिया जाए।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आमदनी उन्मुख परिसम्पत्तियां अर्जित करने के सहायतार्थ 100 करोड़

रुपए दिए गए हैं। अब इस बजट के सम्बंध में जो आलोचना की गयी है वह यह है कि इस बजट में कोई निश्चित दिशा नहीं दी गयी है आंकड़े मौजूद हैं। इन आंकड़ों से पता लगता है कि जिन लोगों को इस सहायता की आवश्यकता है उन लोगों के एक निश्चित वर्ग के लिए इसमें एक निश्चित दिशा दी गयी है। इस दल की यह एक वांछित नीति है। हमारे दल की यह नीति है कि समाज के पद-दलित और निर्बल वर्ग के लोगों को संरक्षण दिया जाए। यदि इस कार्य को करना है तो इस बजट में कुछ निश्चित प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए और उस दिशा में कदम भी उठाए जाने चाहिए। यह यहां किया जा रहा है। 70 करोड़ रुपए अनुसूचित जन-जातियों की उप योजना के लिए रखे गए हैं और बजट में बेघर लोगों के मकानों के स्थानों के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। बजट में 100 करोड़ रुपए पेय जल योजना तथा 150 करोड़ रुपए खादी और ग्रामीण उद्योगों के लिए रखे गए हैं। इन सब का योग 810 करोड़ या इससे अधिक बैठता है। इसमें कुछ छोटी योजनाओं को शामिल कर लेने पर यह राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में 2,247 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसमें एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी० आई० आर० डी० पी० मछलीपालन, बाढ़ नियन्त्रण आदि भी सम्मिलित है। इन सबके लिए बजट में 3247 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कुछ अन्य बातों पर विचार करते हुए योजना के कुल परिव्यय की 50 प्रतिशत धनराशि देश के गांवों की जनता के उत्थान के लिए रखी गयी है। ऐसा तदर्थ आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि एक निश्चिय संकल्प के साथ किया गया है। यह करना आवश्यक है। हम ऐसा करेंगे और हम योजना के अनुसार ऐसा करते रहेंगे। यदि ऐसा किया जाना है, क्या यह दिशा नहीं है, क्या यह प्रगति नहीं है, क्या यह एक खास दिशा नहीं है जिस पर हम चलना चाहते हैं और जिसके लिए हमने जनता को बचन दिया है? अतः मेरा कहना है कि यह बजट सामाजिक विकास का बजट है। हमें विकास दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आशा की जाती है कि सामान्यतः कुल व्यय का लगभग 1·25 प्रतिशत रोजगार पैदा करने के उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा। यदि आप इस बजट के आंकड़े देखें तो आपको पता लगेगा कि यह खर्च 1.50 प्रतिशत है। यह साधारण से अधिक है। अतः आप देखेंगे कि इस बजट में एक निश्चित दिशा, पूर्व निर्धारित दिशा है। यह जनता को दिशा देने वाला बजट है और इस बात पर बल देना है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं।

विपक्ष के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है कि यह एक धोखाधड़ी का बजट है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरकों की कीमतों की वृद्धि की धनराशियों को नहीं दिखाया गया है। जैसाकि सरकार की ओर से पहले कहा गया है, मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि जहां तक उस पहलू का सम्बंध है, इन सौदों में जिनमें लगभग 2800 करोड़ रुपए की धनराशि की उगाही होने की आशा है, व्यापारिक सौदे हैं जिनमें धनराशि उपभोक्ताओं से ली जाती है जिससे उस आयात का खर्चा पूरा किया जाता है जिसका प्रयोग अपेक्षित तेल उत्पादों

[श्री ए० टी० पाटिल]

तथा उर्वरकों के उत्पादन के लिए होता है। अतः उसे नियमित बजट पद्धति के भाग के रूप में नहीं ले सकते हैं, और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को यह आंकड़े इस गणना के आधार पर नहीं निकालने चाहिए कि बजट बहुत घाटे का है और बजट के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। इस सम्बन्ध में मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम उन व्यक्तियों को जिन्हें आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक नीतियों की, तथा सिद्धान्तों की जानकारी है उन्हें उन बातों से जिनका बिलकुल ही कोई अस्तित्व नहीं है अनावश्यक भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए।

जहां तक बजट के अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, 2466 करोड़ रुपये का आवंटन ऊर्जा के क्षेत्र के लिये किया गया है जिससे 4 लाख पम्प सैटों को शक्ति मिलेगी और 25,000 गांवों को बिजली मिलेगी। क्या यह परिव्यय देश के सामान्य व्यक्ति और गरीब वर्ग को नहीं जाता है? 319 करोड़ रुपये रसायन तथा उर्वरको और 836 करोड़ रुपये पेट्रोलियम क्षेत्र इत्यादि के लिये आवंटित किये गये हैं। इन सब आवंटनों से देश के निश्चित विकास की झलक मिलती है तथा यह विकास अत्यन्त आवश्यक है जिसके बिना देश अपनी अर्थव्यवस्था को बनाये नहीं रख सकता।

बजट के बारे में एक अन्य बात जिस पर ध्यान देना है वह है सरकार की इसे कार्यान्वित करने की इच्छा। पिछले वर्ष जब बजट वित्त प्रस्तुत किया गया था उस समय प्राधिकारियों ने निश्चयपूर्वक कहा था कि मूल्यों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत तक वृद्धि होगी। लेकिन वस्तुतः कीमतों में 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, दो बड़े नेताओं में आपसी विवाद था—दोनों भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे। एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री का कहना था कि कीमतों में वृद्धि तत्कालीन वित्त मन्त्री के बजट के कारण थी तथा इसके कुछ दिन बाद तत्कालीन वित्त मंत्री, जो कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री भी बने थे, ने इसके जवाब में कहा था कि वह बजट मात्र उनका ही नहीं अपितु पूरे मंत्रिमण्डल का बजट था। अतः कीमतों में हुई वृद्धि के लिए पूरा मन्त्रिमण्डल जिम्मेदार है। अतएव यदि विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सरकार के पिछले बजट तथा उसकी नीतियों के औचित्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह एक मान्य तथ्य है तथा इससे इन्कार करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उनके प्रमुख नेतागण भी इस बात को मानते हैं कि उस बजट की कुछ गलतियों के कारण ही उस वर्ष के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई थी। मेरे विचार से इसका कारण यह था कि यद्यपि बजट में राशि आबंटन पहले के समान ही था, तथापि उस बजट में परिकल्पित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति का पूर्ण अभाव था जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इसका कारण बहुत सीधा था। कुछ विभिन्न शक्तियों के गठनों ने इस कार्य को करने के लिए रचनात्मकता की भावना के बजाय एक नकारात्मक भावना से कार्य किया। उनका विचार था कि इसको सामान्य कार्य की तरह कर लिया जायगा। पर इसके लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। अतएव जब इस बजट में 5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की बात कही गई है तो मुझे विश्वास है कि यह सरकार तथा देश विकास दर को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त कर लेगी क्योंकि इसके पीछे इच्छा शक्ति विद्यमान है। यहीं पर अन्तर है। एक तरफ इच्छाशक्ति का होना तथा दूसरी ओर इच्छाशक्ति का अभाव—यहीं पर अन्तर है।

अब मैं दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वे

उन्नति तथा सामाजिक विकास की उस दिशा से सम्बन्धित है जिस दिशा में सरकार कार्य करना चाहती है।

मैं सरकार का ध्यान उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उर्वरकों की कीमतों में अब 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1974-75 के दौरान कीमतें 90 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। इसके तुरन्त बाद उत्पादन में कमी आ गई थी। हम विकास की परिकल्पना कर रहे हैं। हमने इस विकास को अवश्य प्राप्त करना है। यदि विकास को प्राप्त करना है तो हमें विकास के रास्ते की प्रमुख बाधाओं को समाप्त करना होगा। हमारे सभी प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए ताकि हम इस विकास को प्राप्त कर सकें। वर्ष 1974-75 में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। इसका कारण यह था कि किसान ऊंची कीमतों पर उर्वरकों की पूरी मात्रा खरीदने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए उत्पादन में इतनी गिरावट आई थी। वर्ष 1974-75 के बाद के मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग ने कृषि उत्पाद के लिए मूल्य निर्धारित किए थे। धान के सम्बन्ध में मूल्यों को केवल 5.5 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इसका मूल्य 70 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 74 रु० प्रति क्विंटल किया गया था जबकि उसी अवधि के दौरान 1050 रु० प्रति टन बिक रहे यूरिया के मूल्य को बढ़ाकर 2000 रु० प्रति टन कर दिया गया था। अतः जब उर्वरकों के मूल्य में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो इसके परिणाम-स्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आई थी। अब उर्वरकों के मूल्यों को 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 1975-76 के बाद से उर्वरकों के मूल्यों में लगातार कमी हुई है तथा वर्ष 1979 में यह मूल्य 1450 रु० टन तक पहुंच गये थे जो कि वर्ष 1973-74 की अवधि के मूल्यों से 40 प्रतिशत अधिक थे। अब उर्वरकों के मूल्यों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरा विचार है कि कृषि उत्पादन में कमी को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः हमें उर्वरकों के मूल्यों तथा कृषि उत्पादों की कीमतों के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मेरा इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि आपको या तो उर्वरकों के मूल्यों को कम करना चाहिए या छोटे तथा सीमान्त किसानों को कुछ आर्थिक सहायता अवश्य प्रदान करनी चाहिए अथवा कृषि उत्पादनों के मूल्यों में अविलम्ब वृद्धि की घोषणा करनी चाहिए।

अब मैं ग्रामीण ऋण की बात कहता हूं। आज हमारे देश में ग्रामीण ऋणग्रस्तता 2000 करोड़ रु० की है तथा इनको समाप्त किया जाना चाहिए। इसका कारण बहुत सीधा है। हमें देश के विकास में सहायक व्यक्तियों को ऋण के अभिशाप से मुक्त करना चाहिए। हमें इस सामाजिक अभिशाप को समाप्त करना चाहिए जिसमें समाज का बहुत भाग विशेषकर गरीब वर्ग ऋण के अभिशाप से ग्रस्त है। अतः 2000 करोड़ रु० के इस ग्रामीण ऋण को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए जोरदार प्रयास किये जाने चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसको करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। यदि हमें वास्तव में कुछ प्रगति करनी है तो हमें देश के विकास में सहायक व्यक्तियों को सभी प्रकार की सहायता देनी पड़ेगी। ये आम जनता, गरीब लोग ही, जो कि कठोर श्रम करते हैं, वस्तुतः देश की प्रगति में सहायक हैं। अगर इन्हें खुशहाल बनाना है तो इन्हें सन्तुष्ट करना पड़ेगा। इनकी हर सम्भव मदद करनी चाहिए। यह मदद 2000 करोड़ रुपये के ऋण को समाप्त करके की जा सकती है। यदि हम इसको करने के बारे में दृढ़ निश्चय कर लें तो यह कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। महाराष्ट्र राज्य ने

[श्री ए० टी० पाटिल]

इस कार्य को पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र ने इस सम्बन्ध में एक योजना की घोषणा भी कर दी है। मुझे नहीं पता कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मन्त्रालय इस योजना को स्वीकृति देगा अथवा नहीं। पिछले वर्ष ऐसे प्रस्ताव पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि अब क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी। मैं भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह करूंगा कि वे महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों के फलस्वरूप भविष्य में होने वाले लाभों का अन्दाजा लगायें। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह ग्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति के उपाय खोजें। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों को ही लागू करे। केन्द्रीय सरकार आम जनता, समाज के कमजोर वर्गों को ग्रामीण ऋण से मुक्ति दिलाने के लिये कुछ अन्य उपाय भी कर सकती है।

महोदय, बजट पर अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

***श्री पलानी अप्पन** (सेलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980-81 के केन्द्रीय बजट पर कुछ शब्द कहने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पिछले 30 वर्षों में भी वार्षिक बजट पेश किए गए थे। परन्तु वर्ष 1980-81 के इस केन्द्रीय बजट ने हमारे समाज के सभी वर्गों का ध्यान आकृष्ट किया है। हमारे देश के विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। द्रमुक की ओर से मैं इस बजट का स्वागत करता हूं तथा कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

भारतवर्ष में नेत्रहीनों की संख्या 10 लाख बताई जाती है। हमारे देश में औसतन प्रतिदिन 10 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो चुका है कि मृत्यु के छः घण्टे तक मृत व्यक्ति की आंखें खराब नहीं होतीं। अतएव, यदि आपरेशन द्वारा इस अवधि के भीतर इन्हें शव से निकाल लिया जाए तो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मृतकों की आंखों का उपयोग जीवित नेत्रहीनों को दृष्टि दिलाने के लिए किया जा सकता है। तथा नेत्रहीन व्यक्ति समाज के लिये उपयोगी हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन एक अभियान प्रारम्भ किया जाना चाहिए तथा अविलम्ब नेत्र बैंक स्थापित किये जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विशेष राशि आबंटित की जानी चाहिए। अपने देश के 10 लाख नेत्रहीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार के अभियानों के लिए इसी वर्ष के बजट में विशेष राशि की व्यवस्था करें ताकि नेत्र बैंकों की स्थापना के द्वारा ये नेत्रहीन अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकें। गंगा तथा कावेरी को जोड़ने के लिए, जो कि हमारे बहुत से लोगों की पुरानी इच्छा है, यदि इस बजट में पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई होती तो मुझे बहुत खुशी होती। गंगा की विनाशकारी बाढ़ से प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रु० से लेकर 1500 करोड़ रु० की अनुमानित हानि होती है। इन नदियों को जोड़ने वाली योजना में लगभग 2000 करोड़ रु० से लेकर 3000 करोड़ के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रयुक्त नहर प्रणाली में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारत के पास अन्न का भण्डार हो जायगा तथा हम विश्व के अन्य देशों को अनाज का निर्यात करने लगेंगे। विश्व बैंक ने एक सर्वेक्षण किया है तथा वह इस उद्देश्य के लिए ऋण देने को तैयार है।

गंगा तथा कावेरी को जोड़ने की परियोजना के पूरा होने से प्राप्त होने वाले विविध फायदों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे वर्ष 1980-81 के बजट में ही इस परियोजना के लिए धन राशि की व्यवस्था करें। केवल थोड़े नियतन से ही इस वृहत् परियोजना के प्रारम्भिक चरण के कार्य को आरम्भ किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी इन्तजार के बाद आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं 1980-81 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने आज की परिस्थितियों में हिन्दुस्तान की जनता के सामने जो बजट पेश किया है, तमाम लोगों ने, मजदूर, गरीब, आदिवासी हरिजन, सबने इस बजट का स्वागत किया है। पिछले तीन सालों के जनता पार्टी के शासन में इस देश के अन्दर मुद्रास्फीति बढ़ी है और 67 परसेन्ट के लगभग बढ़ी है। जनता पार्टी ने 13 टन सोना बेचकर 86 करोड़ रुपया वसूल किया। जिससे उन्होंने मीसा में बंद अपने भाइयों की मदद की। यह उसी का परिणाम है कि देश के अन्दर मुद्रास्फीति हुई और हमको उनसे जो शासन की बागडोर मिली वह इतनी खराब मिली कि हमारे वित्त मंत्री जी ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया।

मैं अपने वित्त मंत्री श्री वेंकटरमण साहब से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों को मैं सुनता रहा हूं। उन सबने ही इस बजट के बारे में एक ही बात कही है और वह यह है कि यह बजट आंकड़ों का जाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में 9 विधान सभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों में विरोधी दलों ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना कर यह कहा कि आने वाले दिनों में बजट में बहुत टैक्स लगेंगे। आज वे यह कहते हैं कि आंकड़ों का जाल है। मैं तो कहता हूं कि विरोधी दल के नेता लोग खुद इन आंकड़ों के जाल के अन्दर फंस गये हैं। अब जनता के सामने इनके पास कोई शब्द कहने के लिए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पहले झूठा प्रचार किया था।

माननीय वित्त मंत्री, श्री वेंकटरमण साहब ने 1417 करोड़ रुपये का डेफिसीट बजट पेश किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में पूंजीपतियों के ऊपर 11 सौ करोड़ रुपये की जो आयकर की राशि बकाया है उस पर भी निगाह पड़नी चाहिए। इस देश के कालाबाजारी और धनी लोग इस 11 सौ करोड़ रुपये की राशि को दबाये बैठे हैं। यह रकम उनसे वसूल होनी चाहिए और सख्ती के साथ वसूल की जानी चाहिए। अगर यह रकम उनसे वसूल कर ली जाती है तो इसका उपयोग इस देश के विकास में किया जा सकता है। यह आयकर की राशि पूंजीपतियों से वसूल करके गरीबों के विकास में लगायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 60 प्रतिशत राशि गैर योजना कार्यों पर खर्च की जाती है और 40 प्रतिशत राशि ही योजना कार्यों पर व्यय की जाती है। इसके बारे में भी हिन्दुस्तान की संसद् को सोचना चाहिए कि हम इस तरह से प्लानिंग करें जिससे कि हम योजना कार्यों में

द[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

60 प्रतिशत राशि खर्च करें और गैर योजना कार्यों में 40 प्रतिशत राशि खर्च करें। अगर हम अपने देश का जल्दी से विकास करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से योजना बनानी होंगी और इस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। हमें दूसरे खर्चों को कम करने की योजना बनानी चाहिए और उसे संसद् के सामने लाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं आज तक बनाई गई हैं वे सब की सब घाटे की अर्थव्यवस्था को आधार बना कर बनायी गई है। आज तक की हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में 17,820 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस घाटे की अर्थव्यवस्था को हमेशा-हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। हमको उत्पादन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसानों की बात कही गई और आदिवासियों की बात कही गई। आज किसान पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। हमने उनके लिए क्या किया ? हमने फर्टिलाइजर मंहगा कर दिया, डीजल मंहगा कर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे लोगों को राहत देने की बात कही मगर किसानों की बात करना वे भूल गये। आज उनको यूरिया 105, 110 रुपये प्रति बोरी से कम में नहीं मिलती है और उसके लिए भी उनको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। 80 प्रतिशत लोग किसान आज इस को बनाने में लगे हैं, इस देश का विकास करने में लगे हैं। उन पर आज इस देश का विकास निर्भर है। उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए। रिजर्व बैंक की स्टडी टीम की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि बैंकों के फाइनेंस में हमारे देश के 60 प्रतिशत किसान कर्ज से दबे हुए हैं और डिफाल्टर हैं। अभी यहां पाटिल साहब ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये किसानों से वसूल करना है। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की इकोनोमिक व्यवस्था इतनी खराब है, खास करके उन पिछड़े हुए भाइयों, आदिवासियों की जो सिर्फ खेती करना जानते हैं। दस पन्द्रह साल पहले उनको जो कर्जा दिया गया था वह फर्जी था क्योंकि उनके नाम के झूठे अंगूठे लगाये गये थे। ये जो कर्ज हैं इनको माफ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा और वे पहले जैसी स्थिति में बैठे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में आपको सर्वे करवाना चाहिये और उनके कर्जे माफ किया जाना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो वे किसान भी देश की राष्ट्रीय धारा में आगे बढ़ सकेंगे और आपके साथ कदम मिला कर चल सकेंगे।

मैं इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा किसान बहुत मेहनती है और अगर उसको सुविधायें दी जाएं, उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाए तो वह आपको इतनी शक्कर और इतना गेहूं दे सकता है कि आपको इन वस्तुओं को विदेशों से मंगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिये शर्त यही है कि आप उसको फैसिलिटीज दें।

अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो कंट्रोल की दुकानें खुली हुई हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम आदिवासियों, हरिजनों, कमजोर वर्गों को ये कंट्रोल की वस्तुएं इन दुकानों से पहुंचाना चाहते हैं लेकिन ये उन तक नहीं पहुंचती हैं और ब्लेक मार्किट में

बिकती हैं। वहां होता यह है कि जो दूकानदार होता है वह हाथपांव के फर्जी अंगूठे रजिस्टर पर चढ़ा लेता है और सारी की सारी शक्कर ब्लैक मार्किट में बेचता है। आप इन आदिवासियों का भला चाहते हैं तो मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं। मैं भी आदिवासी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी कोई खास शक्कर नहीं खाता है। बीस प्रतिशत आदिवासी ही शक्कर खाते होंगे। मैं चाहता हूं कि जो इसकी मार्किट वैल्यू है उतना पैसा आप उनके नाम से पोस्ट आफिस में उनका खाता खोलकर जमा करवा दें और उसके बदले में उसको आप सस्ता कपड़ा और मोटा अनाज दें। तभी उनका आप सही अर्थों में भला कर सकेंगे। इससे उनको काफी राहत मिलेगी।

देश के आदिवासियों और हरिजनों का श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और उनको अब यह भी विश्वास हो गया है कि इस बजट के माध्यम से वे आगे बढ़ सकेंगे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और वित्त मन्त्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है।

श्री रामेश्वर निखरा : (होशंगाबाद) : सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता में एक विश्वास की भावना पैदा की है। पिछले तीन साल में हिन्दुस्तान की जनता ने केवल विश्वासघात ही देखा था, आम जनता ने यह देखा था कि जनता पार्टी के लोग किस तरह से महात्मा गांधी की समाधि के सामने गए और उनकी कसम खाई, देश की जनता को विश्वास दिलाया लेकिन काम बिल्कुल उसके विपरीत किया। अपने घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि देश में जितने बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे। उसने यह भी वादा किया था व्यापारियों के साथ कि हम सेल्स टैक्स माफ करेंगे, देश को स्वच्छ प्रशासन देंगे। लेकिन वास्तव में उसने देश की जनता के साथ विश्वास के बदले विश्वासघात किया। अब पहली बार इस बजट के माध्यम से हिन्दुस्तान की जनता को विश्वास दिलाया गया है कि हम उसके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे और जो वादे हमने अपने घोषणापत्र में किए हैं उनको हम पांच साल में पूरा करेंगे। घोषणा पत्र में जो आदर्श प्रस्थापित किए गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उनको पूरा करने वाला यह बजट है, ऐसा मैं मानता हूं।

इस बजट की आलोचना हमारे घोर वामपन्थी साथियों ने की है, इसकी आलोचना हमारे घोर दक्षिण पन्थी साथियों ने भी की है। वे भूल जाते हैं आलोचना करते समय कि देश में प्रजातंत्र कायम है, संविधान प्रजातांत्रिक मान्यताओं को लेकर बनाया गया है और उस संविधान के अनुसार देश को चलाने का काम जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसको करना होता है। संवैधानिक मान्यताओं की इसमें रक्षा की गई है और हमारे वित्त मन्त्री जी ने ऐसा एक बजट प्रस्तुत किया है जिसमें देश के सभी वर्गों को राहत दी गई है, आम आदमी को राहत दी गई है। यहां पर बा-रबार यह बात कही जाती है। हमारे माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने और श्री चरण सिंह जी ने भी इस बजट की आलोचना की है। दोनों सदस्यों, वामपन्थी और दक्षिणपन्थी ने इसकी आलोचना करते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इस देश में मिक्सड इकानामी है। माननीय गुप्त जी से प्रार्थना है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी का शासन इस देश में आ जाये उस दिन वह अपनी व्यवस्था कायम करने की बात कर सकते हैं, लेकिन

[श्री रामेश्वर निखरा]

जब तक इस देश की जनता ने प्रजातन्त्र को स्वीकार किया है, तब तक उनको मिक्सड इकनामी की व्यवस्था को स्वीकार करना होगा।

इसी प्रकार हमारे श्री चरण सिंह जी ने कोयले के राष्ट्रीयकरण से लेकर हिन्दुस्तान के पब्लिक सैक्टर तक की आलोचना की। मुझे दुःख होता है जब मैं देखता हूं कि लोक दल के नेता तो आलोचना करते हैं और लोकदल के उप नेता माननीय श्री चन्द्रजीत यादव चुपचाप सिर नीचा करके बैठे सुनते रहते हैं। एक जमाने में राष्ट्रीयकरण के वे सबसे बड़े वकील थे। कोयले का राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तो सबसे बड़ी वकालत उन्होंने की थी। मैं माननीय चरण सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो मिक्सड इकनामी की व्यवस्था है, उसके तहत जो बेसिक उत्पादन का काम है वह पब्लिक सैक्टर के माध्यम से ही हो सकता है और अन्य कार्य प्राइवेट सैक्टर के माध्यम से ही हो सकते हैं। जो छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो रोजमर्रा के सामान बनाती हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करके, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, पब्लिक सैक्टर के माध्यम से उन काटेज इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इन दोनों गुटों ने जो आलोचना की है, वह हिन्दुस्तान की जनता के लिये स्वीकार नहीं होगी।

यह कहा गया है कि कामन आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कामन आदमी की परिभाषा तय कीजिये। माननीय चरण सिंह जी को हिन्दुस्तान के अन्दर काम करने वाला चपरासी भी कामन आदमी समझ में नहीं आता है जो कि साइकिल चलाता है। आज साइकिल पर चलने वाले को जो राहत दी है, वह शायद उनको बुरी लगती है। जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, छोटे-छोटे क्लर्क हैं, निम्न और मध्यम वर्ग के लोग उपयोग करते हैं उसके लिये राहत दी जाती है तो उनको बुरा लगता है। वह इस बात की भी सराहना नहीं करते हैं कि देश में प्राण रक्षक दवाइयों की कीमतें जो बहुत अधिक बढ़ी हुई थीं, उसके लिये भी सरकार ने राहत दी है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले साल जब उन्होंने यहां बजट पेश किया था तो हिन्दुस्तान की जनता ने सोचा कि शायद अपने घोषणा-पत्र में दी गई बातों को पूरा करने के लिए बजट में कुछ राहत प्रदान करेंगे, पर राहत की जगह श्री चरण सिंह जी ने, जो कि उस समय वित्त मन्त्री थे, इस देश की जनता को भारी करों से लाद दिया, करोड़ों रुपया इजारेदारों की गोद में सौंप दिया। हिन्दुस्तान के अन्दर जो चीजें पैदा होती थीं, जो विदेशों में भेजी जाती थीं, उनका भी उन्होंने आयात किया। विदेशी पूंजीपतियों से मिलकर वह तमाम चीजें हिन्दुस्तान में लाई गई। जो बजट उन्होंने पेश किया था, उसमें चाय, कॉफी, कपड़ा, बल्ब, ट्यूब, दवाइयां आदि सभी पर टैक्स बढ़ा दिया था। इस तरह से बड़े टैक्स लगाने वाला आदमी कभी इस बात की सराहना नहीं कर सकता है कि जो बजट आज इस सदन में पेश किया गया है, उसमें इन सब चीजों पर राहत प्रदान की गई है।

मैं अपने वित्त मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित ही ग्रामीण बेरोजगार योजना के तहत कुछ सुधार किया है। ग्रामीण योजना में एक बहुत बड़ा करप्शन होता था। सरकार ने काम के बदले अनाज की योजना दी, लेकिन उसके तहत वहां बिल्डिंग बनाई जाती थीं, सड़कें बनाई जाती थीं, उनको अनाज ही दिया जाता था। बिल्डिंग बनाने के लिये सीमेंट और लोहा

खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया जाता था जिसकी वजह से बहुत बड़ा करप्शन गांव-गांव में पैदा हो गया था। मैं वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काम के बदले अनाज योजना के तहत काम दिया और साथ ही साथ उन्होंने इन तमाम चीजों को खरीदने के लिए अलग से रुपया देने की व्यवस्था भी की है।

मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण बेरोजगार योजना के तहत जहां उन्होंने ग्रामीण मजदूरों के लिये काम की व्यवस्था की है, वहां प्रार्थना करता हूं कि वह उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, जो बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं, घर भी लौटना उचित नहीं समझते हैं, जो बड़ी मेहनत से पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है, जो काम के न मिलने पर आत्महत्या तक करते हैं, उनकी योग्यता और क्षमता यों ही समाप्त हो जाती है, ऐसे बेरोजगारों के लिए निश्चित ही बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था करें और आज आप स्पष्ट घोषणा करें जिससे हिन्दुस्तान का डेढ़ करोड़ जो बेरोजगार हैं, उनको राहत मिल सके। भले ही यह व्यवस्था काटेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो या किसी और तरीके से हो। ऐसा भी किया जा सकता है कि हिन्दुस्तान में जो लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, वह जमीन शिक्षित बेरोजगारों को दे दी जाये। इस प्रकार हम एक बहुत बड़े वर्ग की क्षमता का उपयोग कर सकेंगे।

मैं वित्त मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सबके साथ न्याय किया है, लेकिन बीड़ी के छोटे-छोटे कारखानेदारों के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने अनलेबल्ड बीड़ियों की एग्जेम्प्शन लिमिट को 60 लाख बीड़ी से घटाकर 30 लाख कर दिया है। बड़े-बड़े कारखानों ने इस बारे में गड़बड़ी होने की जो शिकायत की है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दस-पन्द्रह आदमी मिलकर बीड़ी बनाते हैं। एक आदमी एक दिन में तीन हजार बीड़ी बनाता है और दस आदमी एक दिन में तीस हजार बीड़ी बना लेते हैं। इस प्रकार तीस लाख बीड़ी तो वे 90 दिनों में बना लेंगे। तो फिर साल के बाकी दिनों में उन्हें क्या रोजगार मिलेगा? इसलिए एग्जेम्प्शन की सीमा घटाकर वित्त मन्त्री ने बीड़ी के छोटे निर्माताओं के साथ अन्याय किया है। अगर उस सीमा को 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ भी कर दिया जाये, तो वह ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसको कम न किया जाये।

वित्त मन्त्री ने टुथपेस्ट और साबुन पर जो रियायत दी है, वह सोडा ऐश और कास्टिक सोडा पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्त मन्त्री इन दोनों चीजों पर एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि को समाप्त कर दें, ताकि उनके द्वारा की गई रियायत आम आदमी तक पहुंच सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश की मानसिकता को समझ कर इस देश के विश्वास को कायम रखने के लिए इस बजट को पेश किया है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो चुनावों ने यह साबित किया है कि इस देश के लोग दल के कार्यक्रम और नीतियों में विश्वास रखकर अपना मतदान

[श्री कृष्ण प्रताप सिंह]

करते हैं। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय जनता पार्टी के नेताओं ने मात्र यही समझा कि भारतवर्ष के लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मतदान किया है। वे लोग यह बात भूल गये कि जहां जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मतदान किया था, वहीं जनता पार्टी में विश्वास भी प्रकट किया था। जनता पार्टी ने युवकों को यह आश्वासन दिया था कि गद्दी पर बैठने के बाद हम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार मुहैया करेंगे और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे। उसने मजदूरों को यह आश्वासन दिया था कि हम उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी करेंगे। परन्तु गद्दी पर बैठने के बाद उसने किया क्या ? क्या जनता पार्टी ने बेरोजगारी को दूर करने और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के लिए कोई योजनायें बनाईं ? मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है कि उसने लोगों के साथ विश्वासघात किया।

आज सत्तासीन दलों को यह बात समझने की आवश्यकता है कि जहां लोग जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मतदान करते हैं, वहां जो पार्टी सत्ता में आती है, उससे कुछ आशा और उम्मीद भी रखते हैं। मैं यह बात जोरदार शब्दों में इसलिए कहता हूं कि आज हम सत्तासीन हुए हैं, तो हम पर यह दायित्व आया है कि हम जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करें। यह पहला चरण, पहला कदम है। हमारा जो बजट पेश हुआ है, वह भारतवर्ष की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप पेश हुआ है। आप चाहे इसकी लाख शिकवा और शिकायत करें, लाख निन्दा करें, आलोचना करें परन्तु यह मानना होगा कि भारत सरकार का यह जो बजट है इसका सभी क्षेत्रों में स्वागत हुआ है। स्वागत किया है इस देश के नौजवानों ने, इस देश के हरिजनों ने और इस देश के किसानों ने।

चौधरी चरणसिंह जब आलोचना कर रहे थे तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि एलेक्ट्रानिक्स में छूट दी गई है उससे कितनों का लाभ होगा, एलेक्ट्रानिक्स का कितने लोग इस देश में उपयोग करते हैं ? चौधरी चरण सिंह तो काफी विद्वान् और अनुभवी हैं, उनको यह पता होना चाहिए और होगा भी कि एलेक्ट्रानिक्स में जितनी कम पूंजी लगाकर जितने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं उतना दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं। अगर हम एक करोड़ रुपया लगायें एलेक्ट्रानिक्स में तो उससे तीन हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसलिए जो एलेक्ट्रानिक्स पर छूट दी है और जो इस तरह के उद्योग हमारे देश में बैठाए जाएंगे उससे बेरोजगारी दूर होगी।

आलोचना और प्रत्यालोचना करते समय चौधरी चरणसिंह को कम-से-कम एक बात की प्रशन्सा करनी चाहिए थी कि कृषि क्षेत्र में जो परिव्यय आपने उस समय 1979-80 में रखा था···(व्यवधान)···कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आयोजना परिव्यय जहां 1979-80 में उन्होंने 1811 करोड़ रुपए रखा था वहां हमारी सरकार ने इस वर्ष की योजना में 2246 करोड़ रुपया रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की योजना में हम 35 हजार नए स्थानों में पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं। इस दिशा में जहां उन्होंने 25 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया था वहां इस वर्ष हमारी सरकार ने इसमें सौ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। सिंचाई के क्षेत्र में जहां पिछले वर्ष 1258 करोड़ रुपए रखे थे वहां हमारी सरकार ने 1300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। क्या इस उपबन्ध से गांवों के किसानों को, मजदूरों को और देहात के गरीबों को लाभ नहीं होने

वाला है जो इन योजनाओं में हमारी सरकार ने बढ़ोतरी की है ? निश्चित रूप से इसका लाभ उनको होगा। आप चाहे इसकी आलोचना करें परन्तु मैं इस बात के लिए वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे गांव के किसानों को, मजदूरों को और हरिजन और आदिवासियों को काफी लाभ पहुंचा है। चाहे इसकी आलोचना कोई कुछ भी करे हमारे देश के लोगों ने इसका स्वागत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में हरिजनों के लिए, ट्राइबल्स के लिए और हर क्षेत्र की तरक्की के लिए जो प्रावधान रखा गया है वह स्वागत के काबिल बात है। लेकिन मैं यहां इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अन्दर ऐसे सोर्सेज हैं पानी के, नदियां हैं कि जिन पर बड़े-बड़े डैम लगाए जा सकते हैं। मैं मांग करूंगा कि माननीय मन्त्री जी उस तरफ तवज्जह दें क्योंकि पहाड़ी इलाके के अन्दर पानी बहुत है और यही वजह है कि वहां पर जो प्रोजेक्ट बने हैं उससे हमारे बहुत से लोग बेदखल होकर कुछ राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में गए हैं। वहां पर उनकी जमीन को जरखेज करने के लिए हमारे यहां से पानी आता है। इसलिए भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की तरफ ज्यादा तवज्जह दे और यह ख्याल करे कि इन नदियों का सही उपयोग हो और उन पर बड़े-बड़े डैम लगाए जाएं। उसके लिए भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे दे।

जहां तक इस बजट का ताल्लुक है इसके द्वारा बहुत-सी अच्छी बातें हुई हैं जैसे छोटी सिलाई की मशीनें हैं, गरीब स्त्रियों के लिए और घरों में काम करने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए इससे लाभ हुआ है। इसके लिए मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से रेडियो जो छोटे आदमी रख सकते हैं, एक बैंड या दो बैंड वाला इस पर लाइसेंस फीस माफ हो गई, यह भी काबिले तारीफ बात है। उस ओर के जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्हें तो हमेशा नुक्ताचीनी ही करनी है। अगर सरकार कोई अच्छा काम भी करेगी तब भी उसकी नुक्ताचीनी ही होगी। जब उनकी सरकार यहां पर थी या अन्य प्रदेशों में थी तब उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कसमें खाई थीं कि हम गरीबों की, हरिजनों की भलाई करेंगे, दस साल में इस देश से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था करेंगे जिससे सभी लोग खुशहाल हो जायेंगे। लेकिन उन्होंने सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इन नेताओं की वजह से इस देश की यह स्थिति हुई है। आज हमारी सरकार का बजट इनको अच्छा नहीं लग रहा है। शायद हमारा बजट इनको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इन्होंने जो बजट बनाए थे उससे इस देश की खुशहाली हो गई थी और देश में दूध की धारायें बहने लगी थीं।

जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है मैं मांग रखूंगा कि हिमाचल प्रदेश में ड्राउट या बारिश की वजह से लोगों को अनाज पहुंचाना कठिन हो रहा है। हमारी सरकार ने 10 हजार टन दिया है और मैं आशा करता हूं कि 60 हजार टन की मैंने मांग की है उसको पूरा किया जायेगा। हमारे प्रदेश में कहीं पर बारिश है और कहीं बर्फ पड़ रही है, अनाज को इधर से उधर पहुंचाना मुश्किल है। मैं मन्त्री जी से मांग करूंगा कि ज्यादा-से-ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को फूड फार

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

वर्क योजना के अन्तर्गत दिया जाए ताकि गांवों में जो गरीब लोग रहते हैं उन तक इसका पूरा लाभ पहुंचाया जा सके ।

जहां तक विरोध पक्ष की मुखालिफत की बात है, उससे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इन्होंने तो हर समय प्वाइन्ट पर मुखालिफत ही करनी है । हमारी नेता इन्दिरा जी ने और संजय जी ने कोई भी नेक काम किया उसको इन्होंने कभी अच्छा नहीं माना । मैं समझता हूं इसका काम, ऊपर की लाबी को खुश करने के लिए, मुखालिफत ही करना है ताकि वे समझ सकें कि अपोजीशन वाले बड़ा काम कर रहे हैं । इनको तो देश में कोई भी काम नहीं करना है । काम करती है तो हमारी पार्टी कांग्रेस (आई) ही करती है । उसे ही इस देश को आगे ले जाना है । मैं समझता हूं यहां केन्द्र में और 9 राज्यों में जो अच्छी सरकारें बनीं, वहां के वोटर्स ने निर्णय दिया कि यह जनता की सरकार है और जनता को इसमें विश्वास है तथा यह सरकार उनकी भलाई के काम करेगी ।

इन शब्दों के साथ, माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं तथा उनको बधाई भी देता हूं ।

वित्तमन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रति अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए मैं सभा का बहुत आभारी हूं मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह स्वाभाविक ही है कि बजट से सम्बन्धित चर्चा के दौरान विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं । जो विचार ईमानदारी से प्रस्तुत किए गये हों, उनका सम्मान किया ही जाना चाहिए । इस सभा में प्रस्तुत किये गए सभी सुझावों पर मैं पर्याप्त ध्यान दूंगा ।

अपने विशिष्ट साथी श्री मगनभाई बारोट, द्वारा बहस में पहले भाग लेने के कारण मेरा कार्य कुछ सरल हो गया है । उन्होंने अपने उपयोगी योगदान से बहस के दौरान उठाये गए बहुत से मुद्दों का समाधान किया है ।

महोदय, इस सभा में उन्होंने अपनी जिस योग्यता का परिचय दिया है, उससे मुझे विश्वास है कि किसी दिन वे मेरा स्थान अवश्य ले लेंगे ।

यह स्वाभाविक ही है कि बजट से सम्बन्धित चर्चा के दौरान की गई विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं की ओर मैं अपना ध्यान एकाग्र करूं तथा उठाए गये मुद्दों का उत्तर दूं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से बजट की बहस में बहुमूल्य योगदान किया गया है । अतएव, इनके द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गए कुछ उपयोगी योगदानों का मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा ताकि इन्हें यह महसूस न हो कि इनकी उपेक्षा की गई है तथा समर्थकों के स्थान पर केवल आलोचकों की बात पर ही ध्यान दिया गया है । श्री चरणसिंह के तुरन्त बाद बोलने वाले श्री शिवराज पाटिल का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने सारगर्भित भाषण से बहस में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान किया है । श्री चरणसिंह द्वारा

उठाये गए सभी मुद्दों का उत्तर देते समय वह अनुभवी राजनीतिज्ञ के समान भाषण कर रहे थे। मैं कहूंगा कि इन्होंने पूर्ण सफलता के साथ इस कार्य का सम्पादन किया।

मेरे पक्ष के अन्य अनेक सदस्यों ने भी इसमें अपना योगदान किया हैं, संक्षेप में इनके नाम इस प्रकार है—प्रो० के० के० तिवारी, द्रमुक के श्री दंडपाणि, बिहार के श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्रीमती कृष्ण साही, श्री अप्पाला नायडू तथा कई अन्य। बहस में बहुत उपयोगी योगदान करने के लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। वाद विवाद में मुख्य आलोचना दो वर्गों की ओर से हुई है जोकि उनकी आर्थिक नीति पर आधारित है एक वह जिसका प्रतिनिधित्व श्री चरण सिंह करते हैं जोकि मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पर जोर देते हैं जिनकी प्रवृत्ति शहरी पक्ष के विरोध में है और दूसरे प्रकार की आलोचना मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा मार्क्सवादी वर्ग की ओर से हुई है जिन्होंने औद्योगिक वर्ग को अनुचित महत्व तथा रियायत देने के कारण इस बजट की आलोचना की है। यह आलोचना उनकी आर्थिक नीति के आधार पर है। मैं 'आर्थिक नीति' शब्द का इसलिये प्रयोग कर रहा हूं कि क्योंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त को पार्टी नीति से बंधा हुआ कहता हूं तो उन्हें चोट न पहुंचे।

एक वर्ग ने उनकी नीति को लागू न करने के कारण मेरी आलोचना की है। श्री चरणसिंह ने कहा है कि 'आपने मध्यवर्ग के कर दाताओं को रियायतें दी हैं, धनी लोगों तथा उद्योगपतियों को अतिरिक्त मूल्य ह्रास छूट दी गई है, आपने धन कर छूट की सीमा को बढ़ा दिया है जिससे शहरी जनता तथा धनी लोगों को लाभ पहुंचा है इसके अतिरिक्त कृषि भूमि को धन कर परिधि से अलग रखकर लाभ पहुंचाया गया है। उत्पाद शुल्क में जो कमी की गई है उससे केवल बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचता है। संक्षेप में यही उनके भाषण का सारांश है। इस सभा से मेरा यह निवेदन हैं कि संसद के लिये हमारा चुनाव एक चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर हुआ है और उसको क्रियान्वित करने के लिए हम वचनवद्ध हैं।

श्री इन्द्र गुप्त तथा मेरे मार्क्सवादी मित्रों को मेरा यही उत्तर है। उन्होंने कहा है कि हमने औद्योगिक वर्ग के लोगों को अनुचित रियायतें दी हैं, हमने उन्हें मूल्य ह्रास छूट, कर रियायतें दी हैं आदि आदि। मैं फिर यही कहता हूं कि यह उनकी नीति है जिसे हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। हम केवल चुनाव घोषणापत्र के अनुसार कार्य कर सकते हैं जिसे हमने देश के सामने रखा और जिसके आधार पर हर संसद में चुनकर आये हो (व्यवधान)

हमें अपनी विचारधारा से विचलित नहीं किया जा सकता।

मैं संक्षेप में बताऊंगा कि हमने चुनाव घोषणापत्र में क्या कहा था जिससे यह बताया जा सके कि किस प्रकार हमने चुनाव घोषणापत्र को पूर्णरूप से क्रियान्वित किया है जिसके आधार पर हमें चुनकर संसद में भेजा गया है। हमने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि हम कर-ढांचे का पुनर्निर्माण करेंगे जिससे कि मध्य वर्ग के लोगों पर कर भार कम हो। और हमने ऐसा किया है। हमने छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है और इससे न केवल मध्य वर्ग के लोग वरन् कुशल कर्मचारियों, को भी लाभ पहुंचा है। बजट पेश करने के तुरन्त पश्चात् मुझे मद्रास जाने

[श्री आर० वकटरामन]

का अवसर मिला वहां भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी तथा और लोग मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये तक की छूट की विद्यमान प्रणाली के अन्तर्गत उन पर आयकर लगना था। यदि उनका समयोपरि भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल किए जायें तो कुशल कर्मचारी 900 रुपये से 1,000 रुपये प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

किसी ने यह भी कहा कि यह बिलकुल कोई राहत नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमने जो यह एक रिआयत दी है उससे छः लाख व्यक्ति कर निर्धारण से बच जाते हैं। यदि आप यह कहें कि छः लाख आयकर निर्धारिती इस देश की जनसंख्या का कोई बहुत बड़ा अनुपात नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता कि आप किस गणित को आधार मानते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान, मत डालिये।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने देखा है कि मेरे विरुद्ध अनेक कठोर बातें कही गई है, और मैं चुप रहा। मैंने शान्तिपूर्वक सुना। मैं चाहता हूं कि वही सौजन्यता मेरे प्रति भी दिखाई जाये। दूसरी बात जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में कही है वह यह है कि हम अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारु बनाने के लिये बचत और पूंजी निवेश को बढ़ावा देंगे और इस सम्बन्ध में हमने पुरानी रियायतों को बहाल कर दिया है जो कि बीमा, संचयी सावधि जमा योजना (सी० टी० डी०) तथा भविष्य निधि के माध्यम से दीर्घकालीन बचतों पर दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त हमने नई योजनाओं को आरम्भ किया है जैसे अनिवार्य जमा राशि पर ब्याज देना जिसे उसकी मुगतान तिथि पूरी हो जाने के बाद में बैंक में रखा जाता है। जहां तक पूंजी निवेश का सम्बन्ध है हमने बड़े और लघु उद्योगों दोनों के लिये ही नए पूंजी निवेश के लिए काफी सुविधायें दी हैं। जब तक हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के सम्बन्ध में वचनबद्ध हैं जिसमें कि निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं हम निजी क्षेत्र का इस प्रकार से विकास और उन्नति के लिये आवश्यक प्रोत्साहन देंगे जिससे कि वे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचायें। यदि हम यह सुविधायें नहीं देंगे तो निजी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। देश में गत तीन या चार वर्षों में पूंजी निवेश कम हुआ है। इसलिये हमने यह आवश्यक समझा है कि पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये। यदि आप इस सम्बन्ध में उद्योग की प्रतिक्रिया को देखें तो श्री इन्द्रजीत गुप्त अनुभव करेंगे कि वे 'आलिवर ट्विस्ट' की तरह कभी सन्तुष्ट नहीं होते हैं। वे और अधिक की मांग करते हैं। धनी व्यक्ति कंजूस होते हैं। यदि वे कंजूस न हों तो वे धनी नहीं हो सकते। जितना अधिक उन्हें दिया जाता है उतने ही अधिक की वे मांग करते हैं और जो भी थोड़ी बहुत रियायतें उन्हें दी गई उससे वे और भी अधिक मांगने लगे हैं। बजट पेश किये जाने के दूसरे ही दिन बाजार भाव में ही विचित्र और हास्यास्पद परिवर्तन हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था में इस वर्ग के लोग प्रायः ऐसी गड़बड़ी पैदा करते हैं। किन्तु केवल इस कारण कि किसी वर्ग के लोग एक विशेष प्रकार का रवैया अपनाते हैं मैं उनके प्रति कठोर नहीं हूंगा। दूसरी ओर इस सरकार की यह नीति है कि वह इस बात पर ध्यान रखे कि निजी क्षेत्र को जो कार्य सौंपा गया है उसे वह क्षेत्र अपने निर्धारित क्षेत्र के अन्दर उचित प्रकार से पूरा करता है।

हम उन्हें एकाधिकारी, शक्तिशाली नहीं होने देंगे जोकि देश में उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रित करे जबकि सरकार के नियन्त्रण में बहुत व्यापक सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं तो निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के पूरक के रूप में जो स्थान दिया जाता है उसे बनाये रखा जायेगा। जो भी हो हम अपने इस चुनाव घोषणापत्र के आधार पर चुने गये हैं और जो भी पूंजी निवेश प्रोत्साहन हमने दिये हैं उनके बारे में कोई भी व्यक्ति हमसे प्रश्न नहीं कर सकता क्योंकि हमें इस नीति के लिये जनता का समर्थन प्राप्त है।

आपको ज्ञात है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारे चुनाव घोषणा पत्र का एक भाग है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों को जितनी उनकी मांग थी उससे भी कुछ अधिक ही दिया गया है। बजट से पहले लोग आते है तथा रियायतों के रूप में वे जो प्राप्त करना चाहते हैं इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन देते हैं और उस समय लघु उद्योगों की अधिक से अधिक यह मांग थी कि पहले 30 लाख रुपए के मूल्य के माल की निकासी पर उत्पाद शुल्क की छूट होनी चाहिए। हमने न केवल यह छूट दी है वरन् इससे भी अधिक यह छूट दी है कि 1 से 70 तक अनुसूचित मदों के बारे में 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए मूल्य के माल की निकासी के सम्बन्ध में उन्हें सामान्य उत्पाद शुल्क का केवल 75 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इस रियायत को देने से सरकार को लगभग 6.5 करोड़ रुपए की हानि होगी। यह रियायत हमने स्वयं दी है क्योंकि हम देश की जनता के प्रति वचनबद्ध हैं कि हम लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे।

चुनाव घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए हमने न केवल लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है वरन् हमने बैंकों को भी आदेश दिये हैं कि वे उद्यमकर्ता वर्ग को बीज, पूंजी तथा बिना जमानत के ऋण प्रदान करें। हमने उद्योगों की कुछ मदों को चुना है जिनमें अधिक रोजगार की संभावनायें हैं जैसे इलेक्ट्रानिकी उद्योग। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि श्री चरणसिंह ने जो कि इस समय यहां नहीं हैं और मुझे बताया गया है कि वे अस्वस्थ हैं और मुझे आशा है कि वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करेंगे, यह कहा है कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग एक ऐसा ही उद्योग है जिसे हमने रिआयत दी है और इससे पता चलता है कि हम केवल अपेक्षाकृत बड़े तथा धनी औद्योगिक वर्ग को सहायता प्रदान कर रहे हैं आदि आदि। सम्भवतः उन्हें इलेक्ट्रानिकी उद्योग की पूर्ण सम्भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है। इस उद्योग में बहुत से कार्य हाथ से करने होते हैं। तथ्य यह है कि यह उद्योग देश में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

यदि आप इस देश में अथवा अन्य कहीं भी इस इलेक्ट्रानिक उद्योगों को देखें तो पता चलेगा कि यह महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हमने इलेक्ट्रानिक उद्योग को यह सुविधा तथा विभिन्न रिआयतें इसलिए प्रदान की हैं कि हमारे समाज का वह वर्ग जिसे नौकरी प्रदान करना कठिन होता है वह भी देश में उचित रूप से अच्छे वेतन की नौकरी प्राप्त कर सकें। इलेक्ट्रानिक उद्योग के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता और महिलाओं के लिए इस उद्योग में कार्य करना लाभकारी होता है।

[श्री आर० वेंकटरामन]

हमने चुनाव घोषणा पत्र में अनेक बात कही हैं। हमने कहा है कि हम साइकिल रिक्शाओं पर रिआयत देंगे; तथा यदि टैक्सियों को पेट्रोल चालित से डीजल चालित में बनाया गया तो हम रिआयत देंगे। इन सब बातों की हमने बजट में व्यवस्था की है। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि वैज्ञानिक समुदाय में निराशा का भाव व्याप्त है और हमने वैज्ञानिक समुदाय को बहुत अधिक राहत प्रदान करने की व्यवस्था की है। हमने नेत्रहीन तथा विकलांगों के लिए व्यवस्था की है। हमने चुनाव घोषणा पत्र में पेंशनभोगियों के बारे में उल्लेख किया है और हमने पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने के लिये व्यवस्था की है। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का भी उल्लेख किया गया है और हमने उनके लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमने यह भी कहा है कि गांवों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग किया जायेगा और हमने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और यदि कार्यक्रम प्रगति करता है तो हम अगले वर्ष इसके लिए और चालू वर्ष के लिए भी और अधिक धनराशि की व्यवस्था करेंगे। हमने इन सब बातों के लिये व्यवस्था की है।

कुछ लोगों ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की यह कहकर आलोचना की है कि यह 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम से भिन्न नहीं है। मैं यह दबाव नहीं करता कि मैंने नई बातों की खोज की है। किन्तु यदि मैं किसी बात में सुधार करता हूं और उसे उपयोगी बनाता हूं तथा उसे जनसाधारण के लाभ के लिए कारगर बनाता हूं तो मुझे यदि वह कार्य पहले हो चुका है तो उसकी प्रशंसा करते हुए कोई संकोच नहीं होता। क्योंकि सरकार निरन्तर बनी रहती है। यदि गतकाल में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अच्छा कार्य किया गया है तो उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। किन्तु जो कुछ हम लोगों ने किया है उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अतिरिक्त हमने 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसमें राज्यों द्वारा पूंजी निवेश से उसे वास्तविक रूप से 'कार्य रोजगार' कार्यक्रम बनाया जा सकेगा। वे नकद राशि से इस्पात, सीमेंट खरीद सकते हैं और उससे कोई स्थाई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। उससे वे छोटे सिंचाई निर्माण कार्य, पुलिया बना सकते हैं, वे कच्ची सड़कों के बजाय पक्की सड़कें बना सकते हैं, वे गांवों में अपनी सम्पत्तियों की मरम्मत कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इसके लिये मुझे महाराष्ट्र राज्य से प्रोत्साहन मिला है। महाराष्ट्र राज्य ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत अच्छा कार्य किया है। जब मुझे यह पता चला कि उस राज्य ने ग्रामीण रोजगार पर 80-90 करोड रुपया व्यय किया है तो मैंने विचार किया कि इसका अवश्य ही विस्तार किया जाना चाहिए तथा न केवल विस्तार किया जाना चाहिए वरन् उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमने नकद राशि देने की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में बहुत सहायक होगा। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है और मैंने योजना आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ी है कि इसमें कुछ दुरुपयोग हुआ है। मैं इस सदन के सामने निवेदन करूंगा कि हमारे देश जैसे विशाल देश में जिसकी लम्बाई चौड़ाई 2000 मील है जिसकी जनसंख्या 66 करोड़ है उसमें कहीं-कहीं कुछ गलतियां, कुछ भूलें हो सकती हैं। यह मेरा नम्र निवेदन है कि अच्छी योजनाओं को केवल इसीलिए असफल नहीं कह दिया जाना चाहिए कि उसमें कुछ स्थानों पर कुछ गलतियां हो गई हैं। किन्तु जहां त्रुटियां हुई हैं उन्हें ठीक करना होगा। इस आधार पर कि इसमें कुछ गलतियां हुई हैं कुछ भ्रष्टाचार है कुछ गड़बड़ी हुई है, इस योजना को छोड़ा को नहीं जा सकता।

एक अच्छी योजना को छोड़ा नहीं जा सकता और मैं आशा करता हूं कि इस योजना को उसके क्रियान्वयन में और अधिक प्रोत्साहन और बल मिलेगा।

इसके अतिरिक्त हमारे पास ग्रामीण जल सप्लाई योजना है। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

इसीलिए सभा के समक्ष जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हम यहां अपना चुनाव घोषणा-पत्र लागू करने के लिए उपस्थित हैं न कि इन्द्रजीत गुप्ता या श्री चरणसिंह की आर्थिक विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए। हमारे विचार से और देश के विचार से इन दोनों की विचारधारा देश का हित नहीं होगा, और इसीलिए आपको वह स्थान दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : हमें भी जनता ने ही यहां भेजा है, किसी और ने नहीं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं सहमत हूं, उन्होंने हमें प्रशासन चलाने के लिए भेजा है, और आपको आलोचना करने के लिए। यही तो अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : यही कार्य सौंपे गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वे सम्पन्न वर्ग का ही समर्थन कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस प्रकार के ताने से कोई प्रभाव न पड़ेगा क्योंकि सम्पन्न वर्ग के लोग भी इसी देश के लोग हैं, वे भी भारत के ही नागरिक हैं और उन्हें भी और लोगों के समान जीने का अधिकार है। केवल इस प्रकार ताने और तिरस्कार करने से देश की वास्तव में कोई उन्नति नहीं हो सकती। यह आम चर्चा, सड़क छाप भाषण या फिर जन समुदाय को भुलावे में डालने के लिए तो अच्छा है, किन्तु जब आपको प्रशासन सौंपा जाए, जैसे कि आपको सौंपा ही गया था, तब यह ठीक नहीं है। आपने अपने शासनकाल में हमसे कुछ भी बेहतर कार्य नहीं किया।

मैं अब कुछ महत्वपूर्ण मदों की चर्चा करूंगा। सरकार की इसीलिए बहुत ज्यादा आलोचना की गई है क्योंकि बजट पेश होने से लगभग दस दिन पहले पेट्रोलियम और तेल के मूल्य बढ़ाये गए थे। निर्धारित किये जाने वाले मूल्यों में इस प्रकार की घट-बढ़ होना सामान्य-सी बात है। इसका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है। मान लीजिए, हम कोयले का मूल्य बढ़ाते हैं, या हम इस्पात का मूल्य बढ़ाते हैं तो क्या हम इसकी व्यवस्था बजट में करते हैं ? तेल भी इसी प्रकार की वस्तु है और इसीलिए यह कहना कि बजट से दस दिन पहले तेल या तेल उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाना अपराध है, अथवा जैसा कि श्री चरणसिंह ने कहा—सभा का अपमान है, जरूरत से ज्यादतर बढ़ा-चढ़ाकर बनायी बात है। यही नहीं, मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले जनता सरकार ने मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस सहित पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाये थे, और ऐसा उन्होंने 17 अगस्त, 1979 अर्थात् संसद का सत्र आरम्भ होने से केवल तीन दिन पहले.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उस समय जनता सरकार नहीं थी।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया शांतिपूर्वक मेरी बात सुन लीजिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उस समय जनता सरकार नहीं थी जिसे आपने समर्थन दिया और सत्तारूढ़ किया था।

एक माननीय सदस्य : वह जनता सरकार की ही देन थी।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं अपने कथन को संशोधित करता हूं, उस समय एक नाम रहित सरकार थी.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने उसे समर्थन दिया था।

श्री आर० वेंकटरमन : आप असली बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा संसद का अधिवेशन शुरू होने से तीन दिन पहले किया गया था और संसद का विश्वास प्राप्त करने तथा शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त करने से पहले किया गया, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने सभा का विश्वास प्राप्त करने से पहले मूल्य बढ़ाए, जबकि उन्हें शासन करने का नैतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने मूल्यों में वृद्धि की थी और वे मुझसे कह रहे हैं कि मैंने संसद का अवमान किया है। उन्होंने क्या किया था ? वस्तुतः यह आरोप अत्यन्त निंदनीय है।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा): आप उनके चरण-चिह्नों पर चल रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरमन : जैसा कि मैंने बताया है, सरकार बनी रहती है, यह सतत चलने वाली संरचना है। यदि आपने कुछ गलती की है, तो यह हमें अधिकार है कि हम आपको बतायें कि आपने ऐसा किया है, और आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, यही हमने किया है।

एक और बात है जिसकी याद मैं सभा को दिलाना चाहता हूं। कोई भी महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो वह दिवालिया हो जाएगा। यह व्यक्ति ही नहीं वरन् सरकार या देश के सम्बन्ध में भी सच है। विश्व में जो तेल का मूल्य है उस पर खरीद कर और उससे कम मूल्य पर बेचने से देश बर्बाद हो जायेगा यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। अतः यह ऐसा मामला है जिसमें शिकायत की कोई गुंजायश नहीं है। अन्य वस्तुओं के समान तेल कोयला, इस्पात या अन्य वस्तुएं ऐसी चीज है जिसका मूल्य बाजार-भाव में उतार-चढ़ाव और आयात में होने वाली लागत के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। इसीलिए इसे वाणिज्यिक क्रय-विक्रय के रूप में लेना चाहिए। यदि मूल्य बढ़ेंगे तो इसका मूल्य बढ़ेगा, और यदि मूल्य कम होंगे तो इसका मूल्य भी कम हो जाएगा। इससे बजट का कोई सम्बन्ध नहीं है।

बहुत से लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह बजट मुद्रा स्फीति को बढ़ावा देने वाला है। यहां मैं फिर इस विषय पर थोड़े विस्तार से चर्चा करूंगा, बजट से पहले मैंने बहुत से अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, प्रशासकों, अनुभवी व्यक्तियों आदि से अलग-अलग बात की है और कुछ ने यह बताया कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में कर में किसी भी प्रकार की रियायत देने से मुद्रा सप्लाई बढ़ेगी और मुद्रा स्फीति और अधिक होगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो उग्र सुधारवादी हैं, उन्होंने भी यही बात बतायी है। मुद्रा स्फीति को दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है—मांग का नियंत्रण कर अथवा पूर्ति को बढ़ाकर। मैंने सोचा कि देश में मुद्रा के प्रसार को कम करने के लिए पूर्ति को बढ़ाने का जोखिम उठाना उचित होगा, और पूर्ति को

बढ़ाने के लिए कर राहत और कर में विशेष छूट देकर प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इसीलिए पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमने देश और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अत्याधिक प्रसार के बारे में जानते हुए भी करों में राहत प्रदान की है। कर राहत जो मैंने दी है, वे इस प्रकार हैं : आय कर में 10% का अधिकार— लगभग १० करोड़ रुपये। कर योग्य सीमा 10,000 से रु० बढ़ाकर 12,000 रुपये कर हमने लगभग 16.5 करोड़ रुपये कर राहत दी है। अतिरिक्त मूल्य ह्रास के रूप में जो राहत दी गई है, वह लगभग 60 करोड़ रुपये है। यह सब बहुत बड़ी धनराशि है। मुझे पक्का विश्वास है कि श्री गुप्त कभी-कभी ये सब बातें मेरे खिलाफ इस्तेमाल में लाएंगे। किन्तु इतनी विशाल धनराशि मैंने देश की जनता के पास ही रहने दी है ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और देश में वस्तुओं के इस बढ़े हुए उत्पादन और सेवाओं से हम अन्ततः मुद्रा के प्रसार को कम कर सकें.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप समझते हैं कि वे ऐसा ही करेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : हां, ये जोखिम मैं उठाता हूं। यदि मैं असफल हो गया तो मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है। यह जोखिम तो मैंने उठा ही लिया है, मेरे विचार से केन्द्र के सिद्धान्त के अनुरूप है जिसमें मंदी के समय केन्द्र अधिक निवेश की सलाह देता है ताकि जन-सामान्य की क्रय शक्ति बढ़े, उसे मांग बढ़े और मंदी दूर हो सके। इसी सिद्धान्त का यह विस्तार है कि मुद्रा स्फीति के समय वस्तुओं को बढ़ाया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केन्द्र का सिद्धान्त अब प्रचलित नहीं है।

श्री आर० वेंकटरमन : अब जहां तक मुद्रा प्रसार का संबंध है, हमने इसको दो ओर से रोकने का प्रयास किया है। जहां मुद्रा प्रसार का सम्बन्ध है, हम उसे कम करना चाहते हैं और इसके लिए एक तरीका है बैंक ऋण को कम करना, यह एक बहुत ही पुराना तरीका है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा किया जाता है। बजट से एक दो महीने पहले अर्थात् फरवरी के शुरू में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुझे सुझाव दिया कि उन्हें ब्याज की दर बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि मुद्रा पूर्ति पर उनका नियंत्रण रह सके। उसी समय मैंने ब्याज की दर के बारे में सोचा ताकि इस प्रकार ब्याज की दर में वृद्धि के माध्यम से मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण किया जा सके।

उनका कहना है कि इससे निवेश कम होगा। यदि 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मूल्यह्रास-राहत तथा १० करोड़ रुपए की आयकर राहत देने के बावजूद और एक प्रतिशत ब्याज बढ़ने से धन का निवेश कम हो जाए तो बड़े दुःख की बात होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि लोग अर्थशास्त्र जानते ही नहीं।

यह तो सभी जानते हैं कि ब्याज की दर वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन लागत तथा पूंजी पर नहीं के बराबर प्रभाव पड़ता है। अतः एक ओर तो हम वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना चाहते हैं तथा दूसरी ओर मुद्रा को कम करना चाहते हैं। मुद्रा सप्लाई को कम करने के लिए 7 प्रतिशत कर लगाया। मैं उस अंश को पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि इस मामले में मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने वास्तव में जो किया है, वह इस प्रकार है। हमने कहा कि 7 प्रतिशत का यह कर अनुसूचित बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज पर लिया

[श्री आर० वेंकटरामन]

जाएगा, और इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उनपर कोई रोक नहीं होंगी, किन्तु वे ब्याज पर कर की सीमा तक ही प्रतिपूर्ति कर सकेंगे। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि वे ब्याज की भेदक दरें न बढ़ाने पाएं। यद्यपि अन्य ऋणों पर ब्याज की दरों को बढ़ाया जाएगा, किन्तु समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण में ब्याज की भेदक दर को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको बैंक ही वहन करेंगे, और बैंक ही इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा काम जो हमने किया है वह यह है कि सहकारी बैंकों को ब्याज-कर से मुक्त रखा जाएगा ताकि उन्हें यह कर सरकार को न देना पड़े। यदि अन्य लोगों की भांति ही ब्याज की दर बढ़ाने से उन्हें थोड़ा अधिक धन प्राप्त हो जाए तो उसका पूरा लाभ सहकारी सोसायटियों को ही होगा। इसलिए हमने एक ओर मुद्रा सप्लाई और दूसरी ओर कच्चे माल, सामान की सप्लाई और सेवाओं के प्रश्न का इस तरीके से समाधान किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि इन दोनों प्रयासों से मुद्रा स्फीति को अवश्य रोका जा सकेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। दबाव तो है। किन्तु इस दबाव के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह दबाव अधिकांशतः बाहरी कारणो से केवल एक भारी दबाव का मैं सामना कर पाऊंगा और वह है समय-समय पर तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण पड़ने वाला दबाव। अन्यथा बजट के मामले में मैंने जो कुछ भी किया है उससे मुद्रा स्फीम में वृद्धि नहीं होगी। इसके विपरीत तेल और तेल उत्पादों को खरीदने के लिए लोग 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, उससे भी मुद्रा के प्रसार में कमी आएगी। लोग कहते है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जबकि इसके विपरीत धन का प्रसार कम होगा। इसलिए यदि एक ओर आप इसमें से कुछ को खपा कर प्रचलित मुद्रा को आप कम कर सकें, तो आपको पता चलेगा कि मुद्रास्फीति की उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो पाएगी और अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं माननीय सदस्यों से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश में और बाजार में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का आतंक न फैलाएं।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत बजट सम्बन्धी प्रस्तावों से मुद्रास्फीति में अपने आप वृद्धि नहीं होगी अपितु इन बजट प्रस्तावों से मुद्रास्फीति नहीं होने पायेगी।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल द्वारा उठाए गए मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सतीश जी ने कहा कि राजस्व में घाटा बढ़ गया है। यह सच है कि यह बढ़ा है।

परन्तु किसी देश के बजट का मूल्यांकन करते हुए हमें केवल राजस्व के घाटे या एक विशिष्ट क्षेत्र के घाटे पर ही ध्यान न देकर समग्र घाटे पर विचार करना चाहिए। वह यह भी जानते हैं कि इसमें वृद्धि क्यों हुई है। हम रक्षा पर पिछले साल से 500 करोड़ रुपये अधिक व्यय कर रहे हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि पूरा देश इस राशि का समर्थन करेगा।

राजस्व घाटे को बढ़ाने वाली दूसरी मद सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में

है जिसके अन्तर्गत हमें राज्यों को 90 करोड़ रुपये देने होंगे। तीसरी मद एक प्रमुख रोजगार कार्यक्रम है जिसमें हमने 340 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार के लिए अलग रख दिए हैं।

महोदय, मैंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मैंने बहुत सी-चीजों पर बहुत थोड़ा-थोड़ा कर लगाया है। मैंने अपने भाषण के दौरान यह कभी नहीं कहा कि मैंने बिलकुल कर नहीं लगाए हैं। बहुत से लोगों ने इस बजट पर यह प्रहार किया है कि मैंने यह कर लगाया है, मैंने वह कर लगाया है। हां, मैंने कर लगाए हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैंने कर नहीं लगाए मगर पिछली सरकार द्वारा लगाए गए करों में और वर्तमान करों में यह अन्तर है कि वर्तमान कराधान बहुत कम है प्रस्तुत कराधान का राजस्व शुल्क पहले से बीस गुना कम और राजस्व शुल्क पहले से दस गुना कम है जो कि बहुत सी वस्तुओं में बंटा हुआ है और जिसमें आम काम में आने वाली वस्तुएं नहीं हैं। इसी तरह मैंने 280 करोड़ रुपये निकाले हैं। मैंने सोचा था कि इस सभा का इसे समर्थन प्राप्त होगा न कि उसकी भर्त्सना की जाएगी।

मुझे अब भी आशा है कि जहां राजस्व शुल्क 20 रुपये है वहां केवल एक रुपया बढ़ेगा इसलिए विनिर्माता स्वयं ही उसको वहन कर कर सकते हैं और उसका भार उपभोक्ता पर डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अधिक कर लगाया होता, यदि इसके विपरीत हमने 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया होता तो कोई भी विनिर्माता या उत्पादक उसे वहन नहीं कर पाता और उपभोक्ता पर उसका असर पड़ता। इसलिए यह आशा करते हुए कि यदि शुल्क कम लगाया गया तो विनिर्माता उस शुल्क को स्वयं ही वहन कर लेगा, हमने शुल्क बहुत कम लगाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उत्पाद शुल्क विनिर्माता स्वयं ही वहन कर लेंगे। क्षमा कीजिए, मैं अपने शब्दों में सुधार करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि मैं आशा करता हूं, मैं यह नहीं नहीं कहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि विनिर्माता उत्पाद शुल्क में की गई इस अल्प वृद्धि को स्वयं ही वहन कर लेंगे और उसका भार उपभोक्ता पर नहीं डालेंगे।

मेरे मित्र श्री सतीश अग्रवाल से भी एक भूल हो गई कि मैंने जो विशेष उत्पाद-शुल्क लगाया है उसमें से राज्यों को भी अंश नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरे समझने में कुछ गलती हो। परन्तु यदि उन्होंने कागज देखे होते तो उन्हें पता चल जाता कि इस विशेष उत्पाद शुल्क का कुछ अंश राज्य सरकारों को भी मिलता है। बिक्री कर के स्थान पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से राज्यों को केन्द्र से हिस्सा नहीं मिलेगा। विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्र और राज्य सरकारों में बंट जाता है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री ने, जो कि वित्त-मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं, यह कहा कि हमने इस विशेष उत्पाद शुल्क को इसलिए बढ़ाया है ताकि राज्यों को उत्पाद शुल्क में उनका हिस्सा न मिल सके। सातवें आयोग की सिफारिशों और नियम के अधीन विशेष उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा होता है। यदि किसी ने भी इसे गलत समझा तो मुझे उसके अज्ञान पर दया आती है।

महोदय, इसके बाद श्री सतीश अग्रवाल ने कहा, कि आय-कर पर दस प्रतिशत अधिभार समाप्त क्यों नहीं किया। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष में जाकर वह बुद्धिमान हो गए हैं। क्यों

[श्री आर० वेंकटरामन]

कि जब मैंने विपक्ष से यह बात कही थी तो उन्होंने इसका बहुत बलपूर्वक समर्थन किया था और यह इच्छा प्रकट की थी कि यह 20 प्रतिशत अधिभार जारी रहना चाहिए।

अब देखिए मैंने यह अधिकार 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है और इस तरह केन्द्रीय राजस्व के 80 करोड़ रुपये छोड़ दिए हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह राजस्व केन्द्र ने छोड़ा है, राज्यों ने नहीं। अधिभार केन्द्र को मिलता है। मैं स्वयं एक राज्य में दस साल तक मंत्री रहा हूं और मैं राज्यों की समस्याएं और कठिनाइयां जानता हूं। इसलिए यद्यपि यह मेरी इच्छा पर निर्भर था कि मैं आय-कर कम कर दूं और इसके द्वारा राज्यों को उनके आय-कर के हिस्से से वंचित कर दूं, मैंने इस बात का खास ख्याल रखा कि मूल आय-कर के स्थान पर अधिभार कम किया जाए। मूल आय-कर में राज्यों का भी हिस्सा होता है जबकि अधिभार केन्द्र को मिलता है। मैंने यह सोचा कि केन्द्र अपने विशाल संसाधनों से काम चला सकता है मगर राज्य इस रुपये के बिना काम नहीं चला सकेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि हम आय-कर पर लगने वाले अधिभार में यह कटौती कर सकते हैं।

मैं अपनी बात जल्दी ही पूरी कर रहा हूं। एक अन्य मामले में इस सभा में और बाहर बहुत आलोचना हुई है। यह मामला आय-कर अधिनियम की धारा 10 जे० की पूर्वप्रभावी विशेषता के बारे में है जिसे 'कर से विशेष अवधि के लिए छूट' कहा जाता है।

महोदय, यह कर-छूट मूलत: वर्ष 1948 में दी गई थी। 1948 से 1968 तक यह कर-छूट इस आधार पर दी गई थी अर्थात् एक निर्दिष्ट प्रतिशता में पूंजी निवेश वाले औद्योगिक उपक्रमों दुकानों अथवा मंजूरशुदा होटलों से हुए लाभ पर आय-कर से छूट की व्यवस्था है। सहकारी समितियों के मामले में यह छूट आरम्भिक सात निर्धारण वर्षों और अन्य वर्गों के कर दाताओं के लिए पांच निर्धारण वर्षों के लिए है। 1949 से ही आय-कर अधिनियम में 'लगाई गई पूंजी' की संगणना का आधार सुनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। 1968 तक केवल निजी पूंजी और राक्षित निधि के आधार पर लगाई गई पूंजी की गणना की जाती थी जिसका सम्बन्ध करदाता की पूरी आस्तियों से है जिस में दीर्घकालीन ऋण सहित देयताएं नहीं आती और इस स्थिति में कभी प्रश्नचिह्न नहीं लगाया था। इसे मैं स्पष्ट करता हूं। यदि किसी कम्पनी की निधि 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये की रक्षित-निधि है और वह दीर्घकालीन ऋण देने वाले संस्थान से 3 लाख रुपये उधार लेती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा, इन दो लाख रुपये के लिए अर्थात् पूंजी और रक्षित निधि पर कर छूट मिलेगी। 1968 के संशोधन से पहले यह स्थिति थी। 1968 में इन नियमों में संशोधन किया गया था। जैसा कि मैंने कहा, लगाई गई पूंजी की परिभाषा में इस प्रकार संशोधन किया गया कि उसमें सुनिर्दिष्ट स्रोतों से लिए गए दीर्घकालीन ऋण शामिल किए जाएं। 1968 में यह हुआ कि नियमों में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि न केवल लगाई गई पूंजी, न केवल 1 लाख रुपये की पूंजी, न केवल 1 लाख रुपये की रक्षिता निधि अपितु ऋण लिए गए 3 लाख रुपये की राशि को भी लगाई गई राशि मान लिया गया। यद्यपि 1971 में स्थिति प्रतिकूल हो गई। यह परिवर्तन इस आधार पर किया गया कि मूल पूंजी में दीर्घकालीन ऋण शामिल करने का कोई आधार नहीं था क्योंकि कर-योग्य आय की संगणना करते हुए ऐसे ऋणों पर दिया गया ब्याज आय में से काट लिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण उधार देने वाले संस्थानों से उधार लिए गए 3 लाख रुपये पर दिए गए ब्याज को

आय में से निकाल ली जाती है। इसलिए यदि उस 3 लाख पर ब्याज कटौती 6 प्रतिशत कर पर विशेष अवधि के लिए छूट देते हैं तो यह न्यायोचित नहीं होगा। 1971-72 के अपने बजट भाषण में माननीय पूर्ववर्ती वित्तमंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण ने सरकार का निश्चय स्पष्ट कर दिया था। मैं उद्धृत कर रहा हूं—

> "फिलहाल औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों और मंजूरशुदा होटलों के मामले में लगाई गई पूंजी को छः प्रतिशत लाभ पर पांच वर्ष की अवधि के लिए कर छूट होती है। चूंकि ऋणपत्र और दीर्घकालीन ऋण, किसी भी रूप में जोखिम पूंजी का प्रतिनिधित्व नहीं करता और उस पर दिए जाने वाला ब्याज, हर हालत में आय से काट लिया जाता है इस लिए यह सरकार की उदारता है कि उन्होंने पूंजी के ऐसे संघटकों पर भी कर से विशेष अवधि के लिए छूट की व्यवस्था कर दी है। मेरा प्रस्ताव यह है कि कर-छूट के लिए पूंजी के 6 प्रतिशत की सीमा का संगणन करते हुए ऋणपत्र और दीर्घकालीन ऋणों को शामिल न किया जाए।"

उन्होंने यह, 1971 में कहा था। इस आधार पर नियम परिवर्तित कर दिया गया जिसके अनुसार लगाई गई पूंजी का अर्थ केवल निजी पूंजी और आरिक्षत निधि होगा उसमें और कुछ नहीं आएगा।

उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए संगत आय-कर नियम में संशोधन किया गया। यद्यपि, कुछ न्यायालयों का मत था कि लगाई गई पूंजी में से ऋण निकालने की व्यवस्था करने वाला नियम, आय-कर अधिनियम के उपबन्ध के अधिकार बाह्य है। प्रस्तुत वित्त विधेयक में, आय कर अधिनियम के नियमों के नियम 19-ए में इस समय समाविष्ट उपबन्धों को आयकर अधिनियम की धारा 80-जे में अन्तर्विष्ट करके स्थिति को स्पष्ट बनाने की चेष्टा की गई है। प्रस्ताव है कि इसे 1, अप्रैल 1972 से लागू किया जाएगा, अर्थात उस तिथि से, जिससे श्री चव्हाण द्वारा घोषित संशोधन लागू किए गए थे।

वित्त विधेयक में केवल सरकार के स्पष्ट आशय को लागू करने का प्रस्ताव है जो इस सभा में अगस्त 1971 में घोषित किया गया था। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आय-कर अधिकारियों ने भी, हर हालत में इसी नियम के आधार पर ही 'कर पर विशेष अवधि के लिए छूट' के लाभ की संगणना की होगी। सम्भव है कि कुछ मामलों में अपीलीय अधिकारियों ने इस बारे में दूसरा दृष्टिकोण अपनाया है, परन्तु ऐसे प्रतिकूल आदेशों के विरुद्ध आगे अपील की जा सकती। इसलिए सामान्यतया स्थिति यह होती कि इस नियम के आधार पर निर्धारण पूरा हो गया होता यद्यपि कुछ मामलों में, अपीलों में प्रतिकूल निर्णय के कारण मांग को प्रास्थागित रखा गया होगा। उद्योग को संशोधन की पूर्वभावी प्रकृति पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे नियम पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और उन्हें नियमों में निर्दिष्ट स्थिति के अनुसार अपने मामले निपटाने चाहिए थे।

यदि प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव देकर 1-4-1972 से नहीं लागू किए जाते, तो इस सम्बन्ध में मुकदमेबाजी हो जायेगी। और बहुत-सी मांगें पूरी नहीं हो पायेंगी और कुछेक मामलों में पहले से वसूल की गई राशि लौटानी पड़ेगी।

[श्री आर० वेंकटरामन]

मैं इस माननीय सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि विधायिका की सही भावना को लागू करने और न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भूतलक्षी प्रभाव से पहली बार लागू नहीं किया जा रहा। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक ज्वलंत उदाहरण पेश करता हूं। अरुन्धती बालकृष्ण के मामले में जिसने सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि निजी जेवरात पर संपत्ति कर नहीं लगेगा, विधायिका के आशय को, 1963 से भूतलक्षी प्रभाव देकर संशोधन करके पूरा किया गया था।

श्री चरणसिंह ने विधेयक को गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को 'कर-छूट' देने वाला कहा है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले, मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। इस उपबन्ध 80ञ के लिए लोगों ने बेकार में इतना ज्यादा शोर-शराबा किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि सबसे पहले 1971 में, संसद में श्री चव्हाण ने स्पष्ट रूप से बताया था कि निवेशित पूंजी का अर्थ है केवल स्वामित्व वाली पूंजी तथा आरक्षित पूंजी और उसी आधार पर उस नियम में संशोधन किया गया था। उसी आधार पर कई वर्षों तक कर निर्धारण किया जाता रहा। कुछ न्यायालयों दूसरा दृष्टिकोण अपनाया। उस समय भी विधि मंत्रालय ने हमें सलाह दी थी कि इसे नियम द्वारा लागू करना पर्याप्त है और इसे अधिनियम का रूप देना आवश्यक नहीं है। विधि मंत्रालय में उतने ही सक्षम सलाहकार मौजूद हैं, जितने कि कहीं अन्य। केवल कुछ न्यायालयों द्वारा पृथक दृष्टिकोण अपनाये जाने से यह कहना कि सरकार को, वसूल की गई समस्त राशि संसद द्वारा अनुमोदित सही मन्तव्य के अनुसार वापिस करनी चाहिए, बिलकुल अनुचित है। अतः, वस्तुस्थिति यह है और मैं नहीं समझता कि धारा 80 ञ के बारे में की गई आलोचना कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से लोगों को सरकारी कोष में 150 करोड़ रु० अथवा इतने करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, में कोई औचित्य है। वास्तव में, यदि 150 करोड़ रु० इस सरकार को दिए जाने हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि इस देश में कितना कर अपवंचन किया जा रहा है।

करों में छूट के बारे में एक बात और है। यह छूट 1981 तक है। 1981 के बाद से हमने कर-छूट गणना की प्रणाली को बदल दिया है। दांडेकर समिति का कहा था कि ये कानून पूंजी प्रधान परियोजनाओं के ही पक्षधर हैं, श्रम प्रधान, श्रमोन्मुख और रोजगारोन्मुख योजनाओं के नहीं तथा उसने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख भी किया था। यदि आप लगाई गई पूंजी पर कर छूट दे देते हैं, तो लोग अधिक पूंजी लगाने को प्रेरित होंगे, अधिक पूंजी लगाएंगे और वे इससे लाभ उठायेंगे। इससे सबक लेकर और यह महसूस करके कि इससे हम कठिनाई में पड़ गए हैं, हमने यह निर्धारित किया है कि 1981 के बाद से, चार वर्ष तक, हम उन्हें अर्जित लाभ के 25 प्रतिशत के आधार पर करों में छूट देंगे। यह छूट नियोजित पूंजी के आधार पर नहीं, अपितु, अर्जित किए गए लाभ के आधार पर दी जाएगी। करों में छूट 1981 तक 5 वर्ष के लिए है; अब मैंने इन उद्योगों के बारे में कहा है कि इनके लिए यह छूट 7 वर्ष के लिए होगी। सहकारी समितियों के लिए यह छूट दस वर्ष के लिए होगी। अतः मैंने इसे एक प्रकार से उदार बनाया है लेकिन कर की चोरी को, एक प्रकार से रोक दिया है। संभव है कुछ लोग इससे प्रभावित होंगे और वे इस बारे में शोर मचा रहे हैं : लेकिन, मुझे पूरा विश्वास है कि संसद इस समस्या को हल करने में, व्यक्ति विशेष के रुख पर ध्यान न देकर, हमें पूरा समर्थन देगी।

श्री चरणसिंह का कहना है कि उन्होंने करों में छूट केवल गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को ही दी थी और हमने प्राथमिकता वाले उद्योगों को भी करों में छूट दे दी है। यह सही नहीं है। हमने गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में, छोटे पैमाने के उद्योगों को करों में छूट दी है। चाहे वह प्राथमिकता वाला उद्योग हो अथवा गैर प्राथमिकता वाला, अगर यह छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसे छूट दी जानी चाहिए। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों से इतर उद्योगों, बड़े उद्योगों को अगर उनका नाम वर्जित सूची, अर्थात अनुसूची दो में है, तो उन्हें करों में छूट नहीं दी जायेगी। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे दुख है कि आलोचना करते समय उन्होंने पूरी तरह समझा अथवा पढ़ा नहीं था।

उत्पाद शुल्क के बारे में मैं कुछ ही मिनट लूंगा। मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमने उपभोग की वस्तुओं के बारे में काफी छूट दी है। मैंने यह नहीं कहा कि जो कुछ श्री चरणसिंह ने किया था, हमने उसका उलटा किया है। आप पैरा 111 देखिए, मैंने यह कहा है : पिछले साल के बजट में अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। मैंने इस प्रवृत्ति को बदल दिया है।" श्री चरणसिंह नाराज हो गए और बोले, "मैंने सिलाई की मशीनों अथवा साइकिलों पर कर नहीं लगाया। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं ? जब मैंने यह नहीं किया है, तो आपको क्षमा मांगना चाहिए और अपने शब्द वापिस लेने चाहिए।" बात यह है : उन्होंने सिलाई की मशीनों पर कर लगाया उन्हें इसका पता ही नहीं है। जब उन्होंने 68 मद के अन्तर्गत कर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कर दिया तो सिलाई की मशीनों जैसी वस्तुओं पर कर बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया। अतः इनके लिए 8 प्रतिशत देना ही पड़ा। भाषण देने तक, उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह मद 68 मद के अन्तर्गत आती है। हमने सिलाई की मशीनों, बनियान, हौजरी के सामान आदि से समस्त कर कम कर दिया है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि साइकिल पर उन्होंने कर नहीं बढ़ाया था; 3 से 5 प्रतिशत ही रहने दिया था। अब हमने वह 5 प्रतिशत भी समाप्त कर दिया है।

अन्त में मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का भी जवाब देना चाहता हूं। एक बात उन्होंने यह कही थी कि कांग्रेस सरकार की अपेक्षा जनता सरकार ने आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त अथवा नीति को वस्तुतः बेहतर तरीके से लागू किया था, तथा वस्तुतः उन्होंने विदेशी सहायता को कम किया था। तथ्य इस प्रकार है : कांग्रेस सरकार के 1976-77 के बजट में 1013 करोड़ रुपये की व्यवस्था विदेशी-ऋणों के लिए की गई थी और उन्होंने 1278 करोड़ रुपये खर्च किए क्योंकि उसे उस राशि की आवश्यकता पड़ी थी। जनता सरकार को 1977-78 में 1126 करोड़ रु० की विदेशी सहायता मिली और उसने 696 करोड़ रु० ही व्यय किए। 1978-79 में भी उसने 1214 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी जो कांग्रेस सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से अधिक थी। अतः, उनका वह कहना कि वे आत्मनिर्भर होना चाहते थे और इसीलिए विदेशी ऋण की व्यवस्था नहीं की गई, मेरे इस कथन से निराधार साबित हो जाता है—वे 651 करोड़ रु० ही खर्च कर सके। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने किया यह कि उन्होंने किये गए कम खर्च के आंकड़े पढ़े। जहां तक बहस का प्रश्न है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आपने चतुराई से कहा तो, लेकिन सही नहीं कहा। आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन आप बिल्कुल सही नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकारी क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहिये (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अब इसी के बारे में कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। मैं एक दो मिनट में समाप्त कर दूंगा और उसी के बारे में कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। एक बात और है। हम देर तक बैठ रहे हैं। मैं तो कौतुकवश कह रहा था, लेकिन इससे अगर कोई गलतफहमी पैदा होती है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जादूगर की तरह।...

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आप विश्व बैंक के योगदान का उल्लेख करते, तो बेहतर होता।

श्री आर० वेंकट रामन : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकासशील देशों को तेल आयात के कारण उनके विदेशी व्यापार में घाटे को ध्यान में रखते हुए कुछ सहायता दी है। यह उन देशों को दी जाती है जो यह साबित करते हैं कि उन्हें तेल आयात के कारण वास्तव में नुकसान हुआ है और उन्हें काफी घाटा हुआ। पिछले वर्ष तक, हम यह नहीं साबित कर सकते थे कि हमें व्यापार में काफी घाटा उठाना पड़ता है। अब हमने साबित किया है कि हमें व्यापार में काफी घाटा हुआ है और इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि से 540 करोड़ रुपया का ऋण ले रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि से इस प्रकार ऋण लेने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आम ऋण लेने में अन्तर है। यह धन हमारे अंशदान के आधार पर मिलता है, इसलिए यह धनराशि बजट में शामिल की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ली जाने वाली अन्य राशि के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए धन देता है अतः इससे बजट का घाटा कम नहीं होता। यहां, इस मामले में, इससे बजट का घाटा कम होगा क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया 100 करोड़ रु० का यह ऋण, जीवन बीमा निगम द्वारा लिये गए ऋण के समान है, यह तो एक प्रकार से दूसरी सहायता के समान है जिसके लिए हमें रुपया नहीं देना पड़ेगा और इसीलिए इसे सोच-समझकर, बजट में साधन के रूप में शामिल किया गया है।

इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 540 करोड़ रुपये का ऋण नहीं मिलता, तो हमारी स्थिति बहुत खराब होती। इसके लिए आप मुझे कम से कम बधाई तो दे ही सकते हैं।

इससे आपकी यह आशंका तो दूर हो जाती है कि जो सामान्यतः बजटीय सहायता नहीं मानी जाती उसे गलती से बजटीय सहायता मान ली जाती है।

अन्तिम बात सरकारी क्षेत्र के बारे में है। हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सरकारी क्षेत्र में जो 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, उसे देखते हुए इस क्षेत्र में इतना लाभ नहीं हुआ है, जितनी कि आशा की गयी थी। यह सही है कि इसमें घाटा होता है जो उनके भविष्य में विस्तार के लिए किये गए खर्च के कारण अधिकांशतः होता है। फिर भी हमें इस बात पर चिन्ता है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। अब हमने योजना आयोग के सदस्य श्री फाजिल, जो इंजीनियर्स इंडिया में हैं, की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निश्चय किया है। वह इन सभी एककों के कार्य को देखेंगे और उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे। वह इन एककों की समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे। वह समस्या पर विचार

करेंगे और सरकार को ऐसे उपाय सुझायेंगे जिनसे सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य में सुधार हो सकता है। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र के कार्य की जांच का मानदण्ड उसमें होने वाला लाभ अथवा हानि नहीं है। इसके दो मानदण्ड है—एक, क्या उसमें निर्धारित क्षमता के बराबर कार्य हो रहा है ? यदि उसमें निर्धारित क्षमता के बराबर कार्य हो रहा है, तो कीमतों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनमें फेरबदल किया जाता है। कीमतें तय की जाती हैं। लाभ दर्शाने वाली अथवा हानि दर्शाने वाली दोनों तरह की कीमतें तय की जा सकती हैं। इससे सरकारी क्षेत्र के कार्य का सही स्वरूप सामने नहीं आयेगा। पहला मानदण्ड यह होना चाहिए कि क्या उसमें निर्धारित क्षमता के बराबर उत्पादन हो रहा है। दूसरा मानदण्ड यह है कि क्या उनमें होनेवाली उत्पादन लागत तुलनात्मक दृष्टि से उचित है, और जहां इस प्रकार की तुलना संभव न हो तो, वहां यह देखा जाये कि क्या उनमें मानक लागत पर उत्पादन हो रहा है, जिसका उन्हें स्वयं ही निर्धारण करना होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : समिति को बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री आर० वेंकट रामन : इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। वे एक-एक मद को लेते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट देते रहेंगे। वे छः अथवा आठ महीने बाद बैठकर अपनी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। पहले वे एक-एकक को लेंगे, उसके कार्य को देखेंगे और तुरन्त अपनी रिपोर्ट देंगे। इसी तरह फिर वे दूसरे एकक को लेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या वे लघु एककों में भी जायेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : कार्य इस रूप में नहीं किया जाएगा। सभी छोटे एककों को नहीं लिया जायेगा। इनमें से कुछ को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।

इसके अलावा हमने एक नया तरीका शुरू किया है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों से यह कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के एककों की तरह लोगों से अपने यहां जमा खाते खोलने के लिये कहें। मुझे विश्वास है कि सभा इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगी। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, टेलीफोन उद्योग जैसे सरकारी एककों द्वारा इस दिशा में किया गया कार्य बहुत संतोषजनक है। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। यदि वे लोगों से धन लें, तो मुझे विश्वास है उनके पास काफी धन एकत्र हो सकता है। मेरा विचार है कि सरकारी क्षेत्र को बजटीय सहायता पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में मजदूर संघ भी सहायता करें क्योंकि इस कार्य में उनका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा और मैं उन्हें यह बात समझा सकूंगा कि सरकारी क्षेत्र में सुधार लाना बहुत जरूरी है क्योंकि भविष्य में हमारी पूरी नीति सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के पर आश्रित होगी। मुझे आशा है कि इस कार्य में हमें सभा के सभी पक्षों का सहयोग मिलेगा।

मैं अपनी बात कह चुका। सभा के सदस्यों ने जिस धैर्य के साथ मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वारोट

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : मैं सभा पटल पर···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

निर्देश 116 (2) में यह कहा गया है :—

"(2) यदि सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट तिथि न सुझा दी गयी हो तो पटल पर रखने के लिए मन्त्रालयों से प्राप्त पत्र सामान्यतः दो दिन पश्चात् की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जायेंगे ।"

(3) में यह कहा गया है :—

"(3) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र मन्त्रालयों द्वारा साधारणतया दो दिन पूर्व भेजे जायेंगे···"

मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या असाधारण स्थिति पैदा हो गयी कि इसे इतनी अल्प सूचना के बाद सभापटल पर रखना पड़ा ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इसकी पूर्व-सूचना मिल गयी थी ।

श्री मगन भाई बारोट : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 127/80 —सीमा शुल्क और 128/80—सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और बिना पिटे तांबे पर वर्तमान सीमा शुल्क जारी रखने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 116/80-सं० ई० और 117/80-सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तांबे और उससे निर्मित वस्तुओं पर वर्तमान मूल उत्पाद शुल्क को जारी रखने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए । संख्या 982/80]

7.19 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 2 जुलाई, 1980/11 आषाढ़ 1902 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20, दरियागंज, नई दिल्ली-2